खण्ड-460, अंक-8
गुरुवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1928
(21 सितम्बर, 2006 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 460 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | क-ङ |
| नियम 311 की विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास ... ... | 1-3 |
| आयुर्वेदिक छात्रों से संबंधित बैठक की जानकारी ... ... | 3 |
| आज की कार्य-सूची के प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना ... ... | 3 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 3-17 |
| जनपद हमीरपुर में भुखमरी और कर्ज के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना ... ... | 17-18 |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 18-19 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 19-20 |
| लखनऊ महानगर में महापुरुषों के नाम पर निर्मित उद्यान/पार्कों में विशेष अवसर पर प्रवेश शुल्क न लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 21 |
| मेरठ में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 21-22 |
| प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति मानक के अनुरूप कर विद्युत समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 22 |
| वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास खण्ड में स्थित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला डिग्री कालेज को पी0 जी0 की मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 22 |
| राजकीय महिला पालिटेक्निक शामली, मुजफ्फरनगर में स्टाफ की व्यवस्था करने के के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 22-23 |
| बांदा के झांसी मिर्जापुर मार्ग से ग्राम मरखरी जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 23 |
| आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुये बलात्कार की जांच एवं दोषियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 23-24 |
| बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकेरा में दिनांक 3-9-2006 की रात्रि में चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों की राजस्व वसूली माफ करने एवं फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 24-25 |
| शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के अन्तर्गत फूलपुर रजबहा में विगत एक साल से पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 25 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत 132 के0 वी0 ए0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ही कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 25 |
| आजमगढ़ के मेहनगर में स्थापित 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब-स्टेशन की मशीन बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 25-26 |
| राजकीय इण्टर कालेज पूरब गांव, प्रतापगढ़ की प्रधानाचार्य के नियम विरुद्ध कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 26 |
| श्री ओमकार सिंह निवासी गांव डेहरा, जिला बुलन्दशहर के हत्यारों की गिरफ्तारी एवं आश्रितों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 26-27 |
| 'स्टिंग आपरेशन' समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... | 27-28 |
| सचिवालय एनेक्सी में विधायकों की 'स्टिकर' युक्त गाड़ी को प्रवेश न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 28 |
| कानपुर के विधायक श्री सलिल विश्नोई से एक पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने विषयक प्रकरण पर जानकारी ... ... | 28-29 |
| उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 29 |
| श्रीमती राधा सिंह वर्मा के परिवाद संख्या-3490-2001 (लखनऊ) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-10/2002 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-2/2003 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 30 |
| श्री अशोक कुमार निगम के परिवाद संख्या-1909-2004 (लखनऊ) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-16/2004 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-3/2005 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 30 |
| उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 30 |
| डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 30-31 |
| उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 31 |
| कानपुर नगर के पुलिस इन्सपेक्टर सी0 डी0 गौड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना ... ... | 31-40 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ... ... ... | 40 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम का निरसन तथा संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... | 40-42 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ... ... ... | 42 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ... | 42 |
| उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित) ... | 42 |
| उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 (पारित) ... ... | 43-202 |
| डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ... ... ... | 202-209 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ... | 209-218 |
| डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, सदस्य, विधान सभा को जिला कारागार, मिर्जापुर में निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना ... ... ... | 218 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... ... | 218-220 |
| उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2006-2007) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... ... | 220 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 220-223 |
| जनपद अलीगढ़ में हरदुआगंज रजबहा अन्तर्गत संवर्धन नलकूपों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 महेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 223-224 |
| जनपद गोरखपुर में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 05 विधान सभाओं में सड़कों का चयन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री देव नारायण सिंह उर्फ जी0 एम0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ... ... | 224 |
| आवश्यक वस्तु निगम, सीतापुर के गोदामों पर खाद्यान्न ढुलाई हेतु प्राप्त निविदाओं का निस्तारण न कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री राधेश्याम जायसवाल, रामपाल यादव तथा अनिल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ... ... | 224-226 |
| जनपद आजमगढ़ के ग्राम रासेपुर धनेहरी में पशु अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ... ... | 226 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जयसिंहपुर, मोतीगनपुर, कूड़ेभार, दोस्तपुर के माइनरों के पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश "ओ0 पी0 सिंह" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ... ... ... | 226-227 |
| जनपद लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में वैध आरा मशीनों को अवैध कराकर बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य ... | 227-229 |
| जनपद आगरा में पेयजल हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य क्षेत्र में शासनादेश के अनुरूप धनराशि आवंटित कराने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह परमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 229-230 |
| जनपद बुलन्दशहर में प्राइवेट बस में दिनांक 12-8-2006 को 20 वर्षीय बालक की कुचल कर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 230-231 |
| मेरठ महानगर में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 231 |
| जनपद प्रतापगढ़ स्थित नगर कोतवाली अन्तर्गत श्री विजय सिंह को गोली मारने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि प्रताप सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 232 |
| आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2005-06 पी0 जी0 प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी राज्य मंत्री (स्व0 प्र0) का केवल वक्तव्य ... ... ... | 232-233 |
| जनपद लखनऊ स्थित फैजुल्लागंज वार्ड में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 233 |
| कानपुर नगर निगम द्वारा सुअरों को पकड़वाने एवं गन्दगी को साफ न कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 233-234 |
| जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराये जाने एवं चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 234-235 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद गोरखपुर स्थित बन्द तारा मण्डल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 235 |
| जनपद पीलीभीत की पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 236 |
| जनपद फैजाबाद में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा द्वितीय किश्त जारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लल्लू सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 236-237 |
| जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 237-238 |
| जनपद रायबरेली में स्थित नवाबगंज-जमोड़ी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 238 |
| जनपद लखीमपुर खीरी के बिजुआ में नरभक्षी बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 238-240 |
| जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहबाद की ग्राम पंचायत नदनऊ की ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 240 |
| उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आरक्षण व्यवस्थानुसार नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 240-242 |
| जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में बुन्देलखण्ड विकास निधि की परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 242 |
| भूगर्भ जल-विभाग में अवशेष कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 243-244 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| मेरठ महानगर में मेडिकल कालेज से विभिन्न स्थानों के लिए नगर बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य... ... | 244-245 |
| जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि एवं जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 245 |
| जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से न चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 245-247 |
| जनपद हरदोई के ब्लाक शाहाबाद में नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में श्री गंगा भक्त सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 247-248 |
| जनपद झांसी स्थित मोहल्ला सिविल लाइन्स, स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पीछे यू-कालोनी की नजूल भूमि के पट्टाधारियों को नगर पालिका द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में प्रदीप जैन आदित्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 248-249 |
| जनपद लखीमपुर के श्रीनगर क्षेत्र में समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 249-250 |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौहान/बेलदार जाति के व्यक्तियों का भूमिधर किसानों की भांति बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 250-251 |
| जनपद गाजीपुर के ग्राम सिधरा में बदमाशों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट की वारदात करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने एवं भुक्तभोगी को आर्थिक मदद दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 251 |
| वाराणसी जल संस्थान में मीटर रीडरों को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 251-252 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| राजकीय सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने से सम्बन्धित श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 252-253 |
| बंगलादेशी घुस पैठियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ... | 253 |
| विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनर्नियोजित किये जाने पर अन्तिम वेतन के आधार पर वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 253-255 |
| जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस द्वारा हुई मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 255-256 |
| जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव तपस्या पासवान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 257 |
| जनपद आजमगढ़ के ग्राम नरसिंहपुर थाना क्षेत्र-गौर में दीवार ढह जाने से मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 257 |
| जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के अन्तर्गत मेंहनगर डीहा से मंगई नदी के पुल तक एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 258 |
| जनपद सुल्तानपुर स्थित सहकारी चीनी मिल के उपकरणों की चोरी, अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश 'ओ0 पी0 सिंह' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... | 258-259 |
| नेहरू की प्रतिमा पर छतरी का निर्माण तथा शास्त्री भवन में स्व0 लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का उद्घाटन करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 259-260 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद शाहजहांपुर के ग्राम चित्रपुर नवदिया के श्री अजय कुमार की हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 260 |
| जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र डलमऊ में चयनित हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... | 261 |
| प्रदेश में हाइटेक/इन्टीग्रेटेड सिटी के नाम पर अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा बाजार दर पर दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ... ... | 261-262 |
| राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23 अगस्त, 2006 की कार्य-सूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ... ... | 262-263 |
| नत्थियां ... ... ... ... | 264-269 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

## उपस्थित सदस्य-288

| | |
|---|---|
| अकीलुर्रहमान खां, श्री | मुरादाबाद |
| अक्षयवर लाल, श्री | बहराइच |
| अखिलेश कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| अजय कपूर, श्री | कानपुर नगर |
| अजय कुमार, डा0 | बागपत |
| अजय राय, श्री | वाराणसी |
| अनवर महमूद, श्री | बलरामपुर |
| अनार सिंह दिवाकर, श्री | एटा |
| अनिल कुमार पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| अनिल कुमार वर्मा, श्री | हरदोई |
| अनिल कुमार सिंह यादव, श्री | एटा |
| अनिल सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री | पीलीभीत |
| अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री | देवरिया |
| अनूप कुमार पाण्डेय, श्री | बस्ती |
| अन्सार अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अब्दुल कलाम, श्री | संत कबीर नगर |
| अब्दुल मन्नान, श्री | हरदोई |
| अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री | फतेहपुर |
| अमर सिंह परमार, श्री | आगरा |
| अम्बिका चौधरी, श्री | बलिया |
| अम्बेश कुमारी, श्रीमती | महोबा |
| अयोध्या प्रसाद पाल, श्री | फतेहपुर |
| अरविन्द गिरि, श्री | खीरी |
| अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री | बाराबंकी |
| अरुण कुमारी, श्रीमती | कानपुर देहात |
| अरुणवीर सिंह, श्री | बहराइच |
| अरुणा तोमर, श्रीमती | कानपुर नगर |
| अलगू प्रसाद चौहान, श्री | सन्त कबीर नगर |
| अवधेश कुमार वर्मा, श्री | शाहजहांपुर |
| अवधेश प्रसाद, श्री | फैजाबाद |
| अशोक कुमार कटियार, श्री | कानपुर देहात |
| अशोक वाजपेयी, डा0 | हरदोई |
| अशोक सिंह चौहान, श्री | मैनपुरी |
| आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री | सिद्धार्थनगर |
| आनन्द प्रकाश लोधी, श्री | फतेहपुर |
| आर0 एस0 कुशवाहा, श्री | खीरी |
| आर0 के0 चौधरी, श्री | लखनऊ |
| आलमबदी, श्री | आजमगढ़ |
| आशा किशोर, श्रीमती | रायबरेली |
| आशीष यादव, श्री | बदायूं |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद |
| इन्द्रदेव सिंह, डा0 | बिजनौर |
| उज्जवल रमण सिंह, श्री | इलाहाबाद |
| उदयराज यादव, श्री | उन्नाव |
| उमा किरन, श्रीमती | मुजफ्फरनगर |
| उमा शंकर कुशवाहा, श्री | गाजीपुर |
| ओमकार सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री | सुल्तानपुर |
| ओम प्रकाश सिंह, श्री | मिर्जापुर |
| कपिल देव यादव, श्री | मऊ |

अतारांकित प्रश्नोत्तर

| | |
|---|---|
| कमलेश कुमार पाठक, श्री | कानपुर देहात |
| कमाल यूसुफ मलिक, श्री | सिद्धार्थनगर |
| कामेश्वर उपाध्याय, श्री | देवरिया |
| कालीचरन राजभर, श्री | गाजीपुर |
| काशीराम, श्री | रामपुर |
| किरण पाल कश्यप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| किरन पाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| किशन लाल बघेल, सेठ | आगरा |
| कुलदीप सिंह सेंगर, श्री | उन्नाव |
| कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री | हरदोई |
| कृष्णा पासवान, श्रीमती | फतेहपुर |
| कैलाश, श्री | गाजीपुर |
| कैलाश चौरसिया, श्री | मिर्जापुर |
| कौशल किशोर, श्री | खीरी |
| कौशल किशोर, श्री | लखनऊ |
| खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री | इलाहाबाद |
| गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री | आगरा |
| गंगा बक्श सिंह, डा0 | उन्नाव |
| गया चरन दिनकर, श्री | बांदा |
| गीता सिंह, श्रीमती | बलरामपुर |
| गुलाब देवी, श्रीमती | मुरादाबाद |
| घूरा राम, श्री | बलिया |
| चन्द्र किशोर, श्री | महराजगंज |
| चन्द्रदेव राम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री | श्रावस्ती |
| चितरंजन स्वरूप, श्री | मुजफ्फरनगर |
| छेदीराम, श्री | गाजीपुर |
| छोटे लाल यादव, श्री | बाराबंकी |
| जंग बहादुर सिंह, श्री | सुल्तानपुर |
| जगदम्बिका पाल, श्री | बस्ती |
| जगदीश नारायण राय, श्री | जौनपुर |
| जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री | कुशीनगर |
| जगदीश सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| जगदीश सोनकर,श्री | जौनपुर |
| जगराम सिंह, श्री | मुरादाबाद |
| जटाशंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री | फर्रुखाबाद |
| जय प्रकाश यादव, श्री | गोरखपुर |
| जयराम विमल, श्री | अम्बेडकरनगर |
| जयवीर सिंह, श्री | मैनपुरी |
| जियाउद्दीन रिजवी, श्री | बलिया |
| दयाराम, श्री | कौशाम्बी |
| दिनेश सिंह, श्री | सिद्धार्थनगर |
| दिलीप कुमार वर्मा, श्री | बहराइच |
| दीनानाथ कुशवाहा, श्री | देवरिया |
| दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री | देवरिया |
| दुर्गा प्रसाद यादव, श्री | आजमगढ़ |
| देवकी नन्दन, श्री | हाथरस |
| देव नारायण उर्फ | |
| जी0 एम0 सिंह, श्री | गोरखपुर |
| देवेन्द्र नागपाल, श्री | ज्योतिबाफूले नगर |
| देवेन्द्र प्रताप, श्री | एटा |
| देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | रायबरेली |
| द्वारिका प्रसाद, श्री | सन्त कबीर नगर |
| धनंजय सिंह, श्री | जौनपुर |
| धर्मपाल सिंह, श्री | बरेली |
| धर्मराज निषाद, श्री | अम्बेडकरनगर |
| धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री | बरेली |
| थू राम लोधी, चौधरी | हमीरपुर |
| नत्थू सिंह, श्री | उन्नाव |
| नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 | इलाहाबाद |
| नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री | हरदोई |
| नवाब सिंह नागर, श्री | गौतमबुद्ध नगर |
| परमेश्वर दयाल, श्री | सोनभद्र |
| पी0 के0 राय, डा0 | कुशीनगर |
| पीटर फैन्थम, श्री | नाम-निर्देशित |

| | |
|---|---|
| पीतम राम, श्री | पीलीभीत |
| पूर्णमासी देहाती, श्री | कुशीनगर |
| प्रताप चौधरी, श्री | हाथरस |
| प्रदीप जैन "आदित्य", श्री | झांसी |
| प्रदीप माथुर, श्री | मथुरा |
| प्रभु दयाल, श्री | मेरठ |
| प्रभु नारायण, श्री | चन्दौली |
| प्रमोद कुमार, श्री | प्रतापगढ़ |
| प्रमोद गौड़, श्री | अलीगढ़ |
| प्रागी लाल अहिरवार, श्री | झांसी |
| प्रेम पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| प्रेमलता कटियार, श्रीमती | कानपुर नगर |
| प्रेम सिंह, श्री | मथुरा |
| फागू, श्री | मऊ |
| बंशीधर राज, श्री | खीरी |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बाबू लाल, श्री | गोण्डा |
| बाबूलाल कुशवाहा, श्री | बांदा |
| बिजय सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| बीजू पटनायक, श्री | गाजीपुर |
| बीना भारद्वाज, श्रीमती | रामपुर |
| बैजनाथ पासवान, श्री | मऊ |
| बैजनाथ दुबे, श्री | गोण्डा |
| ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री | देवरिया |
| भगवत शरन गंगवार, श्री | बरेली |
| भगेलूराम, श्री | सुल्तानपुर |
| भरत सिंह, श्री | बलिया |
| भारतेन्द्र सिंह, कुंवर | बिजनौर |
| भूपेन्द्र सिंह, श्री | बदायूं |
| मदन गोपाल वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री | रायबरेली |
| मलिक मसूद, श्री | आजमगढ़ |
| मस्तराम चौधरी, एडवोकेट | उन्नाव |
| महबूब अली, श्री | ज्योतिबाफूलेनगर |
| महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री | सीतापुर |
| महेन्द्र सिंह यादव, श्री | बुलन्दशहर |
| महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री | इटावा |
| महेश त्रिवेदी, श्री | कानपुर देहात |
| माता प्रसाद पाण्डेय, श्री | सिद्धार्थनगर |
| मान पाल सिंह, श्री | एटा |
| माया प्रसाद, श्रीमती | खीरी |
| मिथिलेश कुमार, श्री | शाहजहांपुर |
| मुकुट बिहारी वर्मा, श्री | बहराइच |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| मुंशीलाल गौतम, श्री | बुलन्दशहर |
| मोख्तार अन्सारी, श्री | मऊ |
| मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद इरशाद खां, श्री | लखनऊ |
| मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री | इलाहाबाद |
| मोहम्मद रिजवान, श्री | मुरादाबाद |
| मोहम्मद शर्फार, श्री | फतेहपुर |
| यशवन्त सिंह, डा0 | मुजफ्फरनगर |
| याकूब, हाजी | मेरठ |
| योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री | गोण्डा |
| रंगनाथ मिश्र, श्री | संत रविदास नगर, भदोही |
| रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री | प्रतापगढ़ |
| रणवीर राणा, श्री | मेरठ |
| रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री | कुशीनगर |
| राकेश पाण्डेय, श्री | अम्बेडकर नगर |
| राकेश सचान, श्री | कानपुर देहात |
| राजनाथ यादव, श्री | वाराणसी |
| राजपाल त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| राजरानी रावत, श्रीमती | बाराबंकी |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती | बाराबंकी |
| राजीव कुमार सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोता सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री | लखनऊ |
| राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री | एटा |
| राजेन्द्र सिंह राणा, श्री | सहारनपुर |
| राजेश अग्रवाल, श्री | बरेली |
| राजेश कुमार, श्री | खीरी |
| राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 | गोरखपुर |
| राधेश्याम जायसवाल, श्री | सीतापुर |
| राधेश्याम सिंह, श्री | कुशीनगर |
| राबिया कलाम, श्रीमती | वाराणसी |
| राम इकबाल सिंह, श्री | बलिया |
| राम करन आर्य, श्री | बस्ती |
| राम कृपाल, श्री | इलाहाबाद |
| राम कृष्ण, श्री | सीतापुर |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| रामजी शुक्ला, श्री | औरैया |
| राम पाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री | कन्नौज |
| राम प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा |
| रामबाबू हरित, डा0 | आगरा |
| राम विशुन आजाद, श्री | गोण्डा |
| राम मगन, श्री | बाराबंकी |
| राम लाल अकेला, श्री | रायबरेली |
| राम शंकर पाल, श्री | उन्नाव |
| राम सेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| राम स्वरूप सिंह, श्री | कानपुर देहात |
| रामहेत भारती, श्री | सीतापुर |
| रामेश्वर सिंह यादव, श्री | एटा |
| रियाज अहमद, श्री | पीलीभीत |
| लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 | मेरठ |
| लालजी टण्डन, श्री | लखनऊ |
| लालजी वर्मा, श्री | अम्बेडकर नगर |
| लाल बहादुर यादव, श्री | जौनपुर |
| लुईस खुर्शीद, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| वकार अहमद शाह, डा0 | बहराइच |
| विजमा यादव, श्रीमती | इलाहाबाद |
| विजय कुमार मिश्रा, श्री | सन्त रविदास नगर, भदोही |
| विजय बहादुर पाल, श्री | कन्नौज |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विद्या चौधरी, श्रीमती | आजमगढ़ |
| विद्या सागर गुप्ता, श्री | लखनऊ |
| विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री | गोण्डा |
| विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री | इटावा |
| विनोद कुमार सिंह, श्री | जौनपुर |
| विनोद तिवारी, डा0 | पीलीभीत |
| विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री | बदांयू |
| विमला राकेश, श्रीमती | सहारनपुर |
| विवेक बंसल, श्री | अलीगढ़ |
| विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री | बांदा |
| विश्राम सिंह यादव, श्री | हरदोई |
| वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना", श्री | शाहजहांपुर |
| वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री | बरेली |
| वीरेन्द्र सिंह श्री | वाराणसी |
| शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री | सन्त रविदासनगर भदोही |
| शब्बीर, श्री | बहराइच |
| शाकिर अली, श्री | देवरिया |
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदा नन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शाहिद मंजूर, श्री | मेरठ |
| शिव कुमार बेरिया, श्री | कानपुर देहात |
| शिव तपस्या पासवान, श्री | चन्दौली |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | |
|---|---|
| शिव पाल सिंह यादव, श्री | इटावा |
| शिव प्रताप यादव, डा0 | बलरामपुर |
| शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर | प्रतापगढ़ |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | महराजगंज |
| शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री | जौनपुर |
| श्याम सिंह अहेरिया, श्री | मथुरा |
| श्यामदेव राय चौधरी, श्री | वाराणसी |
| श्याम प्रकाश, श्री | हरदोई |
| श्याम लाल रावत, श्री | सीतापुर |
| श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| श्याम सूरत उपाध्याय, श्री | इलाहाबाद |
| श्रद्धा यादव, श्रीमती | जौनपुर |
| श्रीराम भारती, श्री | मिर्जापुर |
| संजीव दरियाबादी, श्री | कानपुर नगर |
| संदीप अग्रवाल, श्री | मुरादाबाद |
| सतीश महाना, श्री | कानपुर नगर |
| सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री | मेरठ |
| सदल प्रसाद, श्री | गोरखपुर |
| सन्ध्या कटेरिया, कु0 | मैनपुरी |
| समरपाल सिंह, श्री | बागपत |
| सलिल विश्नोई, श्री | कानपुर नगर |
| सिद्ध गोपाल साहू, श्री | महोबा |
| सियाराम सागर, डा0 | बरेली |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदेवी वर्मा, श्रीमती | इटावा |
| सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री | गाजियाबाद |
| सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री | जौनपुर |
| सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री | रायबरेली |
| सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| सुशील चौधरी, डा0 | सहारनपुर |
| सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| सोमारू राम सरोज, श्री | जौनपुर |
| सोवरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | रायबरेली |
| हरि प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| होशियार सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| ओमवती देवी, श्रीमती | बिजनौर |
| सुन्दर लाल, श्री | उन्नाव |
| कल्यान सिंह दोहरे, श्री | कन्नौज |
| रतन लाल अहिरवार, श्री | झांसी |

**नोट :-उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) एवं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।**

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नियम 311 की विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इलाहाबाद में सिविल लाइन में 18 तारीख को हेड कांस्टेबिल की बम मारकर हत्या कर दी गयी।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

हमारे यहां थाने पर दरोगा द्वारा कम्पाउण्डर की हत्या कर दी गयी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा तीसरी बार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी, आपकी नियम 51 में सूचना लगी है जब वक्तव्य आयेगा उस समय आपको पूरा अवसर मिलेगा।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

इलाहाबाद में हमारे घर के पास सिविल लाइन में हेड कांस्टेबिल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

आपने नोटिस दी है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैंने नियम 311 में इसकी नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप जानते हैं कि कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हो चुका है कि आज इस तरह की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जब इस तरह की गम्भीर घटनाओं पर हम नहीं बोल सकते हैं तो कब बोलेंगे ? मुझे पांच मिनट सुन लें और बाद में वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह ली, अब बैठ जायं। हम सदन उठते समय इस पर मंत्री जी को बुला लेंगे।

श्री रंगनाथ मिश्र-

थाने पर दरोगा द्वारा कम्पाउण्डर की हत्या की गयी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम 51 में स्वीकार हो चुकी है।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

जब यह निर्णय हुआ था कि आज इस तरह की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी उसके बाद से कई घटनायें ऐसी हुई हैं जो गम्भीर हैं। हरदोई में हमारे दो कार्यकर्ताओं की हत्या की गयी उनको सरे आम बम से मार दिया गया। कानपुर में सलिल विश्नोई जो हमारी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने विशेषाधिकार हनन का प्रश्न दिया है उनके यहां का थानेदार कहता है कि तुम्हारे भूसा भरवा देंगे। विधान सभा मेरे जूतों की नोक पर है। इस तरह की बात कही जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और सदन चल रहा है तो इसके चलने का क्या मतलब है ?

(श्री चन्द्र देव यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चन्द्र देव यादव जी, आप बैठ जायं। यादव जी, जब आपका नियम-301 का आयेगा तब बोलिएगा। माननीय टण्डन जी उस दिन यह तय हो चुका था कि 311 नहीं लिया जायेगा चूंकि आज एक महत्वपूर्ण विधेयक भी लगा हुआ है। आपने अपनी सूचना दे दी है और जैसा गौर साहब ने भी कहा है। सदन उठने के बाद इस पर आपको और सम्बन्धित मंत्रियों को अपने कक्ष में बुलाकर इस पर विचार विमर्श कर लिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सदन उठने के बाद नहीं, सदन उठने से पहले।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने कह दिया है इस विषय में मेरे कक्ष में बात हो जायेगी और उस पर जो कार्यवाही होनी होगी कर ली जायेगी।

श्री लालजी टण्डन-

मैंने 311 में एक नोटिस दिया है। उसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

311 नहीं लिया जायेगा।

श्री लालजी टण्डन-

आप 311 में लें न लें लेकिन मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप 311 का नाम न लीजियेगा। वैसे ही कह लीजिये क्योंकि आपको तो अधिकार प्राप्त है।

श्री लाल जी टण्डन-

मान्यवर, मैं उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर के बाद कह लीजियेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री लालजी टण्डन-**

मान्यवर, हमको अपनी बा कह लेने दीजिये।

*** श्री प्रमोद कुमार-**

मान्यवर, मेरा सुझाव है में किसी को परेशानी नहीं होगी। इनका विधेयक भी आ जायेगा और माननीय सदस्यों की बात भी जायेगी क्योंकि कार्य-मंत्रणा में उस दिन जब विचार हुआ था तब यह तो नहीं पता था कि इस तरह की घटना हो जायेगी। इसलिये मेरा कहना है कि एक इस तरह का रास्ता निकाला जाय ताकि दोनों का हो जायं। विधेयक भी पारित हो जाय और लोगों को भी आप सुन लें। नेता विरोधी दल, नेता बसपा क भी कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को अगर आपत्ति होगी तो उसको आप खारिज कर दें।

**आयुर्वेदिक छात्रों सम्बन्धित बैठक की जानकारी**

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय के छात्रों के अन्धकारमय भविष्य के बारे में मैंने प्रश्न उठाया था और आपने निर्देश दिये थे कि मैं अपने कक्ष में सरकारी अधिकारियों को बुलाकर इस बारे में वार्ता कर लूंगा लेकिन आज तक इस विषय में वार्ता नहीं हुई है। 1800 छात्रों का भविष्य पिछले 5 सालों से अन्धकार में है।

श्री अध्यक्ष-

मैं बैठक बुला लूंगा। कल मैं नहीं था। बहुत दिनों के बाद अपने क्षेत्र में गया था। आज मैं टाइम निर्धारित करके जल्दी से जल्दी बैठक बुला लूंगा।

**आज की कार्यसूची के प्रश्नों के संबंध मे सूचना**

श्री अध्यक्ष-

यह जो प्रश्न हैं अल्पसूचित और तारांकित यह उत्तर गने ायेंगें।

## प्रश्नोत्तर

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**प्रदेश के प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में डोनेशन लेकर प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी जानकारी**

**1-श्री मदन भैया-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में मैनेजमेण्ट कोटे के अन्तर्गत भारी डोनेशन लेकर प्रवेश दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों के कल्याणार्थ डोनेशन सम्बन्धी कोई पारदर्शी नीति घोषित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

कृषि शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अध्यादेश-2006 दिनांक 10 जुलाई, 2006 से लागू किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

## गन्ने के समर्थन मूल्य की घोषणा

**2-कुं0 भारतेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिये गन्ने के समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी नहीं। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है, अपितु राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है।

प्रदेश सरकार गन्ना कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ने की उत्पादन लागत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य का स्तर, सम्भावित लेवी चीनी मूल्य, फ्री-सेल चीनी के अनुमानित बाजार भाव पर चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य देने की अनुमानित क्षमता व चीनी परता आदि घटकों के आधार पर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर निर्धारित करती है। आगामी पेराई सत्र 2006-07 के लिए गन्ना मूल्य निर्धारण करने हेतु समस्त सम्बद्ध पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त समय पर गन्ना मूल्य दर का निर्धारण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

## तारांकित प्रश्न

*1-डा0 अजय कुमार-

[ चौथे सोमवार के तारांकित प्रश्न सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

## प्रदेश की चीनी मिलों पर कृषकों की बकाया धनराशि

*2-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर कृषकों का 31 जुलाई, 2006 तक कितना गन्ना मूल्य बाकी है तथा उसके भुगतान हेतु सरकार द्वारा कौन सी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पेराई सत्र 2005-06 में देय गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान 31-07-2006 से पूर्व ही किया जा चुका है। उक्त तिथि को पूर्ववर्ती वर्षों का प्रदेश की चीनी मिलों पर रु0 100.12 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया था।

बकायेदार चीनी मिलों के प्रकरण मा0 बी0आई0एफ0आर0 एवं मा0 उच्च न्यायालय/ मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण गन्ना मूल्य बकाया है। बकाये का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु प्रकरणों में प्रभावी पैरवी की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्रीलंका में उत्तर प्रदेश के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की मांग**

*3-कु0 भारतेन्द्र सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीलंका में आयोजित सैफ गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार कोई प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न

**लोक निर्माण विभाग जौनपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार दुबे के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच**

1-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्त शिकायती-पत्र पर की गई जांच के परिणाम क्या हैं तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

प्राप्त शिकायती-पत्र में निहित शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच में कोई शिकायत सिद्ध नहीं पायी गयी।

शिकायत सिद्ध न पाये जाने के कारण प्रकरण समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लोक निर्माण विभाग जौनपुर के निर्माण खण्ड एवं प्रान्तीय खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय**

2-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग, जौनपुर के निर्माण खण्ड एवं प्रान्तीय खण्ड के वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराए गए 700 कि0मी0 के नवीनीकरण के कार्य एवं राज्यांश के अन्य कार्यों हेतु विगत दो सालों में कितना धन आवंटित किया गया था, उससे कितना कार्य कराया गया एवं कार्य कराने के उपरान्त अवशेष धन राजकीय कोष में जमा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री शिवपाल सिंह यादव-**

जनपद जौनपुर के दोनों खण्डों में विगत 2 वर्षों में (वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06) वर्तमान अधिशासी अभियन्ता द्वारा 700 कि0मी0 नहीं, बल्कि उक्त अवधि में कुल आवंटित धनराशि रु0 415.39 लाख के सापेक्ष 215.17 कि0मी0 लम्बाई में नवीनीकरण कार्य कराया गया है। राज्यांश के अन्तर्गत कुल आवंटित धनराशि रु0 1083.345 लाख से चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण 13.00 कि0मी0 मिट्टी का कार्य, 29.77 कि0मी0, सोलिंग कोट, 12.48 कि0मी0, इण्टर कोट 30.44 कि0मी0, टाप कोट 43.14 कि0मी0 तथा 58.87 कि0मी0 की लम्बाई में लेपन कार्य कराया गया है।

जी नहीं।

कोई धनराशि अवशेष नहीं।

**लोक निर्माण विभाग बस्ती के राम जानकी मार्ग से बैसिया तक के सड़क निर्माण के टेण्डर के सम्बन्ध में जानकारी**

3-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती द्वारा राम जानकी मार्ग से बैसिया समग्र गांव के सड़क निर्माण का टेण्डर विगत वर्ष डाला गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें शिथिलता बरतने वाले इंजीनियरों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय स्वीकृत न होने के कारण निविदा निरस्त कर दी गयी।

**जनपद-बस्ती के कस्बा नगर बाजार आदि की सड़कों के गड्ढे को भरवाने की मांग**

4-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के विधान सभा नगर पूर्व के कस्बा नगर बाजार गायघाट, महोदवा, कुदरहा, देईसाड़ में सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे सड़क पानी में डूब जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने के लिए प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बस्ती को आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आबादी वाले भाग में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर जल जमाव हो जाता है, जिससे कुछ स्थानों पर गड्ढे हो गये हैं।

बरसात से मार्ग में बने गड्ढों को ब्रिक बैट्स से भरकर यातायात योग्य बनाये रखा गया है। मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

## लुम्बिनी दुद्धी मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग

5-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लुम्बिनी दुद्धी मार्ग निर्माण में मैटेरियल का प्रति किलोमीटर क्या मानक तय किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर डाला ग्रिड की जगह पर नौतनवा सस्ती ग्रिड का उपयोग किया गया है, जिससे बनने के बाद ही जगह-जगह गड्ढे बन गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु निर्धारित मानक का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-क)।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण हेतु देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 264-265 पर)

## टाण्डा पुल एप्रोच मार्ग की कार्य योजना

6-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में टाण्डा पुल एप्रोच मार्ग की कार्य योजना स्वीकृत हुई है और इस एप्रोच मार्ग का कार्य कराने के लिए दो करोड़ (20000000/00) रुपया प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बस्ती ने शासन को वापस कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पुनः इसी कार्य योजना के लिए शासन से दो करोड़ बीस लाख पन्द्रह हजार रुपया स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सेतु की परिकल्पना एवं सरेखण तय न होने के कारण।

वर्ष 2006-2007 में रु0 22.20 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

## बस्ती से टाण्डा घाट तक की नीची सड़क के उच्चीकरण कराने की मांग

7-श्री राम करन आर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती से टाण्डा घाट तक सड़क नीची है और जगह-जगह पानी भरा रहता है उसका उच्चीकरण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह मार्ग 7.00 मी0 चौड़ा है। मार्ग के केवल आबादी भाग में जल-भराव हो जाता है जिसकी मरम्मत कराकर मार्ग को ठीक कर दिया जाता है। मार्ग के उपरोक्त आबादी भाग में यातायात घनत्व काफी कम है, इसके दृष्टिगत मार्ग के उच्चीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद-हरदोई में आई0 आर0 इण्टर कालेज के पीछे आबाई कब्रिस्तान से शीशम के पेड़ों को अवैध कटान से बचाने की मांग**

8-श्री अनिल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सण्डीला, जनपद हरदोई में आई0आर0 इण्टर कालेज के पीछे गाटा सं0-648 अन्दर महतवाना परगना व तहसील सण्डीला स्थित आबाई कब्रिस्तान से शीशम के 19, चिलबिल के 4 व नीम का 1, कुल 24 पेड़ अवैध रूप से कटवा लिए जाने के सम्बन्ध में श्री इश्तियाक नजर (भूतपूर्व सैनिक) नि0 अशराफ टोला, मोहल्ला-किला, सण्डीला, जिला हरदोई का पत्र दिनांक 2 फरवरी, 2006 परगना अधिकारी, सण्डीला, जिला हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हां।

प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर क्षेत्रीय लेखपाल व रा0नि0 से जांच कराई गई। जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि गाटा सं0 648 ग्राम सण्डीला महतवाना ख़ेवट की खाता सं0 51/101/5 पर खातेदार मोहम्मद मेंहदी पुत्र फजल अली शेख आदि निवासी सण्डीला के नाम दर्ज है। प्रश्नगत गाटा ग्राम समाज का कब्रिस्तान न होकर व्यक्तिगत खातेदार का होने के कारण वन विभाग से जानकारी ली गयी। वन क्षेत्राधिकारी सण्डीला रेंज द्वारा यह जानकारी दी गई कि दिनांक 10-2-06 को आई0आर0 इण्टर कालेज के पीछे मोहल्ला महतवाना कब्रिस्तान पर 05 पेड़ शीशम व 02 पेड़ नीम का अवैध कटान पाया गया जो वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 तथा उ0प्र0 इमारती अधिनियम 1978 की धारा-3/28 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण (1) नियाज अहमद (2) सब्बीर अहमद (3) इकरार हुसैन (4) सिद्दीक पुत्रगण स्व0 बुलाकी निवासी महतवाना के विरुद्ध वन अपराध सं0 17/2005-06 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों से विधिक कार्यवाही के तहत मु0 रुपया 6000/- प्रशमन धनराशि वसूल की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बदायूं के इस्लाम नगर कस्बे की कृषि भूमि का अवैधानिक रूप से वाणिज्यिक उपयोग करने पर कार्यवाही की मांग**

9-श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूं के इस्लाम नगर कस्बे की कृषि भूमि गाटा संख्या-1258 का भू-परिवर्तन किये बिना अवैधानिक रूप से लीज पर वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा

है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-142 (2), 143, 157 (1), 165, 189 (कक) व 194 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधारी-

राजस्व ग्राम इस्लामनगर की भूमि गाटा संख्या 1258 क्षेत्रफल 0.297 हे0 बाबू व अब्दुल रशीद पुत्रगण अब्दुल रज्जाक निवासीगण इस्लामनगर के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। बाबू व अब्दुल रशीद ने अपने-अपने हिस्से को श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी श्री प्रवीन कुमार गुप्ता निवासी इस्लामनगर तहसील-विल्सी के पक्ष में विक्रय कर दिया। श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी श्री प्रवीन कुमार गुप्ता ने गाटा संख्या 1258 के 1440 वर्गमीटर भाग को दिनांक 27-5-2005 को श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामप्रकाश गुप्ता निवासी मोहल्ला नं0 2 कस्बा विल्सी के पक्ष में तीस वर्षीय लीज पर दे दिया जिसका प्रयोग श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा पेट्रोल पम्प लगाकर वाणिज्यिक रूप में किया जा रहा है।

श्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी श्री प्रवीन कुमार गुप्ता द्वारा भूमि संख्या 1258 क्षेत्रफल 0.297 हे0 को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु दिनांक 23-6-2005 को वाद संख्या 04/2005 उप जिलाधिकारी, विल्सी के न्यायालय में योजित किया गया किन्तु राजस्व ग्राम इस्लामनगर चकबंदी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत होने के कारण यह वाद दिनांक 22-6-2006 को उपशमित किया गया।

उप जिलाधिकारी विल्सी के न्यायालय में योजित बाद संख्या 01/2005 अन्तर्गत जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा 157/166 में पारित निर्णय दिनांक 31-8-2006 द्वारा ग्राम इस्लामनगर के चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत होने के कारण वाद उपशमित कर दिया गया।

जिलाधिकारी, बदायूं ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्गमन पर विचार करते समय दिनांक 17-12-2005 को अपने आदेश में श्रीमती सुषमा गुप्ता के पति श्री प्रवीन कुमार गुप्ता को अक्षम व्यक्ति होने, राजस्व ग्राम इस्लामनगर दिनांक 27-10-1990 से जोत चकबंदी अधिनियम की धारा-4(2) के अन्तर्गत चकबंदी क्रियाओं के अन्तर्गत घोषित होने तथा लीज डीड के पूर्व भूमि अकृषिक होने के कारण लीज डीड धारक श्री राजीव कुमार गुप्ता के भू-उपयोग का अधिकार समाप्त होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

## चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के शोध सहायकों को पंचम वेतन आयोग की सुविधाएं दिये जाने की मांग

10-श्री सलिल विश्नोई-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के 26 शोध सहायकों को चतुर्थ वेतन आयोग एवं पूरे संवर्ग (167) को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप सुविधाएं अनुमन्य की गयी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेश प्रताप सिंह-

जी नहीं, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रश्नांकित 26 शोध सहायकों को शासनादेश दिनांक 14-10-93 में उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एम0एस0सी0/एम0एस0सी0(ए0जी0) पूर्ण करने के दिनांक से यू0जी0सी0 वेतनमान रु0 500-900 का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1740-3000 अनुमन्य कराया गया है। जहां तक पूरे संवर्ग (167) का प्रश्न है, इनके वेतनमान को पुनरीक्षित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## पेट्रोल पम्प लगाने हेतु पेट्रोलियम नियमावली में अनियमितता करने वाले अधिकारी को दण्डित करने की मांग

11-श्री योगेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल पम्प लगाने हेतु जिलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषक भूमि घोषित किया जाना आवश्यक है ? क्या जनपद बदायूं के कस्बा इस्लामनगर में गाटा संख्या-1258 में स्थापित मेसर्स राजीव फिलिंग स्टेशन को जिलाधिकारी, बदायूं द्वारा धारा-143 की घोषणा के बगैर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एन0ओ0सी0 को निरस्त कर सम्बन्धित अनियमितता करने वाले अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

पेट्रोल पम्प लगाने हेतु पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 144 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनपत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है। आवेदन-पत्र के साथ प्राप्त मानचित्रों के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग तथा अग्निशमन के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी की आख्याएं प्राप्त की जाती हैं और संलग्न मानचित्र की भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में राजस्व विभाग की टिप्पणी प्राप्त की जाती है। भूमि के उपयोग पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि वह लाइसेंस हेतु प्रस्तावित स्थल होता है। गाटा संख्या-1258 राजस्व ग्राम इस्लामनगर में मैसर्स राजीव फिलिंग स्टेशन, बदायूं को पेट्रोल पम्प लगाने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या 201 दिनांक 16-7-2005 जारी करते समय सभी विचारणीय बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया। प्रश्नगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के समय कोई अनियमितता नहीं हुई है।

प्रश्नगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य के पुत्र तथा श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह निवासी भुसाया तहसील-बिसौली की संयुक्त आपत्ति पर भूमि विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण प्रश्नगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 16-7-2005 आदेश संख्या 211 दिनांक 6-8-2005 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया। आदेश दिनांक 6-8-2005 से क्षुब्ध होकर श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता निवासी-विल्सी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में याचिका संख्या-56725/2005 योजित की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय अपने आदेश दिनांक

23-8-2005 द्वारा अनापत्ति निष्प्रभावी होने विषयक आदेश दिनांक 6-8-2005 निरस्त कर दिया गया जिसकी सूचना सभी सम्बन्धित को कार्यालय पत्र दिनांक 2-9-2005 द्वारा दी गयी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-8-2005 में याची को कारण बताओ नोटिस देकर सुनवाई करके युक्तियुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में याची तथा आपत्तिकर्तागण को सुनने के बाद दिनांक 19-12-2005 को आपत्तियों का निस्तारण किया गया और वर्णित परिस्थितियों में श्री राजीव कुमार गुप्ता के भूमि उपयोग का अधिकार समाप्त होना न पाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद गाजियाबाद के गढ़ मुक्तेश्वर में स्टेडियम बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव

12-श्री मदन चौहान-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में स्टेडियम बनाने के लिये कोई प्रस्ताव स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अभी प्रदेश के जनपद मुख्यालयों पर ही स्टेडियम निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

## जनपद फैजाबाद, थाना हैदरगंज के निवासी श्री राम कृपाल पाठक की भूमि को अवैधानिक तरीके से नाम दर्ज करवाने की जानकारी

13-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-06 जो श्री राम कृपाल पाठक निवासी पूरब पट्टी थाना-हैदरगंज, तहसील-बीकापुर, जनपद-फैजाबाद की भूमि संख्या-109 तथा 110 पर विपक्षी राम मनोरथ एवं रामसूरत द्वारा अवैधानिक तरीके से सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज करवा लेने के सम्बन्ध में है, आयुक्त फैजाबाद मण्डल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ ने दिनांक 27-9-2003 को उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो इसका अनुपालन शासन द्वारा करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आयुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 4-8-2006 प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

## जनपद सुल्तानपुर के ग्राम कौहार व गौरीगंज के ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमणकर्त्ताओं से बेदखल कराने की मांग

14-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सुल्तानपुर के ग्राम कौहार, तहसील गौरीगंज की ग्राम समाज की भू0सं0-1992, 1995, 1996, 1200 एवं 1239 की पैमाइश नायब तहसीलदार, गौरीगंज द्वारा दि0 17 व 18 जुलाई, 2004 को की गयी ? यदि हां, तो क्या उसमें अतिक्रमण पाया गया ? यदि हां, तो क्या अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध बेदखली का वाद जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 बी के अन्तर्गत कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर की दि0 3-12-04 की रिपोर्ट में उक्त अतिक्रमण सिद्ध पाया गया ? यदि हां, तो अभी तक अतिक्रमणकर्ताओं को जमीन से बेदखल न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त बेदखली कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत वाद न्यायालय में लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद शाहजहांपुर में सूखा राहत दिये जाने की मांग

15-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत शाहपुर, जनपद शाहजहांपुर में सूखा राहत दिये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/135657/2005, दिनांक 12-12-2005 आयुक्त, राहत, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम शाहपुर, तहसील जलालबाद में वर्ष 2004-05 में सूखा राहत में समस्त पात्र 234 लाभार्थियों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में रु0 1,20,365/- (रुपये एक लाख बीस हजार तीन सौ पैंसठ मात्र) के चेक वितरित किए जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर की भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की मांग

16-श्री मदन चौहान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर में कितनी भूमि अनधिकृत तरीके से भू-माफियों के कब्जे में है तथा उसे मुक्त कराने हेतु क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

तहसील गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम इनायतपुर एवं कोथला बांगर व खादर तथा कल्याणपुर एवं ग्राम बागड़पुर में कुल 1001.07 हे0 भूमि भू-माफियाओं के नाम अनियमित एवं फर्जी रूप से अभिलेखों में दर्ज पायी गयी थी।

जांचोपरान्त फर्जी/अनियमित प्रविष्टियों को निरस्त कर भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज करा दी गयी है। ग्राम कल्याणपुर की 41 हे0 भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण इस भूमि पर ग्राम समाज को कब्जा नहीं दिया जा सका है। शेष भूमि पर ग्राम समाज का कब्जा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में विगत तीन वर्षों में लो0 नि0 वि0 के योजनाओं की आवंटित धनराशि

17-श्री मशहूद खां-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में विगत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग को किन-किन योजनाओं में कितना धन आवंटित किया गया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अवमुक्त किये गये धन से कौन से कार्य कराये गये, कौन से कार्य अधूरे पड़े हुये हैं, तथा कौन-कौन से कार्य शेष हैं ? उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

योजनावार आवंटित धनराशि की सूची संलग्न है।

कार्यों की सूची संलग्न है।

मार्च, 2007 तक कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 266-269 पर)

**जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में ग्राम सभा के दबंग व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते पर किया गया कथित कब्जा**

18-श्री मशहूद खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बसडिलिया, तहसील डुमरियागंज में ग्राम सभा के दबंग व्यक्तियों द्वारा आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अवैध कब्जा हटाने के संबंध में सचिव, मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-119200/सी0एम0 विधायक कोष्ठ/05, दिनांक 23-2-05 जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं, उक्त रास्ते पर आवागमन जारी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं किया गया है।

जी हां।

ग्राम सभा की बैठक कर मार्ग को चौड़ा करने हेतु ग्रामवासियों की उपस्थिति में प्रस्ताव किया गया जिससे चार पहिया वाहन का आवागमन हो सके।

प्रश्न नहीं उठता।

**वाराणसी महानगर के सगरा ताल को पाटने व बेचने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग**

19-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-3-2006 जो वाराणसी महानगर स्थित मौजा शिवपुरवा में आराजी नम्बर 89 रकबा 20294 हेक्टेयर सगरा ताल को पाटने और बेचने के सम्पूर्ण कार्यों को रोकने तथा उसके मूल स्वरूप को बनाये रखने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल करने की नीति**

श्री परमजीत पलिक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जोतों के बीच बनी चक रोड के भूमि पर पुनः असरदार व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे की स्थिति से निपटने हेतु राज्य स्तर पर कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पर प्रदेश स्तर पर व्यापक सर्वेक्षण कराकर कोई स्पष्ट नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। इस संबंध में अवगत कराना है कि उ0 प्र0 जमींदारी विनाश व्यवस्था अधिनियम, 1950 में ग्राम समाज की भूमियों सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर हुये अतिक्रमणों को हटाने व हर्जाना आरोपित करने का प्राविधान धारा-122-बी में है।

इसके अतिरिक्त ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमणकर्ता को बेदखल करने के पश्चात् उसके द्वारा पुनः ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने पर दण्ड, कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान उक्त अधिनियम की धारा 123-ख में है। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जा हटाये जाने के अभियान भी चलाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद-हरदोई विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की जानकारी

21-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजट सत्र 2006 में मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 7 कि0 मी0 सड़कें बनाई जाने हेतु सदन में घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावों के अनुसार प्रश्नगत सड़कों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

वित्तीय स्वीकृति की अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

22-श्री अब्दुल मन्नान-

[3सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## जनपद सीतापुर के ग्राम रगड़े पुरवा की श्रीमती रामकली के परिजनों को दैवी आपदा राहत उपलब्ध कराने की मांग

23-श्री राम हेत भारती-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के थाना-हरगांव के अन्तर्गत ग्राम रगड़े पुरवा निगोहा निवासी श्रीमती रामकली की दैवी आपदा (अत्यधिक वर्षा) के कारण दीवाल गिरने से दबकर दिनांक 26-7-06 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या परिवारीजन को दैवी आपदा राहत उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

मृतका के परिजनों को दैवी आपदा राहत निधि से अनुग्रह सहायता की राशि दिनांक 09-09-2006 को रु0 50,000/- प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री राम हेत भारती-

[ तीसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

## जनपद-लखीमपुर खीरी में बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी के सेतु की अप्रोच रोड के कार्यों की जानकारी

25-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में बरबर-औरंगाबाद मार्ग पर गोमती नदी के सेतु की अप्रोच रोड का कार्य वर्ष 2003 से वर्ष 2006 के मध्य कुल कितने वर्ग मीटर मिट्टी का कार्य किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किस-किस संस्था द्वारा कितना-कितना कार्य किया गया ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत अवधि में लोक निर्माण विभाग द्वारा 3531 8.975 घन मी0 मिट्टी का कार्य कराया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा कराये गये मिट्टी के कार्य की मात्रा का निर्धारण जांचोपरान्त किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

## शाहजहांपुर में लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

26-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13-4-06 को जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर को पत्र दिया गया था, जिसमें ग्राम डभौरा वि0 खं0-जैतीपुर, जनपद-शाहजहांपुर के वर्ष 2005-06 में लोहिया ग्राम चयनित हो जाने के उपरान्त भी कोई विकास कार्य न कराने की जांच कराकर पूर्ण रूप से संतृप्त कराने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जिला विकास अधिकारी द्वारा मामले में कृत कार्यवाही की सूचना मा0 सदस्य को पत्र दिनांक 23-5-2006 को भेज दी गयी थी।

लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम डभौरा को लोहिया ग्राम के रूप में चयन करने हेतु मण्डी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा विकास कार्य कराये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19-7-06 को निर्गत कर दी गयी है।

असम्बद्ध।

(नेता, विरोधी दल तथा कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं इसका तो ध्यान रखिये।

## जनपद हमीरपुर में भुखमरी और कर्ज के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैंने उठाया है। पूरे प्रदेश को इसका संज्ञान लेना चाहिये। सरकार को तो लेना ही चाहिये। कर्जे और भूख से मौतें हो रही हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमीरपुर में 24 घंटे के अन्दर 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके ऊपर बैंक और महाजनों का कर्जा था। इस तरह से दोहरे कर्ज से दबकर जब किसान समझ रहा है कि वह अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला सकता है तो वह अपनी जिन्दगी खत्म कर ले रहा है। बुन्देलखण्ड में पिछले 2 महीने में 250 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। साल भर में 1 हजार से ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है इस सरकार के समय में। इस पर हम कोई कार्यवाही न कर सकें, सदन पर इसमें चर्चा न हो तो क्या होगा ? आज ही यह सूचना पढ़ी कि महंगाई चरम सीमा पर है। लोग बच्चों का मिड डे मील लूट रहे हैं। किसी आश्रम में चोरी करके सारा अनाज ले जाएं। बाकी कीमती वस्तुयें पड़ी रहें, केवल खादयान्न ले गए हैं। यह साबित करता है कि भुखमरी और गरीबी से लोग कितना परेशान हैं। आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है जिससे विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है इसमें आप सरकार से बयान दिलवायें।

श्री प्रमोद कुमार-

लोग आत्महत्या कब करते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-56 की चर्चा तो है नहीं। नेता विरोधी ने कह दिया है। सरकार से उत्तर सुन लें। इसमें कोई बात होगी तो फिर बाद को लिया जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार-

सदन में सिर्फ दो दल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आत्महत्या आदमी कब करता है जब निराशा की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तब आत्महत्या करता है जब वह देखता है उसका कोई सहारा नहीं है बीबी-बच्चों को बिलखता नहीं देख सकता है। जब खुद मां-बाप अपनी औलादों को मौत के घाट सुला दें तो शर्म की स्थिति होती है। कई घटनायें ऐसी हैं जहां मां-बाप ने मासूमों को मारने के बाद खुद आत्महत्या की है इसमें सरकार के

द्वारा स्पष्ट रूप से बयान आना चाहिए। हम कांग्रेस की चिन्ता से अवगत कराना चाहते हैं यह जो आत्महत्याएं होती हैं यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष-

सरकार को नोटिस तो गया नहीं, तो हम कैसे कहें ? सरकार की तरफ से कुछ कहना हो तो कह दें।

श्री प्रमोद कुमार-

चर्चा लगवा दें।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

नेता विरोधी दल और प्रमोद जी ने जिस घटना का उल्लेख किया है इस घटना के बारे में आपने जैसा स्वयं उल्लेख किया कि नोटिस नहीं है इसलिए विस्तृत जानकारी सदन को देना संभव नहीं है। लेकिन इस विषय की गम्भीरता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि आत्महत्या करनी पड़े जब तक इसमें पूरी आख्या नहीं आ पाती है कि आत्महत्या के कारण क्या थे, वहीं थे या दूसरे थे। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं भूख से प्रदेश में एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में भूख से एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। जिन लोगों को अपनी बात कहनी थी कह सकते थे। भूख से पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। इस बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं। लेकिन श्रीमन् गरीबी में कर्जाखोरी में फंसकर, जो इस फंदे में चला जाए तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है यह भी अत्यन्त गम्भीर बात है। इसमें विस्तृत आख्या मंगा लेते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो भी निर्देश देंगे उसका पूरा-पूरा पालन करेंगे।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पाल जी, आप बैठ जाएं।

आज दिनांक 21 सितम्बर, 2001 को....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपने कहा था कि अल्पसूचित प्रश्नों को उत्तरित माना जाएगा। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं। आप खुद कार्य-मंत्रणा समिति में थे इसमें तय हो गया था कि आज की कार्य-सूची के प्रश्न उत्तरित माने जायेगें।

## प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दिनांक 21 अगस्त से सत्र प्रारम्भ हुआ। 21, 22, 23, 24 अगस्त को सत्र हुआ। मान्यवर, फिर 25, 31 अगस्त, 14 सितम्बर और आज 21 सितम्बर को सदन की बैठक हो रही है। मान्यवर, हमारे प्रथम सोमवार को 6 और द्वितीय को चार प्रश्न लगे हैं, हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं [ या।

लोग 2-3 महीने पहले इस उम्मीद के साथ प्रश्न देते हैं कि वार आयेगा और हमारे प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होगा। इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में प्राविधान यही है कि जब वार आयेगा तभी आयेगा, किन्तु आप नियमावली में संशोधन के लिए निवेदन कर दीजिए। नियमावली में संशोधन के लिए विचार किया जा सकता है।

## नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान मे लाने हेतु कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:--

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की (उपस्थित है)-लखनऊ महानगर में महापुरुषों के नाम पर निर्मित उद्यानों/पार्कों में विशेष अवसरों पर प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क न लेने के सम्बन्ध में।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है, इस पर तमाम मा0 सदस्यों की रुचि है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ने पर इतनी चर्चा हो गयी है, आपके नेताओं ने भी इस पर अपनी बात रख दी है नियम-56 में भी इस पर चर्चा हो गई है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, 25 तारीख को दीनदयाल जी का जन्म दिन है, उसके पहले यह व्यवस्था हो जानी चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के नाम पर बने उद्यान/पार्कों में उसके जन्म दिन और पुण्य तिथि पर निःशुल्क प्रवेश की अनुमति हो।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, नेता सदन आ जायेंगे, तब बात हो जायेगी।

श्री लालजी टण्डन-

कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

राजस्व मंत्री जी, जो पार्क महापुरुषों के नाम पर हैं, उनके जन्म दिन पर भी उसमें प्रवेश का शुल्क लिया जाता है, टण्डन जी और सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की मांग है कि ऐसे महापुरुषों के जन्म दिन और उनकी निर्वाण तिथि को उनमें प्रवेश शुल्क न लिया जाए।

(श्री अम्बिका चौधरी)-

विरोधी दल तो बड़े-बड़े कार्य, उससे भी बड़ी बात कहते हैं तो नेता सदन उससे भी करते हैं तो नेता विरोधी दल ने ऐसी इच्छा व्यक्त की है तो मैं आज ही नेता सदन को अवगत करा देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि टण्डन जी जो चाहते हैं, वही होता है।

ध्यक्ष-

दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की, मेरठ में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने के । तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत मानक के अनुरुप का विद्युत समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना मिश्र की, वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास खण्ड में स्थित दीन दयाल उपाध्याय महिला डिग्री कालेज को पी0जी0 की मान्यता देने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री सत्य ल की है वे अनुपस्थित है। छठवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की, राजकीय महिला पालिटेक्निक जफ्फरनगर में स्टाफ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अजीम भाई की नुपस्थित हैं। आठवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की, बांदा के झांसी-मिर्जापुर मार्ग से ग्राम मरखरी जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री चन्द्रदेव राम यादव की आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए बलात्कार की जांच एवं दोषियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में है।

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। दसवीं सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकेरा में दिनांक 03-09-2006 की रात्रि में चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों की राजस्व वसूली माफ करने एवं फसल का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री आलम बदी की शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के अन्तर्गत फूलपुर रजबहा में विगत एक साल से पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) की है वे अनुपस्थित हैं। तेरहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की है, वे अनुपस्थित हैं। चौदहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की पैलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ही कराने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ के मेहनगर में स्थापित 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन की मशीन बदलने के सम्बन्ध में है। श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अजीम भाई के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से श्री हरि प्रताप सिंह और श्री सुन्दर सिंह की सूचनाएं स्वीकृत की जाती हैं। स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं।

## लखनऊ महानगर में महापुरुषों के नाम पर निर्मित उद्यान/पार्कों में विशेष अवसर पर प्रवेश शुल्क न लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाकर निम्न अविलम्बनीय विषय को ध्यान में लाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

लखनऊ महानगर में विभिन्न महापुरुषों के नाम पर भव्य उद्यानों का निर्माण किया गया है। इन उद्यानों में सम्बन्धित महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना भी की गयी है। उदाहरण के लिए बुद्ध पार्क में भगवान बुद्ध की, हाथी पार्क में स्वामी महावीर की, अम्बेडकर पार्क में डा0 भीमराव अम्बेडकर की, लोहिया पार्क में डा0 राम मनोहर लोहिया जी की तथा चारबाग में लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित दीन दयाल पार्क में तथा पी0जी0आई0 के सामने सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पार्क में पं0 दीन दयाल उपाध्याय की मूर्तियों की स्थापना की गयी है। इन महापुरुषों के नाम पर इनकी जन्म तिथि पर इन पार्कों में भारी संख्या में इनके अनुयायी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पी0जी0आई0 के सामने निर्मित पार्क में पं0 दीन दयाल जी के जन्म दिवस 25 सितम्बर को उनके अनुयाइयों के प्रवेश तथा श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है जो न्याय संगत नहीं है।

मैं लोकहित में इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि पी0जी0आई0 के सामने बने हुए पार्क में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा वहां पर इस हेतु कार्यक्रम आयोजित करने पर कोई शुल्क न लिया जाय तथा मैं यह भी मांग करता हूं कि इसी प्रकार अन्य पार्कों में भी महापुरुषों के जन्म दिवस पर प्रवेश शुल्क न लिया जाय।]

## मेरठ में कतिपय नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ नगर निगम क्षेत्र में जल भराव का कारण बड़े नालों का मशीनों से सुनियोजित योजना बनाकर सफाई व्यवस्था न करना तथा नालों पर हुआ अतिक्रमण है। इसमें सम्बन्धित अधिकारियों में संकल्प का अभाव है, जनहित के प्रति अपने कर्तव्य की उदासीनता है।

जल निकासी में बाधक जल भराव का कारण बना नाले/नाली का अतिक्रमण अब हटाया जाना ही आवश्यक है। साथ ही इस अतिक्रमण को हटाकर नालों/नालियों की तली झाड़ सफाई करके फिर इन्हें फोल्डिंग जालों में ढकने की अनुमति देना उपयुक्त होगा। अन्यथा बम्बई की मीठी नदी पर कब्जे के दुष्परिणाम के रूप में बम्बई बाढ़ विभीषिका जैसा हश्र मेरठ का भी होगा।

साथ यही धीरे-धीरे इन बड़े नालों को सीमेन्ट के बड़े स्यूम पाइपों में सीवर जैसा परिवर्तित करना चाहिए इससे जहां बार-बार कूड़ा डालकर नालों का भरना बचेगा। जल निकासी व्यवस्थित होगी, जल भराव से निजात मिलेगी सड़क यातायात हेतु अधिक स्थान उपलब्ध होगा।

---

नोट :- [ ] यह अंश छप हुआ माना गया।

तत्काल मेरठ के नालों ओडियन नाला, आनन्द नगर, थापर नगर नाला, सुभाष नगर, हनुमानपुरी, मोहनपुरी, आर्य नगर आदि की सफाई प्रारम्भ होनी चाहिए वर्षाकाल अब समाप्त है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत विद्युत आपूर्ति मानक के अनुरूप कर विद्युत समस्या का निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में हो रही विद्युत आपूर्ति निर्धारित मानक के अनुसार विद्युत विभाग नहीं कर रहा है जिसके कारण लोग बल्ब की रोशनी भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही सिंचाई हेतु कृषकों की विद्युत मोटर का संचालन भी बाधित है, फसलें सूख रही हैं, किसानों में गहरा आक्रोश है तथा उपभोक्ता भी बहुत क्षुब्ध हैं उनसे बराबर बिजली बिल की वसूली की जा रही है। कम क्षमता के ट्रान्सफारमर को बदलने और अधिक क्षमता के ट्रान्सफारमर को लगाने में भी विभाग द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है। साथ ही 16 घण्टे की घोषित विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। व्यापारियों को भी लो-वोल्टेज के कारण पट्टी नगर में गम्भीर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**वाराणसी जनपद के सेवापुरी विकास खण्ड में स्थित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला डिग्री कालेज को पी0जी0 की मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री रंगनाथ मिश्र-

[दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला डिग्री कालेज सेवापुरी की स्थापना 2001 में की गयी है, कई बैच की लड़कियां वहां से डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। किन्तु पी0जी0 कालेज न होने से ऐसी लड़कियां हजारों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट करने से वंचित रह जा रही है आस-पास भी कोई अन्य पी0जी0 कालेज न होने से और कठिनाई बढ़ती जा रही है। गरीब अभिभावक अपनी लड़कियों को महंगे शहर वाराणसी भेज नहीं पाते ऐसी स्थिति में अभिभावक व छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है।

अतः सरकार से दीन दयाल उपाध्याय राजकीय बालिका डिग्री कालेज सेवापुरी को पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता देने की मांग करता हूं।]

**राजकीय महिला पालीटेक्निक शामली, मुजफ्फरनगर में स्टाफ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री हुकुम सिंह-

[राजकीय महिला पालीटेक्निक शामली, मुजफ्फरनगर की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी। उक्त पालीटेक्निक में वर्तमान में लगभग 400 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। प्रदेश स्तर की प्रवेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद बालिकाओं का प्रवेश होता है, वर्तमान में इलेक्ट्रानिक इन्जीनियरिंग, कम्प्यूटर सांइस, माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट, फैशन डिजाइनिंग एण्ड गारमेंट टेक्नालाजी के विषय संस्थान में हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इलेक्ट्रानिक इन्जीनियरिंग में 12 पद रिक्त हैं जिनमें से 6 पद व्याख्याता के एवं शेष तकनीकी स्टाफ के हैं, कम्प्यूटर साइन्स में 4 पद स्वीकृत हैं और चारों ही रिक्त हैं, आफिस मैनेजमेंट में 3 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 2 पद रिक्त हैं, फैशन डिजाइनिंग में विगत 3 वर्षों से पढ़ाई हो रही है परन्तु एक भी पद स्वीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो छात्राएं दूर-दूर से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इस संस्था में आती हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। एक प्रकार से छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उक्त संस्था में मौलिक सुविधाओं का भी नितान्त अभाव है। स्वयं मैंने अपने विधायक निधि से 10 कम्प्यूटर, 10 सिलाई मशीन एवं 10 टाइपिंग मशीन उपलब्ध करायी हैं। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब स्टाफ की व्यवस्था करते हुए मौलिक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाय।]

**बांदा के झांसी-मिर्जापुर मार्ग से ग्राम मरखरी जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[ जनपद-बांदा के विकास खण्ड-बड़ोखर खुर्द के झांसी-मिर्जापुर मार्ग से ग्राम मरखरी सम्पर्क मार्ग की दूरी तीन किमी0 तक जर्जर एवं खस्ता हाल होकर ध्वस्त हो गया है उक्त मार्ग से कई ग्राम जुड़े हुए हैं इससे आवागमन में भारी परेशानियां होती हैं तथा बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण यातायात पूर्ण रूप से बाधित है इससे क्षेत्रीय जनमानस में एवं ग्रामवासियों में भारी जनाक्रोश है तथा जनमानस में आन्दोलनात्मक गम्भीर स्थिति बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मार्ग का जनहित में शीघ्र निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

इस अति अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग करता हूं। ]

**आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत दो नाबालिग लड़कियों के साथ हुए बलात्कार की जांच एवं दोषियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री चन्द्र देव राम यादव-

आपको अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में थाना-जहानागंज की सीमा पुत्री राजेन्द्र राम जिसकी उम्र 13 वर्ष है दिनांक 03-9-06 समय चार बजे दिन में वह खेत में घास काटने गयी थी और उसी गांव का राजू चौरसिया पुत्र श्री बेचन चौरसिया उसे जबरदस्ती कट्टे के बल पर बाजरे के खेत में ले जाकर उसका बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थाने में दी गयी बच्ची का बयान डी0आई0जी0, आई0जी0 जोन, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अपने स्वयं लिया। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इस मामले को दबाकर गरीब को न्याय नहीं दिलायी जा

इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सी0ओ0 सदर गांव में जाकर जबरदस्ती सुलह कराना चाहता है। इसी प्रकार कल दिनांक 20-9-06 समय तीन बजे दिन में ग्राम सभा सोनापुर थाना-जहांनागंज बबिता पुत्री रामनरायन राम जिसकी उम्र 12 वर्ष है उसी गांव का निवासी संजय सिंह पुत्र हरिवंश सिंह जबरदस्ती बच्ची के साथ बला – किया। जिसकी सूचना पूरे गांव के लोग बच्ची के साथ थाने पर पहुंच कर थानेदार को दिया। थानदार मामले को प्रशासन के दबाव में मामले को बदलने की कोशिश कर रहा है। थानेदार बलात्कार को जबरदस्ती बलपूर्वक दबाव डालकर बलात्कार को छेड़खानी में बदलना चाहता है जो अन्याय है।

प्रशासन के द्वारा दोषियों के खिलाफ़ कोई व्यापक कोई ठोस कार्यवाही न करने के कारण आस-पास की जनता में काफी आक्रोश में हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि कभी भी विस्फोटक बन सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

## बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुकेरा में दिनांक 3-9-2006 को रात्रि में चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों को राजस्व वसूली माफ करने एवं फसल का मुआवजा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुंशी लाल गौतम-

[ मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर के गांव मुकेरा तहसील शिकारपुर में 03 सितम्बर, 2006 की रात्रि को 8.45 पर हवा के चक्रवात के कारण लगभग 125 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, लगभग 500 पुराने-पुराने पेड़ उखाड़कर जड़ से नष्ट कर दिए थे, एक महिला अति गम्भीर रूप से घायल हो गयी थी जो आज जिन्दगी और मौत से जूझ रही है, हजारों बीघा जमीन की फसल ईख, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि सभी नष्ट कर दी गयी हैं। विद्युत के सभी तार व ट्रान्सफार्मर तथा विद्युत के खम्भे टूट गये हैं। सरकार ने 73 लोगों को आर्थिक सहायता वितरण की थी लेकिन जो फसल नष्ट हुई है जिसके कारण किसान तबाह और बर्बाद हुआ है उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई तथा खेत की लगान भराई व सामाजिक कार्य एवं बच्चों का पालन पोषण धनाभाव के कारण कटौनाई उत्पन्न हो रही है। इस चक्रवात से पीड़ित जनता भुखमरी के कगार पर है। जनहित में सरकार को चक्रवात से नष्ट हुए फसल, विद्युत एवं आवास की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिलाना आवश्यक है। गांव में आवास निर्माण कराये जायें, बिजली का बिल माफ किया जाय, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय, राजस्व विभाग की सभी वसूली माफ कराई जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व की अविलम्बनीय तात्कालिक घटना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब आवास निर्माण एवं राजस्व वसूली माफ करने तथा बच्चों की फीस माफ करने एवं क्षतिग्रस्त विद्युत व फसल का मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं। ]

**शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के अन्तर्गत फूलपुर रजबहा में विगत एक साल से पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री आलमबदी-

[ आप द्वारा माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकर्षित करते हुए जनहित में फूलपुर राजबहा जिसकी लम्बाई 34.60 किमी0 आजमगढ़ में पड़ती है। इसकी कमाण्ड एरिया की सिंचाई व्यवस्था यथाशीघ्र ठीक करायी जाए ताकि काश्तकारों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था सुलभ हो सके। ]

**पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ही कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*डा0 विनोद तिवारी-

[ मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण जानकारी लाना चाहता हूं।

श्रीमान मेरे विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में घोर विद्युत संकट है महोदय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र 44 विधान सभा पूरनपुर में स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण कार्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि पूरनपुर में स्वीकृत 132 के0वी0ए0 के विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य इतनी धीमी गति के साथ किया जा रहा है इससे लगता है कि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत निर्माण हो पाना सम्भव नहीं है इससे जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अत्यन्त ज्वलन्त एवं महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें। ]

आजमगढ़ के मेंहनगर में स्थापित 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन की मशीन बदलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विद्या चौधरी-

[ मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत मेंहनगर टाउन एरिया विकास खण्ड मेंहनगर में 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन विगत वर्षों का स्थापित है। विद्युत सब-स्टेशन की मशीन इतनी पुरानी व जर्जर हो गयी है जिससे बार-बार जल जाता है। क्षमता के अनुसार मशीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोड नहीं उठा पाती है। वहां की जनता को समय से बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है जो जनहित में अति आवश्यक है। ग्रामीण जनता काफी परेशान एवं आक्रोशित है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। ]

## राजकीय इण्टर कालेज पूरब गांव, प्रतापगढ़ की प्रधानाचार्या के नियम विरुद्ध कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरि प्रताप सिंह-

[ जनपद प्रतापगढ़ राजकीय इण्टर कालेज पूरब गांव की स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय हो गयी है विगत 4 वर्षों से प्रधानाचार्य ने विद्यालय का अनुशासन एवं पठन-पाठन का स्तर बिल्कुल ही निम्नस्तर का कर दिया गया है। विद्यालय में विषय अध्यापकों की कमी होने के बावजूद कई वर्षों से 5 अध्यापक जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ के आफिस से सम्बद्ध कर दिये गये हैं जिससे इन विषयों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है यह विद्यालय का व्यक्तिगत परीक्षा अग्रसारण केन्द्र है जिसके कारण व्यक्तिगत आवेदन-पत्र पत्रों को खुलेआम बेंचे जा रहे है विद्यालय में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य हो रहा है जो मानक के अनुसार नहीं हो पा रहा है। प्रधानाचार्य का स्थान लखनऊ है वह प्रायः लखनऊ में रहते हैं। विद्यालय बहुत ही कम जाया करते हैं प्रधानाचार्य विद्यालय परिषद् में रहते हैं एच0आर0ए0 मिलता है फर्जी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत कर मकान का किराया ले लेते हैं यही नहीं है विद्यालय परिषद् में लगे सीलिंग फैन एवं टेलीवीजन एवं साज-सज्जा का सामान भी चोरी हो गया है छात्र वित्तीय वितरण में खुले आम धन उगाही कराकर चेक दिया जा रहा है। जिससे जनता में जबरदस्त आक्रोश एवं असन्तोष व्याप्त है। इस सम्पूर्ण घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायी जाय।

उक्त विषय लोक महत्व अविलम्बनीय है एवं तात्कालिक है अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं। ]

## श्री ओमकार सिंह निवासी गांव देहरा, जिला बुलन्दशहर के हत्यारों की गिरफ्तारी एवं आश्रितों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुन्दर सिंह-

[ श्री ओमकार सिंह निवासी गांव देहरा, तहसील-स्याना, जिला बुलन्दशहर एक अच्छे समाजसेवी थे व उनकी पत्नी ब्लाक स्याना में उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित हुई थी। श्री ओमकार सिंह नगर स्याना में अपना कापी किताब का व्यापार करते थे। दिनांक 11-9-06 को अपनी मारुती कार से अपने कर्मचारी मनीष के साथ कापी किताब आदि लेकर अनूपशहर गंग नहर की पटरी से अनूपशहर जा रहे थे। ग्राम-पीटा बादशाहपुर थाना-अहार के पास कुछ बदमाश इण्डिका कार में आये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

और ओमकार सिंह को रोककर रायफल और पिस्टल से अंधाधुन्ध गोली बरसा कर उनकी हत्या कर दी। घटना स्थल से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट था। पुलिस पिकेट ने न तो कार आदि की चेकिंग की न ही घटना स्थल की ओर जाने की जहमत करी। जबकि 500 मीटर की दूरी पर रायफल आदि हथियारों से चली गोली की आवाज स्पष्ट सुनायी दी होगी। स्थानीय नागरिकों द्वारा सूचना दिये जाने के 2 घण्टे बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। मैं भी लगभग 50 कि0मी0 चल कर सायंकाल 4.00 बजे घटना स्थल पर पहुंच गया था। हत्यारे ओमकार सिंह की लाइसेंसी रिवाल्वर सोने की चैन, 2 मोबाइल फोन व लगभग 50,000 रुपये की नकदी भी लूट कर ले गये। मैं व सैकड़ों की संख्या में जनता थाना अहार पर पहुंचे, थाने पर ए0 एस0 पी0 देहात अनिल कुमार सिंह ने व क्षेत्राधिकारी अनूप शहर भी मौजूद थे। ओमकार सिंह के बड़े भाई श्री राम चरन सिंह ने जब लूट व हत्या की रिपोर्ट थाने में दर्ज करानी चाही तो दोनों अधिकारियों व थानाध्यक्ष अहार ने रिपोर्ट लिखने से स्पष्ट मना कर दिया। इससे उपस्थित जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। भारी आक्रोश के दो घण्टे बाद जब जनता रास्ता जाम करने पर उतारू हुई तब रिपोर्ट दर्ज की गयी। श्री ओमकार की अन्त्येष्टि में क्षेत्र के हजारों व्यक्तियों ने भाग लिया तथा लगातार पुलिस की कार्य प्रणाली पर जनता संदेह व्यक्त करती रही। हत्या के 11 दिन बाद भी पुलिस किसी भी हत्यारे को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है।

श्री ओमकार सिंह के परिवार में उनकी पत्नी व 11 वर्षीय एक पुत्री है जिनका लालन पालन का कोई जरिया शेष नहीं है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार मृतक ओमकार सिंह की पत्नी एवं उनकी पुत्री के पालन के लिये 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करे व दोषी पुलिस कर्मी व निष्क्रीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाकर हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलवायें। मृतक परिवार को अभी तक किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुयी है। ]

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनके स्थान पर और सूचनाएं ले लें।

श्री अध्यक्ष-

शेष सूचनाएं अस्वीकृत की जाती हैं।

## 'स्टिंग आपरेशन' समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने नियम 300 में सूचना दी थी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 216 में प्रतिवेदन का उपस्थापन के अन्तर्गत विधान सभा की स्टिंग आपरेशन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयी। मैं भी उस समिति का सदस्य था। मैंने उस समिति से त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन रिपोर्ट में मेरे त्याग-पत्र के बारे में नहीं लिखा गया है और न ही यह लिखा गया है कि किन कारणों से मैंने वह त्याग-पत्र दिया था।

श्री अध्यक्ष-

यह बोलने से पहले आप नियम-216 में चर्चा की मांग करते। आपने नियम-216 पढ़ा नहीं है। आप स्टिंग आपरेशन के बारे में कहने के लिए लिखित रूप से देते, आपको लिखकर भेजना चाहिए था। यह नियमों में प्राविधान है कि नियम-216 के अन्तर्गत अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें चर्चा की मांग की जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं इसमें चर्चा की मांग करता हूं और आज ही लिखकर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिएगा, जिस दिन आयेगा उस दिन आप कह दीजियेगा।

## सचिवालय एनेक्सी में विधायकों की 'स्टिकर युक्त' गाड़ी को प्रवेश न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सुरक्षा का मामला है। आज विधायकों से एनेक्सी को खतरा हो गया हैं माननीय विधायकों एवं विधान परिषद् सदस्यों से एनेक्सी को खतरा हो गया है। मान्यवर, पास तो आप ही देते हैं लेकिन वहां हमारी गाड़ियां एलाउड नहीं हैं और विधायक गेट पर उतार दिये जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी और सचिव गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। एम0एल0ए0 अपमानित होकर पैदल जा रहे हैं। यह विधायकों और विधायिका का अपमान है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसमें नेता सदन से बात करके कोई न होई तरीका निकाल लूंगा।

## कानपुर के विधायक श्री सलिल विश्नोई से एक पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने विषयक प्रकरण पर जानकारी

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने कहा था कि मैं 301 के बाद कानपुर की घटना के बारे में सुनूंगा। हमारे विधायक सलिल विश्नोई जी को धमकी दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कब कहा था कि मैं सुन लूंगा ? और यह सलिल विश्नोई जी का व्यक्तिगत मामला है वह स्वयं कहेंगे। उनका विशेषाधिकार वाला मामला लम्बित है। उन्होंने मुझसे मिलकर बताया था कि जो इन्सपेक्टर है वह वहां से हटा नहीं है और उसने धमकी दी है। यह तो वह स्वयं कह सकते हैं। वह तो खड़े नहीं हुए हैं। मैंने उस इंस्पेक्टर को सीधे बुलाया है। इसमें जो भी सरकार से रिपोर्ट आयेगी मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। 25 तारीख के बाद जो भी वह कहेंगे वह कह सकते हैं। मैंने उसे सीधे तलब किया है। अभी हाऊस आगे भी चलना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**श्री सतीश महाना-**

मान्यवर, मैं उस समय वहां पर उपस्थित था।

श्री अध्यक्ष-

जब गवाही लगेगी तब आप कहियेगा।

**श्री सतीश महाना-**

मान्यवर, आप तो सुनना नहीं चाहते हैं, नाराज हो जाते हैं।

(श्री सलिल विश्नोई खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। विश्नोई जी ने विशेषाधिकार की सूचना दी है और उस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। जब विशेषाधिकार आयेगा नौ नम्बर पर, तब आप अपनी बात कह दीजियेगा।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, इसके पहले जो घटना हुई थी उसमें जो रिपोर्ट आयी थी, उसमें जो दोषी पाये गये थे, वह आज भी थाने में मौजूद हैं। उसकी इतनी हिम्मत हो गयी है कि वह कहने लगे हैं कि विधायिका ने क्या कर लिया ? मेरे सामने कोई सदन के बारे में अपशब्द कहे तो मेरे लिये यह लज्जा की बात है। तो यह जो विषय है, पहले वाली रिपोर्ट में कार्यवाही नहीं हुई तो फिर विशेषाधिकार समिति का मतलब क्या रह जाता है ? फिर दोषी पायेंगे फिर उसे बचाकर रखेंगे। इसलिए जो विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस सम्बन्ध में मैं आपसे और नेता सदन से बात करूंगा, यह मामला मेरे पास विचाराधीन है और मैं भी चाहता हूं कि इसका जल्दी से निस्तारण हो जाय। बाद में डेट वगैरह इसमें तय कर ली जायेगी।

**उत्तर प्रदेश मानव-अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004** †

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश मानव-अधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 को मानव-अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28(2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापे नहीं गये।

**श्रीमती राधा सिंह वर्मा के परिवाद संख्या-3490-2001 (लखनऊ) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-10/2002 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-2/2003 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन †**

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, श्रीमती राधा सिंह वर्मा के परिवाद संख्या-3490-2001 (लखनऊ) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-10/2002 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-2/2003 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (4) एवं (5) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**श्री अशोक कुमार निगम के परिवाद संख्या-1909-2004 (लखनऊ) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-16/2004 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-3/2005 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन †**

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, अशोक कुमार निगम के परिवाद संख्या-1909-2004 (लखनऊ) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-16/2004 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-3/2005 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (4) एवं (5) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अनुज्ञा अधिनियम बन गया।

**डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के उपवेशन में

पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 सितम्बर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 सितम्बर, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-07 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, उपस्थित हैं ?

(माननीय सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति, माननीय गिरी साहब उपस्थित नहीं हैं अतः अब मैं मद संख्या-09 को ले रहा हूं।

**कानपुर नगर के पुलिस इन्सपेक्टर सी0डी0 गौड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना**

* श्री सलिल विश्नोई-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने सदन की अवमानना की सूचना पर मुझे सुनने का अवसर प्रदान किया। माननीय अध्यक्ष जी यह किसी एक विधायक का किसी एक दल के अवमानना का विषय नहीं है। ऐसा बराबर देखा जा रहा है यह पुलिस का अधिकारी किसी भी विधायक को चाहे वह किसी भी दल का हो कभी सम्मान देते नहीं हैं और कभी-कभी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हम लोगों को बहुत सिर झुका कर बैठना पड़ जाता है। महोदय, आपको मालूम है कि 15 सितम्बर, 2004 को मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और पुलिस ने विधायिका और विधान सभा के प्रति भी तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया था जिसमें मेरी टांग टूट गयी थी और मेरे शरीर पर गम्भीर चोटें आयी थीं। मैंने आपके पास अपनी सूचना दी थी और आपने कृपापूर्वक उस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

को सौंप दिया था। विशेषाधिकार समिति ने कई चक्रों की सुनवाई के बाद उसमें पुलिस कर्मियों को दोषी पाया था और उन्हें दण्ड देने की अनुशंसा के साथ रिपोर्ट आपके यहां प्रस्तुत कर दी गयी है और वह रिपोर्ट छप कर सभी माननीय सदस्यों को भी मिल गयी और सदन में भी प्रस्तुत हो गयी है। मान्यवर, अभी कल 20 सितम्बर को जो उस समय घटना हुई थी कोतवाली थाने के अन्तर्गत हुई थी उस समय जो कोतवाली थाने का इन्सपेक्टर था सी0डी0 गौड़ वह वर्तमान में कलेक्टरगंज थाने का इन्सपेक्टर है। कल कानपुर में एक घटना घटित हुई उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए मैं थाने पीलखाने में मौजूद था और वहां पर एफ0आई0आर0 लिखने के लिए सी0ओ0 ने कहा कि एक घण्टा लगेगा और एक घण्टे के बाद जब मैंने फिर सी0ओ0 साहब से कहा कि इसकी एफ0आई0आर0 की नकल दे दी जाय तो उन्होंने कहा कि इसमें समय अधिक लगेगा। हमारी सी0ओ0 से बात हो रही थी, इसी बीच जो इन्सपेक्टर सी0डी0 गौड़ था वह एकदम से हमको धमकाने के अन्दाज में बोला कि-"भूल गये क्या 15 सितम्बर, 2004 की घटना। मान्यवर, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी योजना अनुसार प्रताड़ित किया। तुम्हारी विधान सभा की ऐसी-तैसी कर दी थी। कहां गयी तुम्हारी विधायिका। विधान सभा ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। [illegible]क कुछ नहीं हुआ।"

मान्यवर, आप देखें कि एक इन्सपेक्टर स्तर का आदमी इस तरीके की बातें कर रहा हैं मैं विधायक के रूप में वहां मौजूद था। सतीश महाना जी मौजूद थे। कई और पूर्व विधायक मौजूद थे और सबके सामने इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी। पुलिस थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी और उस सी0 डी0 गौड़, इन्सपेक्टर ने जो हमारे विरुद्ध रिपोर्ट दी वह वहां जी0 डी0 में दर्ज कर ली गई। मान्यवर, यह अपमान किसी अन्य दल के विधायक के साथ भी हो सकता है। उसने कहा कि-"तेरी खाल में भूसा भरवा दूंगा।" मान्यवर, कानपुर में वह इन्सपेक्टर पिछले 10-15 साल से मौजूद है। उसका पूरा माफिया लोगों से गहरा सम्बन्ध है। मान्यवर, उससे मेरी जान को खतरा है। मान्यवर, वह अगर कानपुर में तैनात रहेगा तो मुझे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आपने उसे 25 तारीख को अपने यहां बुलाया है, आपने कहा है कि आप उसे सुनेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा की अपनी गरिमा है। उस गरिमा के अनुरूप एक इन्सपेक्टर को यहां बुलाना उचित नहीं है। आपको आदेश देना चाहिए कि सरकार उसे निलम्बित करे या उसे जिले से बाहर स्थानान्तरित करे। आप एस0 एस0 पी0 को बुलाये। एक इन्सपेक्टर को बुला कर विधान सभा अध्यक्ष द्वारा उसका पक्ष जानना, यह आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। मान्यवर, मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान कराई जाये और, उस दोषी इन्सपेक्टर सी0 डी0 गौड़ और दूसरे दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

**श्री सतीश महाना-**

मान्यवर, यह मेरे से सम्बन्धित मामला है मैं वहां पर मौजूद था। मान्यवर, यह केवल किसी एक विधायक का मामला नहीं है यह पूरे सदन की गरिमा का मामला है मान्यवर,

विशेषाधिकार समिति आपके संरक्षण के अन्तर्गत चलती हैं जिस समय उसने अपना प्रतिवेदन दिया, अब तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है मान्यवर, यह मामला अब केवल सलिल विश्नोई जी का नहीं है। सारे सदन को इसमें सहमत हो जाना चाहिए कि यह सदन की गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। मान्यवर, हम सब लोग यहां एक बिरादरी से आते हैं और वह बिरादरी है, विधायिका की। यहां पर सम्मानित मंत्रियों ने कई अवसरों पर कहा है कि यह शासन-व्यवस्था अधिकारियों के कहने से नहीं चलेगी। हम उनके निर्देश पर काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि सही और गलत क्या हैं मान्यवर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना हुई है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों का प्रोटोकाल रहेगा या नहीं ? अगर प्रोटोकाल नहीं रहेगा तो फिर पूरा यह सिस्टम ध्वस्त हो जायेगा और, जब सिस्टम ध्वस्त हो जायेगा तो फिर हम लोगों का यहां पर बैठना बेकार हो जायेगा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अधिकारियों के पापों को संरक्षण न दें बल्कि पापियों को सजा मिले, चाहे छोटे स्तर का अधिकारी हो या बड़े स्तर का अधिकारी हो। मान्यवर, बड़ी विडम्बना है कि जो हमारे यहां कानपुर में नगर आयुक्त हैं वह कहते हैं कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। अगर ऐसी बातें होगीं तो सारा का सारा सिस्टम हमारा फिर ध्वस्त हो जायेगा। मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन सब बातों को गम्भीरतापूर्वक [illegible] माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि एक विधायक के साथ जो हुआ है, यह पूरी विधायिका का अपमान है, इसे गम्भीरता से लिया जाये।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप विधान सभा में समितियों का गठन करते हैं। मान्यवर, आपने विशेषाधिकार समिति का गठन किया है। आज किसी एक दल के सदस्य का सवाल नहीं है। इस विधायिका का और इन विधान सभाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए आप विशेषाधिकार समिति का गठन करते हैं। यदि कोई विषय आपके द्वारा उसे जांच और प्रतिवेदन के लिए सन्दर्भित किया गया है तो उसमें कार्यवाही करने की बात है। मान्यवर, आपने मा0 सलिल विश्नोई जी का मामला, जो 15 सितम्बर, 2004 की घटना से सम्बन्धित है, समिति को सन्दर्भित किया। समिति ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए सम्बन्धित लोगों के साक्ष्य लिये और अपनी रिपोर्ट दी है। उस समिति की संस्तुतियां आ गई हैं। वह दरोगा या अन्य लोग, चाहे दोषी हों या न हों, या चाहे वह मामला उनके विरुद्ध न बनता हो, तब भी अब क्या औचित्य है कि आपके द्वारा एक इन्सपेक्टर को अपने कक्ष में बुलाया जाये। मान्यवर, आपकी कृपा होनी चाहिए कि समिति की जो संस्तुतियां हैं उसमें आप कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करें। अगर आप समिति के द्वारा साक्ष्य लेने के बाद उस इन्सपेक्टर को अपने कक्ष में बुलायेंगे तो फिर यह मामला इस सदन की बहुत बड़ी गरिमा से जुड़ा हुआ है। विशेषाधिकार समिति के अधिकार सदन के अधिकार की तरह से होते हैं। समिति ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लिया है। अब आप ही वह व्यवस्था दें कि जो भी दोषी पुलिस कर्मी या इन्सपेक्टर हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, विशेषाधिकार समिति को और इस सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि अगर किसी ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया तो उसको स्वयं दण्ड देने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए मान्यवर, आप जैसा उचित समझें, उस तरह से सुनिश्चित करें और यह सदन को पूरा अधिकार है इसलिए आप स्वयं दण्ड दे सकते हैं उसमें किसी को कार्यवाही के लिए भेजने के लिए आवश्यकता नहीं है।

* श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, यह मामला और भी गम्भीर हो जाता है दो बिन्दुओं, से एक तो रिपोर्ट आई समिति की 6 माह पहले, जो अपने आपमें बहुत बड़ा समय है और उसका कोई संज्ञान सार्थक नहीं लिया गया जिसका दुष्परिणाम कल फिर आया और वहीं इन्सपेक्टर है जिसने पूर्व में भी यह अपराध किया है, अपराध सिद्ध है लम्बे कार्यकाल तक इसमें कार्यवाही न करने के कारण यह हुआ है। आज स्थिति स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें आपको तुरन्त संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह विषय और भी गम्भीर हो जाता है कि आप विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं नहीं माननीय उपाध्यक्ष जी इसके अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट आई है।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, इन समितियों की कोई सार्थकता है या नहीं ? 6 माह से रिपोर्ट पड़ी हुई है उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने इस सदन की अवमानना की क्योंकि यह सदन के द्वारा गठित समिति, उसकी रिपोर्ट पूरे सदन के द्वारा पारित अगर उसका इक्जीक्यूशन नहीं होता है तो सरकार के ऊपर अवमानना का प्रश्न बनता है। इसके ऊपर विचार कर लें।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आज यह सदन के सामने शायद सबसे चिन्तनीय और दुःखद दिन है। अभी तक तो प्रश्नों के बारे में सदन की मर्यादा का जिस तरह से समादर होना चाहिए उसका समादर नहीं हो रहा है, यह उस पर प्रश्न उठता था। विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट कई माह पूर्व दिया, अब समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराने के लिए सदन आपसे और शासन से गिड़गिड़ा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। विशेषाधिकार समिति का एक निष्कर्ष है, 6 माह हो गये। आपकी आज यह भी व्यवस्था होनी चाहिए भविष्य के लिए कि आखिर विशेषाधिकार समिति के निष्कर्ष का अनुपालन कितने दिनों के अन्दर शासन द्वारा कर दिया जाना चाहिए यह एक समय सीमा आज की परिस्थिति को देखते हुए निर्धारित किया जाना आवश्यक है और मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा आपके संरक्षण से आपके नेतृत्व में बनाये रखने की एक स्थाई व्यवस्था की जानी है, जो की जानी

चाहिए तो एक आज आपकी तरफ से इस पर भी अपनी व्यवस्था दी जाये कि इसका अनुपालन कितने दिनों के अन्दर होगा। दूसरा, मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप पुनः विचार करें अपने निर्णय पर जो आपने कहा कि हम इन्सपेक्टर को या एसएसपी को, आपने कहा इन्सपेक्टर को, सदन ने कहा कि नहीं एसएसपी को, निष्कर्ष के बाद किस लिये बुलायेंगे ? कौन सा साक्ष्य विशेषाधिकार समिति ने नहीं लिया है, या विशेषाधिकार समिति के सामने या उसके निर्णय पर यह, तो यह तो एक प्रश्न चिह्न है कि जिसके बारे में विशेषाधिकार समिति ने निर्णय लिया उसी पर पुनः साक्ष्य लिया जाय यह तो एक कानून व्यवस्था की ही नहीं बल्कि सदन की मर्यादा का प्रश्न है कि विशेषाधिकार समिति ने जिस अधिकारी को दोषी माना उसके विरुद्ध अब तक कार्यवाही नहीं हुई। यह मेरा आरोप है कि शासन द्वारा सदन की गरिमा का यह स्वयं उल्लंघन है। अधिकारी नहीं यह तो शासन के द्वारा की जा रही उपेक्षा का प्रश्न पैदा हो गया है। अधिकारी के ऊपर नियंत्रण रखना यह शासन का कार्य है। अधिकारी अनियंत्रित था, उसने विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया। आपने समिति बनाई और समिति ने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष का कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ ? मान्यवर, यह दुखद है कि आप शासन का पक्ष तो रखवायें, लेकिन शासन कुछ बोल ही नहीं रहा है, यह आपके और सम्बन्धित पीड़ित लोगों के बीच चर्चा हो रही है, आखिर विशेषाधिकार समिति के निष्कर्ष के ऊपर कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ, इस पर शासन का पक्ष तो आना चाहिये कि इनका क्या मत है, क्या इनका आश्वासन है। : इसमें तो आपके पड़ने का सवाल ही नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें आप समय सीमा निर्धारित करें कि ऐसे मामले में जिसमें विशेषाधिकार समिति द्वारा रिपोर्ट आ गयी हो, वह कितने दिन के अन्दर कार्यान्वित कर दी जानी चाहिए, और दूसरा शासन क्या आज ही आश्वासन दे रहा है, इसलिये मान्यवर, शासन का पक्ष आ जाने के बाद ही आप अपना निष्कर्ष दें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय राजस्व मंत्री जी, आपने सुनी नहीं पूरी बात। आप सरकार की तरफ से कुछ बतायेंगे ?

**राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-**

मान्यवर, मैं यहां था नहीं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

**श्री अध्यक्ष-**

आप बैठिये, आपको जानकारी नहीं है। मैं खुद इसका उत्तर देता हूं।

**डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-**

जब सदन में रिपोर्ट आ गयी तो सदन की सम्पत्ति हो गयी, अब निर्णय आपको देना है, शासन को तो लागू करना है।

**श्री अम्बिका चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, सदन में भी मान्यवर, आ गयी। सरकार की ओर से मैं यह आश्वासन दे सकता हूं, जैसा माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा है।

जो आपका निर्देश होगा, उसका अक्षरशः पालन यह सरकार करेगी, जो समय सीमा कहेंगे, उस समय सीमा में करेगी।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, तो यह निर्देश दे दीजिये कि जो रिपोर्ट आई है तो उसको एक सप्ताह में लागू करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं। इस समिति की जब रिपोर्ट आ गयी है और सदन में भी आ गयी है और सदन ने और आपने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर आपका यह निर्देश केवल होना चाहिये कि इतने समय के अन्दर इसे कार्यान्वित करके सदन को अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है यह रिपोर्ट आई है लेकिन अभी रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुयी है। अभी मैं पूरी व्यवस्था बताता हूं और एक-एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। पाल साहब ने कहा कि एक बार आ गया फिर दुबारा तो उनको बताना चाहता हूं कि यह दूसरा विशेषाधिकार है, वह पहले वाला विशेषाधिकार था। एक प्रश्न उठाया गया कि इन्सपेक्टर और एस0एस0पी0 को क्यों बुलाया जा रहा है तो मैंने उनको इसलिये तलब किया है कि यह दूसरा विशेषाधिकार जो है, इसमें रिपोर्ट अगर मांगी जायेगी, फिर हम माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखेंगे, गृह विभाग को लिखेंगे, गृह विभाग से रिपोर्ट आयेगी, तो इसमें लम्बा समय लग जाता है, महीनों लग जाता है, इसलिये हमने एस0एस0पी0 और इन्सपेक्टर को खुद बुलाया है और उनसे चाहता हूं कि जो जवाब देना हो, वह लिखकर दे दें ताकि शीघ्र निस्तारण करा सकूं, लम्बा समय न लगे। दूसरी बात जो रिपोर्ट आई है, वह अभी स्वीकार नहीं हो पाई है, हम इस पर आज ही विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम इस पर कार्य-मंत्रणा समिति में समय निर्धारित करके हम इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट अभी स्वीकार नहीं हुयी है। आज ही विचार करके निर्णय ले लेंगे और शीघ्रातिशीघ्र कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक करके इस पर किस दिन कार्यवाही हो, क्योंकि उस पर क्या कार्यवाही करना है, यह सरकार को निर्धारित नहीं करना है। यह तो आप माननीय सदस्यों को और सदन को ही तय करना है कि उन्हें कौन सा दण्ड दिया जाय। वह दोषी पाये गये हैं, या दोषी नहीं पाये गये। अगर दोषी पाये गये हैं तो किस तरह के दण्ड का सुझाव समिति ने दिया है। इस पर विचार करके शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करेंगे। एक बात यह भी आई कि जब रिपोर्ट आ जाय तो उसका कार्यान्वयन कितने समय में होना चाहिए तो इस पर मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं नेताओं से, सरकार से और सबसे बात करके समय सीमा निर्धारित कर दूंगा। यदि कोई कठिनाई होती है तो नियम समिति में प्रश्न ले जाकर नियम समिति से नियमों में संशोधन कराकर इसकी कोई न कोई व्यवस्था करेंगे जिससे विशेषाधिकार की रिपोर्ट आने के बाद उस पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह रिपोर्ट तो सदन में प्रस्तुत हो चुकी है तो मान्यवर, अब यह सदन की सम्पत्ति है तो अब तो इसे स्वीकार या अस्वीकार यह सदन करेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यही तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी, यह जब सदन में प्रस्तुत होगा, उसके बाद प्रस्ताव आयेगा कि इसे स्वीकार किया जाना है, तो वह प्रस्ताव अभी नहीं हुआ है, जब प्रस्ताव आयेगा तब अगली कार्यवाही चलेगी।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इसे क्यों बढा रहे हैं ? दूसरी बात मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो इनको बार-बार धमकी दी जा रही है, इनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि इनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी न रखी जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कोई कमी नहीं रखी जाएगी।

(श्री ओम प्रकाश सिंह एवं विपक्ष के अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

दो तीन दिन में इसका परिणाम आपके सामने आ जायेगा, 25 तारीख के बाद इसका परिणाम आ जायेगा।

डॉ0 सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, यह मामला हमारे क्षेत्र से सम्बन्धित है, बाजपेयी जी को धमकी दी जा रही है, यह गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे गम्भीरता से लिया है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा अन्तिम निवेदन है कि विधायक जी को भी सूचना दे दें जो लिख करके दिया गया है, तो आप उनको बुला लें, विधायक जी को भी सूचना दे दें, क्योंकि इन्होंने भी नोटिस वगैरह दिया है, इसलिए आप उन्हें भी बुलवा लें। आप चोर से पूछेंगे कि आपने चोरी की है या नहीं तब तो वह यही कहेगा कि नहीं की है, इसलिए आप चोर से यदि पूछते हैं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह अच्छा नहीं लगता कि विधायक जी को एस0पी0 और इंस्पेक्टर के सामने बैठाया जाए, विधायक जी की भी मर्यादा है, आप बैठ जाएं, जो उचित होगा वह किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन कितना शक्तिशाली है, इसका नमूना देखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, लोकतंत्र के चार पाये हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस और

मान्यवर, एक माननीय सदस्य, जिनसे हमारे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं परन्तु उनकी पीड़ा हम देख चुके हैं और उसके बाद इस पर विचार करना पड़ेगा कि इस पर समिति भी बैठ चुकी है और समिति ने फैसला भी ले लिया है, उसके बाद भी सम्पूर्ण सदन से वह इंस्पेक्टर कितना शक्तिशाली है।

(विपक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम कहा)

मान्यवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मुझे आज बहुत पीड़ा और दुःख है और मेरे मन में पीठ के प्रति बहुत आदर का भाव रहा है लेकिन मान्यवर, जिस प्रकार से इस मामले को टाला जा रहा है, वह उचित नहीं है। मान्यवर, सदन की परम्परा तो यह रही है कि अगर कोई सम्मानित विधायक अपनी व्यथा-कथा यहां पर कहता है तो सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि विधायक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वह घोषणा करे कि जिसने भी विधायक का अपमान किया है, उसे वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो स्वागत करूंगा कि एक मंत्री खड़ा हो और मैं तो शिवपाल जी से खास तौर से कहूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो कि ऐसे दुःखद क्षण सदन में न आयें लेकिन अगर आ ही गये हैं और सरकार फेल कर रही है, हो सकता है कि किसी वजह से सरकार की अपनी समस्याएं हों तो मान्यवर, आप क्या करेंगे, आप यहां से खड़े होकर सरकार को निर्देशित करें कि जब तक समिति के बारे में कार्यवाही न हो जाए तब तक उस इंस्पेक्टर को उस हल्के के अन्दर प्रवेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। मान्यवर, मैं सामान्यतः ऐसे मामलों पर नहीं बोलता हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा आज हमारे दोस्त सलिल जी की नहीं है, अपमान उनका नहीं हुआ है, अगर महसूस करें तो आपका अपमान है, इस सारे सदन का अपमान है और अगर आप चाहते हैं कि हम मजाक का विषय बन जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हास्य की स्थिति हो कि सदन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है और आप प्रक्रिया में बंधे हुये हैं। आपको कहना चाहिए कि आज ही व्यवस्था होगी। कार्य-मंत्रणा समिति आपका अधिकार है, आप उसमें कोई विषय ले सकते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति में इसको आज ही लिया जाए, आज ही सदन बैठे और सत्ता-पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जायं और उस इंस्पेक्टर को ऐसी नसीहत दें कि फिर दोबारा किसी की हिम्मत किसी विधायक को अपमानित करने की न हो। अगर नहीं करेंगे तो इससे विधायिका की गरिमा गिरेगी। मान्यवर, मैं मंत्री था और इसी जगह बैठता था, श्री हरीश जी आज नहीं आये हैं, वाराणसी दक्षिण से हमारे एक साथी चुने जाते थे, श्री दत्ता साहब नाम था, मैंने मंत्री होकर सरकार की खिलाफत की थी और कहा था कि विधायक का सम्मान नहीं हो सकता तो बहुत दिनों तक मंत्री का सम्मान भी बना रहने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं हाथ जोड़कर आपसे और इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि विधायकों के सम्मान की रक्षा के लिए किसी समिति की परवाह मत करिये। यहीं पर घोषणा कीजिए, इससे सरकार की इज्जत सौ गुना बढ़ जायेगी। मान्यवर, आप सदन की भावनाओं को देखते हुए यह घोषणा कर दें कि ऐसे इंस्पेक्टर को हम निलम्बित करते हैं।

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर कहीं पर भी कोई विधायक अपमानित हुआ है तो हमारी सरकार ने कार्यवाही की है, इस पर भी कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज जो स्थिति अधिकारियों की हुई है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? मैंने जो सुधारने की कोशिश की है और

लगातार सुधार हो रहा, बहुत एक्शन लिये हैं, शायद इतने एक्शन कभी नहीं हुए, लेकिन यह स्थिति किन वजह से हुई है, किन लोगों ने की है, इस पर भी विचार करना चाहिए और यहां तक हम भी एक बार चार घण्टे हवालात में बंद रहे। बताइये कौन सा केस था, उसमें क्या कार्यवाही हुई ? हम तो उस इंसपेक्टर को आज ही हटा देंगे। मोटर व्हीकिल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मुझे 4 घण्टे हवालात में रखा, केवल मेरी गाड़ी से टच हो गया था लेकिन किसी को चोट नहीं आयी थी इसके बावजूद 4 घण्टे से ज्यादा हवालात में बंद रहा। मैं उस गाड़ी में था भी नहीं, अगर गाड़ी से टच हो गया था तो ड्राइवर पर मुकदमा होना चाहिए था लेकिन हवालात शिवपाल सिंह गये, तो अधिकारियों के दिमाग किसने खराब किये ?

श्री सतीश महाना-

अध्यक्ष जी, वह भी गलत था और यह भी गलत है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम तो आज ही उस इंस्पेक्टर को हटा देते हैं।

श्री लालजी टण्डन-

माननीय शिवपाल सिंह जी ने जो कहा है मैं उस समय मंत्रि-मण्डल में था और जैसे ही मुझे समाचार मिला मैंने उसी समय तत्काल उस मुकदमें को खत्म कराया और मैंने उस समय कहा था कि.....

श्री प्रमोद कुमार-

उस समय आपने कार्यवाही क्या की ? सही बात है कि अधिकारियों के दिमाग आपकी सरकार ने खराब किये हैं।

श्री लालजी टण्डन-

अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट आयी होती तो कार्यवाही कर सकते थे। उस समय केवल प्रश्न यह था कि श्री शिवपाल सिंह जी के ऊपर मुकदमा कायम करके हवालात में बंद कर दिया। हमारे पास जैसे ही सूचना आयी, इन्होंने कहा भी नहीं था, मैंने अपने-आप संज्ञान ले करके तुरन्त छुड़ाया था। अगर इस तरह का प्रकरण होता तो हम बर्खास्त कर दिये होते।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, व्यवस्था देने के पहले मुझे एक मिनट सुन लें। इस सदन में, 4 साल बीत रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने आया है। सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। मेरे जैसा सदस्य भी इस बात का हिमायती है कि विधायकों की अवमानना किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस पर 2-3 घंटे की चर्चा आप स्वीकार कीजिये। विधायकों की अवमानना किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन विधायक को भी अपनी मान-मर्यादा को सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। हमारा आचरण क्या है, विधायिका के गौरव-गरिमा की रक्षा हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सदन को इस पर 2-4 घंटे विचार करना चाहिए। आप जैसे अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दिन प्रति दिन विधायिका की अवमानना हो रही है और दिन प्रति दिन हम भी

अपनी अवमानना के दोषी हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस पर गहन विचार विमर्श करके हम अपनी रक्षा करें, विधायक अपनी गरिमा की रक्षा करें। अधिकारी अवमानना न करें और हम भी किसी की अवमानना न करें तब जाकर असली विधायिका का स्वरूप समाज के सामने आयेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बात मेरी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

दरोगा को हटाने का आश्वासन दे दिया है अब क्या बात रह गयी है ?

श्री सतीश महाना-

अन्तिम बार मान्यवर, कह रहा हूं माननीय चौधरी साहब ने जो बात कही है उससे मैं सहमत हूं लेकिन विधायकों के आचरण का सर्टिफिकेट अधिकारी नहीं दे सकता है। विधायकों के आचरण का सर्टीफिकेट यह सदन दे सकता है, हमारे मंत्री दे सकते हैं, विधायक दे सकते हैं आप दे सकते हैं। लेकिन हमें किसी अधिकारी का सर्टीफिकेट नहीं चाहिए आपका सर्टीफिकेट चाहिए।

## उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 †

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

(मद सं0-14 पुकारे जाने पर)

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम का निरसन तथा संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मद सं0-14 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी मद सं0-14 को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांग रहे हैं। एक विधेयक यहां पर प्रस्तुत हो चुका है जिस पर विचार होना है। और उस विधेयक में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश का निरसन भी शामिल है। जिस विधेयक में इसके

---

† दिनांक 29-9-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

निरसन का प्रस्ताव पहले से ही है, जिसको समाप्त करने जा रहे हैं आज उसका संशोधन क्यों ला रहे है ? क्या यह सम्भव है कि जो अधिनियम आज समाप्त हो रहा है जिसका निरसन हम करने जा रहे हैं उसी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव आये यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमनू, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है कि जिस विधेयक में हम संशोधन ले आने की अनुज्ञा चाह रहे हैं उसके निरसन का प्रस्ताव उस विधेयक में है जिसको आज विचारार्थ लिया जाना है। यह मद सं0-20 पर कार्यसूची में है। मान्यवर, यह जो विधेयक आज मद सं0-20 पर है, उ0 प्र0 राजस्व संहिता विधेयक, जिस पर सदन को विचार करना है यह इस सदन से पारित होगा, उसके बाद यह विधान परिषद् को जायेगा और वहां पारित होगा। उसके बाद यह महामहिम राज्यपाल जी के यहां जायगा, उनकी सहमति के लिये और उसके बाद कोई तिथि तय होगी जिस तिथि को सरकार इसके लिये अधिसूचना जारी करेगी और उस तिथि को यह लागू होगा। यह एक बहुत छोटा सा संशोधन हैं जिस दिन तक वह लागू नहीं हो जायेगा तब तक इस सदन में मात्र विचार कर लेने से उसका निरसन नहीं हो जायेगा। यह बहुत औपचारिक, बहुत छोटा सा संशोधन है। जब तक यह इनफोर्सेबुल रहेगा तब तक उसकी आवश्यकता है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी अब मुझे अनुमति दी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मैं तो सरकार की कार्य पद्धति को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। एक ओर निरसन का प्रस्ताव ला रहे हैं दूसरी ओर संशोधन का प्रस्ताव ला रहे हैं। दोनों में विरोधाभास है। यह विरोधाभास से परिपूर्ण सरकार विरोधाभासी काम करती रहेगी सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी राजस्व मंत्री जी का कहना यह है कि विधेयक जो यहां प्रस्तुत हुआ इस पर विचार होगा जिस दिन यह लागू होगा उस दिन यह कार्यान्वित हो जायेगा जब तक महामहिम के यहां से स्वीकृत होकर आएगा तब तक जमींदारी विनाश जो चल रहा है उसमें संशोधन की जरूरत हो सकती है।

श्री हुकुम सिंह-

इस संशोधन प्रस्ताव में भी वही प्रक्रिया होगी यहां से पास होकर परिषद् में जाएगा उसके बाद महामहिम के यहां जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार है।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें भी लम्बा समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई। जब तक निरसन न हो जाय तब तक संशोधन किया जा सकता है।

श्री हुकुम सिंह-

उसमें समय लगेगा इसलिए संशोधन प्रस्ताव लाए तो संशोधन में भी तो समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, मद उपस्थित करिये।

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 [1]

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरः स्थापित करता हूं।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शारदा नन्द अंचल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरः स्थापित करता हूं।

## उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 †

प्रशासनिक सुधार एवं मनोरंजन कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

[1] दिनांक 29-9-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री दिनेश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

## उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले विचार रखेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

हां, मैं विचार रख रहा हूं। मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर विचार के लिये जब मैं इस सदन से आग्रह कर रहा हूं और विचार के लिये आपने जब इसे ले लिया है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जो पहली बार इस सदन में लाया गया हो और ऐसा विधेयक नहीं है जिसमें कोई ऐसी नई बात कही गई हो जो पहले इस सदन में नहीं कही गई। इस विधेयक के रखें जाने के पूर्व मैं दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद जमींदारी के विनाश और जमींदारी के समाप्त होने की बात कही गई। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान कहा गया कि स्वतंत्र भारत में स्वराज होगा और उस स्वराज में हमको बेगारी नहीं करनी होगी और जमींदारों के अधीन रहने के लिये हम बाध्य नहीं होंगे। हम जिस जमीन पर काश्त करेंगे वह हमको मिल जायेगी। यह बात आजादी के दौरान कही गई थी। बाद में सभी प्रदेशों ने इसको अपने-अपने ढंग से पालन किया और संविधान के जमींदारी विनाश के इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दिया। जमींदारी विनाश के इस अध्याय को स्टेट लिस्ट में दे दिया और स्टेट लिस्ट में आने के कारण प्रत्येक राज्य ने अपने-अपने यहां इसको अपने-अपने ढंग से लागू किया क्योंकि यो जमींदारी विनाश और भूमि सुधार के कानून बनाने के लिये स्वतंत्र थे आज मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को स्मरण करता हूं। उनके चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने जमींदारी विनाश के लिये ऐसा कानून प्रदेश में अपनाया जो अपने आप में एक मिसाल है पूरे हिन्दुस्तान में जिसको अन्य प्रदेशों ने भी अपनाया यद्यपि बामपंथी दलों का शासन जिन प्रदेशों में है उनको अपने भूमि सुधार कानून को लागू करने पर बड़ा गर्व है कि हमने इतने अच्छे भूमि सुधार कानून को लागू किया है। जब भी अन्तर्राज्यीय सम्मेलन होता है सभी राजस्व मंत्रियों का। पिछले तीन सालों से मैं देख रहा हूं। इस बात की सराहना हुई है कि उत्तर प्रदेश ने अपने जमींदारी विनाश कानून को इतना सुन्दर बनाया है, इतना प्रभावशाली ढंग से लागू किया है कि आज जो प्रदेश मार्डनाइजेशन का नारा बड़े जोर से दे रहे हैं उन्होंने भी जमींदारी विनाश कानून को ढंग से लागू नहीं किया है। आज भी बिहार और दक्षिण भारत में एक-एक व्यक्ति के पास हजारों हजार एकड़ जमीन है। यद्यपि जमींदारी कागजों पर गायब हो गई है लेकिन

वास्तविकता में ऐसा नहीं है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह इस सदन में नेता विरोधी दल थे, मुख्य मंत्री इस प्रदेश के हुए बाद में इस देश के प्रधान मंत्री भी हुए। उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम ही नहीं बढ़ाया बल्कि खेत खलिहान से जुड़े लोगों के दिल में छाप छोड़ी। 1970 में जब पहली बार उनके सामने यह बात आई कि राजस्व में जितने कानून हैं उन सबको समेकित करके एक नया रूप दिया जाय तो नये रूप को देने के लिए एक कमेटी उन्होंने बनाई। उस कमेटी में श्रीमन् तत्कालीन दशरथ सिंह जो राजस्व परिषद् के सचिव एवं आयुक्त थे, भालचन्द्र शुक्ल जी जो इस सदन के सचिव थे विधान सभा के और गोरखपुर के विख्यात वकील थे, मेरठ में राजस्व में वकालत करने वाले वकील थे, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में और राजस्व में जो वकालत करने वाले प्रतिष्ठित लोग थे उन सबको मिलाकर 1970 में उन्होंने एक समिति बनाई थी। लेकिन 1970 में जो समिति बनी चूंकि एक नई चीज देनी थी इसलिए समिति को ज्यादा समय लग गया और 1976 में इसकी ड्राफ्टिंग पूरी हो पाई, पांच वर्ष लग गया। 1976 में समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई। 1976 के बाद 1977 में, राजनीति में टिप्पणी तो होती रहती है। किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 1977 में ऐसा बदलाव आया जिसको देश में दूसरी आजादी के रूप में देखा गया। 1977 में जब सरकार बनी, ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद थे, उस कैबिनेट के वह भी सदस्य थे उस कैबिनेट में माननीय मुख्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य थे, माननीय राम नरेश यादव जी थे, हमारा सौभाग्य है वह आज पुनः इस सदन में सदस्य हैं उस समय वह मुख्य मंत्री थे। दुबारा उन्होंने इन संस्तुतियों आधार पर राजस्व संहिता बिल लाने के लिए 1977 में इसको प्रस्तुत किया वह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। प्रवर समिति को सुपुर्द करने के उपरान्त वह रिपोर्ट जब तक नहीं आई तब तक 1977 वाला कार्यकाल खत्म हो गया और वह स्वयं व्यपगत हो गया।

दूसरी बार 1980 में अम्मार रिजवी साहब थे उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। यद्यपि यशपाल सिंह जी के पास राजस्व मंत्री का प्रभार था। इसको यशपाल सिंह जी ने ही प्रस्तुत किया। बाद में रिपोर्ट आई तो अम्मार रिजवी साहब थे। कांग्रेस की सरकार फिर बनी बाद में इसको राजस्व संहिता अधिनियम को 1980 में पुनः रखा गया सदन की राय के अनुसार तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने स्वयं इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रख दिया। प्रवर समिति में यशपाल सिंह जी राजस्व मंत्री जी भार साथक मंत्री होने के नाते इसके पदेन अध्यक्ष हुए। इसके बाद यशपाल सिंह, राजस्व मंत्री जी के पद से त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप भानुप्रताप सिंह राजस्व मंत्री हुए। उन्होंने इसका सभापतित्व किया उसके बाद बैजनाथ कुरील जी राजस्व मंत्री हुए उन्होंने प्रवर समिति जो थी उसका सभापतित्व किया और उस प्रवर समिति में मा0 श्यामसूरत उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, आप भी थे। इसके अलावा सीताराम निषाद जी इस सम्मानित सदस्य के सदस्य हैं वह मौजूद हैं, यह भी थे। श्री रामलखन सिंह, श्री गुलाब सेहरा, श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री मानपाल सिंह जी भी इसके सदस्य थे। निर्मल खत्री जी श्रीमती सुमन लता, श्री भीखालाल, श्री दूधनाथ राजभर, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र कपिल, श्री रामसिंह, श्री सोमांश प्रकाश, दिवाकर विक्रम सिंह जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी,

रियासत हुसैन साहब, शिवानन्द नौटियाल साहब मान्यवर, इन तमाम सदस्यों ने जो इस प्रवर समिति के सदस्य थे सुविचारित ढंग से सारे पक्षों को देखकर एक रिपोर्ट दी। लेकिन 1980 में जो रिपोर्ट प्रवर समिति को सौंपी गई वह रिपोर्ट 1983 में प्रस्तुत हुई। 1985 में विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। लेकिन वह विधेयक जिन किन्हीं कारणों से सदन में पारित नहीं हो सका और इसलिए पुनः व्यपगत हो गया। उसके बाद राजस्व परिषद् ने जो विधेयक का ड्राफ्ट बना था वह ड्राफ्ट और अपनी संस्तुतियां दोनों लॉ कमीशन को भेजा और श्रीमन् विधि आयोग की संस्तुतियों सहित 2000 में राजस्व संहिता विधेयक की संशोधित प्रति जो हमारे सामने विचारार्थ आई श्रीमन् उसको लॉ कमीशन ने 2000 में अपनी रिपोर्ट के साथ दे दिया।

मान्यवर, आप इस सदन की सर्वोच्च पीठ पर विद्यमान हैं श्रीमन् जब हम इतिहास में जाते हैं तो 1980 से 1985 के बीच में राजस्व विभाग का जब बजट रखा गया उसके कटौती प्रस्ताव पर नजर डालते हैं। पुराने औचित्य के प्रश्नों को देखते हैं तो मा0 हुकुम सिंह जी और स्वयं आपने भी मान्यवर, इसी सदन में इस राजस्व संहिता अधिनियम को पारित किए जाने पर जोर देते हुए बार-बार इस बिल को लाने का आग्रह किया और श्रीमन्, जो मुख्य बात थी जिस कारण इसे बिल का रूप देने का विचार स्व0 चौधरी चरण सिंह के दिमाग में आया और उसके बाद तमाम नेताओं के दिमाग में आया। श्रीमन् मैं दलीय सीमाओं में नहीं बांधना चाहता, मुझे प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसा बिल इस सदन में विचारार्थ रख रहा हूं जिस पर विचार करने के लिए, मैं इस पर सर्वानुमति चाहता हूं कि आप सब इसे सर्वसम्मति से पारित करें। यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर सबकी राय एक है, चाहे सरकार किसी की रही हो, चाहे विपक्ष में कोई बैठा हो, सबने इसका आग्रह किया कि हमारे राजस्व कानूनों में इसे समेकित करके, ऐसा सरलीकरण करके कोई ऐसा संक्षिप्त रूप बनाया जाए जिससे यह कठिनाइयां हल हो सकें और मान्यवर, यह अनायास नहीं था। अनायास इसलिए नहीं था, श्रीमन्, कि 50 से अधिक संशोधन अधिनियम, जमींदारी विनाश अधिनियम में आ चुके हैं और अगर आर्डिनेंस भी इसके साथ शामिल कर लिए जाये तो 100 से अधिक संशोधन, 100 से अधिक और यही स्थिति थी कि वर्ष 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने 1966, ए0एम0जे 870 में अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया था। श्रीमन्, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी इसलिए किया कि एक बहस होती है, तब तक दूसरा संशोधन और दूसरे संशोधन में फिर तीसरा संशोधन, उसका स्वरूप ही समझ में नहीं आता था। एक ऐसा कानून जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिस पर सारे देश में हमारा सम्मान है, उसमें इतने पैबंद लगा दिए गये कि उसका मूल रूप कहीं समझ में नहीं आता था, इन्हीं कारणों से सभी लोगों ने इस पर विचार किया और जब मा0 मुख्य मंत्री जी, मुलायम सिंह जी ने अनुमति दी और उसको मुनासिब समझा कि मा0 चौधरी चरण सिंह जी ने जो राजस्व से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण अधिनियम लिए जाने पर ध्यान दिया था, उसको ले आया जाना चाहिए तो उसको विचारार्थ हम लेकर आए हैं। श्रीमन्, मैंने आग्रह किया कि यहां आने के पूर्व भी यद्यपि इसके तमाम विशेषज्ञ ऐसे हैं, जिन लोगों ने इस प्रस्तावित एक्ट को पढ़ा, उसमें जो संशोधन दिए जा

सकते थे, उस पर सुझाव दिए, हमने उनको शामिल किया। माननीय मंत्रि-परिषद् ने, यद्यपि उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, मैं कहना चाहता हूं तीन बार विस्तार से इसको देखा, परखा और फिर भी यह कहते हुए कि अगर और संशोधन की आवश्यकता किसी स्तर पर लगती है तो हमने एक सब-कमेटी बनाई और मैं उस समिति के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, मा0 पंचायती राज मंत्री, बलराम सिंह यादव जी, मा0 पशुधन मंत्री श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने उप समिति में इस पर विचार किया। मैं भी राजस्व मंत्री होने के नाते उसमें भाग लेता रहा फिर पुनः इस सदन में जब पिछली बार इसका पुरःस्थापन हुआ तो आग्रह किया कि सभी सम्मानित दलों के नेतागण कृपापूर्वक अपना समय दें और जो भी महत्वपूर्ण बातें उसमें छूट गई हों और जो तब्दीली आवश्यक है, वह बातें उसमें ले आई जायें और जहां मैं चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को नमन् करता हूं, सदन के तमाम नेताओं का भी आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने इसमें किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने की बात न करते हुए बहुत ही सकारात्मक सहयोग किया। मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 श्याम सुन्दर उपाध्याय जी, मा0 वीरेन्द्र सिंह जी और मा0 जगदीश नारायण राय जी और तमाम बार ऐसा हुआ है कि दलीय सीमाएं बीच में आ जाती हैं चाहे कितनी ही रचनात्मक बात की जाये, आमतौर पर ऐसा माहौल नहीं बनता लेकिन मैं हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूं, सभी नेताओं का, दलों का भी और उन तमाम महानुभाओं का जिन्होंने अपना समय दिया, पूरी तौर से इसको देख करके आए और जो कुछ भी उनके सुझाव थे, उन सुझावों को मान्यवर, श्री छोटे लाल जी ने और श्री पूर्णमासी देहाती जी ने संशोधन के रूप में दिया है, श्रीमन्, आज वह संशोधन क्रमशः आपके सामने विचार के लिए आयेंगे। उस संशोधन को देने का काम किया है, हमने उन सब का समावेश किया है।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

इसके अलावा मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव आयेंगे और जो इसके लिए उपयोगी होंगे। इसमें कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं है कि कोई बात लागू की जाये या संख्या बल पर इसको पारित करेंगे। ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो सके ऐसा परिवेश हम इस सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो मूल कारण थे। कई लोगों को भ्रांतियां हो गयीं। मैं समझता हूं कि प्रतियां आप सब लोगों को मिल गयी होंगी आप सबने पढ़ा होगा। मान्यवर, जमींदारी एबॉलिशन और लैण्ड रिफार्म्स एक्ट दोनों अलग-अलग हैं और किसी भी काम को किए जाने के लिए बिना दोनों के काम नहीं चलने वाला। जमींदारी एबॉलिशन में कुल 344 सेक्शन थे जिसमें से 77 का निरसन हो गया और 124 निष्प्रयोज्य हो गये। कुल 143 सेक्शन बचे थे और यू0पी0 लैण्ड रिफार्म्स एक्ट में 234 सेक्शन्स थे उसमें से 11 डिलिट हो गये और 131 निष्प्रयोज्य हो गये। कुल 92 सेक्शन बचे। यह दोनों कुल मिलाकर 235 सेक्शन होते हैं और जो मौजूदा विधेयक आपके सामने पारित किया जाना उपस्थित है उसमें 234 सेक्शन्स हैं। हमने मूल रूप से उनकी सारी भावनाओं को इसमें समाहित करते हुए इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जब यह विधेयक हम पारित कर लेंगे। मान्यवर, इसमें और दर्जनों रूल्स और मैनुअल आते

हैं लेकिन इसमें 6 मुख्य रूप से मैनुअल हैं-रेवन्यू मैनुअल, रेवन्यू कोर्ट मैनुअल, जेड0ए0एल0आर0 रूल्स, कलेक्शन मैनुअल, लैण्ड रिफार्म्स मैनुअल, लैण्ड मैनेजमेन्ट कमेटी रूल्स और दर्जनों रूल्स और मैनुअल्स ऐसे हैं जिनको समाप्त करके सरलीकरण करके सबकी समझ में आए, वैसे रूल्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और इस ऐक्ट के पारित होने के बाद वह रूल्स लेकर पुनः आयेंगे। मान्यवर, प्रस्तावित विधेयक में 16 अध्याय हैं, 4 अनुसूची हैं और 234 धाराएं हैं। यथासम्भव हमने प्रयास किया है कि जमींदारी विनाश अधिनियम की जो मूल भावना थी जो मौलिक प्राविधान था, उन प्राविधानों को भी यथासम्भव जो प्रदेश के लिए उपयोगी था उनकी मूल भावना को बदलने का सवाल नहीं है। लेकिन जहां आवश्यकता थी वहां उनमें हमने बदलाव भी किया है और 39 अधिनियम ऐसे हैं जिनका निरसन इसके साथ प्रस्तावित है जो साथ में अनुसूची लगी हुयी है उस अनुसूची में इनका उल्लेख है और मैं संक्षेप में उनका उल्लेख कर देता हूं। यह हैं-द यूनाइटेड प्रोविसेंस रेवेन्यू आफिसर्स रेग्यूलेशन, 1803, द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रेक्ट्स रेग्यूलेशन 1823, द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन, ऐक्ट, 1830, द बंगाल लैण्ड रेवेन्यू (सेटलमेंट एण्ड डिप्टी कलक्टर्स) रेग्यूलेशन, 1833, द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रेक्ट्स ऐक्ट, 1836, द बुन्देलखण्ड एलीनेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, 1903, बनारस पारिवारिक भू-सम्पदा अधिनियम, 1904, उत्तर प्रदेश विलीन राज्य विधियों को लागू करने का अधिनियम, 1950, दुद्धी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, 1951, संयुक्त प्रान्त लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, द परगना आफ कसवार राजा एक्ट, 1911, द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1915, द गोरखपुर गोरेट्स ऐक्ट, 1919, संयुक्त प्रान्त राजस्व परिषद् अधिनियम, 1922, संयुक्त प्रान्त एबेटमेंट आफ रेन्ट सूट्स एक्ट, 1938, द यू0 पी0 हिन्दू वोमेन्स राइट टू प्रापर्टी (एक्सटेंशन टू एग्रीकल्चरल लैण्ड्स) ऐक्ट, 1942। संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947, उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान ऐक्ट, 1949, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, रामपुर में बेदखली के वाद और व्यवहार रोकने का अधिनियम, 1951, उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, 1952, उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) अधिनियम, 1952, उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, 1952, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, 1953 इस प्रकार के 32 अधिनियम हैं जिनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में है।

उत्तर प्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप उत्तरांचल बनने के बाद सात ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। **यह है अल्मोड़ा आनरेरी असिस्टेन्ट कलक्टर्स डिक्रीज एण्ड आर्डर्स वैलिडेटिंग ऐक्ट, 1938, जौनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक** अभिलेख अधिनियम, 1952, कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1954 इत्यादि हैं। इनका सम्बन्ध उत्तरांचल से है। क्योंकि यह उन्हीं के सम्बन्ध में प्राविधान था जो आज वहां हैं, इसलिए यहां रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इनके निरसन के साथ जो यह प्रस्ताव आये हैं वह सबकी सहमति से लाये गये हैं। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण को पर्याप्त समय मिल गया होगा और सबने इसे देख लिया होगा और इसके बारे में राय बना ली होगी।

आज आप इसमें चर्चा करेंगे और अपने सुझाव देंगे। हमने इसका सरलीकरण किया है। मैं दो वाक्य कहना चाहता हूं, वैसे तुलसीदास जी ने रामायण को ऐसा ग्रन्थ बना दिया जो घर-घर में पढ़ा जाता है और अनपढ़ भी इसको समझ सकते हैं, उसी तरह से यह एक्ट बनाने का प्रयास किया गया है। हमने इसकी जटिलता को समाप्त कर दिया है। इसमें 234 धारायें हैं और इसमें कहीं कोई जटिलता नहीं है जो दो तरह के प्राविधान थे, देहातों में वसूली की कार्यवाही दूसरे एक्ट में होती थी और शहरों में दूसरे ऐक्ट में होती है उसको सरल किया है। जो छोटे स्तर के मामले हैं जैसे दाखिल खारिज का मामला नायब तहसीलदार स्तर का मामला है, वह बोर्ड आफ रेवेन्यू में बीस-बीस वर्षों से लम्बित पड़ा रहता था, पट्टे के मामले, इन सबकी जटिलताओं को समाप्त करके जो अनावश्यक रूप से मुकदमें लड़ने में परेशानी होती थी और लोगों को वास्तविक न्याय नहीं मिल पाता था, ऐसे प्राविधानों का समावेश किया है जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। इसमें हमें सभी दलों के सभी नेताओं का सहयोग मिला है। इस कारण से एक ऐसी स्थिति में लेकर आये हैं जिससे प्रदेश के किसानों का, खेतिहर किसानों से जुड़े हुए तमाम लोगों का भला होने वाला है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने का कष्ट करें।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है जो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप से किसान खेतिहार मजदूर सीधे इससे जुड़े होते हैं। उनके हित इससे सीधे जुड़े होते हैं इसलिए मान्यवर, मैं इस संशोधन के माध्यम से कुछ ऐसे बिन्दु जिनको इस संहिता में नहीं लिया जा सका है और जिसके कारण उससे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कुप्रभावित होंगे, इसलिए मान्यवर, उस पर मैं माननीय मंत्री जी जो राजस्व संहिता विधेयक, 2006 आज यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, यद्यपि कि माननीय मंत्री जी ने राजस्व संहिता विधेयक, 2006 के पेज 58 और 59 पर दी गई सूची को सदन के सामने प्रस्तुत किया जिसमें से 32 उत्तर प्रदेश के और सात उत्तरांचल के मुख्य विधेयक हैं जिसमें उससे प्रभावित किये जा रहे हैं, निरसन किये जा रहे हैं और विशेष रूप से यूं तो कहने के लिए 32 हैं लेकिन विशेष रूप से मान्यवर हैं वह संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश राजस्व प्रक्रिया का विनियमन, 1966 यह विशेष रूप से चार अधिनियम ऐसे हैं जो सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिससे उत्तर प्रदेश की जनता भी प्रभावित होती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भू-सुधार अधिनियम तथा संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् प्रक्रिया विनियमन, 1966 के प्राविधानों को विशेष रूप से राजस्व संहिता विधेयक, 2006 में सम्मिलित किया जा रहा है। मान्यवर, इसमें जो मुख्य बिन्दु हैं उसमें सबसे पहले मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक के अध्याय-8 में ग्राम सभा एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि एवं अन्य सम्पत्तियों की बात कही गयी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक में ग्राम सभा का स्पष्टीकरण तो है ग्राम सभा का स्वरूप क्या है ? यह तो स्पष्ट है लेकिन स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी और अब इससे यह नहीं ज्ञात हो पा रहा है कि जो स्थानीय कार्यक्रम है वहां पर भूमि प्रबन्धन की व्यवस्था क्या होगी ? भूमि प्रबन्धन के लिए कौन अधिग्रहीत किया गया है ? उदाहरण के लिए मान्यवर, जैसे नगरीय विकास प्राधिकरण है और अब नगरीय विकास प्राधिकरण में नगर निगम भी आते हैं, उदाहरण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण है या कानपुर विकास प्राधिकरण है या इलाहाबाद विकास प्राधिकरण या कोई भी शहर का विकास प्राधिकरण है और उन विकास प्राधिकरण में नगर निगम अलग से स्थानीय प्राधिकरण होता है तो यहां पर मान्यवर, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत जो गठित किये गये थे उसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि इन प्राधिकरणों का क्षेत्राधिकार किसके अन्तर्गत होगा ? नगर निगम के अन्तर्गत होगा या विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत होगा ? इसका स्वरूप नहीं स्पष्ट किया गया है, इसलिए मान्यवर, इससे एक उहापोह की स्थिति पैदा होगी, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। भू-प्रबन्धन कैसा होगा ? और भू-प्रबन्धन किस प्रकार से होगा ? इस विधेयक में स्पष्ट नहीं है इससे पूरी की पूरी भ्रम की स्थिति पैदा होती है मान्यवर, इसलिए इसको स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्थानीय प्राधिकरण कहां तक किस हद तक और कौन सा प्राधिकरण कितना जिम्मेदार होगा ? इसको भी सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए। मान्यवर, भूमि प्रबन्धन एवं आवंटन की व्यवस्था कौन देखेगा, नगर निगम देखेगा या विकास प्राधिकरण देखेगा, यह भी इसमें स्पष्ट होना चाहिए। जबकि मान्यवर, ग्राम सभा के अन्तर्गत भूमि के प्रबन्धन एवं आवंटन की व्यवस्था सुनिश्चित है। इसमें स्पष्ट व्यवस्था है लेकिन स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित जो स्थिति है वह भ्रम की स्थिति पैदा करता है वह स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक की धारा 63 में परगनाधिकारी एवं भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आबादी स्थल आवंटन की व्यवस्था की गयी है लेकिन इसके अन्तर्गत यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्थानीय प्राधिकरणों के क्षेत्र में आने वाली आबादी स्थलों का आवंटन किस प्रकार किया जायेगा। मान्यवर, इसी प्रकार विधेयक की धारा 64(1)(क) में आबादी स्थल आवंटन की पात्रता निर्धारित की गयी है, जिसमें प्रथम पात्रता क्रम में ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से सम्बन्धित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर रखा गया है। मान्यवर, अब इन चारों वर्गों का वरीयता क्रम क्या होगा यह इस संहिता विधेयक में स्पष्ट नहीं है। जबकि इसके पहले जो हमारी व्यवस्था थी उसमें स्पष्ट था कि पहले क्रम में कौन सा होगा, दूसरे क्रम में कौन सा होगा, तीसरे क्रम में कौन सा होगा, चौथे क्रम में कौन सा होगा। जो वरीयता का अभिमान क्रम है वह सुनिश्चित किया गया था। लेकिन इसमें इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे अब पूर्व में जो व्यवस्था चली आ रही थी जिसकी बाबत

मान्यवर इसमें कहा गया है तो अगर इसी क्रम में प्राथमिकता भी सुनिश्चित कर दी जाये तो ज्यादा अच्छा होगा अन्यथा जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उसके हकों पर कुठाराघात होगा और जो कम जरूरतमंद हैं वह किसी न किसी प्रभाव से प्रथम वरीयता के हक को पाने के लिए सक्षम हो जायेंगे इसलिए इसको भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई आयेगी गांवों में, जैसे पहले वरीयता क्रम था-अनुसूचित जाति, जनजाति, श्रमिक और किसान। दूसरे पर था पिछड़ा वर्ग। तीसरे पर था राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला सामान्य वर्ग का व्यक्ति, कृषि श्रमिक एवं कारीगर तथा अन्य कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण कारीगर हैं। इस प्रकार से प्राथमिकता के स्पष्ट न होने से असमंजस की स्थिति होगी। नतीजा इसका यह होगा कि आपस में विवाद पैदा होंगे। सब उसको पाने के लिए होड़ में रहेंगे। गरीब, पीड़ित, शोषित और जो समाज के सबसे वंचित लोग हैं और जो अंतिम पंक्ति में आखिर में खड़े हुए हैं कहीं न कहीं इससे वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपस में विवाद न हो, आपस में तू-तू, मैं-मैं न हो, असमंजस की स्थिति न रहे, इसको देखते हुए जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 22 बी में पात्रता सूची में वरीयता का निर्धारण किया गया है और उसमें प्रथम वरीयता देते हुए शेष अन्य की भी वरीयता निर्धारित की गयी है। तो मान्यवर, यहां भी वरीयता क्रम की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना चाहिए। मान्यवर, आप जानते हैं आप भिज्ञ हैं कि अभी इसी विधान सभा में मान्यवर एक कार्यक्रम हुआ था। मान्यवर, इसी विधान सभा में पहली विधान सभा के जो तमाम माननीय सदस्य रहे हैं हम सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनन्दन किया और उन्हीं में से यह जब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम यहां पर लागू किया गया था तो किसानों के मसीहा कहे जाने वाले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने इसको यहां पर प्रस्तुत किया था और मान्यवर, उन्होंने इन सारी सामाजिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए ही कि समाज में कटुता न बढ़े, भाईचारा सशक्त हो, आपस में होड़बाजी न हो इसीलिए मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी ने इन सब विसंगतियों का ध्यान रखते हुए इस पर एक स्पष्ट रूपरेखा तय की थी और साथ ही साथ पात्रता का निर्धारण क्रमानुसार सुनिश्चित कर दिया था जिससे कि किसी प्रकार की विसंगति न पैदा होने पाये। इसी क्रम में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 123 के प्राविधानों के अनुसार यदि जमींदारी उन्मूलन की धारा 122(3) की पात्रता के व्यक्ति जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, श्रमिक और ग्रामीण कारीगर किसी आवासीय भूमि पर काबिज हैं तो उन्हें उस भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा। ऐसे महत्वपूर्ण प्राविधान को इस विधेयक में समाप्त कर दिया गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है इसको बिल्कुल इसमें छोड़ दिया गया इसके विषय में कोई चर्चा ही नहीं की। इससे ग्रामीण क्षेत्र के न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग लाभ से वंचित होंगे बल्कि ग्रामीण कारीगर जिसमें मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति जैसे बढ़ई, कुम्हार, लोहार, बुनकर, नाई आदि लोग सम्मिलित हैं। मान्यवर, इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर कई बार कुम्हारों को जमीन का पट्टा मिलता है तो इस प्रकार से प्राथमिकता का स्पष्टीकरण न होने से यह

तमाम विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए इसके साथ-साथ जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 123(2) में यह व्यवस्था थी कि यदि इस प्रकार के व्यक्ति जिसने किसी खातेदार की भूमि पर आवास बना लिया है उसे भी बेदखल नहीं किया जाय ऐसे महत्वपूर्ण प्राविधानों को वर्तमान विधेयक में समाप्त कर दिया गया है। मैं चाहूंगा चूंकि यह जनहित से जुड़ा हुआ है, समाज के अन्तिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो यहां का मजलूम समाज है उसको जो प्राथमिकता के आधार पर यह अधिकार मिला हुआ था किसानों के मसीहा कहे जाने वाले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने जिन सामाजिक विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था दी थी उसका संज्ञान लेते हुए इसको इसमें जोड़ा जाना चाहिए, यह नहीं रखा गया है। इसी तरह से जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 122बी (4एफ) में अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों की रक्षा के लिए प्राविधान किया गया था कि यदि अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई व्यक्ति जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत यदि विनिर्दिष्ट भूमि पर काबिज है तो भी उसे किसी भी हालत में बेदखल नहीं किया जायेगा यह व्यवस्था थी। लेकिन मान्यवर, आपने इस विधेयक में उनको भी गायब कर दिया तो मान्यवर, इससे क्या होगा ? इससे समाज के उपेक्षित लोगों का उत्पीड़न बढ़ेगा। ऐसे लोग जो बाहुबली हैं, धनबली हैं, शोरेपुश्त हैं यदि प्राथमिकता सुनिश्चित नहीं होगी तो उनके नाम पर वह सारे के सारे लाभ को लेने में कारगर सिद्ध होंगे। इसी प्रकार से मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक की धारा 98(1) जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि अनुसूचित जाति का कोई भूमिधर उत्तर प्रदेश नगर योजना में विकास अधिनियम, 73 के अन्तर्गत गठित विकास प्राधिकरणों से बाहर विकसित किसी भूमि को विक्रय, दान, बंधक या अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को देना चाहता है तो बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति के दे सकता है। मान्यवर, तमाम विकास प्राधिकरणों में ऐसे भी गांव आते हैं, किसान आते हैं, कृषि क्षेत्र आते हैं जहां शहरी विकास के कार्य नहीं होते। कहने के लिए उसकी जमीन विकास प्राधिकारण के अन्तर्गत आती है और खेती करता है लेकिन यह छूट ले करके आज दबंग, शोरेपुश्त, भूमाफिया लोग हैं उनको उस पर दबिश कराने के लिए छूट दे रहे हैं। यह व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिए कि बिना कलेक्टर की अनुमति के वह इस प्रकार का कोई भी विक्रय, दान, बंधक या पट्टेदारी के द्वारा जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकता है यह व्यवस्था होनी चाहिए जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यवस्था है तो शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिये नहीं तो जिस तरीके से भूमाफिया किसी को किसी वक्त अगवा कर लेते हैं और जबरदस्ती उससे मनचाहे तरीके से दस्तखत करा लेते हैं और मनचाहे तरीके से जमीन का ट्रांसफर करा लेते हैं, हस्तान्तरण करवा लेते हैं। मान्यवर, इसी क्रम में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई अनुसूचित जाति, जिला कलक्टर की अनुमति से जमीन का हस्तान्तरण करता है तो अनुसूचित जाति के लिये ही करता है जैसे कि पूर्व में व्यवस्था है और अनुसूचित जनजाति यदि अपनी जमीन हस्तान्तरण करता है तो अनुसूचित जनजाति के लिये हस्तान्तरण करने की व्यवस्था है। मान्यवर, इन सब बिन्दुओं को इसमें समाविष्ट करना चाहिये जिससे कि जो

सामाजिक सद्भावना है, वह बनी रहे। साथ ही साथ, हमारे जो संविधान की चाहत है, उसके अनुरूप कार्य हो सके और साथ ही साथ यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी सब सराहना भी करें। अन्यथा यह कुछ लोगों के लिये होगा। अब इन्होंने तो एक उदाहरण दे दिया, वह तो खुद ही इन्होंने अपने इस विधेयक का खंडन कर दिया, इन्होंने कहा जिस तरह से तुलसीदास ने सर्व स्वीकार्य रामायण लिखी थी, उसी प्रकार से हमने इसको सरल किया तो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी, वह स्वान्तः सुखाय के लिये लिखी थी, यह आप स्वान्तः सुखाय नहीं बना रहे हैं। यह प्रदेश की जनता के लिये बना रहे हैं।

(श्री अम्बिका चौधरी द्वारा टोकाटाकी करने पर)

यह तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे राजस्व के एडवोकेट रहे हैं तो ज्यादा समझदारी होगी, यह तो मैं मानता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

ताकि आप मेरी भावना समझ सकें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसी तरीके से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक की धारा 100 में यह प्राविधान किया गया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी सदस्य अपनी भूमि किसी संस्था को बंधक रखता है तो ऐसे किसी विभाग को अन्तरण कर सकता है तो इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिये जैसा कि मैंने आपको बताया साथ ही साथ यहां पर कलेक्टर की पूर्वानुमति आवश्यक है। जो इसमें नहीं दर्शाया गया है। मान्यवर, इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक की धारा 126(1) के अन्तर्गत अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में एवं धारा 125 के अन्तर्गत आसामी के रूप में भूमि उठाते समय वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। जिस पर धारा 126(ग) अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को रखा गया है, इसमें भी चूंकि चारो वर्गों की पात्रता एक साथ रखी गयी है, इसमें भी वही व्यतिक्रम है जो पूर्व में जिन व्यक्तियों का मैंने उद्धरण किया है तो वरीयता क्रम का निर्धारण यहां पर भी होना चाहिए। अन्यथा जो संविधान की मंशा है जो एक आदर्श संहिता के रूप में प्रस्तुत करने की मंशा माननीय मंत्री जी की है, वह कारगार नहीं हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, अभी कितना समय और लेंगे, अभी इस पर आपके दल के लोग भी बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं तो बता रहा हूं, महत्वपूर्ण सुझाव हैं, अगर सुनना नहीं है तो चर्चा नहीं करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप सुझाव दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस तरह से विधेयक की धारा-139 में लगान निर्धारण के लिए वाद दायर करने का प्राविधान किया गया है और धारा-135 में प्राविधान किया गया है कि धारा-139 के अधीन वाद दायर करने की घोषणा के फलस्वरूप यदि किसी भूमिधर या असामी द्वारा धारा-134 की उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति किसी भूमि की बेदखली का वाद नहीं संस्थित किया जाता है या ऐसे किसी वाद में प्राप्त डिक्री का निष्पादन, ऐसे वाद के संस्थित किये जाने या ऐसी डिक्री के निष्पादनार्थ उपबन्धित समय-सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के दिनांक से कब्जेदार व्यक्ति को दोगुना भू-राजस्व अदा करने पर अन्तर्णीय एवं अनन्तर्णीय अधिकारों वाली भूमि पर अधिकार प्राप्त हो पायेगा, इससे गरीब व्यक्ति मारा जाएगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

सेक्शन कौन सा है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह है धारा-139 में लगान निर्धारण वाले प्रकरण में और धारा-134 की उपधारा (1) के अधीन मान्यवर, यह प्राविधान स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, अगर इसको स्पष्ट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि गरीब व्यक्ति अगर समय-सीमा के अन्दर मुकदमा दायर नहीं कर पाया तो पता लगा कि उसकी जमीन गई। यदि वह मुकदमा समय-सीमा के अन्दर किसी कारणवश नहीं कर पाया और उसे 10-15 दिन का समय और चाहिए तो उसकी जमीन उसके कब्जे से चली जाएगी और अगर दोबारा उसको वह लेना भी चाहता है तो उसको दोबारा पैसा जमा करना पड़ेगा, तो इसमें मान्यवर, यह विसंगति पैदा हो रही है और साथ ही साथ मान्यवर, अगर इसे स्पष्ट नहीं किया गया तो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति इस व्यवस्था का बहाना बनाकर भूमि पर कब्जा कर लेगा और यह भी हो सकता है कि दो व्यक्ति आपस में समझकर भूमि का स्थानान्तरण कर लें तो उस स्थिति में राज्य सरकार को स्टाम्प शुल्क नहीं मिलेगा और राजस्व की हानि होगी। इसी तरीके से कतिपय जिलों में क्षेत्रों की संगणना का प्रावधान है। विधेयक की धारा-222 में डेढ़ हेक्टेयर भूमि को एक हेक्टेयर भूमि के रूप में गणना करने का निर्देश है। धारा-222 (क) में झांसी मण्डल का उल्लेख किया गया है, मान्यवर, वर्तमान में ललितपर, झांसी और जालौन जनपद इसमें आते हैं जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्य जनपद जैसे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा जनपदों का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, यदि सरकार की मंशा साफ है और कहीं भूल से यह छूट गया है तो जहां पर झांसी मण्डल लिखा गया है और जहां पर डेढ़ हेक्टेयर भूमि को एक हेक्टेयर भूमि के रूप में गणना करने का निर्देश प्राविधानित है, वहां पर चित्रकूट धाम मण्डल

को भी समाविष्ट करने का कष्ट करें, जिससे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जो अन्य जनपदों के लोग हैं, जैसे कि चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा के लोग कुप्रभावित न होने पायें। चूंकि पूर्व में यह सभी झांसी मण्डल में थे, हो सकता है कि जाने-अनजाने में ऐसा हुआ हो, इसलिए झांसी के साथ में बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों को भी समाविष्ट कर लें ताकि वहां के किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के क्रम में हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी पूरे देश में एक व्यवस्था है कि न्याय-प्रणाली तीन स्थितियों से गुजरती है जिसमें पहले एक विचारण न्यायालय होता है, दूसरा अपीलीय न्यायालय होता है, तीसरे पुनरीक्षण न्यायालय होता है। पुनरीक्षण न्यायालय का अधिकार राजस्व परिषद् को होना चाहिए। तो मान्यवर, इस तरीके से यह जो उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय न्याय व्यवस्था है, देश के सभी प्रदेशों में हैं। जैसे विशेष रूप से वर्तमान समय में प्रदेश में सभी प्रमुख रूप से जो राजस्व वाद लम्बित हैं वह उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। ज्यादातर इन्हीं दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत आते हैं। ज्यादातर इन्हीं दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत विवादित प्रकरण से सम्बन्धित वाद इन न्यायालयों में लम्बित हैं। मान्यवर, भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भी भू-राजस्व अधिनियम, 1901 अधिनियम की कार्यवाही सरसरी की मानी जाती है। इस संहिता के लागू हो जाने से सरसरी की कार्यवाही की व्यवस्था खत्म हो जा रही है और इससे मान्यवर, जो छोटे-मोटे मामले आसानी से निपट जाते थे वहां पर अवरोध पैदा हो रहा है। इसी क्रम में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने विशेष रूप से तमाम ऐसे मामले जो राजस्व परिषद् तक जाना ही चाहिए था उस पर अन्तिम व्यवस्था देने के लिये आयुक्त को अधिकृत कर दिया। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश का एक भू-राजस्व प्रबन्धन होता है, राजस्व परिषद् उसकी देखभाल करता है। जितने भी राजस्व न्यायालय होते हैं, वे उसकी देख-रेख में होते हैं और यहां तक कि राजस्व परिषद् कलेक्टर का करेक्टर रोल भी लिखता है। राजस्व परिषद् की दी गयी व्यवस्था पूरे प्रदेश के सभी जिलों के राजस्व न्यायालयों को मानने के लिये बाध्य होना पड़ता है। राजस्व परिषद् की जो भी रूलिंग आयेगी वह पूरे प्रदेश के राजस्व न्यायालयों के लिये आयेगी। इस व्यवस्था से विसंगति पैदा हो रही है। मान्यवर, कुल 17 मण्डल में 17 कमिश्नर हो गये, अर्थात् 17 आयुक्त हो गये और 56 सहायक आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त हो गये, इस तरीके से इनकी संख्या सैकड़ों में चली गयी। अब किसी बिन्दु पर इलाहाबाद का आयुक्त कोई व्यवस्था देता है, तो उसी बिन्दु पर लखनऊ का आयुक्त दूसरी व्यवस्था देता है तो गोरखपुर का आयुक्त तीसरी व्यवस्था देता है, मेरठ का आयुक्त चौथी व्यवस्था देता है, यानी 'मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना', जितने कमिश्नर उतनी व्यवस्थायें। अब जो जिले का राजस्व न्यायालय है उसके लिये आधार क्या होगा ? वह किस व्यवस्था को मानेगा, कौन सी व्यवस्था की रूलिंग फॉलो की जायेगी इसको गम्भीरता से संज्ञान नहीं लिया गया, मान्यवर, चूंकि मंशा क्या है, माननीय मंत्री जी की मंशा यह है कि न्याय सस्ता होना चाहिए, त्वरित होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए और भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए, तो मान्यवर, अगर सब राजस्व परिषद् में नहीं

हो सकता तो जिस तरीके से भू-माफिया का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है हर मण्डल में कोई न कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति होगा ही वह मण्डलायुक्त पर हावी हो जायेगा और मनचाहे तरीके से न्याय लेना शुरू करेगा। राजस्व परिषद् पर अभी भी यह आरोप नहीं लगता है। भ्रष्टाचार के आरोप राजस्व परिषद् पर अभी तक नहीं लगते हैं। लेकिन जब आयुक्त स्तर पर यह व्यवस्था कर दी जायेगी तो बड़े पैमाने पर आरोप लगने का डर रहेगा। भू-राजस्व अभिलेखों के रख-रखाव का दायित्व राजस्व परिषद् पर होता है। पूरे प्रदेश की राजस्व व्यवस्था का संचालन वहां से होता है इसलिये शांति व्यवस्था बनी रहती है। इस व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देने से शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जायेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि मेरे इन संसाधनों को आप इसमें शामिल कर लें जिससे प्रदेश में अच्छी राजस्व प्रणाली और आपकी छवि ठीक हो सके।

**श्री अध्यक्ष-**

माननीय मौर्य जी, आप कितना समय और लेंगे।

**श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, जितना बोला है उतना ही और समय चाहूंगा। मेरी बात राजस्व मंत्री जी सुनेंगे तो हो सकता है वह समावेश कर लें और इसमें जो कमियां हैं वह दूर हो जायें। इसी तरह से राजस्व संहिता विधेयक, 2006 के अध्याय-4 में सीमांकन प्रभावी किया गया है। भूखण्ड की ज्यामितीय माप नक्शे के आधार पर की जाती है और उसी के आधार पर स्थल पर नाम करने के उपरान्त भूखण्ड की सीमा निर्धारित की जाती है। इस विधेयक में इसकी अपील और पुनरीक्षण का प्राविधान नहीं है। मेरा निवेदन है कि न्याय हेतु और न्याय हित में अपील और पुनरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक के अध्याय-5 की धारा-35 की उपधारा (2) में आपने लिखा है कि आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। इसके स्थान पर "आयुक्त का आदेश धारा-210 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा" लिखा जाना चाहिए। इसी तरीके से धारा-39 नक्शा-खसरा-खतौनी से सम्बन्धित है। धारा-38 की उपधारा-4 में जहां "आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा" उसके स्थान पर "आयुक्त का निर्णय धारा-210 के उपबंध के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा" यह इसमें समाविष्ट करना चाहिए। मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक के अध्याय-8 की धारा-66 की उपधारा-(3) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इसमें अपील और पुनरीक्षण की व्यवस्था नहीं है। जबकि अपील आयुक्त के समक्ष और पुनरीक्षण राजस्व परिषद् में होना चाहिए। यहां पर पुनरीक्षण का अधिकार खत्म कर देने से अब लोगों को छोटे-छोटे मामलों में उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, इससे गरीब पर आर्थिक भार पड़ेगा, समय भी ज्यादा जाया होगा। साथ ही साथ राजस्व परिषद् में जिस मामले में 3 रुपये 75 पैसे की कोर्ट फीस लगती है और टाइप आदि को मिलाकर 50-100 रुपये खर्च होता है अब वहां पर कम से कम 4-5 हजार रुपये लगेंगे जब लोग उच्च न्यायालय में जायेंगे। इसी तरह से उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा-193 सरकारी बकायों के सम्बन्ध में सम्पत्ति के नीलाम करने के बारे में है। इसमें आयुक्त के समक्ष

आपत्ति प्राविधानित है। इस कार्य के लिये आयुक्त विचारणीय न्यायालय है। तो आगे जाने के लिये इसमें पुनरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसीलिए इस धारा के साथ-साथ आयुक्त की व्यवस्था धारा-210 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगी यह जोड़ दिया जाना चाहिए। इसी क्रम में राजस्व संहिता विधेयक की धारा-209 में किसी बात के होते हुए किसी निम्नलिखित आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी यह शब्द निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि जैसे ही कोई प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत होता है उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो यह अधिकार समाप्त नहीं होना चाहिए बल्कि उसे रिवीजन के लिये पुनरीक्षण के लिये मौका मिलेगा यह व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, राजस्व संहिता विधेयक की धारा-210-3 देखें जिसमें लिखा है कि इस धारा के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र पर पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से जो भी बाद में हो 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा तो मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी गांव से आते हैं वह भी गरीबी देखकर आये हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत के किसान गरीब हैं हो सकता है कि किसी कारणवश पैसे के अभाव में, अज्ञानता वश, गरीबी वश वह 30 दिन के अन्दर वाद दायर न कर सका हो इसलिए 30 दिन के स्थान पर अपील पुनरीक्षण के लिये 120 दिन का कम से कम समय दिया जाना चाहिए। जिससे किसी विशेष परिस्थितियों में वह अपने इन अधिकारों से वंचित न हो सके। इस संहिता में इसका भी समावेश कर लेना चाहिए कि निर्धारित वादों का निस्तारण जो राजस्व अदालतें होती हैं उसमें निर्धारित वादों के निस्तारण हेतु समय-सीमा निश्चित कर देनी चाहिए यह प्राविधान कर देना चाहिए कि इतने समय के अन्दर इस प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। निर्धारित वादों का निस्तारण समय-सीमा के अन्दर किया जाना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं अक्सर देखा जाता है कि 25 लाख, 50 लाख एक करोड़ रुपये लेने वाले लोग मूछों पर ताव देकर घूम रहे हैं लेकिन जिसने एक हजार या पांच सौ रुपये ले लिया है उसके यहां जिस दिन उसकी बिटिया की शादी होती है और उसके यहां मेहमान जमा होते हैं उस दिन रेवेन्यू आफीसर जाकर उसको गिरफ्तार करते हैं। लड़की या लड़के की शादी के दिन या किसी आयोजन के दिन उसका अपमान किया जाता है और वह अपमान का घूंट पीने को मजबूर होता है इसलिए मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक लाख से नीचे के बकायेदारों की गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए यह जो संहिता बन रही है उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले दिन हम लोगों ने इसी सदन में सवाल उठाया था कि लखीमपुर में मात्र 27 रुपये के कर्जदार को राजस्व कर्मियों ने सड़क पर इतना पीटा था कि उसने दम तोड़ दिया था। आये दिन प्रदेश में इस तरह की बातों से रूबरू होना पड़ता है। इसलिये एक लाख से नीचे के बकायेदारों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं अभी-अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक व्यवस्था आ रही है कि तालाबों से और भीतों से कब्जे हटाये जायं। मान लीजिए किसी ने 50 साल पहले

या 20 साल पहले वहां पर अपना घर बना लिया है और उतनी बस्ती बन गई है। तो इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग 20 साल पहले से घर बनाकर वहां पर रह रहे हैं। पूरे का पूरा स्थायी निवास बन गया है। मोहल्ले बन गये हैं ऐसे तालाबों को और भीतों को जिनमें वे 20 साल से काबिज हैं उनके स्वामित्व को बेदखल न किया जाय और उनको उसका स्वामित्व प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षिप्त करिये अभी इस पर और बहस होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपका आदेश बिल्कुल मानते हुए खत्म करता हूं। मान्यवर, इसी क्रम में कहना चाहता हूं कि वाद इतने ज्यादा क्यों न्यायालय में बढ़ते जा रहे हैं ? वे इसलिये बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके निस्तारण की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। हमारा सुझाव है कि जिस तरह से अच्छे अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के जज बनाये जा सकते हैं तो इसी तरह से अधिवक्ताओं के बीच में से एक रेवेन्यू आफिसर की तैनाती की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानदेय के आधार पर जिलों के रेवेन्यू कोर्ट और बोर्ड आफ रेवेन्यू में उन अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस तरह से यह हमारे जो वाद हैं उनके निस्तारण में सहायक हो सकते हैं इसलिये मेरा सुझाव है कि इनकी व्यवस्था की जाय तो बेहतर होगा। इसी तरह से मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट में बयान होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बयान होता है वह दर्ज किया जाता है लेकिन जब बोर्ड आफ रेवेन्यू या राजस्व न्यायालय में वादों पर बहस होती है तो मान्यवर, वह रिकार्ड नहीं किया जाता है। इसलिये इसको भी पार्ट आफ रिकार्ड बनायें। जिस तरह से उच्च न्यायालय या लोवर कोर्ट में किसी भी वाद के बयान को लिपिबद्ध किया जाता है उसी तरह से बोर्ड आफ रेवेन्यू के वादों को भी लिपिबद्ध किया जाय। इसी तरीके से कहना चाहता हूं कि किसान जोत बही में किसानों की भूमि का संग्रह किया जाता है उसमें थोड़ा सा इतना और जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जमीन की किस्म, उसकी बाजारू कीमत और उसकी जमीन का मानचित्र जैसे बिन्दु भी उसमें शामिल किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे छोटे से छोटे विवाद जो पैदा होते हैं वे न हों और सम्भवतः इससे इनका कोई निदान निकल सके। धारा-77 में चारागाह, खलिहान में सरकारी कार्य हेतु सरकार उसका उपयोग करने का विशेषाधिकार प्राप्त करती है उसी तरीके से भूमि आवंटन के लिये भी ऐसी जमीन को सरकार को विशेष अधिकार बनाकर उसको लागू करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुल मिलाकर चूंकि चौधरी साहब तो विद्वान हैं इन्होंने मेहनत भी की है लेकिन यह बहुत जल्दी मचाये हुए हैं।

मान्यवर, मैं केवल इतना ही आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जल्दी का काम शैतान का। आप इस पर बहुत गम्भीरता के साथ विचार करें। इसमें चर्चा के लिये और समय

की आवश्यकता होगी आप उसके लिये माननीय अध्यक्ष जी से कहें क्योंकि यह ऐसा विषय है कि इस पर सबकी राय आनी चाहिए। वो उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम जब यहां पर प्रस्तुत हुआ था तो उस पर कुल 58 दिन चर्चा हुई थी। 1950 में जनवरी में 9 कार्य दिवस, मार्च में 2 कार्य दिवस, अप्रैल में 12 कार्य दिवस, मई में 10 कार्य दिवस, जून में 8 कार्य दिवस, जुलाई में 13 कार्य दिवस, अगस्त में 4 कार्य दिवस। मेरा कहने का अर्थ है कि आप चौधरी चरण सिंह जी का नाम तो ले रहे हैं लेकिन उन्होंने इतनी जल्दबाजी में नहीं किया था। उन्होंने यह जो मान्यवर, विधेयक रखा, कहा कि 7-7-49 को रखा गया था। इसमें 58 दिन चर्चा चली। इसलिए कोई पहलू अछूता नहीं रहा। कोई शंका नहीं रही।

[ समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिए इसमें विस्तार से, लोग हैं, चिन्तन करते हैं सभी मा0 सदस्यों की राय लेना अपेक्षित है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय चौधरी साहब जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं यह कहीं राजस्व विधेयक, काला कानून या काला विधेयक न साबित हो जाय और अराजकता, निरंकुशता का यह शिकार न हो जाए इसलिए सभी मा0 सदस्यों की राय आए। इस पर गम्भीरता से चिन्तन करें। साथ ही साथ जनहित को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को विधेयक में जोड़ने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चूंकि ऐसे तमाम बिन्दु हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो चीज छूटी है वह माननीय सदस्यों को बता दें वह बता देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जो गरीबों के हितों की अनदेखी करते हैं वह स्पष्ट.....

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जो रही है, जो इसमें संशोधन रखा गया है जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखा है वह बोल लेंगे। अभी इस पर संशोधन प्रवर समिति का, जिन माननीय सदस्यों ने रखा है उनसे निवेदन है कि वह संक्षेप में बोल लेंगे उसके बाद फिर बोल लेंगे। जब सरकार की तरफ से चर्चा होगी तो बोल लेंगे। राजस्व मंत्री जी जब उत्तर देंगे लम्बी चर्चा होगी तब बोल लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह सरकार गरीबों के हितों की विरोधी है। यह गुण्डे माफियों को जमीन हड़पने का रास्ता प्रशस्त कर रही है.....

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं इसीलिए इस संशोधन प्रस्ताव को लाया हूं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006, जिसके माध्यम से सदन को बताया गया कि 39 अधिनियम निरसित किये जायेंगे। जो सूची दी गई हैं उसमें 19 नम्बर पर है उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, साथ में दूसरा विधेयक प्रस्तुत किया गया है जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था.....

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा हो गई है व्यवस्था हो गई है आप बैठ जाएं। ऐसा है कि माननीय सदस्यगण, जिन्होंने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है वह मा0 सदस्यगण संक्षेप में अपनी बात रख दें फिर जब जनरल बहस होगी तो अपनी बात रख देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उ0 प्र0 राजस्व संहिता विधेयक, 2006 जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं सरकार के प्रयास की तो सराहना करता हूं विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी की, इसलिए क्योंकि इस विधेयक पर प्रति के सम्बन्ध में, फोन पर सम्पर्क करने पर, उपलब्ध करायी थी, कहा था सदन में इस पर सार्थक चर्चा करिए, भले ही सरकार की आलोचना करिए। लेकिन मैं आपको यह उपलब्ध करा रहा हूं आप पढ़कर इसका अध्ययन करके आप आयेंगे तो उपयुक्त सुझाव हमको मिल सकेंगे मैं इसलिए इस पर इनको बधाई देता हूं लेकिन मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु संशोधन प्रस्ताव जो रखा गया है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर दो तीन बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सिद्धान्त तौर पर मा0 मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। इस विधेयक के पृष्ठ 35 पर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्याय बता दीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्याय-7 में सेक्शन 57(1) पर 'फलदार वृक्ष' उसमें लिखा है, इसमें समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसी प्रकार अध्याय-8 की धारा-66 की उपधारा-3, में है कि 'इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा', इस पर सरकार विचार कर ले और कलेक्टर के आदेश पर भी अपील का प्राविधान होना चाहिए। इसके बाद अध्याय-9 की धारा-93 में जो लिखा है, जो अनियंत्रित कब्जे का है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। यह सुझाव तो मेरे यहां है। कुछ बातों को मौर्य जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा है, लेकिन मैं अध्याय-5 की धारा-35(2) के बारे में कहना चाहता हूं जहां लिखा है कि 'आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा', वहां पर यदि 210 के अधीन रहते हुए सुधार कर लिया जाए तो उचित होगा। इसी प्रकार अध्याय-5 की धारा-38 में जहां 'आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा' इसमें सुधार कर लिया जाए। इसी प्रकार धारा-66 की उपधारा-3 में जिसमें 'कलेक्टर का निर्णय अन्तिम होगा' उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए। मा0 उच्च न्यायालय के बजाय राजस्व परिषद् का जो अधिकार है, वह रहना चाहिए। इसी प्रकार अध्याय-12 में जो कहा गया है, कुर्की का अधिकार, यह उपधारा-210 की अपेक्षा के अनुसार रहना अच्छा होगा। राजस्व परिषद् में जब कोई व्यक्ति जाता था तो उसे कम खर्च पर न्याय मिल जाता था इसलिए राजस्व परिषद् का जो अधिकार समाप्त किया गया है, सरकार उस पर पुनर्विचार कर लें। जो परिस्थिति सामने आ रही है, दाखिल खारिज की कार्यवाही के मामले में, यदि राजस्व परिषद् से अधिकार वापस लेंगे तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और वह सामान्यतया महंगा होगा, इसलिए यह सीधे-सीधे न करें। मान्यवर, मैं भी इस मत का था, जैसा मौर्या जी ने कहा है, यह मूलतः 19-07-46 में आया था, तब यह संकल्प के रूप में आया था। उसके बाद 16-07-49 को, जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है, वह संयुक्त विशिष्ट समिति कहलाती थी, उसको सुपुर्द किया गया था, उसके बाद 9-7-50 से बहस प्रारम्भ हुई और 4-8-50 को यह पारित हुआ था। फिर यह विधान परिषद् में गया था और उसके सुझावों पर विचार करके यह विधान सभा में 10-01-51 को पास किया गया था। यह विधेयक कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के द्वारा लाया गया था, उस समय सरकार का मत था कि राजस्व परिषद् को समाप्त किया जाए। आज राजस्व परिषद् को समाप्त तो नहीं किया है लेकिन राजस्व परिषद् के अधिकारों में कटौती करने की कोशिश की है, उसके कुछ कारण समझ में भी आते हैं, पहले राजस्व परिषद् का कोई सदस्य जनपद में जाता था तो तहलका मचता था। आज सजा पाये हुए अधिकारी वहां जाते हैं। मान्यवर, इसलिए सजा पाया हुआ व्यक्ति उचित मन से जनता को न्याय देने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए इसमें दो राय नहीं कि राजस्व परिषद् की स्थिति में गिरावट आयी है। मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का पक्षधर हूं और मैं इसका भी पक्षधर हूं कि पुरानी प्रोसीडिंग्स का हवाला देकर सदन में मांग करूंगा कि जब पहले 50-55 दिन विचार करने के बाद संयुक्त विशिष्ट समिति के विचार करने के बाद और उसके बाद प्रक्रिया से होते हुए विधान सभा में विचार करके पारित होने के बाद और उसके बाद विधान परिषद् में जाने के बाद वहां पर विचार करके पारित किया गया। जब उस समय के जनप्रतिनिधियों ने इतनी गहराई से विचार करके यह पारित किया था तो आज सरकार इन दोनों अधिनियमों के अप्रासंगिक अधिकारों को समाप्त करके यह विधेयक लायी है तो इसमें विचार-विमर्श करने के लिये अधिक समय मिलना चाहिए था। इस सदन में मेरे जैसे नगरीय क्षेत्र के कुल 36 विधायक हैं और 403 में से 36 को छोड़कर लगभग शेष सभी माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से हैं इसलिए इसमें सबसे ज्यादा सहभागिता उनकी होनी चाहिए लेकिन सदन में माननीय सदस्यों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि इस विधेयक पर हम कितने गम्भीर है। मान्यवर, जो भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं और जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार रखना चाहें उन्हें अवसर जरूर दे दें ताकि उनके सुझाव आ जायें। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न करायें कम से

कम ऐसी गलती सरकार न करे, जैसे राम मनोहर लोहिया जी के विधेयक को इस सदन में 3-3 बार लाया जा रहा है। सदन की कार्यवाही और प्रक्रिया का एक तरह से मखौल हो रहा है। कम से कम राजस्व संहिता विधेयक जिसका इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध है उस पर विचार कर लें और अधिक से अधिक सदस्यों के विचार सुनकर इस विधेयक को पारित करें। सरकार ने कल बैठक भी की और इसके सुझावों को समावेश करके संशोधन भी ले आये। लेकिन इस सदन के सम्मानित सदस्यों से जो सुझाव प्राप्त हों इन सुझावों पर विचार करके संशोधन लाकर इस विधेयक को पारित कराकर प्रदेश की जनता को दें। क्योंकि पहले सन् 1946 से चलकर 1951 में पास हुआ विधेयक अब तक चल रहा है। मान्यवर, जब सन् 1946 में यह विधेयक सदन में लाया गया था तो उस समय सदन में माननीय सदस्यों ने एक भावना व्यक्त की थी कि वह दुनिया नहीं जो रोक दे जुबान मेरी, यह मयस्सर है सुननी पड़ेगी मेरी दास्तां। उस समय जितनी शिद्दत के साथ चर्चा की थी और कहा था कि हमारी बात सरकार को सुननी पड़ेगी और सरकार ने भी पूरी गम्भीरता के साथ समय देकर उनकी बात को सुना था और सुनने के बाद संशोधन के साथ विधेयक बना था और 1951 से 2006 तक उसी विधेयक ने हमारी संस्थाओं और ग्रामीण संस्थाओं का संचालन किया है। आज यह विधेयक, 2006 में आया है पता नहीं कब जाकर परिवर्तित होगा इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वहां से सुविचारित प्रस्ताव पास करके सरकार कार्यवाही करे तो बहुत उचित होगा। यह कहते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मौर्य जी द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर बोलने की अनुमति दी इसके लिए आभारी हूं। माननीय मौर्य जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर बल देते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की चाहत अच्छी होते हुए भी, विधेयक बनाते समय कुछ न कुछ बातें छूट जाती हैं और उसमें विचार करने की आवश्यकता होती है। मान्यवर, कल दलीय नेताओं की बैठक हुई और उसमें 30 संशोधन सरकारी पक्ष से प्राप्त हुए तो यह निश्चित रूप से यह तर्क प्रस्तुत करता है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसमें और बैठकें होंगी तो और अधिक संशोधन आने की गुंजाइश होगी तथा जो सरल व्यवस्था चाहते हैं इसको बनाने की उसमें वह कामयाब होंगे। मान्यवर, कुछ संशोधन की बात मैं कहना चाहूंगा। जैसे इसमें परगना शब्द का इस्तेमाल किया है। आज परगना का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है हमें उसको समाप्त कर देना चाहिए। बल्कि इसको तो तहसील में रखने की जरूरत है। धारा-24 में यह है कि "परगनाधिकारी स्व-प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिये जाने पर सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद या विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहां उन नक्शों के आधार पर, किन्तु यदि सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विनिश्चय कर सकता है।" मान्यवर, सर्वेक्षण नक्शा आप भी जानते हैं कि किसी गांव का नक्शा बहुत दुरुस्त नहीं बना होता है तो उसकी पैमाइश होती है। किसी खतौनी में एक हेक्टेयर का नक्शा डेढ़ हेक्टेयर पर होता है तो उसकी पैमाइश उसके अनुसार होती है अगर खतौनी एक हेक्टेयर है और नक्शा आधे हैक्टेयर का है तो उसके अनुसार होती है इससे निश्चित रूप से जो हितबद्ध व्यक्ति हैं उसके साथ न्याय नहीं होता है इसलिए इसमें यह संशोधन होना चाहिए कि सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर किया जायेगा किन्तु वास्तविक खतौनी से कम या ज्यादा। उसी प्राप्त सीमा में किया जायेगा उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। यानि वास्तविक खतौनी से नक्शा बनाना है इसलिए वास्तविक खतौनी के आधार पर उसकी पैमाइश की जायेगी तो यह परिवर्तन इसमें और बढ़ा दिया जाय। इसमें धारा-38 में यह लिखा है कि "नक्शा खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जायेगा।" देखा यह जाता है कि नक्शा दुरुस्ती के लिए दस पन्द्रह सालों तक मुकदमें चलते रहते हैं और उसका निस्तारण नहीं हो पाता है तो एस0डी0एम0 स्तर पर क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उनको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि तहसीलदार के यहां नक्शा, खसरा या सारे अभिलेख किसी गलती या लोक सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा लेकिन तहसीलदार निर्णय नहीं करेगा, उप जिलाधिकारी को प्राविधानित किया गया है, इसमें यह कर दिया जाय कि यह अधिकार तहसीलदार न्यायिक को दे दिया जाय और वह इसका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र कर देगा। इसी तरह से धारा-56 में आबादी की भूमि के बारे में कहा गया है तो आज जो प्रदेश की स्थिति है, आये दिन समस्याएं आती रहती हैं। हम लोग इस बात को देखते हैं कि ज्यादातर व्यवस्था आबादी से सम्बन्धित भूमि की होती है जिसके कारण फौजदारी होती है, मार-पीट होती है यहां तक की छोटे-छोटे मामलों को लेकर तमाम हत्यायें हो जाती हैं, मेरा इसमें यह सुझाव है कि आबादी भूमि का भी बन्दोबस्त करने की व्यवस्था की जाय, उसको बन्दोबस्त करके उसका भी नक्शा बन जाय और उसका स्वामित्व निर्धारित हो जाय तो निश्चित रूप से जो आबादी की समस्यायें हैं उसको दुरुस्त करने में हमें सफलता मिलेगी। इसी तरह से धारा-67 में भी सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण को रोकने की व्यवस्था की गयी है कि उसमें कैसे लोगों को रोका जायेगा ? बेदखल किया जायेगा, निश्चित रूप से वह ठीक है लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव और है कि आये दिन चाहे तो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, चाहे रास्ता है आप भी जानते होंगे मान्यवर, ग्रामीण रास्तों पर अधिकांश अतिक्रमण हो जाता है, सड़कों के किनारे अतिक्रमण हो जाता है, हम इसमें यह व्यवस्था भी करना चाहें कि इस तरह की जो भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है चाहे वह तालाब हो, चाहे सार्वजनिक रास्ता हो चाहे वह अन्य इस तरह की कोई विद्यालय की भूमि हो, चाहे किसी भी तरह की सार्वजनिक भूमि हो, इसमें अतिक्रमण न होने पाये, इसके लिए तहसीलदार या थानाध्यक्ष को, एस0डी0एम0 को किसी एक को जिम्मेदार भी ठहराया जाय कि अगर इसमें अतिक्रमण होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी होगी और वह उसके लिए दोष का भागी बनेगा। मान्यवर, इसी तरह से धारा-94 में किसी भूमिधारी को उसका पट्टा

देने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है कि अपनी भूमि का वह पट्टा नहीं दे सकता है उसमें सिवाय शब्द जोड़ कर यह लिखा गया है कि (क) धारा-95 या धारा-96 में उपबन्धित मामलों में या (ख) कृषि में प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को, मान्यवर हमारा यह सुझाव है कि इसमें आज प्रदेश में लोगों को शिक्षित करने के लिए भी भूमि की अति आवश्यकता होती है और अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि शिक्षण संस्थाओं को भी पट्टे पर चाहे तो इसमें 'क' और 'ख' की तरह 'ग' बढ़ा कर अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी इसमें समावेश कर दिया जाय। धारा-94 में दिया गया है कि कोई भी भूमिधर या आसामी अपनी जोत या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा सिवाय क धारा-95 या धारा-96 में उपबन्धित मामलों में या 'ख' कृषि में प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को। मेरा सुझाव है इसमें 'ग' जोड़ कर अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी शामिल कर दिया जाय। मान्यवर, इसी तरह से हमारा सुझाव है कि धारा-108 में हमने इस बात की व्यवस्था की है कि किस तरह से विरासत दर्ज होगी ? और किस व्यक्ति का कैसे विरासत दर्ज होगा, इसमें दिया गया है तो इसमें मेरा कुछ संशोधन का प्रस्ताव है, हम अमूमन यह देखते हैं, हम पूरे देश में इस बात की चर्चा करते हैं और परिवार नियोजन पर जब चर्चा आती है तो उस पर भी हम इस बात पर विशेष बल देते हैं, भ्रूण हत्या का जब मामला आता है तो उसमें भी हम इस बात पर बल देते हैं कि बालक या बालिकाओं को समान अवसर मिलना चाहिए लेकिन इसी में यह जो उत्तराधिकार का कानून इसमें दिया गया है कि किसी पुरुष व्यक्ति का जो उत्तराधिकार है वह किस तरह से निर्धारित होगा उसके धारा-108 के (2) में उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्यधीन पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं अर्थात् (क) विधवा और पुत्र-पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार, परन्तु किसी पूर्व मृत पुत्र के पुत्र और विधवा चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता। मान्यवर, उसके बाद माता और पिता लिख दिया गया, अमूमन यह होता है मान्यवर कि अगर किसी व्यक्ति के अविवाहित पुत्री है और उसको हक में बाद में दिया गया है माता-पिता के पास जब आ जाता है तो उसके जो जीवित पुत्र हैं वह उनको हस्तांतरित कर देता है जो उसकी पुत्री हैं उनको वह अधिकार नहीं मिल पाता इसमें अविवाहित पुत्री को माता-पिता के बाद स्थान दिया गया है मेरा यह सुझाव है कि 'क' के बाद जो 'ख' हो उसमें अविवाहित पुत्री और पुत्र की पुत्री अगर उसका पुत्र कोई रहा हो और पहले मर गया हो तो उसकी पुत्री को इसमें समाहित कर दिया जाय 'क' में क के बाद 'ख' में अविवाहित पुत्री और पुत्र की पुत्री को 'ख' में कर दिया जाय और माता और पिता को उसके बाद में अवसर दिया जाय 'ग' में और इसके बाद फिर 'घ' में मान्यवर, पुत्री का पुत्र, पुत्री के पुत्र को मान्यवर, बहुत नीचे कर दिया गया है, मान्यवर, इसके बाद फिर 'घ' में पुत्री के पुत्र को बहुत नीचे कर दिया गया है और दिक्कतें यह भी आती हैं कि किसी को पुत्र नहीं है और वह पुत्री को साथ रखता है तो उसका, पुत्र वह समझकर सारी सेवा सुरक्षा में लगता है कि हमें इसकी सम्पत्ति प्राप्त होगी। लेकिन अगर पुत्री पहले मर गयी और उसका

पुत्र बचा रहा और उसका नाना बाद में मरा है तो निश्चित रूप से जिसने सेवा की है, उसको देखते हुए विवाहित पुत्री के पुत्र को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये। उत्तराधिकार के मामले में इस प्रकार का भी संशोधन कर दिया जाय यह हमारी मांग है। इसी तरह से मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इसमें आप सुधार करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी चाहत है कि विवाद कम से कम हों, आपस में जो सौहार्द्र की भावना गांव में बनी रहती है वह कम न हो तो निश्चित रूप से आपको इस काम में सफलता मिलेगी। यह सुझाव देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी कानून अगर बनता है तो हमारी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ न कुछ चीजें उसमें छूट जाती है। उनको ध्यान में रखकर मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति को इसे सुपुर्द करने का, आप उसमें स्वयं सहमत होते हुए यह कहेंगे कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। मान्यवर, उस प्रवर समिति में निश्चित रूप से जब इस पर चर्चा होगी तो 15-20 दिन के बाद एक अच्छा नियम बनाकर यहां पर लाने में आप सफल होंगे। मान्यवर, आप देखें कि एक दिन में हम लोगों ने 30 संशोधन उपस्थित करने में सफलता अर्जित की है। प्रवर समिति के माध्यम से इसमें काफी सफलता आपको अर्जित होगी और हम इस विधेयक को लाने के पीछे जो उद्देश्य है उसमें सफल होंगे। इस अपेक्षा के साथ, प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बल देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, निश्चित रूप से एक बहुत ही क्रांतिकारी विधेयक पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहां आज एकत्रित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी के प्रयास की सराहना भी करूंगा। कल एक बैठक में मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला था। उसमें हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर ली है मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक दो बातें जो रह गयी हैं उन पर कहूंगा। मान्यवर, कोई भी कार्य है उसमें उद्देश्य होना चाहिए कि न्याय सस्ता हो निर्धन व्यक्ति के लिए और वादकारी का हित सुनिश्चित हो यही नारा है। कानून सरल हो यह भावना भी रहती है। मान्यवर, इसमें बहुत से पुराने मामले वादकारियों के पड़े हुए हैं। वह उसी तरह से चलते रहेंगे। यह इसमें कहा गया है कि ऐक्ट आने के बावजूद वह चलते रहेंगे। अब जैसे 115-सी0 का मामला है, कुछ टेक्निक्लटीज भी है कि इवीडेंस ऐक्ट है सी0आर0पी0सी0 है वह उसमें है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कुछ समरी कार्यवाही से समाप्त हो सकते हैं। 115 सी0 के मामले 15-20 साल से लम्बित चल रहे हैं। उनमें यह ऐक्ट आने के बाद काफी परिवर्तन होगा। अब जैसे आबादी होगी तो वह उसमें पा जायेगा। मेरा कहना है कि 115-सी0 की जो कार्यवाहियां चल रही हैं उनको समाप्त करने पर आप विचार करें। ऐसी रूल में व्यवस्था की जाये। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि खसरा खतौनी की बात आती है, तो इसमें जो खतौनी है उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए। ताकि किसान की खतौनी में सारी इन्ट्रियां क्लियर रहें। मानचित्र की बात है उसको भी दर्ज किया जाना चाहिए। तो मेरा कहना है कि सारी बातें उसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो जानी चाहिए। ऐसा होने से

किसान घर बैठे हुए अपने खेत की पैमाइश करा सकते हैं। मान्यवर, विधान सभा में भी इस पर प्रश्न उठाये गये हैं। आबादी के मानचित्र के सम्बन्ध में आश्वासन समिति में भी यह मामला आश्वासन के रूप में है हम लोग उसमें काफी जोर देते हैं। इसमें यह कहना है कि इसमें आपको व्यवहारिक रूप से जाना चाहिए यह आवश्यक है। इससे प्रदेश की बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की जो दिक्कतें हैं वह ठीक हो सकती हैं। आप ट्रायल के रूप में इसे कुछ जिलों में करके देख लें अगर सफलता मिलती है तो उसे ऐक्ट के माध्यम से शामिल करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात है जो पुलिस का हस्तक्षेप होता है। जो आप यह ऐक्ट बनाने जा रहे हैं, जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पुलिस वाले परेशान करते हैं। खूंटा, नाद-ऐसे छोटे-छोटे मामले में पुलिस वाले उन्हें फंसाते हैं। इसमें तहसीलदार को काफी पावर दी गयी है। मान्यवर, एस0डी0एम0 का आदेश जाता है कम्पलाइन्स के लिए, तो इसमें जो तहसीलदार को भी रखा गया है तो इसमें तहसीलदार के आदेशों का भी पालन कराया जाय। यह ठीक है कि वह बात स्वयं अपने विवेक से न हो। इसमें एस0डी0एम0 के साथ-साथ तहसीलदार के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराने पर आप विचार करेंगे। मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा प्रवर समिति को संदर्भित करने के हेतु दिये गये सुझाव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिया था। उन्होंने अपनी बात कह दिया। इसमें दो तरीका है या तो इस पर पूरी चर्चा होती रहे एक बात अन्यथा इस पर सरकार की तरफ से उत्तर ले करके।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस पर सबको अवसर दे दें, तो ठीक रहेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, हलाल करो, झटका नहीं।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर इधर से भी माननीय सदस्य बोल लें, मंत्री जी बाद में बोलेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना यह है आपसे कि संशोधन पर और विधेयक पर पूरी चर्चा एक साथ करा लें प्रश्न आप एक साथ प्रस्तुत कर दीजिएगा। चर्चा टुकड़े-टुकड़े में हो यह उचित नहीं है एक साथ कर लें हम तैयार हैं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह ऐसा विधेयक है जिसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी रेखा न बांधी जाय कि कौन इसके पक्ष में बोलेगा कौन विरोध में बोलेगा, इसके विरोध में कोई है नहीं, सुझाव है, आपने भी सुझाव दिये, हम भी सुझाव दे रहे हैं। मौर्य जी ने भी सुझाव दिया,

सुझाव उनका यह था कि प्रवर समिति में सौंप देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और विस्तार से विचार हो जायेगा। लेकिन नीतिगत कोई विरोध इसका नहीं हुआ। हालांकि कल बहुत विस्तार से चर्चा हो गयी थी लेकिन इसका एक पक्ष रह गया था माननीय मंत्री जी को कहीं जाना था समय नहीं था आपके पास समय का थोड़ा अभाव रहा बाकी निरसन का प्रस्ताव आप ले आइये। ऐसे भी महत्वपूर्ण कानून है हमारे पास जो सारे के सारे किसानों को प्रभावित करता है। अगर उस कानून में कोई संशोधन या उस पर विचार न हो तो आपका सारा प्रयास सार्थक नहीं सिद्ध होने वाला है। चकबन्दी ऐक्ट है, अब चकबन्दी ऐक्ट जहां-जहां लागू हो गया इस कानून का वहां पर कोई वास्ता नहीं रह गया जब तक वह चलेगा ? वह दो साल चले, वह दस साल चले, वह बीस साल चले। कई क्षेत्र ऐसे हैं 30 साल से वहां यह कानून चल रहा है और सभी कृषक वहां पर त्राहि-त्राहि मचाए हुए हैं। वहां पर किसी और अधिकारी को कोई अधिकार रह नहीं जाता है, न एस0डी0एम0 को रह जाता है न तहसीलदार को रह जाता है और जिस प्रकार का काडर वहां पर है, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता जिस प्रकार की मानसिकता वहां पर है, शनैः-शनैः जिस प्रकार की मानसिकता वहां पर विकसित हो गयी है उसके बाद में जब उन लोगों को हम रिलीफ नहीं दे सकते, उनको छुटकारा नहीं दिला सकते तो हमारा यह सारा प्रयास निरर्थक ही सिद्ध हो जायेगा। माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं यहां पर प्रवर समिति का सुझाव और सार्थक हो जाता है कल भी हम इस पर विचार करने वाले थे और आज फिर मैं इस बात पर बल देता हूं। कठिनाई क्या है, दो कठिनाई है एक कठिनाई तो यह कि जब चकबन्दी ऐक्ट का नोटिफिकेशन हो गया सारे अधिकार चकबन्दी अधिकारी में निहित हो गये। हमारे राजस्व के अधिकारी या सिविल कोर्ट सबके सब बाधित हो गये वह अमल नहीं कर सकते। वहां पर जाने के बाद आप अवगत हैं इस बात से कि मालियत एक ऐसा शब्द है कि इस मालियत के माध्यम से छोटे-छोटे किसानों को वंचित कर दिया गया उनकी जोत से। वह सड़क पर घूम रहे हैं अगर किसी की 50 पैसे की मालियत लगा दी एक रुपये की मालियत से तो घटकर उसकी जमीन 10 बीघा से 2 बीघा रह गयी और जो भूमाफिया थे जिनके पास साधन थे इसी के माध्यम से वह 10 बीघा के बजाय 100 बीघा के किसान बन गये जब यह बन जायेगें तो उसके बाद हम कोई कानून लाते रहें, उनका तो हम कुछ भला कर नहीं पायेंगे। इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह यह है कि इस संवेदनशील मामले पर विचार कर लें और यह विचार बहुत सूक्ष्म में हो सकता है। अगर आपने केवल आधा घंटे का समय दे दिया होता तो आपको हम यह सुझाव देते कि चकबंदी आनी चाहिये लेकिन फारमेटरी कानून है। डेवलपमेंट ऐक्ट है, किसान का जब चक इकट्ठा हो जायेगा, सिंचाई के साधन उसको अलग-अलग नहीं करने पड़ेंगें, आने जाने का साधन हो जायेगा, नाली बन जायेगी, पानी देने के लिये, यह चकबन्दी का एक उसूल है। इसमें भी, इसके माध्यम से आप ला सकते थे, यह सारा अधिकार जो आज आपने दिया है परगनाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर कहिये या उप जिलाधिकारी कहिये उसको, जिस तहसील में चकबन्दी का नोटीफिकेशन होना है उस तहसील की चकबंदी का अधिकार भी उन राजस्व अधिकारियों को मिल जाय और वही इस रूप में काम करें। नायब तहसीलदार ए0सी0ओ0 के रूप में काम करेगा, तहसीलदार एस0सी0ओ0 के रूप में काम करेगा, उप जिलाधिकारी एस0ओ0सी0 के रूप में काम करेगा तब है क्या, चूंकि मैं कोई रोल माडल नहीं बनाना चाहता लेकिन हमारे जनपद में

पिछले 25 साल से चकबंदी चल रही है और कुछ तहसील ऐसी हैं, आप बैठे हैं, आपको भी जानकारी होगी, हमारे कश्यप साहब बैठे हैं यहां ? जो बंदोबस्त अधिकारी हैं वह एक तहसील का एस0डी0एम0 भी है, जिस तहसील का एस0डी0एम0 है, वहां चकबंदी है नहीं। जिस तहसील में चकबंदी है, वहां के एस0डी0एम0 को आपने अधिकार नहीं दिया, अगर उसको बंदोबस्त अधिकारी बना दिये होते तो वहां की सारी की सारी वास्तविकता से वह अवगत रहता, बाहर जो सबसे महत्वपूर्ण तहसील जो उस जनपद की है, वहां का वह एस0डी0एम0, उसके पास समय नहीं है। समय जितना मिल जाता है, उसमें वह काम करता होगा। परिणाम है कि वहां का किसान आज त्राहि-त्राहि मचाये हुये हैं और यह केवल एक तहसील की बात मैं नहीं कह रहा हूं वास्तव में अगर रिफार्म लाने हैं तो रिफार्म इन-टोटेलटी आने चाहिये। सर्वांगीण आने चाहिये, पीसमील में नहीं आने चाहिये। इसलिये मेरा एक सुझाव तो यह है और मैं चाहूंगा कि जिस भावना से मैंने यह सुझाव रखा है, उसी भावना को दृष्टिगत रखते हुये आप उस पर विचार करेंगे और उन किसानों को मुक्ति दिलायेंगे, उस भ्रष्ट विभाग से, जिन्होंने शोषण करके मान्यवर, किसानों को ऐसा कर दिया है। आज मेरे यहां हत्यायें क्यों हो रही हैं, मान्यवर, मेरे आंखों में खून उतरता है, इस बात को देख करके, कि यदि इन हत्याओं की जांच करा लें कभी भी, तो उन हत्याओं के लिये केवल चकबंदी विभाग जिम्मेदार है ? जिन लोगों को उन्होंने सड़क पर धकेल कर रख दिया है, वह हत्यायें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और कोई एक सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है , जिम्मेदार कहीं ज्यादा मैं भी हूं इसके लिये, मैंने तब भी इस बात के लिये बल दिया लेकिन आज क्योंकि यह विधेयक आ गया तो आज इस बात को कहने का अवसर आया, मैं ज्यादा खड़ा भी इसीलिये हुआ था कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। प्रवर समिति को चला जायेगा, 15 दिन में, एक महीने, दो महिने में रिपोर्ट आ जायेगी उसका भी समावेश इसमें हो जायेगा तो बारे प्रदेश के किसान राहत महसूस करेंगे आपको बधाई देंगे इस बात के लिये कि आपने इतना अच्छा काम किया है, उसमे दो संशोधन यह आप और कर दीजिये, यही मैं सुझाव देना चाहता हूं।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

मान्यवर, एक सुझाव देना है। यह राजस्व संहिता विधेयक जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह आज उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, कारीगर गांव में रहने वाले सभी के लिये बहुत आवश्यक है। जैसा कि शुरू-शुरू में राजस्व मंत्री जी ने स्वयं बताया कि यह 1-4-1970 को पहली बार आया था कि 1950 में जो जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना। उसमें आपने देखा है कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार, परिस्थितियोंवश, सामाजिक आवश्यकतावश विभिन्न परिस्थितियों में कई संशोधन हुये, (इस समय 1 बजकर 59 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) 50 संशोधन से ज्यादा हुये और इतने संशोधन हो गये इतने सप्लीमेंटरी ऐक्ट बन गये और ऐसा लगने लगा कि यह लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट उत्तर प्रदेश का जटिल टाइप का ऐक्ट हो गया। जैसा कि विधेयक में स्पष्ट है कि कुछ ऐक्ट हमारे ऐसे हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। जब वह लागू थे अनुसूची प्रथम में आप देखेंगे तो राजा ऐक्ट, 1911, द गोरखपुर गोरेट्स ऐक्ट 1919, यह सब अब आवश्यक नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रह गये हैं लेकिन राजस्व ऐक्ट की किताबों को देखेंगे तो तमाम किताबों में आपको यह मिलेंगे, इनको निरसित करने की बहुत आवश्यकता है। इन सारी चीजों को समाविष्ट करने का प्रयास हमारे राजस्व मंत्री जी ने किया है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक, जिसे लाने के लिए 1970 से विचार हो रहा है, फिर विधान सभा ने 1977 में एक प्रवर समिति का गठन किया, उसने भी विचार किया। वर्ष 1980 में पुनः विधान सभा की ओर से प्रवर समिति का गठन हुआ और 1980 में जो प्रवर समिति बनी थी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक के सम्बन्ध में, उसमें मुझे भी एक सदस्य के रूप में रहने का मौका मिला था। दो साल तक वह प्रवर समिति लगातार सारे पिछले हमारे जो कानून थे, उनका अध्ययन करते हुए, तात्कालिक क्या आवश्यकता है उसको देखते हुए एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था। वह पेश भी हुआ था, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य बराबर इस पर अपनी राय प्रकट करते गये, जिसके कारण वह विधेयक पास नहीं हो पाया। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि आज परिस्थितियां बदल गयी हैं। हमने देखा कि जो 1980 में प्रवर समिति बनी थी और उसने जो प्रारूप तैयार किया था, यह प्रारूप है उसी तरह का, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, बाजपेयी जी, राम गोविन्द चौधरी जी, यह सभी इस विधेयक को बहुत पहले से जानते हैं और इस विषय का संज्ञान इनको है और कुछ संशोधन करते हुए उसे पुनर्स्थापित किया गया है, मैं विरोध की बात नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता इसी से आप समझें कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में सभी दलों के नेताओं की कल एक बैठक बुलायी और छः घण्टे तक जो बैठक चली, उसी छः घण्टे में इस विधेयक में 30 संशोधन माननीय सदस्यों ने सुझाये। मैंने जब एजेण्डा पढ़ा तो हम माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, कि हमें ऐसा आभास हुआ कि कल जो बैठक हुई उसमें वाकई में एक विचार था कि सबकी राय सुनकर इसे प्रस्तुत किया जाए और यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसमें संशोधन भी करें और जो आवश्यक विचार दिया माननीय राय साहब ने, माननीय हुकुम सिंह जी ने, मैं भी कल उपस्थित था, इन सारे सुझावों का समावेश, विधेयक के साथ जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है, उसमें हुआ है। पूरे सदन ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हुकुम सिंह, राय साहब और लालजी वर्मा जी, सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और भी बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं और उन सुझावों से शायद यह सदन सहमत होगा कि उसका समावेश इस विधेयक में नहीं किया गया है। मेरे दिमाग में भी कल एक बात आयी थी लेकिन समय की कमी के कारण उसे नहीं रख सका था, इस विधेयक की धारा-64 (1) धारा-63 में निर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाए, इसके (क) में है कि "ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से सम्बन्धित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर" इनको प्रथम वरीयता दी गई है, लेकिन इसमें इतने लोगों का समावेश किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, सामान्य वर्ग के अन्य लोगों को कारीगर, सभी को सम्मिलित कर लिया गया। इसका निर्धारण गांव सभा की बैठक में होना बड़ा मुश्किल हो जायेगा कि इन वर्गों में से किसको वरीयता दी जाए। अब आगे लैण्ड के आवंटन में या पट्टा के लिए किसको वरीयता दी जाए,

इसको सब एक साथ जोड़ दिया गया है। पहले जो जमींदारी एबॉलिशन ऐक्ट था या उससे संबंधित नियमावली थी उसमें थी वरीयताक्रम था कि पहले वीकर सेक्शन को, जो सबसे कमजोर वर्ग है हमारे समाज का, पहले उस भूमिहीन को वरीयता देंगें, फिर द्वितीय वरीयता क्रम को इस तरह से एक वरीयता क्रम था। उसमें इस धारा में हमने वरीयता क्रम को नहीं पाया। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बहुमूल्य सुझाव रख रहे थे, कल मेरे दिमाग में यह बात आयी थी चूंकि कल थोड़े समय के लिए बैठक थी, इसलिए कल भूल हो गयी मैं इसको नहीं रख सका था। इसलिए मान्यवर, आपकी आज्ञा से इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसका वरीयता क्रम अवश्य निर्धारित कर दें कि किसको प्राथमिकता मिलेगी, पहले इसका क्रम निर्धारित हो जाना चाहिए नहीं तो समाज में लैण्ड आवंटन में लड़ाई-झगड़ा व छीना झपटी होगी और जो जबरदस्त होगा वह उसका पट्टा करा लेगा, कमजोर आदमी उस पट्टा को नहीं करा पायेगा। जो हमारा उद्देश्य है आज गरीब वर्ग को, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, भूमिहीन इनको प्राथमिकता दें, वह हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी तरह मान्यवर, एक बिन्दु पर और कहना चाहता हूं कि राजस्व परिषद् का विरोध नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजस्व परिषद् का अधिकार छीन लिया गया, वहां जाना चाहिए था। मैं माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आबादी लैण्ड का एलाटमेंट है, किसी को एक बिस्वा जमीन दी गयी वह इस पर गुजर-बसर करे, मकान बना ले, छप्पर डालकर रहे और उस पट्टे का मुकदमा लड़ने-लड़ाने वाले जबरदस्त लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक लड़वा रहे हैं, राजस्व परिषद् तक लड़वा रहे हैं। अपील दर अपील, दर अपील, फिर रिवीजन और उस एक पट्टे के निस्तारण में 10 साल 15 साल लग जाता है चाहे आबादी का पट्टा हो चाहे जोत के लिए पट्टा हो। अनावश्यक रूप से अब हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी गरीब को 5 बिस्वा जोत के लिए आवंटन है, किसी को 10 बिस्वा, किसी को 7 बिस्वे का है लेकिन इतना सिलसिला चलता था मुकदमें का कि सी0आर0ओ0 के यहां चल रहा है, सेशन, कलेक्टर के यहां, कमिश्नरी जा रहे हैं, रिमाण्ड हो रहा है, फिर रिमाण्ड का फैसला हो रहा है, फिर कमिश्नर के यहां जा रहे हैं फिर वहां रिवीजन में चला आया। अब रिवीजन में मामला चलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी कठिनाई है। भूमि का पट्टा या जोत का पट्टा से संबंधित छोट-छोटे मुकदमें लड़ने के लिए लोगों को लखनऊ आना पड़ता था। इसका निस्तारण आयुक्त तक हो सकता है और जिले के स्तर पर कुछ निस्तारण करने की कोशिश इस ऐक्ट में की गयी है। इससे गरीब लोगों को सुविधा है, कमजोर वर्ग के लोगों को सुविधा है। जो मुकदमा लड़ाकर किसी को वंचित रखना चाहते हैं इसमें से उसे हटाया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत जोर नहीं देना चाहिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक हर मुकदमें को खींचे। एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जो हमारी पुरानी आबादी है। गांव में रहते हैं मां-बाप की जमीन है उसके इतने बंटवारे हो गये हैं, इतने मकान बन गये हैं कि भाई-भाई में एक-एक लट्ठा जमीन के लिए, एक-एक गज जमीन के लिए लड़ाइयां होती हैं। आबादी का बन्दोबस्त 1342-43 में हुआ था। काफी दिनों तक 1342 का जो नक्शा बना था उसी से झगड़ों का निपटारा हो जाया करता था। लेकिन यह जो 1343 का बन्दोबस्ती नक्शा था वह इतने दिनों बाद अब कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसलिये जहां हम जोत के संबंध में व्यवस्था कर रहे हैं, चकबन्दी के संबंध में व्यवस्था कर रहे हैं उसी के साथ-साथ जो आबादी लैण्ड है

उसका भी सर्वे करा कर, उसका नक्शा बनाकर इस संबंध में व्यवस्था की जानी चाहिये, कागज तैयार किये जाने चाहिये जिससे बहुत से मामलों का निपटारा मौके पर हो जाएगा और सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मान्यवर, कभी-कभी यह होता है अगर दो काश्तकार लड़ गये, जो काश्तकार जबरदस्त होता है वह जबर्दस्ती करता है और जो कमजोर व्यक्ति है उसकी एक लाठी जमीन में दखल करके कब्जा कर लेता है। इसी तरह से सड़कों के किनारे जबरदस्त लोग छोटे किसान की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और मकान बनने नहीं देते हैं और जबरदस्ती कब्जा करते हैं। इसकी नाप के लिये जब गरीब आदमी थाने में जाता है तो वहां कहा जाता है नाप नहीं है। जब तहसील में जाता है तो कहा जाता है हदबन्दी करिये, पथरगड्डी कराइये इन सब चीजों में बहुत वक्त लगता है। तो छोटे-छोटे जो मामले हैं उसमें तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 को यह अधिकार होना चाहिये कि वह ऐसे छोटे-छोटे मामलों में मौके पर जाकर नाप दें जिससे कि यह छोटे-मोटे झगड़े समाप्त हो सकते हैं और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा हो सकती है। यह जो विधेयक लाया गया है इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी विचार करने की आवश्यकता है आप बहुत झटके में यह बिल पास कराने जा रहे हैं। इस पर 1970 से विचार कर रहे हैं और एक मत अभी नहीं हो पाये हैं। बहुत सी चीजें हमारे संज्ञान में आ रही हैं माननीय सदस्यों द्वारा, तो यह जो बिल पेश हुआ है उसका सभी माननीय सदस्य समर्थन करते हैं बिल का विरोध नहीं है लेकिन इसके प्राविधानों में जो खामियां रह गयी हैं और इस संबंध में जो नये-नये सुझाव आ रहे हैं उनका समावेश करने की आवश्यकता है। 1950 में माननीय चौधरी चरण सिंह के समय में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना था उसमें छः महीने में, एक साल में कई संशोधन करने पड़े थे। आज जो राजस्व संहिता विधेयक आप लाये हैं इसको बहुत जल्दबाजी में पास कराने जा रहे हैं तो इसको जल्दबाजी में पास न करें कि फिर आपको तीन महीने के अन्दर संशोधन करने पड़े। इसको सुव्यवस्थित ढंग से विचार-विमर्श करके पास करें। एक प्रवर समिति बन जाये जिसमें विधान परिषद् के माननीय सदस्य हों, इसमें विधान सभा के माननीय सदस्य हों, एक बड़ी कमेटी बन जाये जिसमें यह विधेयक भेज दिया जाये, जहां पर इसकी हर धारा पर विचार हो।

कल 6 घंटे इस पर चर्चा हुई थी और उसमें काफी सुझाव आये थे उन सुझावों का समावेश हो गया अगर कल बैठक न हुई होती तो हम लोगों के सुझाव न आ पाते।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर आपके सुझाव न आते तो हम बिल न लाते।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि इसको जल्दबाजी में पास न करायें राजस्व मंत्री जी ने कल कहा था कि हमें इसे कल ही पेश करना है और कल ही पास कराना है लेकिन मेरा सुझाव है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय उसमें जो बहुमूल्य सुझाव आयें उन पर विचार करते हुये इसमें संशोधन कराने की कृपा करें।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने वास्तव में क्रांतिकारी कदम उठाये हैं। मैं दो सुझाव देना चाहता हूं अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिये देना चाहता है तो उससे भी यह कहा जाता है कि इसमें राज्यपाल के नाम बाकायदा बैनामा करो। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि बरात घर के लिये गांव में जमीन दी गई क्योंकि ग्राम सभा के पास जमीन नहीं थी। तो गांव वालों ने राजी करके किसी व्यक्ति को तैयार कर लिया तो अब उससे कहा जा रहा है कि आप बैनामा करिये स्टाम्प शुल्क लगाइये तो एक तो कोई अपनी जमीन दे उसके बाद बैनामा में इतना पैसा खर्च करे इसको देख लें। दूसरी बात जो जोत की खेती है वह चकबन्दी में आती है लेकिन आबादी की जमीन पर भी एक बार हदबन्दी हो जाय तो जो जरा-जरा सी जमीन के लिये लाठी डण्डे चल जाते हैं वह बन्द हो जायेगा। मैंने दो सुझाव आपके सामने रखे हैं यदि उचित लगे तो इसे प्रवर समिति को सौंप दें जिससे उसमें इस तरह की सारी बातों का समावेश हो सके इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इतना परिश्रम करके इतना महत्वपूर्ण विधेयक जो पिछले 36 सालों से उपेक्षित था वर्ष 1970 में यह महसूस किया गया था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधेयक में संशोधन लाया जाय इसमें इतने संशोधन आये जिससे अधिनियम की मूल भावना ही समाप्त हो गयी थी। इसलिये नये अधिनियम की कल्पना की गई और 1970 के बाद जो भी सरकारें रहीं उन्होंने इस पर विचार किया कई बार इस पर प्रवर समिति का गठन हुआ प्रवर समितियों ने गम्भीरता पूर्वक विचार किया और ऐसी धारायें जोड़ी जिससे यह काफी बल्की दस्तावेज बन गया। कैसे इसको सरलीकृत किया जाय और सरलीकृत करके आम जनता को न्याय दिलाया जाय इसके लिये राजस्व मंत्री जी ने प्रयास किया है और इसी क्रम में राजस्व संहिता विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है। उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इसे तैयार किया है मैंने इसको देखा है इसमें कहीं कोई ऐसा बिन्दु नहीं है जिस पर आपत्ति हो यह बात दूसरी है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब प्रवर समिति को सौंपने के पक्ष में अपनी बात कही तो उस वक्त उन्होंने तुलसी दास को भी उद्धृत किया तुलसी दास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस विधेयक में कहीं कोई कमी नहीं है केवल भावना का प्रश्न है। इस विधेयक में सभी चीजों को निष्पक्ष रूप से पारदर्शी ढंग से इतने अच्छे ढंग से रखा गया है कि कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पर प्रवर समिति को सौंपने की बात है पिछली सरकारों में उस समय के मंत्रियों ने सदस्यों ने इस पर गम्भीरता पूर्वक बैठकर इस पर विचार किया था और विचार करने के बाद जो दस्तावेज आया है उसमें अब और विलम्ब नहीं करना चाहिये। अगर अब प्रवर समिति को सौंपा गया तो पता नहीं कि इस विधान सभा के समक्ष यह विधेयक आ पायेगा कि नहीं इसमें पिछले 36 वर्षों से विचार चल रहा है और और विलम्ब करने का औचित्य नहीं है। कल ही इस पर बैठक हुई और काफी विचार-विमर्श किया गया आज जो सुझाव आयेंगे उन पर भी विचार किया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में इसको प्रवर समिति को सौंपे जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इतने समय में इस पर काफी विचार-विमर्श हो चुका है हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि 58 कार्य दिवस इस पर चर्चा हुई थी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जब मूल विधेयक की संरचना हुई थी उस समय 58 कार्य दिवस इस पर चर्चा हुई लेकिन अब तो 36 वर्ष पश्चात् जबकि 36 वर्ष तक इस पर काफी विचार-विमर्श हो चुका है तक इसको लाया गया है। मान्यवर, किसी भी दस्तावेज का एक अंतिम रूप नहीं हो जाता। समय पर आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है तो संशोधन किये जाते हैं। लोकतंत्र में यह निश्चित नहीं है कि यही अंतिम दस्तावेज होगा। यही मानकर एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है कि उसके तमाम उपबन्ध और तमाम अनुच्छेद समाप्त हो जायेंगे कि ऐसी सुरक्षित व्यवस्था हो जायेगी कि वादकार को आसानी से न्याय मिल सकेगा। काफी लम्बे समय तक वाद लम्बित रहते थे इस विधेयक के द्वारा उनके निस्तारण की प्रक्रिया का सरलीकरण हो जायेगा। जो लोगों को न्याय विलम्ब से प्राप्त होता था अब वह आसानी से प्राप्त हो सकेगा। कितने सालों तक वाद लम्बित रहते थे अब उनका जल्दी से निर्णय हो जायेगा। राजस्व परिषद् के अधिकारों की कटौती करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों का यही सोचना है कि इससे राजस्व परिषद् के अधिकारों में कटौती हो जायेगी। इससे यह आसानी हो जायेगी कि छोटे-छोटे जो गरीब वादकार होते थे उनको न्याय मिलने में बहुत समय लगता था क्योंकि प्रभावित लोग उसको एक अदालत से दूसरे और तीसरे में ले जाते थे और गरीब इन्सान इसमें टूट जाता था न्याय के लिये चक्कर लगाते-लगाते वह राजस्व परिषद् की दौड़ नहीं लगा पाते इसलिये ऐसे मामलों को राजस्व परिषद् में ले जाने का औचित्य नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री ने बहुत विचार करके इसको अच्छे ढंग से तैयार किया है। पिछली सरकारों के समय से ही यह तैयार होता रहा है उसमें भी प्रवर समितियां बनी हैं और इस पर चर्चा हुई है। यह काफी व्यापक रूप से विचार करने के उपरान्त तैयार हुआ है। सभी सरकारों के कार्य-काल में प्रवर समितियों में इस पर विचार हुआ है इसलिये यह सर्वदलीय और सर्व अनुमति से बना विधेयक है। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं हैं इसको सर्वसम्मति से पारित कराने का विरोध सिर्फ इसलिये नहीं किया जा सकता कि हमको विरोध करना है तो हम अच्छी चीज का भी विरोध करें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिये। प्रदेश हित में इसको सर्वसम्मति से पास कराना चाहिये।

*श्री राम कृपाल-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्व संहिता विधेयक पास कराया जा रहा है यह क्रांतिकारी कदम है लेकिन हमारे कुछ सुझाव भी हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा दिया जाता था, 122 बी (4) का जो लाभ दिया जाता था उसको समाप्त न किया जाय इसको पूर्व की भांति ही रखा जाय। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार के प्रति जनता में निराशा पैदा हो जायेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि जिस तरह के यह अधिकार पहले प्राप्त थे उनको उसी तरह से रहने दिया जाय तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार की छवि जनता में अच्छी होगी और सरकार के प्रति लोगों में निष्ठा होगी जिस तरह से 122 बी (4) में अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था उसको कलेक्टर की परमीशन लेनी होती थी वह पूर्व के अधिकार निहित होने चाहिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं उत्तर बाद में दूंगा लेकिन यहां पर इस बिन्दु को स्पष्ट कर दूं ताकि बार-बार वह न उठाया जाय। 122बी(4) की जितनी व्यवस्था थी वह कोई भी परिवर्तित नहीं हुई हैं। जो पहले यह अधिकार था उसी तरह से रहेगा। मौर्या जी भ्रम फैला रहे हैं।

*श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, जो विधेयक राजस्व मंत्री जी लाये हैं यह सराहनीय है। मेरा एक सुझाव संशोधन का है। पहले जितने पट्टे दिये जाते थे वह प्राथमिकता पर हरिजनों को दिये जाते थे। अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो लोग आते थे उनको दिये जाते थे। लेकिन जो अत्यन्त पिछड़े लोग हैं। जिनको न रहने का पट्टा दिया गया है, न जोत का पट्टा दिया गया है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ऐसे लोग जहां रह रहे हैं वहीं जानवर भैंस आदि भी बांध रहे हैं। वहीं चूल्हा रखा है तो हरिजन के बाद उन गरीब लोगों को पट्टे दिये जाएं। चाहें वह किसी जाति के हों। चाहे वह अग्रणी जाति के हों ऐसे गरीब लोगों को पट्टे दिये जायें जिनको पहले पट्टे नहीं मिले हैं। उनको पट्टा दिया जाये।

श्री रामकरन आर्य-

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विधेयक उ0 प्र0 राजस्व संहिता विधेयक, 2006 जो लाया गया है इसका स्वागत है जो राजस्व के मामले आये दिन आ रहे हैं उच्च न्यायालय में हर जगह इसका सरलीकरण का जो यह माध्यम आया है मैं इसका स्वागत करते हुये माननीय मंत्री जी से कुछ अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से। मेरा पहला सुझाव है जैसा पहले हमारे नेता ने बात कही है अगर हम लोग अपनी निजी जमीन स्कूलों को देना चाहें मैं स्वयं देना चाहता था तो अगर हम जमीन देते हैं तो हमें बैनामा करना पड़ता है और बैनामे की राशि जो होती है वह स्टैम्प से दुगुनी देनी पड़ती है शंका हमारी यह है हमारी तमाम पुरानी संहितायें खत्म हो जाएंगी जब यह लागू हो जाएगा, इसी से हमारी पूरी कार्य पद्धति चलेगी और पूरा राजस्व का कार्यभार चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जोड़ लिया जाए कि स्कूल कालेज, धर्मशालायें हैं कोई भी व्यक्ति किसी को जमीन देना चाहे तो इस पर स्टैम्प न लगाया जाए। अगर लगाया जाए तो नामिनल लगाया जाए। एक तो वह अपनी जमीन देते हैं अगर उस पर स्टैम्प शुल्क लगाया जाएगा तो वह देने से कतरायेंगे कि एक तो हम अपनी जमीन दें और उस पर पैसा भी लगाएं तो मेरा पहला सुझाव यह था। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बहुत पहले मैं सोशलिस्ट पार्टी में था हम नारा लगाए हैं 'जो धरती को जोते, वह धरती का राजा है' हमारे मौर्या जी भी नारा लगाते थे। अब मौर्य जी जिस खेमे में हैं वह नारा लगाते हैं 'जो जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है.' वह संघर्ष से अलग हो गए। इस मुल्क में जो बड़े-बड़े लोग जमीन बेचे हुए थे, गरीब लड़ रहा था इन्होंने कहा वह लड़े, उसके लिए मत लड़ो, यह जो सरकारी जमीन है वह मिल जाए तो ले लो, कितनी सरकारी जमीन है तमाम दलितों की बस्तियां हैं आज भी बड़े लोग हैं तथाकथित उनके नाम पर है। यह जमीनें उनके नाम पर दर्ज हैं। यह बस्ती जिले के ही मामले नहीं हैं

पूर्वांचल में सर्वाधिक हैं। बैजनाथ दुबे जी आपके इलाके को जानता हूं बड़ी जातियों के लोग छोटी जातियों के लोगों को धमकाते हैं। बड़ी जातियों के भी गरीब लोग हैं उनकी भी हिम्मत नहीं है लड़ने की क्योंकि वह उजाड़ देंगे। मेरा एक निवेदन है आप सर्वे कराकर बड़े पैमाने पर जो जहां बसा है वह जमीन उसके नाम कर दी जाए। एक नियम था पहले सरकार में संहिता थी इसमें भी रहे और रहना भी चाहिए। किसी के भी नाम जमीन है वह उसके नाम कर दिया जाए। राजस्व अधिकारी पहुंच जाएं यह बड़े पैमाने पर होना चाहिए। दूसरा सुझाव है अभी बात हुई है अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता दी जाती है यह सही है इसमें माननीय स्व0 वीर बहादुर सिंह जी का मैं शुक्रगुजार हूं यद्यपि हम कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाकर ही यहां पहुंचे हैं लेकिन उन्होंने जो काम किया था, 123(2), जिसमें है कि यदि कोई दलित बसा है, वह उसके नाम कर दिया जाए, 5 साल से ज्यादा किसी बंजर जमीन पर यदि उसका कब्जा है तो उसके नाम कर दिया जाए, यह बरकरार रहना चाहिए। कुशवाहा जी ने कहा है कि कुम्हार, कहार आदि जो जातियां हैं, इनकी जो बस्तियां हैं, यह भी गरीब जातियां हैं जो अनुसूचित जातियों के समकक्ष ही हैं, उनको भी दिया जाए लेकिन अनुसूचित जातियों में कटौती न की जाए। एक समरी इसकी कर दी जाए, 1, 2, 3 ताकि यह क्लैरीफाई रहे। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि अन्य जातियों मे भी गरीब लोग हैं, इसीलिए मैं इसकी बहस करता हूं। मान्यवर, यहां पर जितने दलित विधायक हैं, उनके मन में यह बात हो सकती है कि मंत्री जी इसे पास करा लेंगे और हमारा हक चला जायेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। राजस्व मंत्री जी गरीबों की बात करने वाले हैं, मा0 मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, संरक्षण में वरिष्ट मंत्री हैं, मैं जानता हूं कि इससे किसी तबके का अहित नहीं होने पायेगा। मैंने निवेदन किया है, पुनः मैं चाहता हूं कि जो जैसा था, जो पूर्व लाभ मिल रहे हैं, वह मिलते रहें और जो मोर्डाफिकेशन हो रहा है उससे और अधिक लाभ मिलें। मैंने तो छोटी सी बात रख दिया, यहां पर बैठे तमाम लोगों के अन्दर पता नहीं कौन-कौन सी बातें होंगी, आज 20 साल से पट्टे का मुकदमा चल रहा है न भौतिक सत्यापन होता है, राजस्व अधिकारी तो करोड़ों रुपये लेकर ऐशोआराम करते हैं, वह मौके पर क्यों नहीं जाते हैं ? एक तो राजस्व कर्मचारियों, अधिकारियों ने अगवाड़ा, पिछवाड़ा पट्टा कर दिया, जो खाली पड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं, उसका भौतिक सत्यापन हो जाए। जो कृषि भूमि है, जो आवास के पट्टे हैं, उसका भौतिक सत्यापन करके बहाल किया जाए। मान्यवर, ऐसा हो जाए कि पट्टे का मुकदमा बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, यह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या एक साल तक ही चलना चाहिए, वैसे तो दो महीने में ही इसका फैसला हो जाना चाहिए, मंत्री जी आपकी भी यही मंशा है। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

*श्री मुकुट विहारी वर्मा-

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मा0 राजस्व मंत्री जी ने जो राजस्व संहिता विधेयक रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, यह जो विधेयक रखा है, उसमें शब्दों की दुरूहता और अनिश्चितता विद्यमान है यदि शब्दों की दुरूहता और अनियमितता को हटा लें तो सरलता की जो बात हो रही है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण हीं किया।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, इसमें देखें, धारा-64 में लिखा है कि 'परन्तु उसी श्रेणी के अन्तर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा,' यानी इसमें वरीयता का प्रयोग हो सकता है लेकिन अधिमान लिखा गया है। इसी प्रकार धारा-64(क) में तमाम उल्लेख कर दिया है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि क्रमशः इसमें एक प्राथमिकता तय हो पाती हो, यह दुरूहता है। अभी जोतबही का जिक्र हो रहा है, जहां भौमिक अधिकार का पूरा विश्लेषण होगा।

मान्यवर, आज गांव में सबसे ज्यादा विवाद नक्शे को लेकर होता है। जैसे चकबंदी या 21 का पर्चा जारी होता है उसमें निश्चित होता है कि इतना कट्ठा यह होगा। वह नपवा लिया जाता है। उसी प्रकार किसान बही में उसके रकबे को लिखा होता है। उसके ऊपर नक्शे का उल्लेख करके खेत का परिमाप दे दिया जाये तो बहुत सी कठिनाइयों से निजात मिल सकती है। इसलिए इसे प्रवर समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए और उस पर चर्चा करानी चाहिए।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी के बाद श्री अम्बिका चौधरी जी पहले राजस्व मंत्री हैं जिन्होंने यह साहस दिखाया है कि इसे अमली जामा पहना दिया जाये और इस विधेयक को पारित कर दिया जाये। यह सही है कि जितने भी विधेयक पारित होते हैं उसमें कुछ न कुछ कमियां हो सकती हैं क्योंकि हर आदमी के दिमाग में अलग-अलग बात होती है। राजस्व मंत्री जी ने सत्तापक्ष और विपक्ष के लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया है। 2-2 प्रवर समितियों ने अपनी संस्तुतियां दीं और इसमें उसका भी समावेश किया गया। आज भी जो सुझाव आ रहे हैं उसमें भी मंत्री जी कह रहे हैं कि उन पर भी विचार कर लेंगे। लेकिन अगर आज भी यह प्रवर समिति को चला जायेगा तो हमें लगता है कि अगर यह विधेयक इन मंत्री जी के रहते पारित नहीं होगा तो यह जल्दी पास होने वाला नहीं है क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज जो परिस्थिति है क्या आगे वह परिस्थिति होगी या एक वर्ष बाद वह परिस्थिति होगी या दूसरी परिस्थिति हो जाएगी। आज जब अमली रूप में यह विधेयक आया है इतनी मेहनत के बाद सारे लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद यह विधेयक लाया गया है तो इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी को सुना जाये और इसे सर्वसम्मिति से पारित किया जाये और इस ऐतिहासिक विधान सभा में ऐतिहासिक विधेयक पास किया जाये।

*श्री भगेलू राम-

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व संहिता विधेयक पर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संशोधन प्रस्तावों पर बल देने के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 123(1) और 123(2) की जो व्यवस्था थी उसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। 123(2) में जो व्यवस्था थी उसमें गरीब जातियों के लोगों के लिए जो व्यवस्था थी उसमें भी संशोधन किया गया है अगर यह अधिनियम पास हो गया तो तमाम लोगों के घर उजाड़ दिए जायेंगे। इसी तरीके से 123(1) में जो ग्राम सभा की जमीन पर होता था तो उसमें ग्राम प्रधान भी करवा सकता था। इसी प्रकार पट्टे जो हैं उसमें वरीयता को स्पष्ट कर दिया जाये। तीसरी बात मैं आबादी के बारे में कहना चाहता हूं कि सर्वे कराकर जिस भी जाति-बिरादरी के लोग जिसकी भी जमीन है अगर वह आबादी है

तो इसमें उनके लिए भी व्यवस्था कर दी जाये। तो इस तरह के जो तमाम संशोधन रखे गये हैं जो अनुसूचित जाति के बारे में परमिशन ली जाती थी उसकी व्यवस्था इसमें नहीं है। मान्यवर, इन्हीं संशोधनों के साथ मैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संशोधनों पर बल देता हूं।

*श्री रणवीर राणा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी की विद्वत्तता से सदन वाकिफ है और उन्होंने हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप इस विधेयक को तैयार किया है। एक लम्बे समय से कशमकश चली आ रही थी जिसे आपने अच्छी तरह से अंजाम दिया, मैं इसके लिये आपको बधाई देता हूं। मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक के नाम से चले आ रहे इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 रखा है, मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन करके इसका नाम जमींदारी उन्मूलन राजस्व संहिता रख दिया जाय क्योंकि जमींदारी शब्द एक ऐतिहासिक शब्द है और यह चौधरी साहब से जुड़ा हुआ है। मेरी यह मान्यता है कि जो इससे पहले नियम या परिनियम बने थे अनुसूचित जाति के लिये और कमजोर वर्ग के लिये उन्हें किसी तरह से क्षति न पहुंचायी जाय और जो भ्रांतियां हैं उन्हें स्पष्ट रखा जाय, वरीयता क्रम का ध्यान रखा जाय। जो 122 बी(4) का लाभ बना हुआ था उसे उसी तरह से रखा जाय। अनुसूचित जाति के अधिकार बढ़ने चाहिये। अगर बढ़ नहीं सकते तो स्पष्ट रूप से उनकी रक्षा करनी चाहिये। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इनके अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिये, चाहे भूमि बेचने का सवाल हो, चाहे पट्टे का सवाल हो या अन्य लाभ हो। अभी स्थिति में खास अन्तर नहीं आया है। जैसे देहातों में लाभ मिलता है उसी तरह से शहरों में भी लाभ मिलना चाहिये। क्योंकि वहां जिलाधिकारी की अनुमति से उनको अधिकार मिले हैं। अगर इन अधिकारों की रक्षा करते हुये इस विधेयक को पास करते हैं तो यह महान नेताओं के अनुरूप होगा और जन कल्याणकारी होगा। मुझे उम्मीद है कि राजस्व मंत्री जी ने जिन भावनाओं से यह विधेयक को रखा है वह बरकरार रहेगा और मैं उनकी मेहनत पर उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, यह क्रान्तिकारी विधेयक जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता हमारे जनपद के हैं और गरीबों से लम्बे समय से जुड़े हुये हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उन्होंने गांवों की गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है और झोपड़ी में रहने वाले आदमी जहां आज तक उजाले की किरण नहीं पहुंच पायी है वहां पहुंचाने का प्रयास किया है। यह उनके दिमाग में था कि हम क्रान्तिकारी कदम उठायें और आपने वायदा किया था कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो गरीब लोग हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं उनके हितों के लिये विधेयक लायेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी को कि चौधरी चरण सिंह जी के क्रान्तिकारी कदम को राजस्व विभाग में इस विधेयक के माध्यम से लाये। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। जब से इस विधेयक की चर्चा पिछले सत्र में हुई थी, हमको कापी मिली थी तब से हम लोगों के दिमाग में यह बात आ रही थी कि इसके पहले भी राजस्व मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण कापुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने जो दो-तीन बिन्दुओं पर संशोधन रखा था गांव में अपर क्लास को भी पट्टे का हक दिलाने की बात आपने कही थी और वह लागू भी हो गया जो पहले गांव में नहीं मिलता था और हमारे चाहे ब्राह्मण हों, चाहे ठाकुर हों, चाहे अन्य अपर जाति के लोग हों तो उसको पट्टे का लाभ मिला और जहां तक हमारे मौर्य जी ने शंका जाहिर किया है इस विधेयक से दलित समाज का और गरीब का अहित होने जा रहा है, उनकी यह शंका निर्मूल है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक तो केवल इसमें माननीय उपाध्यक्ष जी सरलीकरण किया गया है जो गरीब का पैसा अनावश्यक रूप से वकीलों के माध्यम से या दूसरे माध्यम से लगता था, दौड़ने में लोगों का यहां से राजस्व परिषद् से लेकर के उच्च न्यायालय तक और तमाम तरीके से इसको कम करके और उसको न्याय जनपद स्तर से, मण्डल स्तर से मिल जायेगा तो गरीब का अनावश्यक पैसा, गांव में पट्टे के छोटे-छोटे मामले होते हैं, बच जायेगा और उसकी अनावश्यक दौड़ भी बचेगी।

मैं एक सुझाव और भी देना चाहता था कि हम लोग जाते हैं तहसील में तहसील दिवस के दिन प्रायः 70 फीसदी जो वाद आते हैं, प्रार्थना-पत्र आते हैं वह भूमि से संबंधित माननीय उपाध्यक्ष जी आते हैं और भूमि से सम्बन्धित ही आते हैं, गांवों में लैण्ड का मामला होता है, जमीन का मामला होता है, उसकी नापी सही ढंग से वहां नहीं हो पाती है एस0 डी0 एम0 के यहां जब आदमी दरखास्त देता है तो वह कहते कि आप पत्थरनसब कराइये तब जा करके हम आपके चक की पैमाइश करेंगे या आज जहां चकबन्दी नहीं हुई है जमीन की पैमाइश करायेंगे और इस तरह से उन गरीब आदमी के चकों की सही तरीके से पैमाइश नहीं हो पाती है। उसकी जमीन की पैमाइश नहीं होती है इसलिये वह दौड़ता रह जाता है और उसको लेखपाल, कानूनगो या उसके ऊपर का अधिकारी/कर्मचारी अनावश्यक रूप से तंग करते हैं लोगों को और उससे गलत तरीके से वह भी करते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें कोई भी काश्तकार अगर अपनी जमीन की पैमाइश कराना चाहता है और कहीं विवाद है वहां चकरोड नहीं है क्योंकि उसमें चकरोड होना एस0 डी0 एम0 कहते हैं कि जरूरी है और आपको जो है ग्राम समाज की जमीन जरूरी है मगर छोटे-छोटे विवाद बड़े-बड़े कारण गांव में झगड़े के हो जाते हैं उसमें कत्ल हो जाते हैं फौजदारी हो जाती है तो मैं चाहता था कि इसमें संशोधन में एक चीज यह भी जुड़ जानी चाहिये कि अगर कोई काश्तकार अगर अपनी जमीन जहां विवाद है अगर एस0 डी0 एम0 या तहसीलदार के यहां दरखास्त देता है तो उसकी जमीन की पैमाइश सही ढंग से नियमानुसार हो जानी चाहिये उसको अनावश्यक तरीके से तंग न होना पड़े यह काश्तकारों के हित की बात होगी और दूसरी बात यह जो कम्प्यूटरीकरण किया गया है खतौनियों का, इसमें भी हमने देखा है कई तहसीलों में अपने यहां भी देखा है, इसमें बहुत सी त्रुटियां दिखाई दे रही हैं, यह बहुत अच्छा कदम था कि कम्प्यूटर में आ गया मगर जो वहां पर कर्मचारी नियुक्त हैं उनका काम ठीक नहीं हो रहा है वहां, हमने जो प्रैक्टिकल में देखा है, कई जगहों से शिकायतें भी मिल रही हैं जैसे 20 रुपये खतौनी का रेट है तो वहां पर 50 रुपये 60 रुपये अनावश्यक रूप से वह लेने का भी काम कर रहे हैं, तो जनता अब यह महसूस कर रही है कि इससे तो लेखपाल ही ठीक था जो हमको गांव में सरल तरीके से मिल जाता था हमारी खतौनी का इन्तखाब दे देता था मगर अब वहां पर दिक्कत न हो इसके लिये भी एक कड़ा कानून बनना चाहिये कि जब आदमी जाये, किसान जाय और उसको जिस

दिन वह दरखास्त दे उसके दूसरे दिन तक सही शुल्क जो है, जो आपके विभाग के द्वारा तय है वह सही शुल्क ले करके उसकी खतौनी की नकल दूसरे दिन उस किसान को मिल जानी चाहिये इसकी भी व्यवस्था हम चाहते हैं कि इसमें हो जाय। तीसरी बात यह कहने की थी कि चकबन्दी जिस गांव में नहीं हुआ माननीय उपाध्यक्ष जी, वहां पर आबादी बढ़ रही है और जमीन सिकुड़ रही है यह हमारे नेता माननीय चौधरी चरण सिंह भी कहते थे कि आबादी बढ़ रही है और जमीन सिकुड़ रही है और इसका जो गांव के लोगों को दूसरे रोजगारों में स्थापित किया जाय उसको दूसरे रोजगार से जोड़ा जाय कुटीर उद्योग धन्धों से जोड़ा जाय मगर कुटीर उद्योग धन्धे जब तक नहीं चल रहे हैं नहीं बन रहे हैं तब तक जहां जमीन आबादी के लिये नहीं है हमने देखा है कि एक परिवार में बूढ़ा-बूढ़ी, उसका जवान बेटा, बेटी, पतोहू सारे एक झोपड़ी में रहते हैं और उसका परिवार बढ़ने के बाद दूसरी झोपड़ी डालने के लिये उसके पास जमीन उपलब्ध नहीं है गांव के अन्दर, वह बेचारा मारा-मारा फिर रहा है उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कहीं दूसरी जगह जा करके जमीन खरीद करके वह आबाद हो जाय या अपने बच्चों के लिये मकान बना सके, इसके लिये भी एक इन्तजाम हो कि गांव समाज की अगर जमीन बची है जहां चकबन्दी नहीं हुयी है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जहां पर पार्टीबन्दी में गांव पड़ जाता है जो प्रधान होते हैं गांव में अक्सर देखा गया है कि जो पार्टी के लोग होते हैं उन्हीं को पट्टे की कार्यवाही करते हैं तो जिनके पास पट्टे नहीं होते हैं मान्यवर, उनको पट्टा नहीं मिल पाता है। आपको इसमें अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा कि जो गरीब ऐसे हैं उनको जमीन के पट्टे दिये जायें जहां चकबन्दी नहीं हुई है। मान्यवर, जहां चकबन्दी हुई है वहां तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है लेकिन जिस गांव में चकबन्दी नहीं हो पा रही है वहां के लिये अनुरोध करूंगा कि उस व्यवस्था को लागू किया जाये। मान्यवर, आपने विधवा के लिये तो व्यवस्था की है लेकिन बहुत महिलायें तलाकशुदा भी होती हैं मेरा अनुरोध है कि इसमें तलाकशुदा महिलाओं को भी प्राथमिकता पट्टे में दी जाये। मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी को मैं इस क्रन्तिकारी कदम के लिये हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उनहोंने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रहा था उसको बचाने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो इस राजस्व संहिता विधेयक, 2006 के संबंध में जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि इसको इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये, के पक्ष में बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोगों के लिये, जो जमींदारी ऐक्ट बना था, उसमें आवास के आवंटन, जोत की जमीन के आवंटन करने के पीछे जो हमारे कुछ संविधान निर्माता थे जो महानुभाव थे, जिन्होंने सोचा था कि जिन लोगों ने सेवा की है, सर्दी में, बरसात में, तालाब में खड़े होकर सेवा की है, कपड़े धोये हैं, कपड़ों की क्रीच बनाई है और जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है उनको जगह दी जाये। जिनके पास खेतों में साग उगाने के लिये जगह नहीं है उन्हें खेती की जमीन दी जाये और जो लोग पशु पालन करना चाहते हैं वह लोग भैसें वगैरह पाल सकें और पशु के चारे की व्यवस्था कर लें। इसीलिये कृषि योग्य भूमि उनको देने का काम किया गया था। उसमें यह भी था कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो जमीन है,

अपनी जो सम्पत्ति है उसको न दे। जो ग्राम समाज की खाली जमीन पड़ी हुई है, बंजर है, कल्लहड़ है, ऊसर है, अन उपजाऊ है उसको उस गरीब व्यक्ति को दे दिया जाये ताकि वह मेहनत करके उसे उपजाऊ बना सके। मान्यवर, अनुसूचित जाति में चाहे बाल्मीकि हो, नट हो, कन्जड़ हो, चमार हो, उनको सेवा के आधार पर जमीनें दी जायें जिन्होंने चारपाई बिनी है, जिन्होंने झाड़ू लगाया है, जिन्होंने ईंट बनायी है उनको सेवा के आधार पर प्रतिफल देने का काम जमींदारी अधिनियम में किया गया था। उनको प्रथम वरीयता के आधार पर रखा गया था। मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय राम करन आर्य जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने और जगदीश नारायण राय जी ने कहा, किरन पाल जी ने कहा उसको नहीं छेड़ा है जो पहले रखा गया था। मेरा कहना है कि उसी के आधार पर उन्हें रखा जाये। यह कहा गया कि उनकी जमीन को खरीदने और बेचने का प्राविधान इसमें नहीं रखा गया है। लेकिन इसमें जो आपने रखा है जो 25 पेज है उसमें धारा-93 है उसमें यह है कि-"यदि कोई भूमिधर ऋण के रूप में या ऐसे ऋण पर ब्याज के बदले में अग्रिम ली गयी किसी धनराशि को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी जोत या उसके किसी भाग का कब्जा अंतरित करता है तो किसी विधि या संविदा या अन्तरण के अभिलेख में किसी बात के होते हुये भी यह संव्यवहार, सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिये, अंतरिती को विक्रय माना जायगा और ऐसे प्रत्येक विक्रय पर धारा-89 के उपबंध लागू होंगे।"

मान्यवर, इसमें ब्याज के आधार पर जमीन चली जायेगी। मान्यवर, पहले रुक्का होता था जिसमें जमीन गिरवी रखी जाती थी और ब्याज तय होता था। किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, घर के किसी व्यक्ति की बीमारी में पैसा लगाना है, लड़की की शादी में पैसा लगाना है तो पैसा लेना है उसमें साहूकार एक खाली कागज पर साइन करा लेते थे और मनमाना ब्याज लिख देते थे और मनमाना कर्जा कागज पर चढ़ा देते थे। मान्यवर, मेरे पैतृक गांव में कई जमीनें ऐसी हैं जिनमें जो गरीब लोग भूमि मालिक थे वह आज भूमिहीन हो गये हैं। तो ऐसी कहीं व्यवस्था तो इसके अन्तर्गत नहीं की जा रही है ? मान्यवर, इसको सुनिश्चित करायें कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की जमीन होगी तो वह उसी की बनी रहेगी।

मान्यवर, विधेयक के पेज नं0-17 पर धारा-64(1) है इसमें दिया है कि ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति मान्यवर, आबादी स्थलों का आवंटन। कहीं-कहीं ऐसा होता है कि आबादी तो उनकी एक कोने पर है और उनके लिए हरिजन आबादी की जमीन दूसरे कोने पर छोड दी गयी है वहां पर उनके उपयोग में नहीं आती, उनके रहने के लिए वह नहीं होती दूसरे लोग उस पर अनाधिकार कब्जा जमाये रहते हैं। इस प्रकार की जमीन धनवान लोग अपने रहने के स्थान पर ही छुड़वा लेते हैं। जमीन उनकी आबादी के पास ही रखी जाय जहां पर उनकी आबादी है जहां पर वह निवास करते हैं। उनकी आबादी के पास में ही वह जमीन रखी जाय। इस प्रकार से पट्टे की जो पहले से व्यवस्था थी उसी प्रकार से वह प्रथम वरीयता के विद्यमान क्रम के आधार पर बरकरार रहनी चाहिए। 122बी (4एफ) है जो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कब्जे के आधार पर मिलती थी आज लोग फर्जी अपना कब्जा दिखाकर उन्हें बेदखल

करना चाहते हैं जिनके मुकदमें तहसील तथा जिलाधिकारी कार्यालयों पर वर्षों से लम्बित हैं। जबकि वास्तविक में कब्जा उन्हीं का है और वह जोत बो रहे हैं। उनको लाभ दिलाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी कह रहे थे की हमने 122बी (4एफ) नहीं हटाई है, वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि राजनैतिक ईर्ष्या के कारण वह इस विधेयक को नहीं लाये हैं और कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि किसी पार्टी से वह बंधे हों। यह आवश्यक नहीं है कि किसी पार्टी के नेता का ठेका अनुसूचित जाति के वोटों पर हो। जो उनकी लड़ाई लड़ता है, उनकी बात कहता है, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करता है वह उसको अपना वोट देते हैं। भाजपा को भी उन्होंने अपना वोट कार्य के आधार पर दिया है। उन पर अपना अधिकार की बात करने वाले आज उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है यह भोली-भाली जनता सब जानती है। आपके दल से तो अधिक अनुसूचित जाति के विधायक जीतकर आये हैं इनकी वजह से खेतों की मेड़ों पर घास खोदकर भैंस पालकर गुजारा करना तथा चारा काटकर तथा कर्जा लेकर घर का खर्च चलाना, एक दूसरे के मेल मिलाप से चला लेते थे। खेतों से बथुआ पत्ता का साग तोड़कर अपनी भूख को मिटाते थे। आज इनकी वजह से उनका खेतों में आना जाना बन्द हो गया है। आज सारे काम उनके छिन गये हैं। जो मजदूरी करके काम चला लेते थे इनकी वजह से काम नहीं कर पाते हैं। जहां कहीं भी अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा होता है तो इनमें से कोई नहीं बोलता है।

आज हमारे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर में चकबन्दी के आधार पर अनुसूचित जाति की जमीन के जो पट्टे हुए थे आज अधिकारियों की मिलीभगत से गांव खेलिया कल्याणपुर, डोमला हसनगढ़, गांव रिवाड़ा आदि गांवों की ग्राम समाज की जमीन हड़प ली गयी है, जो इस गरीब वर्ग का अधिकार बनता था। आज वहां पर अनेक परिवार भूमिहीन हो गये हैं। हजारों बीघा जमीन पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है। कहीं इसी उद्देश्य से जैसा मैंने उदाहरण दिया है इनकी जमीनों को हड़पने की मंशा तो इस विधेयक के माध्यम से तो नहीं है ? एक और जो धारा इसमें लाये हैं 114ग है-कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर या आसामी की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किये जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह किसी जोत में मृतक के हित का उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जायेगा। मान्यवर, एक इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर आसामी की हत्या कर देता है मान लीजिए पुत्र पिता की हत्या कर देता है और उसके भी संतान है और उन दोनों में बिगाड़ खाता है तो क्योंकि उसकी भी संतान उसे पंसद नहीं करती और वह भी अपने बाप को पसन्द नहीं करता अगर उसके नाम पर वह जमीन नहीं आयेगी तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके जो वारिसान हैं उनके नाम पर तो जमीन का इसमें ऐसा कोई प्रावधान किया जाय। कम से कम उनके नाम पर तो जमीन होनी चाहिए। मान्यवर, जो कर्जा के हिसाब से भैंस का लोन है, बकरी का लोन है, छोटे-छोटे कर्जों के माध्यम से जो आज लोगों को हवालात में डाला जा रहा है, बड़े-बड़े बकायेदारों को नहीं पकड़ा जा रहा है उनको नहीं छेड़ा जा रहा है लेकिन छोटे-छोटे कर्जदारों को पकड़कर हवालात में, जेल में 14-14, 15-15 दिन के लिये जिसमें 14 हजार रुपये कर्जा है, 7 हजार रुपये कर्जा है, 20 हजार रुपये कर्जा है, उनको रखा जा रहा है। तो इसमें कोई सरलीकण किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

विधायक जी, संशोधन रखिये।

श्री मुंशी लाल गौतम-

वहीं रख रहा हूं। जो नक्शा के आधार पर आबादी है, बहुत सी जगह गांव में जो आबादी बन गयी हैं, मेरे यहां मैं अपने पैतृक गांव का हिसाब बता रहा हूं, कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर आबादी बन गयी है और आज भी वह नक्शे में ग्राम समाज के अभिलेखों में वह खाली चल रही हैं और मान्यवर, उसके पट्टे कर दिये गये लेकिन 50-50 साल के मकान बने हुये हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आबादी के आधार पर वहां आबादी दर्ज की जाय और वहीं राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाय, मान्यवर, उनको न छेड़ा जाय और कब्जे के आधार पर उनको बरकरार रखा जाय। जहां आबादी हैं, वहां पर आबादी सुनिश्चित की जाय और जहां चकरोड हैं, खेत की मेढ़ हैं और जो कोई रास्ते को तोड़ रहा है और एस0आर0वाई0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी डाली जाती है, पैसा खर्च होता है, उस पर दण्ड का प्राविधान उन पर किया जाय इसी के साथ मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

तमाम चर्चा हो गयी है। दो-तीन लोग अभी चर्चा में और भाग लेना चाहते हैं, उसके बाद माननीय मंत्री जी को बुलाता हूं।

*श्री राम हेत भारती-

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 के संशोधन विधेयक पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा प्रवर समिति को सौंपे जाने के संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आपके माध्यम से इस उत्तर प्रदेश राजस्व विधेयक, 2006 में मेरा एक सुझाव है इस संशोधन विधेयक में अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस सदन में आश्वस्त किया है कि 122 बी(4 एफ) और 123 (2), इसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जायेगी, जैसा था वैसा ही रहेगा। मान्यवर, एक शासनादेश जारी हुआ था, गांव में गांव समाज की जमीन अथवा कृषि योग्य जो जमीन है, अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, और गांव समाज की आबादी या गांव समाज की कृषि योग्य भूमि पर अगर उसका कब्जा है तो उसे बेदखल नहीं किया जायेगा और यदि उस गांव समाज की आबादी पर कब्जा है और कब्जे को ले करके 115-सी का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तो वह मुकदमा भी समाप्त कर दिया जाए और किसी भी प्रकार का जुर्माना उस पर नहीं लगाया जाए। माननीय मंत्री जी ने सदन में आश्वस्त भी किया है और मेरा आपके माध्यम से सुझाव भी है कि यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक जब पारित हो जाएगा तो बहुत लम्बे अर्से तक चलेगा। यह बात सही है कि गांव समाज की जो कृषि योग्य भूमि हो अथवा आबादी की जमीन हो, जो भूमिहीन होगा उसी का कहीं न कहीं कब्जा होगा। अपने परिवार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ते हुए सदस्यों को ध्यान में रखते हुए आबादी पर कब्जा कर लिया होगा या अपनी जीविका चलाने के लिए गांव समाज की आबादी पर उसका कब्जा होगा, पहले ऐसा शासनादेश था कि उसे बेदखल नहीं किया जाएगा और यदि उस पर मुकदमा चल रहा है तो वह मुकदमा समाप्त कर दिया जाएगा और कोई जुर्माना नहीं किया जाएगा।

मेरा सुझाव है कि एक शासनादेश सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिससे गांव में गरीब और भूमिहीन व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। श्रेणी-3 असामी का पट्टा लोगों को दिया गया था, गांव में जो गरीब थे वह चाहे किसी भी जाति या वर्ग का था और असामी श्रेणी-3 का पट्टा जिनको दिया गया था, उनका पट्टा निरस्त करने के लिए शासन की ओर से आदेश दिया गया है। मान्यवर, जबकि पहले यह व्यवस्था थी कि उस पट्टे का नवीनीकरण हो जाता था, रोजी-रोटी चलती थी, उससे उसका परिवार पलता था लेकिन यह शासनादेश जारी कर दिया गया है कि ऐसे श्रेणी-3 के सभी पट्टेदारों के पट्टे निरस्त कर दिये जाएंगे। इस विधेयक में इसमें मेरा सुझाव है कि ऐसे जो असामी श्रेणी के पट्टेदार हैं, उनमें ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, जिनको ज्यादा कानून की जानकारी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है, उन्हें तो पता है कि अधिकारी हमारे पट्टे का नवीनीकरण कर दिया करते थे। आज उनका पट्टा निरस्त किया जा रहा है, वह अपनी फरियाद को कहीं नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाधित कर दिया गया है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस संहिता में संशोधन कर दिया जाए। ऐसे जो असामी पट्टेदार थे और अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे, उनमें जिनके पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं, उनको 122-बी-(4एफ) के अन्तर्गत मालिकाना हक दे करके उनके पट्टे का नियमितीकरण कर दिया जाए, यह मेरा सुझाव है। माननीय मंत्री जी बहुत संजीदा और बहुत गम्भीर हैं, यह अहम् समस्या है, इसलिए हमारे इस सुझाव को शामिल कर लिया जाना चाहिए नहीं तो हजारों लोग जो असामी श्रेणी-3 के पट्टेदार थे, बेदखल कर दिये जाएंगे और उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि जो भी असामी श्रेणी-3 के पट्टेदार थे या हैं, उनको बेदखल नहीं किया जाएगा और लेखपाल या पटवारी के माध्यम से उनके पट्टे को नियमित पट्टा कर दिया जाएगा, ताकि उनकी रोजी-रोटी चल सके।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, मेरा एक सुझाव और है कि गांव समाज में जो कृषि योग्य जमीन हुआ करती है और इस पर जो गांव के गरीब हैं, भूमिहीन हैं, मान्यवर, गांव में ज्यादातर भूमिहीन और गरीब अनुसूचित जाति के ही लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, कुछ अपर कास्ट में भी और कुछ सामान्य वर्ग में भी गरीब लोग होते हैं, अगर उन्होंने अपने गांव समाज की आबादी में कहीं झोपड़ी डाल ली है या मकान बना लिया है या जोत-बो लिया है तो गांव घर की राजनीति में प्रधान जी हो गये या कोई और हो गया, उन्होंने इशारा कर दिया लेखपाल को और 115-सी का मुकदमा चल गया और मुकदमा चलता है तो जमीन एक बिस्वा होती है और जुर्माना 70 हजार हो जाता है, 50 हजार

हो जाता है और पता चला कि जमीन भी नहीं मिली और जो घर का सामान था वह भी चला गया और उसे हवालात में बन्द कर दिया गया। तो मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो भी ऐसे मुकदमें हों उन्हें समाप्त कर दिया जाए और अगर 115-सी का मुकदमा चले तो पहले बड़े अधिकारी मौके पर जा करके उसका मुआयना कर लें कि वास्तव में किसका कब्जा है और भूमि का मूल्यांकन हो, ऐसा नहीं है कि एक बिस्वा जमीन हो और 70 हजार रुपया जुर्माना हो जाए इसलिए उस जमीन का मूल्यांकन होना चाहिए तब आगे कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य, अब आसन ग्रहण करें।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, बस एक सुझाव और है।

श्री उपाध्यक्ष-

यह आपका अन्तिम सुझ. , ह।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, गांव समाज की सैकड़ों,हजारों बीघे जमीन को भूमिहीन और गरीबों में बांटना चाहिए लेकिन आज सैकड़ों एकड़ जमीन पर बाहुबलियों का कब्जा है। अगर मंत्री जी चाहेंगे तो लिखित दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपना संशोधन रखिये, यह इससे हटकर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो कार्यवाही करा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य अब आप बैठें। श्री सीताराम निषाद जी अपनी बात रखें।

*कारागार राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राम हेत भारती-

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक सेकेण्ड और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष-

अब बैठिये, माननीय सदस्य को बुला लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, केवल एक सेकेण्ड की बात है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सीताराम निषाद जी, कृपया आप रुक जांए।

श्री राम हेत भारती-

मान्यवर, बहुत ही अच्छे लोग थे और पिछली विधान सभा में इस सदन में कुछ ऐसे शब्दों के कहने पर रोक लगायी गयी थी आज इस सदन के अंदर उन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस सदन की कार्यवाही पूरा देश और प्रदेश देखता है, पत्रकार बन्धु भी मौजूद हैं वह लिखेंगे कि यहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अतः ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें।

श्री सीताराम निषाद-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक बहुत सूझबूझ और अध्ययन करके लाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मा0 मुलायम सिंह यादव को और राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चौधरी जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जो काम सन् 1970 में शुरू किया गया था। आज 36 वर्ष बीत जाने के बाद इस सम्मनित सदन में यह लोकप्रिय सरकार जिसने उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के लिए हर क्षेत्र में कल्याणकारी काम करने का कदम उठाया है तो यह एक क्रान्तिकारी कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार की, समाजवादी पार्टी की सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सभी वर्गों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। मान्यवर, मुझे भी राजस्व संहिता के इस विधेयक संबंधी जो प्रवर समिति बनी थी उसका सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वह प्रवर समिति न केवल उत्तर प्रदेश के सभी विधेयकों का अध्ययन किया था बल्कि हिन्दुस्तान के उन राज्यों का भी दौरा किया था जहां पर भूमि सुधार संबंधी अच्छे काम किये गये थे। वहां पर हम लोगों ने जा करके वहां के जो राजस्व संबंधी काम हुये थे उनका भी अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद राजस्व संहिता विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था और रिपोर्ट दी गयी थी। आज हम आभारी हैं माननीय राजस्व मंत्री जी के, मा0 मुख्य मंत्री जी का आज इसको लागू करने के लिए। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने 36 वर्ष पूर्व जिस काम को सन् 1970 में शुरू किया था इतने दिन बीतने के बाद इस प्रदेश में सभी पार्टियों के मुख्य मंत्री हुये लेकिन उन लोगों के कार्यकाल में यह काम पूरा नहीं हो पाया था लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी किसान के बेटे माननीय मुलायम सिंह यादव को जब यहां का मुख्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला और किसान के बेटे माननीय अम्बिका चौधरी को जब राजस्व मंत्री बनने का सौभाग्य मिला तो 36 वर्ष से जिस पर इस सम्मानित सदन में विचार हो रहा था आज वह राजस्व संहिता विधेयक, 2006 बहुत सोच समझ करके प्रदेश की 18 करोड़ जनता को लाभ पहुंचाने के लिये और तमाम जो मुकदमें चल रहे थे और तमाम जो कई दर्जन विधेयक भूमि व्यवस्था के संबंध में थे, उनको समाप्त करके, मुकदमेंबाजी को खत्म करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता को राहत देने के लिये कदम उठाया है उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और इस सम्मानित सदन से अनुरोध करता हूं कि सरकार का यह क्रांतिकारी कदम है इससे सभी वर्गों को राहत मिलेगी इसलिये इसको सर्वसम्मति से पारित करें। कुछ लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि जो पट्टे होंगे उसमें अनुसूचित जाति के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों और सामान्य जाति के लोगों को पट्टे मिलने में दिक्कत होगी। लेकिन यह आशंका निराधार है। इसमें सबको पट्टे देने का अवसर प्रदान किया गया है। आपको मालुम है, सारे सदन को मालुम है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसे-ऐसे क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं और ऐसी जनकल्याणकारी योजनायें लागू की हैं जिनसे समाज को जोड़ने का काम सरकार ने किया है। यह जो राजस्व संहिता विधेयक है यह समाज को जोड़ने का काम करेगा। यह विधेयक सामाजिक सौहार्द पैदा करेगा। मान्यवर, पिछड़े लोगों को राहत देने के लिये जो कूम्हार हैं, लोहार हैं, विश्वकर्मा हैं उनको जमीन नहीं दी जाती थी आज उनको भी अवसर मिलेगा जमीन पाने का और वह अपने पैतृक कारोबार कर सकेंगे। यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। अब इसमें और विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यशस्वी मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा और आपके माध्यम से सारे सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह प्रदेश के 18 करोड़ लोगों की भलाई के लिये एक क्रान्तिकारी कदम है इसलिये इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाय, धन्यवाद।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

*श्री धर्मपाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि ग्राम समाज की जो भूमि ग्राम पंचायत में हुआ करती हैं ग्राम प्रधान उनके आवश्यकतानुसार आवासीय पट्टे दे देते हैं। उन जमीनों पर गरीब लोग 10-20 साल से अपना मकान बनाकर निवास करते हैं लेकिन तहसील प्रशासन के लोग उन लोगों पर 122-बी का मुकदमा चला देते हैं। मेरा सुझाव है कि जो मकान 20 सालों से बने हैं और प्रधान ने, गांव पंचायत ने उनको विधिवत् पट्टा दे दिया है वह पट्टा मान्य कर लिया जाय और उनके मकान न हटाये जायं।

*श्री आलमबदी-

मान्यवर, यह सदन जिस विधयेक पर चर्चा कर रहा है, और जिसे राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है तो मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जों के संबंध में उनका ध्यान आकर्षित किया था और कुछ महीनों पहले एक आदेश इस सिलसिले में जारी हुआ था लेकिन देखने में आज यह आ रहा है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उस शासनादेश को जिला प्रशासन कोई तवज्जों नहीं दे रहा है। कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा किये हुये हैं।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

दूसरे उनके ऊपर 107 का चालान करके अलग से परेशान किया जाता है। मैं राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक में कब्रिस्तान की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध कर दिया जाय जिससे इस समस्या का समाधान बन सके।

*डा0 विनोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री द्वारा राजस्व संहिता विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया है मैं समझता हूं कि यह पूरे प्रदेश के किसानों के हित में लिया जाने वाला विधेयक है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है इसलिए नहीं कि जो विधेयक लाया गया है उसके विरोध में है बल्कि इसलिए कि यह अच्छा विधेयक है इसमें सोच समझ कर और सुझाव आ सकते हैं इसलिए प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव है मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं चार सुझाव देना चाहता हूं मेरी तहसील पूरनपुर में 10 साल से चकबन्दी की प्रक्रिया चल रही है। अभी इसके पहले एक वक्ता ने कहा था मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल से चकबन्दी प्रक्रिया चलती रही सारे किसानों का शोषण हुआ जो कुछ चकबन्दी विभाग करता है मंत्री जी इससे स्वयं सहमत होंगे। 10 साल बाद शासन को लिखा कि इसमें चकबन्दी की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं अगर आवश्यकता नहीं थी तो चकबन्दी विभाग वाले वहां 10 साल तक क्या करते रहे इसके बारे में निश्चित रूप से जांच कराई जाय और प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। दूसरी बात जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में जहां बहुत बड़ा क्षेत्र जंगल से जुड़ा हुआ है वहां हमेशा जंगल विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों में टकराव होता है। राजस्व विभाग द्वारा जिनकों पट्टे दे दिए जाते हैं वहां पर जंगल विभाग खाई लगाकर ऐसे लोगों को परेशान करता है मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करें और राजस्व विभाग और जंगल विभाग का जो विवाद है उसमें ज्वाइंट डिमार्केशन कराया जाय जिससे जिनको पट्टे मिले हैं उनका उत्पीड़न न हो सके। तीसरी बात कहना चाहता हूं गेंदा सिंह जी जिस समय कृषि मंत्री थे उस समय हमारे क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन पर उन्होंने औपनिवेशन क्षेत्र बनाया था जहां पर पूर्वांचल के लोगों को लाकर बसाया गया है। उनको आर्भी तक भूमि धरी का अधिकार नहीं मिला है भूमिधरी राइट न होने के कारण न तो वह जमीन बेच सकता है न ही जमीन पर लोनिंग कर सकता है। इसके साथ ही जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बड़े बेटे के नाम ही जमीन रहती है मान लीजिए अगर किसी के चार औलादें हैं और उसमें केवल एक के ही नाम जमीन रहेगी तो इससे उनमें आपस में वैमनस्यता पैदा होती है। मंत्री जी यह संशोधन करें कि जो कालोनाइजेशन की जमीन है उसमें सभी लड़कों के नाम हों केवल बड़े बेटे के नाम ही जमीन न रहे। नैनीताल में जो इस तरह की जमीन थी उसमें उनको भूमिधरी के पूरे राइट्स दे दिए गए हैं यहां पर भी भूमिधरी के राइट्स देने के लिए मंत्री जी संशोधन करें। चौथा सुझाव मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देना चाहता हूं हमारे यहां राघवपुर क्षेत्र में एन0जेड0ए0 की जो जमीन है वहां पर भू-माफिया ऐसे लोगों के सीने पर बन्दूक रखकर जो बीसों सालों से उनको जोत रहे हैं उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं जब डी0एम0 या पुलिस अधीक्षक से शिकायत की जाती है तो वह इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं उनका कहना होता है कि आपकी जमीन आपके नाम नहीं है इसलिए हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जो भू-माफिया हैं, ताकतवर लोग हैं वह जाकर गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करें इस तरीके की कार्यवाही रुकनी चाहिए। जिस नीयत और अच्छाइयों के साथ इस विधेयक को माननीय मंत्री जी लाये हैं उसका मैं खुले कण्ठ से स्वागत करता हूं, सराहना करता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसकी पहल माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी और सौभाग्य से आज भी एक चौधरी ही इस विधेयक को ला रहे हैं लेकिन मुझे दुःख हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह के लोक दल के लोग मुझे यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज तो उनको यहां पर बैठे होना चाहिए था (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) एक आध बैठे होंगे लेकिन ज्यादा संख्या में अनुपस्थित हैं। आज उनको यहां मौजूद होना चाहिए था और इसकी सराहना करनी चाहिए थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मौर्या जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति को सौंपे जाने के संशोधन पर बल देता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 में चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभारी हूं। कई माननीय सदस्यों और नेताओं ने काफी विस्तार से इस पर अपनी बात रखी है। माननीय मंत्री जी ने राजस्व मंत्री के रूप में इस विधेयक को प्रस्तुत किया और जो बात कही उससे सब सहमत हैं कि यह वाद काफी वर्षों से लम्बित रहते थे। वाद-विवाद होता था। मुकदमें के फैसले में लेकिन काफी विलम्ब होता था। स्वाभाविक है कि यह जनहित का विधेयक है और निश्चित तौर से इसमें हर दिशा में अच्छा प्रयास करके इसको प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, यह बात सही है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। विलम्ब होगा तो वह न्याय नहीं रहता। जिस तरह से सरलीकरण करके, सर्वानुमति से इसको प्रस्तुत करने की बात है वह अच्छी है। पहले भी सर्व अनुमति से विधेयक आते थे। यह अच्छी बात है, पहले भी आते थे अपने विधान मण्डल दल में रखा जाता था। अब नई प्रक्रिया शुरू हुई है इस विधेयक के लिये सभी दल के लोगों से राय ली गई है और उसमें काफी संशोधन किये गये हैं और इसका सरलीकरण किया गया है। जैसा कि इन्होंने खुद कहा है कि ऐक्ट के 344 सेक्शन्स में 77 डिलीट हुए 124 निष्प्रयोज्य हुए और 143 अवशेष हैं। इसी तरह से लैंड रेवेन्यू में 234 में से 11 डिलीट हुए, 101 निष्प्रयोज्य और 92 अवशेष हैं। इस तरह से इसकी समीक्षा करके ही विधेयक को लाया गया है। भूमिहीनों को पट्टा देने की कार्यवाही की गई है। लेकिन मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जहां आप एक तरफ इन भूमिहीनों के लिये व्यवस्था करने जा रहे हैं एक सरलीकरण कानून बना रहे हैं उसमें विधेयक के पृष्ठ 26 पर धारा-980 में दिया है इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम जाति के किसी भूमिधर को उत्तर प्रदेश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों की सीमाओं के बाहर स्थित किसी भूमि को विक्रय दान बन्धक या पट्टेदारी के द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को, सिवाय कलेक्टर के लिखित पूर्वानुमति के अन्तरण करने का अधिकार न होगा परन्तु कलेक्टर द्वारा कोई ऐसी अनुमति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे अन्तरण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में 1.265 हेक्टेयर से कम भूमि अन्तरण के अधीन धारित की जा रही है। तो ऐसा कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर वह किसी जर्मीन को धारित करता है जो 1.265 हेक्टेयर नहीं हैं अन्तरण नहीं कर सकता है। यही व्यवस्था पूर्व में भी थी। आज जो सामान्य परिस्थितियां हैं जनहित में जो आपने यह लिखा है कि नगर योजना या विकास अधिनियम, 1973 से अलग हटकर कोई विक्रय। आज जो तमाम कालोनाइजर हाई टेक सिटी के लिये राज्य सरकार जर्मीन अधिग्रहीत करके दे रही है उसमें अनुसूचित जाति की भी अधिग्रहीत हो जाती है और बाजार दर उसको नहीं मिल रही है। तो उनको इस ऐक्ट से कहीं सुरक्षा नहीं दी गई है। उन अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन है उसमें क्या सुरक्षा उनको दी जा रही है ? सुरक्षा उन लोगों को दी जा रही है जिनके लिए यह भी नहीं है कि जमीन लेने के बाद कालोनी या सिटी बनायेंगे तो उनके मूल्य में कोई प्रतिबन्ध होगा ? इसमें सरकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह बाजार दर से ज्यादा कई गुना, जो कोई प्राइवेट बिल्डर्स हैं वह किसी दाम पर भी अपने फ्लैट बेच सकते हैं। तो आज मान्यवर, जो किसानों की जमीन के संबंध में है अगर राज्य सरकार अपने प्रयोजन के लिए कोई जमीन लेती है तो उसमें अधिग्रहीत करने की कार्यवाही हो। लेकिन अगर राज्य सरकार किसी बिल्डर्स को, कोलोनाइजर्स को जमीन अधिग्रहीत करके देती है तो निश्चित रूप से किसानों को मूल्य नहीं मिलता है इस संबंध में माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण आ जाए कि कम से कम इन परिस्थितियों में क्या करेंगे क्योंकि आज हम राज्य सरकार की कोई प्रोजेक्ट हों, कोई फैक्ट्री हो, कोई इन्डस्ट्री हो, कोई विकास से संबंधित काम हो, तो उसको अधिग्रहीत करने की कार्यवाही है उसको आप अधिग्रहीत करें।

मान्यवर, आज गांव में जो वाद होते हैं वह इसी कारण से होता है कि निश्चित तौर से जो भू-अभिलेख होते हैं उसमें कहीं न कहीं शिकायत आती हैं कि गलत तरीके से प्रविष्टियां हो जाती हैं ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली लोग हैं वह खसरा खतौनी में गलत तरीके से लिखा लेते हैं तो क्या इसके लिए भी कोई ऐक्ट में प्राविधान है। इसके लिए प्राविधान होना चाहिए। मैं समझता हूं कि गांव के लिए ग्राम रजिस्टर हो उसमें ग्राम की जितनी सम्पत्तियां हों वह रजिस्टर पर दर्ज हों। गांव की सम्पत्तियों का अगर स्वरूप बदलता है तो वह भी ग्राम रजिस्टर में दर्ज हो। ताकि इस ग्राम रजिस्टर से पूरी जानकारी हो सके कि यह सम्पत्ति किस व्यक्ति के पास है, ग्राम समाज की है या किसी संस्था के पास है अनुसूचित जाति के पास है या किस वर्ग के पास है। निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के या और वर्ग के लिए जो चीजें जोड़ी हैं या जो सुझाव आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं लेकिन भविष्य में कोई ऐसी कठिनाई आए उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो स्थित है उसके संबंध में, चाहे जमींदारी विनाश की बात हो, चाहे भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 रेवेन्यू ऐक्ट हो, इसमें जो कुछ सेक्शन को निष्प्रयोज्य किया है या सरलीकरण किया है उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों के लिए गांव सभाओं के लिए या बोर्ड प्रबन्धन के लिए हैं उसकी व्यवस्था के संबंध में है कि लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी को अधिकार है क्योंकि मान्यवर, इस ऐक्ट के हिसाब से यह

आता है कि उस भूमि क्रय के संबंध में कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो रही है उस संबंध में भी जवाब दे देंगे। साथ ही जो जमीनों पर जो स्टैम्प की छूट दी जा रही है यह सरकार के राजस्व की बात है। अगर सरकार भी, मान्यवर, हम चैरिटैबिल परपजेज के छूट हम नहीं दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के लिए छूट नहीं दे रहे हैं लेकिन हम कुछ लोगों को छूट दे रहे हैं तो इस दिशा में क्या व्यवस्था है इसमें भी मेरा सुझाव है। दूसरी बात आप देखें एक तरफ अनुसूचित जाति के, जनजाति के जनहित के अंतरण पर आपने रोक लगा रखी है लेकिन यह भी आप देखते हैं कि किसी के पास छोटी सी जमीन है और उसकी बेटी की शादी है कोई बीमार हो गया है वह जमीन को बेचना चाहता है तो वह बेच नहीं सकता है। क्योंकि यह ऐक्ट में भी फिर ऐसा कोई पार्ट होगा जैसा पिछले दिनों था जिसको वैसे ही लेकर आए हैं तो यह व्यवस्था करें कि वह कलेक्टर के माध्यम से बिक्री कर सके वह कम से कम उसकी जमीन कोई संकट के समय नहीं बेच सकता है तो उसके समक्ष वह कठिनाई वह चुनौती उपस्थित रहेगी तो इसके लिए क्या व्यवस्था है ? आज वह स्थितियां नहीं रह गई हैं, ठीक है बाहुबली करते हैं तो उसके लिए कानून है वह जमीन न ले। लेकिन किसी को किसी के अधिकार से वंचित किया जाए यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी दो प्रश्न हैं एक तो पूरा उत्तर दे दें तब अन्तिम उत्तर देना पड़ेगा या वह बोल लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा है जो उनको स्पष्टीकरण का अधिकार है, मेरे बोले बिना कैसे होगा ? माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह सौभाग्य है कि एक ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है जिस विधेयक के प्रस्तुत करने पर, इस विधेयक के सदन में लाए जाने पर राजनैतिक दलों की प्रबिद्धता को छोड़कर, सभी दलों ने एक स्वर से इसका आम तौर पर स्वागत किया है। औपचारिक रूप से संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने जो कदम उठाया है, उन कदमों की सराहना, दलों की सीमाओं को छोड़कर सभी नेताओं ने की है और जिन नेताओं ने अपने विचार इस पर व्यक्त किए हैं, सब का मैं एक स्वर से आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 1970 में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने जब राजस्व संहिता लाए जाने की बात कही थी और उसके लिए कमेटी बनाई थी तो कदाचित् यह बात नहीं रही होगी किं सचमुच में इसकी सर्वानुमति बनेगी लेकिन उसके बाद के कालखण्ड में जो 1977 में जिसका उल्लेख कर रहे हैं, माननीय राम नरेश जी, मुख्य मंत्री जी, वह स्वयं उस कैबिनेट के सदस्य थे और जिस प्रवर समिति के कारण नहीं पारित हुआ था, वह समिति 70 से 75 तक और फिर 77 से 80 तक काम करती रही फिर 80 में लाया गया और 83 से 85 तक विचार करने में चला गया, प्रकारान्तर से कई बार, आप पीठ पर विराजमान हैं, आपने औचित्य का प्रश्न उठाया, मैं जब विपक्ष में था, मैंने भी उठाया और पचास बार यह प्रश्न उठा और आज हम यह विधेयक लेकर आ पाए हैं और जिस तरह सभी सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि सकारात्मक रूप से अपने विचार रखे। कुछ शंकाएं हैं, उसका निराकरण हम जरूर करना चाहते हैं। जब सबने सर्वानुमति के लिए अपना हाथ बढाया है तो मैं पुनः

सबका आभार व्यक्त करते हुए जो छोटी-छोटी बातें हैं, सभी सदस्यों को उनके बारे में बता दूंगा, लेकिन शंकाएं निराधार है।

जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, माननीय मौर्य जी ने एक घण्टे 5 मिनट के लम्बे भाषण में सारी बातें कह दी हैं, मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी चर्चा किसी विधेयक पर नहीं होती है। आपने कहा कि स्थानीय प्राधिकरण का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम सभा में अन्तर है कि जब ग्राम सभा की भूमि नगर विस्तार के कारण नगर पालिका क्षेत्र में दी जाती है तो जैसा होता है, उसका उल्लेख है, यह अलग बात नहीं है और अधिकार उस निकाय में साथ-साथ चले जाते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है, आपकी शंका बेकार है। एक बात पर जोर दिया और भ्रम फैलाये जाने के कारण कुछ सदस्यों के मन में भ्रम आ गया, आपने कहा कि पिछड़ों और गरीबों के बजाय आप चाहते हैं कि सिर्फ 122(सी) में जो व्यवस्था थी, फ्री में पट्टा दिए जाने की और अनुसूचित जाति को वरीयता दी गयी थी और उसमें अनुसूचित जाति के अलावा अन्य किसी का उल्लेख नहीं किया गया था, मुझे प्रसन्नता है कि यह जो अधिनियम श्रीमन्, आज प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें अनुसूचित जाति के अधिकारों पर किसी भी तरीके की कोई कटौती कहीं से नहीं की गई है। मान्यवर, कई मित्रों ने कहा कि 122बी (4 एफ) है। उसमें 1 मई, 2002 तक जिन लोगों के कब्जे हो गये थे उनको असंक्रमणीय बनाने का अधिकार दिया गया था उसमें कोई कटौती नहीं की गयी हैं 122बी (4 एफ) में जिन जमीनों पर अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे हो गये थे उसमें असंक्रमणीय बनाने के अधिकार में कोई कटौती नहीं की गयी है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के गरीबों के बारे में सोचने का काम किया और पहली बार पट्टा दिये जाने के सवाल पर गरीब शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। अगर मौर्य जी को गरीब शब्द पर आपत्ति है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने दृष्टिकोण पर और अपनी दृष्टि पर विचार करने का काम करेंगे। केवल गरीब शब्द का वह विरोध करते हैं। पिछड़ों का विरोध तो वह करते रहे लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ जब श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने पिछड़ों और गरीब शब्द लिखने पर आपत्ति की। मेरा कहना है कि वह अपनी दृष्टि का इलाज करायें। और जो बात आपने कही कि अनुसूचित जाति को अधिकार होना चाहिये तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐक्ट मैं सर्वसम्मति से पारित कराना चाहता था। मान्यवर, अनुसूचित जाति की जमीन के ट्रान्सफर पर जो रोक थी कि कलेक्टर की परमीशन होगी तो वह बेच सकेंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अनुसूचित जाति की जमीन बेचने पर जो पाबंदी थी उससे उनके हितों पर कुठाराघात होता है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में जहां खेती नहीं होती, विकास प्राधिकरण का क्षेत्र जहां की जमीन कीमती होती है वहां पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति न लूट जाये इसलिये हमने विकास प्राधिकरण में आनेवाली जमीन को इससे मुक्त किया है। सेक्शन 100 में भी वही है। एक बात आपने महत्वपूर्ण कही है। 222 में जो झांसी मण्डल के साथ बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों को शामिल करने की बात कही है वह महत्वपूर्ण है। झांसी और चित्रकूट मण्डल की भी वही स्थिति है। आपने कहा कि कमिश्नर को ही फाइनल करने का अधिकार कर दिया गया है। हमने राजस्व परिषद् के पुनरीक्षण के अधीन कर दिया है और आपने एक संगठन की मांग के बिन्दु रखे उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा प्रयास यह है कि हम अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था कर सकें कि अनावश्यक विवाद

को लम्बा न किया जा सके और एक लेबिल से दूसरे लेबिल तक विवाद न लम्बे हो सकें। त्वरित और सुगम न्याय मिल सके। पट्टे के मामले में शिकायत थी कि वह पच्चीस साल तक लम्बित रहते हैं, कलेक्टर फाइनल अथारिटी हो जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। सारी प्रोसीडिंग्स में कमिश्नर अंतिम अथारिटी होगा। पहले राजस्व परिषद् को समाप्त किया जा रहा था लेकिन हम इसे शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं इसलिये यह प्राविधान किये हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी ने जितने भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया था उन सबकी शंकाओं का निवारण पूरी तरह से हो गया होगा। एक बात और कही गयी अपील के बारे में। जो अपील का प्राविधान है तीस दिन का उसे 120 दिन कर दिया जाय। मेरा मानना है कि जितनी लम्बी अवधि होगी उसमें उतनी ही शिथिलता आयेगी इसलिये कम अवधि होनी चाहिये। मैंने सब लोगों से परामर्श भी किया था सबने कहा कि लम्बी अवधि से शिथिलता आयेगी इसलिये अपील को बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह भी हो गया है कि राजस्व परिषद् कलेक्टर की सी0 आर0 लिखता है इसलिये भी हमने राजस्व परिषद् को मजबूत करने का काम किया है। हमें राजस्व परिषद् को सम्पूर्ण गौरव दिलाना होगा। अगर राजस्व परिषद् को कमजोर किया जायेगा जो इसका राजस्व व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिये राजस्व परिषद् को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी ने जो कठिनाइयां उठायी हैं उनका निराकरण हो गया होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी ने जितनी बातें उठायी हैं वह तकनीकी हैं और इसमें उन सबका समावेश है- 51ए, 66(3) तथा 90 में इनका समाविष्ट कर दिया गया है। बाकी के बारे में श्री छोटे लाल तथा श्री पूर्णमासी जी ने आपको बता ही दिया है। जो रूल्स बनाने की बात कही गयी है, साढ़े तीन हजार पैराज हैं उनके लिये संक्षेप में करेंगे। जल्दी से जल्दी रूल्स बनायेंगे। लालजी वर्मा जी ने कहा कि 'परगना' का अस्तित्व नहीं है। वह तो गांव के रहने वाले हैं, तहसील कोई ऐसी नहीं है, शायद ही ऐसी कोई तहसील हो जिसमें दो से कम परगने न हों।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि व्यावहारिक अस्तित्व नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

जो इसका ढांचा है इसको बनाये रखने की जरुरत होगी। जो सेक्शन में लिस्ट की बात कही गयी है-कन्याओं को आठवीं श्रेणी से गिराकर तीसरी श्रेणी में ले आये हैं यह आपका प्रश्न है, क्रम बदलना है तो इसे हम देख लेंगे। आबादी भूमि के बंदोबस्त का मामला है, यह एक बड़ा काम है इसको भी हम करेंगे। श्री जगदीश नारायण राय जी ने एक बात कही है। हम भी इस राय के हैं कि खतौनी में विस्तृत जानकारी दी जाय और खतौनी के कम्प्यूटरीकरण का बधाई देना चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी और अपने सभी साथियों का 14 वर्ष से खतौनी के कम्प्यूटराइजेशन का काम चल रहा था, जब यह सरकार अस्तित्व में आयी तो लोगों ने कहा कि अगले 14 वर्ष और चलेगा यह पूरा होने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश में इस कम्प्यूटराइजेशन का काम रिकार्ड टाइम में पूरा किया और श्रीमन् और कम्प्यूटराईजेशन और मार्डनाइजेशन के स्तर पर देश में श्रीमन् हम 17वें स्थान पर थे, 29 अगस्त, 2003 को और आज जब मैं यह राजस्व संहिता अधिनियम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर

रहा हूं तो पूरे देश में कम्प्यूटराइजेशन के सवाल पर रेवेन्यू रिकार्ड के हम देश में दूसरे स्थान पर हैं, तमिलनाडु के बाद हमारा दूसरा स्थान है इस मामले में हम कर्नाटक के ऊपर हैं। आपने जो बात कही है हम सहमत हैं जगदीश नारायण जी की कि इसमें विस्तृत चीजें रहें, विस्तृत चीजों के साथ-साथ हम यह चाहते हैं कि आय, जाति इन सारी चीजों का उल्लेख खतौनी पर स्वयं रहे कि आप प्रमाण-पत्र लेने के लिये जैसे ही गये और अगर रिकार्डेट खातेदार हैं तो आपने 15 रुपये जमा किया तो एक साथ वह सब लेकर चले आइये, अलग से आय प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी लेकिन वह प्रासेस में है। हम उसका साफ्टवेयर भी विकसित करा रहे हैं इसके प्रासेस में भी हैं और एक बड़ी बात कई सदस्यों ने कहा है पैमाइश और नक्शे की, नक्शा का डिजिटाइजेशन जब तक नहीं होगा वह हमारी योजना बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि दो महीने के अन्दर शायद हम वह योजना शुरू कर सकें। हमने प्रस्तावित कर दिया है भारत सरकार को जो मार्डनाइजेशन की स्कीम है उससे हम इसे लेकर करेंगे और दो महीने में अगर यह काम हो गया श्रीमन् तो गांव में कब्जे और पैमाइश के 50 फीसदी झगड़े स्वतः समाप्त हो जायेंगे क्योंकि सरलीकरण की जो प्रक्रिया हम चला रहे हैं उस प्रक्रिया में उस नक्शे पर प्रत्येक भुजा पर उसकी लम्बाई लिखी रहेगी और किसान 15 रुपये में नकल लेकर आयेगा स्वयं अपने से नाप लेगा भ्रमवश जो कब्जे के झगड़े होते हैं वह नहीं होंगे और तब दरोगा यह नहीं कहेगा कि रेवेन्यूवाले कानूनगो को बुला कर ले आवो, वह छः महीने में आयेगा तब जमीन की पैमाइश होगी तब देखेंगे क्योंकि नक्शे पर खेत की क्या पैमाइश है आप सबके सामने वह उपलब्ध होगी लेकिन जब तक वह चीज डिजिटाइजेशन की हमारी नहीं हो जाती है तब तक हमको मौजूदा नक्शा से काम चलाना पड़ रहा है इसलिये हमने मौजूदा प्रबन्ध को ही लागू रखा है, अन्यथा हम उसको प्राथमिकता पर करना चाहते हैं इसलिये हर हालत में इसको करेंगे. अतिक्रमण की स्थिति में जो जिम्मेदार ठहराये जाने की बात माननीय लाल जी वर्मा जी ने रखी थी यह गम्भीर बात है और हम प्रशासनिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। हम नियमावली में इसकी व्यवस्था करेंगे और कहीं न कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिये क्योंकि कई जगह राजस्व कर्मियों की मिलीभगत की वजह से इन जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं कई जगह वह स्वयं प्रश्रय देते हैं ऐसी शिकायतें मिलती हैं हम उन्हें निलम्बित करते हैं दण्डित करते हैं। कहीं ऐसी शिकायत आप लोगों के पास हो हमें दें हम उनको दण्डित करेंगे लेकिन हम यह व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर हालत में उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बधाई दी है, डाक्टर अशोक बाजपेयी जी ने जो अन्य बातें कही हैं इन सब लोगों का तो मैं आभार व्यक्त करता ही हूं। भाई भगेलू राम जी, 123 एक की जो बात आपने कही थी, आप पढ़ लीजिये व्यवस्था को शायद आप नहीं पढ़ सके, मौर्य जी ने जानबूझकर आपको पढ़ने नहीं दिया होगा, वह शब्दशः वही है एक शब्द की हेराफेरी नहीं है, कोई चेन्ज नहीं है आपको चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। डाक्टर अजय कुमार जी ने जो बात कही है श्रीमन् यह जैसा मैंने उल्लेख किया माननीय चौधरी चरण सिंह साहब जी ने ही इस राजस्व संहिता बिल की बात कही थी इसलिये हम समझते हैं कि उनको काफी प्रसन्नता होगी उन्होंने बधाई भी दी है, रिजवी साहब ने जो बात कही है जमीन के पैमाइश की उसका मैंने उत्तर दे

दिया है, मुंशी लाल गौतम जी ने जो कहा है, उनको भी भ्रम था, उसका भी निराकरण हो गया होगा मान्यवर, रामहेत भारती जी ने जो 115 सी की बात कही थी 115 सी का मामला दूसरा है मैं यह बात मान्यवर, कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति या गरीब लोगों को पट्टा दिया जाय यह बात ठीक है लेकिन और उन्होंने कब्जे कर लिये एक निश्चित अवधि तक 122 बी का उनको लाभ दे दिया जाय यह भी ठीक है लेकिन अगर नियम होगा ही नहीं और जिसको जो फ्री हो वही कब्जा कर ले और उसी को छोड़ देना श्रीमन्, तो आपको मैं बता दूं यह गम्भीर बात होगी और इसकी ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो शोरेपुश्त-शोरेपुश्त माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं लिख रहा था इन्होंने 23 बार शोरेपुश्त कहा है, 23 बार शोरेपुश्त शब्द का इस्तेमाल किया है आज के भाषण में जो 23 बार आपने शोरेपुश्त कहा और एक हजार एक बार अपने लिये लिख लीजिये कि जो शोरेपुश्त होगा वही इन जमीनों का सब कब्जा कर लेगा तब गरीबों को पट्टा देने के लिये आपके पास कोई जमीन गांव में बचेगी ही नहीं कि आप गरीब को या अनुसूचित जाति को कोई जमीन दे सकें, इसलिये अगर अपने मनमाने कब्जे को हमेशा रेग्युलाइज करने की बात आयेगी तो इन नियमों को बनाने का श्रीमन् कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। इसको आप कैसे रेग्युलेट करेंगे इसलिये नाजायज कब्जो की बहुत वकालत नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, गरीब आदमी को पट्टा दिया जाय, जरुरतमंद पात्र व्यक्ति को पट्टा दिया जाय। आप विचार करके पट्टा दें। मान्यवर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी चुन कर आती है। वह पट्टा देने का काम करे। मान्यवर, तहसीलदार, एस0 डी0 एम0 उसकी जो विधिक कार्यवाही है ऐप्रूवल की वह कार्यवाही करें। मान्यवर, और जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उसको नियंत्रित करें। मान्यवर, इसीलिये अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गरीब लोगों के लिये जमीन नहीं बचेगी। फिर शोरेपुस्त व्यक्तियों को ही मिलेगी और किसी को मिलने वाली नहीं है। मान्यवर, नाजायज कब्जाधारियों के पक्षधर हम नहीं हैं।

श्री द्वारिका प्रसाद-

मान्यवर, जो तालाबों और गड्ढों पर कब्जे होते जा रहे हैं और पटाई करते चले जा रहे हैं उसके बारे में आप कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, 122 (4) (बी)के बारे में राम कृपाल जी ने और राम करण आर्य जी ने कहा और भी कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मान्यवर, स्टैम्प ड्यूटी में छूट की बात कही गयी है। मान्यवर, जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट है उसमें व्यवस्था है कि कितना स्टैम्प लगेगा या कितनी स्टैम्प से छूट मिलेगी। अब विद्यालय की रजिस्ट्री करानी है उसमें जमीन की रजिस्ट्री पर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी यह उसमें है। मान्यवर, जो रेवन्यू का कानून है उसमें हम स्टैम्प ड्यूटी तय नही करते हैं। आगे आप कभी स्टैम्प रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में विचार करेंगे। क्योंकि यह सेण्ट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट है। उस पर भी कई सुझाव आयेंगे। मान्यवर, लैण्ड एक्वीजीशन का सुझाव आयेगा। मान्यवर, लैण्ड एक्वीजीशन का ऐक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है उसमें हम एमेन्डमेंट नहीं कर सकते है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल में रिहैबिलिटेशन का ऐक्ट पारित किया गया उसमें व्यवस्था आ गई कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई है और अगर एक्वीजीशन के कारण वह उजड़ जायेगा तो हम क्या करेंगे। मान्यवर,

उसको घर बनाने के लिये अलग से पैसा देंगे। 25 हजार रुपये। इसी तरीके से मवेशियों के पालन-पोषण का पैसा अलग से देंगे। अगर उसके पास करघा है, हैण्डलूम के करघे की स्थापना के लिये अलग से देंगे। मवेशियों के लिये पांच हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, जो यह पुनर्वास का ऐक्ट बना है उसमें व्यवस्थायें हैं। जो लैण्ड एक्वीजीशन का ऐक्ट है वह चूंकि सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट का है, इसलिये हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने लोगों के इन्टरेस्ट का पूरी तरह से ध्यान रखा है। मान्यवर, दो बिन्दुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। मान्यवर, अभी आलमबदी जी ने सुझाव दिया। मान्यवर, एक व्यवस्था हमारे पास राजस्व अधिनियम में नहीं थी किसी जमीन की नवईयत बदलने की। उसमें कठिनाइयां आ रही हैं। मान्यवर, चारागाह के नाम पर 40 एकड़ की जमीन है। पूरी जमीन पर ऐक्क्रोचमेन्ट हो रहा है और वहां अब मवेशियों को चराने का काम नहीं हो रहा है। इसी तरह से खलिहान की बाबत बात है वहां खलिहान को रखने का काम नहीं होता है लेकिन खलिहान दर्ज है तो नवईयत बदलने की बात आती है। इसी तरीके से तालाब है, कब्रिस्तान हैं, होली दहन का स्थान हैं, शव-दाह गृह है। कोई धार्मिक स्थल है, ईदगाह है, मस्जिद है, कोई धार्मिक स्थल की इस तरह की जमीन है, इस तरह की जमीनों को छोड़ कर बाकी सार्वजनिक उपयोग की जो जमीन हैं। 132 वाली आम बोल-चाल की भाषा में जो कही जाती है, सार्वजनिक उपयोग की जमीन है तो उसे सार्वजनिक उपयोग के लिये, एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में परिवर्तित करने के लिये, उसको बदलने का प्राविधान इसमें किया गया है। मान्यवर, मुझे कम से कम 50 माननीय सदस्यों के सुझाव प्राप्त हुये हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उसकी आवश्यकता थी। अब अस्पताल, विद्यालयों के लिये जमीन चाहिये। आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर स्वीकृति करा ली लेकिन गांव में जमीन नहीं मिल रही है। आपने समग्र ग्राम येाजना में विद्यालय चयनित कर लिया अब उसकी जमीन नहीं मिल रही है तो इस सबकी बाबत एक प्राविधान इसमें किया गया है। उसको दूसरे काम के लिये बदलने में यह प्राविधान सहायता करेगा और उस सार्वजनिक उपयेाग की भूमि का विकास कार्यक्रमों के तहत उसका लाभ सबको मिल सकेगा। मान्यवर, एक बात थी ग्राम सभा के फण्ड की। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे वह इतने दिन तक चलता रहा। जो गांव सभा का फण्ड है वह दो तरह का फण्ड है। गांव सभा की क्षति हो गयी, उसमें पेनाल्टी लगी। मेला से आय हुई तो दो तरह का वह सारा पैसा गवर्नमेंट का जमा होता था जिले पर। कलेक्टर साहब उसके कस्टोडियन हैं और होता यह है कि प्रत्येक जिले में जमा करने का प्राविधान था और उस हेड में इस फण्ड में बहुत बड़ी राशि प्रत्येक जिले में फैली हुई है और गांव के विकास में उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। पंचायत राज विभाग में हम लोगों ने जो कम से कम पंचायत राज विभाग के माध्यम से वह धनराशि गांव को मिले इसलिये हम नया रूल ले आयेंगे। रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से नहीं लाभ मिलेगा। नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं हम यह जरूर कहना चाहते हैं इसका प्रबन्ध हो, गांव सभा के फंड में जो तमाम राशि जमा है वह डम्प पड़ी हुई है उस राशि का कैसे समुचित इस्तेमाल हो सके उसका प्रबन्ध हम कर रहे हैं लेकिन आगे जो रूल बनायेंगे उसमें एक गांव से प्राप्त होने वाली राशि का 75 प्रतिशत उस गांव के फंड में जायेगा और 25 प्रतिशत मात्र फंड जिले में जायेगा जोकि नामिका फीस और अन्य मदों में जो खर्च होता है, 25 प्रतिशत जिले पर और 75 प्रतिशत सीधे-सीधे गांव पर खर्च करने को हम काम करेंगे यह

बन्दोबस्त हमने नया प्रबन्ध एक और इसमें करने का काम किया है और इसके माध्यम से हम इसको रूल्स में प्रोवाइड करके 75 और 25 का रेशियो तय करके और गांव सभाओं को और अधिकार देने का काम, मजबूत बनाने का काम, विकास का काम वह अपने हिसाब से कर सकें चूंकि वह एक लोकतांत्रिक संस्था है। यह समस्त चीजों का हमने किया है इसके साथ मैं समझता हूं कि जितनी शंकायें उठाई गई थीं उनका अलग-अलग उत्तर हमने दे दिया है। एक महत्वपूर्ण बात मैंने देर के लिये छोड़ दी थी माननीय हुकुम सिंह जी ने कही थी बहुत गम्भीरता से हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। चूंकि चकबन्दी ओर सीलिंग ऐक्ट को हमने छेड़ा नहीं है उसको छोड़ दिया है और बाकी के ऐक्ट को ही हमने कंसीडर करके उसके बदले यह ले आयें हैं। चकबन्दी में जो धांधली है और चकबन्दी से संबंधित जो शिकायतें हैं उससे इंकार नहीं किया जा सकता है। आंकड़ों में नहीं जाऊंगा अपनी पीठ ठोंकने के लिये नहीं कहना चाहता लेकिन मुझे बेहद प्रसन्नता इस बात की है कि जहां इस बात का दबाव झेलकर नये गांव हमने चकबन्दी के लिये नोटीफाई नहीं किये लेकिन यह रिकार्ड है पिछले 25 सालों में धारा 52 का प्रकाशन हमने किया है। पुनः यह बात इसलिये कि हमारी प्राथमिकता थी कि जिन गांवों में चकबन्दी लम्बे अरसे से पिछले 15 सालों से 20 सालों से चल रही है लोग बिल्कुल टूट गये हैं, लूट गये हैं उनकी चकबन्दी की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी से पूरा किया जाय। अब हम जो विचार करना चाहते हैं अभी प्रारम्भिक स्तर पर आपने एक बात छेड़ी है मैं उस पर कहना चाहता हूं हम स्वयं इस बात के पक्षधर हैं और इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा इसलिये आज इसमें नहीं आ सकता था कि राजस्व की सिर्फ एक व्यवस्था होनी चाहिये एक ही व्यवस्था हो और उस तहसील में चकबन्दी की आवश्यकता हो किसी गांव की तो चकबंदी करें और पुनः उसी तहसील में रिकार्ड लेकर आयें क्योंकि आम किसान को यह कठिनाई है कि अगर वह खतौनी भी मांगने जाता है तहसील में तो उससे कहा जाता है कि आपका गांव चकबन्दी में और वह चकबन्दी में जाता है तो वह कहते हैं पर्ची अभी 21 काट रहे हैं 23 अभी बनी नहीं है तो यह पर्ची 21 और फार्म 11 इन सारी चीजों को करने से कठिनाई जो आती है उसका हल यह है कि राजस्व की एक व्यवस्था एडमिनेस्ट्रेशन की होनी चाहिये और चकबन्दी उसका एक अल्पकालिक धर्म होना चाहिये। उसी तहसील के लोग जायं उसमें चकबन्दी करें और टाइमबाउण्ड चकबन्दी करें और तहसील से रिलेटेड रहें कि ओरिजनल डाकूमेन्ट्स को तहसील में हम जब चाहें तब देख लें और उसके रिकार्ड रूम में जाकर यह न सुनना पड़े कि चकबन्दी हो रही है इसलिये हम नहीं देख सकते। यह डुएल सिस्टम से किसान पीसा जाता है। लेकिन चूंकि वह एक बड़ी व्यवस्था है उसके लिये बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी कई कैडर्स को मर्ज करना पड़ेगा। यह बड़ी बात है आपने शुरुआत की है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने गम्भीरता से इस पर विचार किया है और आप सबके सहयोग से अगर हो सकेगा तो एक और सर्वोत्तम व्यवस्था जैसी बन पड़ेगी उसको ले आने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन चकबन्दी से जुड़ी हुई जो कठिनाइयां परेशानियां है इसको जेसे भी हल किया जा सके इसकी दिशा में सचमुच बहुत गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर इसको ठीक आपने कर दिया तो सम्भव यह है पूरे कंसालीडेशन आफ होल्डिंग एक्ट की जगह पर 12-20 धारायें उसकी अलग से बनाकर एक नया अध्याय बनाकर इस रेवन्यू कोड में जोड़ देने का काम आप करेंगे आपको अलग से

कोड भी रखने की जरुरत नहीं पड़ेगी। अलग कानून रखने की जरुरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वह एक बड़ा फैसला है और जैसा मैंने आपको बताया कि अनेक बिन्दुओं पर विचार करके हम वह निर्णय ले सकेंगे। इसी के साथ पुनः आप सबने जो सहयोग दिया है, इस सहयोग के लिये, मैं सभी दलों के नेताओं का, सभी सदस्यों का और उन लोगों का विशेषकर जिन लोगों ने, अगर पुनः उल्लेख करना चाहूं, पहली प्रवर समिति के सदस्यों का, दूसरी प्रवर समिति के सदस्यों का, जिसमें आज कई सदस्य, माननीय निषाद जी, माननीय उपाध्याय जी, माननीय मानपाल जी, अन्य लोग, जो इस सदन के सदस्य अभी हैं, इसके अलावा जो कैबिनेट जिसने पारित किया पूरी मंत्रि-परिषद् का, उसकी जो उपसमिति है माननीय पंचायती राज मंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी, श्रीमन् इन सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुये, अन्त में मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय जगदीश नारायण राय जी, माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी, माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, इन माननीय मंत्रिगण और सदस्यगण ने इतना जो सहयोग दिया है और इतने उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनके सुझावों के चलते, जो कमी रह गयी थी, हम वह संशोधन भी लेकर आ गये हैं, इसके लिये मैं पुनः आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक और क्रन्तिकारी कदम के लिये इन सारी चीजों के बाद आपने अपने नेतृत्व में इतना संरक्षण दिया कि हम इस क्रन्तिकारी प्रावधान को लेकर इस सदन में आ सके, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्य जी, आप वापस लेंगे संशोधन ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अब माननीय राजस्व मंत्री जी बात को घुमाने में माहिर भी हैं। हमने लगभग 25-30 सुझाव दिये थे, सबको आपने स्वीकार कर लिया, जो इस बात को जाहिर करता है कि सुझाव की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है। मात्र दो बातों पर आपने गुमराह करने की कोशिश की, उल्टा आरोप हम पर लगाया जबकि वह सारी चीज कार्यवृत्त में आ चुकी है। गुमराह करने की मंशा नहीं है। पात्रता आपने भी निर्धारित की है और पात्रता जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में भी थी हमने केवल उसमें वरीयता अधिमानक्रम स्पष्ट करने के लिये आपसे निवेदन किया था, कोई नई बात नहीं थी और मान्यवर, जैसा कि इसमें पहले ही आ चुका है श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा थे, 58 दिन लम्बी चर्चा के बाद जमींदारी विनाश अधिनियम को लाया गया था तो स्वाभाविक है कि जो पात्रता उसमें थी वही आपने भी किया है तो वरीयता अधिमानक्रम भी आपको उसमें वही लाना चाहिये। दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर तो मंत्री जी ने दे दिया है। इस पर आप बोल चुके हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम बोल नहीं रहे हैं। यह जो सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है, उसका मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मान्यवर, दूसरी चीज आपने यह कहा कि पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। पिछड़े वर्ग

का विरोधी कौन है, यह जगजाहिर है। इसलिये केवल बात को घुमाने की कलाकारी से बात नहीं बनती। इसको स्वीकार करिये, हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छा विधेयक आये। हम सभी चाहते है कि एक ऐसा विधेयक, जो जनहितकारी लोकप्रिय हो, इसलिये सभी माननीय सदस्यों द्वारा लाये गये जो संशोधन प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करिये। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कहा कि विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति की जमीनों के लिये जिला कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने इस पर निवेदन इसलिये किया कि जिस तरह से ग्रामीण अंचल में यह अनिवार्य है, उसी तरह से वहां पर भी अनिवार्य इसलिये होना चाहिये क्योंकि आजकल भू-माफिया बड़े पैमाने पर गरीबों पर दबिश डालकर, मनमाने तरीके से जमीनों का बैनामा करवा लेते हैं, इसलिये यह भी आवश्यक है। तो हमें माननीय राजस्व मंत्री जी ने हमारे सभी सुझावों को स्वीकार करते हुये इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसे प्रवर समिति को भेजना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, चार घण्टे चर्चा हुई और उसमें आप एक घण्टे पांच मिनट बोल चुके हैं, अब आप समाप्त कीजिये। संशोधन वापस लेना है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि कल दलीय बैठक में 30 संशोधन आये थे और आज यहां की चर्चा में लगभग 100 से ज्यादा संशोधन आये हैं, इसलिये इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसीलिये मैं इसे प्रवर समिति को भेजे जाने के लिये बल देता हूं ताकि और ज्यादा से जयादा सुझाव आ सकें।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि मैं स्पष्ट कर दूं कि धारा-64 (1) में देख लें, आपने कहा कि वरीयता नहीं दी गई है। वरीयता है, वरीयता दी गई है, उन वर्गों में भी जिनको पट्टे दिये जाने का अधिकार है, विधवाओं, भिखमंगों और ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी, जिनके पास आवास नहीं है, जो निराश्रित हैं। इसलिये वरीयता है, इसे आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

यह खण्डों में प्राप्त संशोधन के प्रस्ताव माननीय छोटे लाल यादव जी या डा0 पूर्णमासी देहाती जी एक साथ पढ़ दें।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक-2006 में शब्द "परगनाधिकारी", "अपर परगनाधिकारी और बोर्ड" जहां-जहां भी आये हों के स्थान पर क्रमशः शब्द "उपजिलाधिकारी, अपर उपजिलाधिकारी और राजस्व परिषद्" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक-2006 में शब्द "अन्तरणीय," "अनन्तरणीय" जहां-जहां भी आये हों के स्थान पर क्रमशः "संक्रमणीय तथा असंक्रमणीय" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006 में शब्द "परगनाधिकारी", "अपर परगनाधिकारी और बोर्ड" जहां-जहां भी आये हों के स्थान पर क्रमशः शब्द "उपजिलाधिकारी, अपर उपजिलाधिकारी और राजस्व परिषद्" रख दिये जायें ?

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक-2006 में शब्द "अन्तरणीय," "अनन्तरणीय" जहां-जहां भी आये हों के स्थान पर क्रमशः "संक्रमणीय तथा असंक्रमणीय" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड-2 तथा खण्ड-3**

संहिता का लागू होना

2-इस संहिता के उपबन्ध, अध्याय आठ और नौ को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय आठ और नौ ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या-19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था।

संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार

3-(1) जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाय, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का सम्पूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाय, वहां उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध जो इस प्रकार लागू किये गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझें जायेंगे।

(3) राज्य सरकार किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपान्तरण परिवर्तन कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 और खण्ड-3 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड-4**

परिभाषाएं

4-इस संहिता में :-

(1) 'आबादी' या 'ग्रामीण आबादी' का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो या जिसे एतद्पश्चात् ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया हो या किया जाय ;

(2) 'कृषि' के अन्तर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन और कुक्कुटपालन भी है ;

(3) 'कृषि श्रमिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य श्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है ;

(4) 'बैंक' का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिए दिया गया है ;

(5) 'भूमि प्रबन्धक समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28-क के अधीन गठित किसी भूमि प्रबन्धक समिति से है ;

(6) 'परिषद्' का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाले राजस्व परिषद् से है ;

(7) 'पूर्त संस्था' का तात्पर्य किसी पूर्त प्रयोजन के लिये गठित किसी अधिष्ठान, उपक्रम, संगठन या संघ से है और उसके अन्तर्गत कोई विनिर्दिष्ट विन्यास भी है ;

(8) 'कलेक्टर' का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे,-

(क) उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर ; और

(ख) इस संहिता के अधीन किसी कलेक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर ;

(9) 'संचित गांव निधि' का तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित संचित गांव निधि से है ;

(10) किसी भू-खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति से भिन्न) अवयस्क पुत्रों और विवाहित पुत्रियों से भिन्न अवयस्क पुत्रियों से है ;

परन्तु जहां प्रश्न किसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित हो और अन्तरिती अवयस्क हो वहां पद 'परिवार' के अन्तर्गत ऐसे वयस्क के माता-पिता होंगे ;

(11) 'बाग-भूमि' का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग से है जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगे हों (जिसमें पपीता, केला या अंगूर के पौधे सम्मिलित नहीं है) कि वे भूमि को या उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने से रोकते हों या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे ;

(12) 'जोत' का तात्पर्य एक भू-खातेदारी, एक पट्टे, बचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गये भूमि के किसी खण्ड से है ;

(13) किसी जोत के सम्बन्ध में 'सुधार' का तात्पर्य किसी ऐसे संकर्म से है जिससे जोत के मूल्य में भौतिक रूप से अभिवृद्धि होती हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो और जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाय, उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से सम्पादित किया जाता हो या सम्पादन के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो और पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संकर्म भी हैं-

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिए जल के भण्डारण आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल-प्रणालियों, तटबन्धों का निर्माण और अन्य कार्य ;

(दो) भूमि के जल-निकास हेतु या बाढ़ से या जल से भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य ;

(तीन) वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबन्दी करना, समतल अथवा सीढ़ीदार बनाना ;

(चार) आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जोत के आस-पास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या अध्यासन के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण ;

(पांच) पूर्वोक्त संकर्मी में से किसी संकर्म का नवीकरण या पुननिर्माण या उसमें परिवर्तन या उसका परिवर्धन ;

(14) 'भूमि' का तात्पर्य अध्याय सात और आठ और धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय ऐसी भूमि से है जो कृषि से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए धृत या अध्यासित हो ;

(15) 'भूमि धारक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे लगान देय हो या देय होती यदि कोई स्पष्ट या विवक्षित संविदा न होती ;

(16) "राजस्व न्यायालय" का तात्पर्य निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या किसी प्राधिकारी, (नामस्वरूप) परिषद् और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, असिस्टेन्ट, कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार से है ;

(17) "राजस्व अधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, परगनाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक से है ;

(18) "परगना अधिकारी" का तात्पर्य परगने के प्रभारी असिस्टेन्ट कलेक्टर से है ;

(19) "टौंगिया रोपवनी" का तात्पर्य ऐसी बन्द रोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ-साथ किया जाता है जिसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है ;

(20) "गांव" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो चाहे घना हो या नहीं तत्सम्बन्धी जिले के राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित करे ;

(21) "गांव शिल्पी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले परम्परागत औजारों-उपकरणों और अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण या मरम्मत है और उसके अन्तर्गत बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी जीविका का अर्जन करता है।

(22) शब्द और पद "गांव निधि" और "ग्राम सभा" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में उनके लिए दिये गये हैं।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं अपकी अनुमति से खण्ड 4 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

खण्ड-4 के उपखण्ड-(1) में शब्द "उसके सहायक प्रयोजनों के लिये" के स्थान पर शब्द "उसके सहायक प्रयोजनों यथा सहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिये" रख दिये जायें।

खण्ड-4 के उपखण्ड-(2) में शब्द "मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन" के स्थान पर शब्द "मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन" रख दिये जायें।

खण्ड-4 के उपखण्ड-(10) के परन्तुक में शब्द "ऐसे वयस्क के" के स्थान पर शब्द "ऐसे अवयस्क के" रख दिये जायें।

खण्ड-4 के उपखण्ड-(11) में शब्द "पपीता, केला या अंगूर के पौधे" के स्थान पर शब्द "पपीता या केला के पौधे" रख दिये जायें।

खण्ड-4 के उपखण्ड-(18) में शब्द "परगने के प्रभारी" के स्थान पर शब्द "तहसील के प्रभारी" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 के उपखण्ड-(1) में शब्द "उसके सहायक प्रयोजनों के लिये" के स्थान पर शब्द "उसके सहायक प्रयोजनों यथा सहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि के लिये" रख दिये जायें ?

खण्ड-4 के उपखण्ड-(2) में शब्द "मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन" के स्थान पर शब्द "मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन" रख दिये जायें ?

खण्ड-4 के उपखण्ड-(10) के परन्तुक में शब्द "ऐसे वयस्क के" के स्थान पर शब्द "ऐसे अवयस्क के" रख दिये जायें ?

खण्ड-4 के उपखण्ड-(11) में शब्द "पपीता, केला या अंगूर के पौधे" के स्थान पर शब्द "पपीता या केला के पौधे" रख दिये जायें ?

खण्ड-4 के उपखण्ड-(18) में शब्द 'परगने के प्रभारी' के स्थान पर 'तहसील के प्रभारी' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-4 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड-5

### राजस्व मण्डल

राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन

5-इस संहिता के प्रयोजनों के लिए राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मण्डलों में विभक्त होगा जिसमें एक या अधिक जिले हो सकेंगे और प्रत्येक जिले में एक या अधिक परगने हो सकेंगे और प्रत्येक परगने में एक या अधिक तहसील हो सकेंगे और प्रत्येक तहसील में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड 5 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

खण्ड-5 में शब्द "प्रत्येक जिले में एक या अधिक परगने हो सकेंगे और प्रत्येक परगने में एक या अधिक तहसील हो सकेंगे और प्रत्येक तहसील में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जिले में एक या अधिक तहसील हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगने हो सकेंगे और प्रत्येक परगने में दो या इससे अधिक गांव हो सकेंगे" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में शब्द "प्रत्येक जिले में एक या अधिक परगने हो सकेंगे और प्रत्येक परगने में एक या अधिक तहसील हो सकेंगे और प्रत्येक तहसील में दो या उससे अधिक गांव हो सकेंगे" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जिले में एक या अधिक तहसील हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगने हो सकेंगे और प्रत्येक परगने में दो या इससे अधिक गांव हो सकेंगे" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-5 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड-6**

राजस्व क्षेत्रों का गठन

6-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(एक) उन जिलों को जिनसे मिलकर कोई मण्डल बनता हो,

(दो) उन परगनों को जिनसे मिलकर कोई जिला बनता हो,

(तीन) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील (जो परगना का सह-पदीय होगा) बनती हो,

2-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को समामेलित, पुनःसमायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और यदि जहां किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाय, तो वहां उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखत या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किये गये निर्देशों को, जब तक कि अभ्यिक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, पुनः नामकरण किये गये क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा:

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी।

3-कलेक्टर विहित रूप में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गांवों को लेखपाल हलकों में और लेखपाल हलकों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के मुख्यालयों का भी उसके हल्के के भीतर विनिर्दिष्ट करेगा।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-6 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-6 के उपखण्ड-(1) की मद-2 में शब्द "परगनों" के स्थान पर शब्द "तहसीलों" रख दिये जाये और मद-3 में शब्द "जो परगना का सहपदीय होगा" निकाल दिये जायें।

खण्ड-6 के उपखण्ड-(4) में शब्द "परगने, तहसील" के स्थान पर शब्द "तहसील, परगने" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 के उपखण्ड-(1) की मद-2 में शब्द 'परगनों' के स्थान पर शब्द 'तहसीलों' रख दिये जायें और मद-3 में शब्द 'जो परगना का सहपदीय होगा' निकाल दिये जायें ?

खण्ड-6 के उपखण्ड-(4) में शब्द 'परगने, तहसील' के स्थान पर शब्द 'तहसील, परगने' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-6 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-7 से खण्ड-10 तक

## परिषद और राजस्व अधिकारी

राजस्व परिषद् 7-(1) उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद् होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाय।

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद् को इस धारा के अधीन गठित परिषद् समझा जायेगा।

(2) परिषद् के कारबार का मुख्य स्थान लखनऊ में होगा और न्यायिक सदस्य अपने न्यायालय इलाहाबाद या लखनऊ में जैसा अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दे, लगायेंगे।

(3) कोई भी व्यक्ति-

(क) परिषद् के प्रशासनिक सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसा पद धारण किया हो जो आयुक्त के पद से भिन्न श्रेणी का न हो।

(ख) परिषद् के न्यायिक सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह राजस्व अधिकारी न रहा हो।

(4) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिषद् के न्यायिक सदस्य के रुप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कारबार आवंटित किया जायेगा।

परिषद् की अधिकारिता

8-(1) परिषद् निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा:--

(क) वादों व अपीलों के निस्तारण, निर्देशों या पुनरीक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों, और

(ख) राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, इस संहिता में दिये गये सभी अन्य मामलों में।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

(3) राज्य सरकार परिषद् के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के सम्बन्ध में परिषद् को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

कार्य का वितरण करने की शक्ति

9-(1) ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया जाय या जारी किया जाये, परिषद् अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण, जैसा परिषद् उचित समझे, कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामलें या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है।

(2) ऐसे वितरण के अनुसार बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा दिये गये सभी आदेश या डिक्री यथास्थिति, बोर्ड के, आदेश या डिक्री समझे जायेंगे।

परिषद् के विनिश्चय

10-(1) जहां अपील करने पर या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद् के विचाराधीन आने वाली किसी कार्यवाही की सुनवाई दो या उससे अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो वहां मामलो का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।

(2) जहां पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के सम्बन्ध में अपनी राय में बराबर-बराबर विभाजित हो, वहां उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक वृहत्तर पीठ द्वारा की जायेगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।

(3) एकल रुप से अासीन किसी सदस्य द्वारा या दो सदस्यों वाली किसी मण्डल पीठ द्वारा या पूर्वोवत रुप से गठित किसी वृहत्तर पीठ द्वारा दिये गये सभी विनिश्चय, परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 से खण्ड-10 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-11**

आयुक्त और अपर आयुक्त

11-(1) राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो, अपने मण्डल के भीतर, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार किसी मण्डल में या दो या उससे अधिक संयुक्त मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।

(3) कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा निदेशित किया जाय।

(4) आयुक्त पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मण्डलायुक्त हो।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-11 के निम्नलिखित-संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-11 के उपखण्ड-(2) में शब्द "या दो या उससे अधिक संयुक्त मण्डलों" के स्थान पर शब्द "एक या उससे अधिक मण्डलों" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 के उपखण्ड (2) में शब्द 'या दो या उससे अधिक संयुक्त मण्डलों' के स्थान पर शब्द 'एक या उससे अधिक मण्डलों' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-11 को इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कलेक्टर और अपर कलेक्टर

12-(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार किसी जिले में या दो या उससे अधिक संयुक्त जिलों में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टरों की नियुक्ति कर सकती है।

(3) अपर कलेक्टर राज्य सरकार या कलेक्टर के निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह जिले का कलेक्टर हो।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-12 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-12 के उपखण्ड-(2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाये:--

"(2) राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 के उपखण्ड-(2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाये:--

(2) राज्य सरकार किसी जिले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-12 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-13

परगनाधिकारी और अपर परगनाधिकारी

13-(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के सहायक कलेक्टर के रुप में नियुक्त कर सकती है।

(2) राज्य सरकार किसी जिले के एक या उससे अधिक परगनों को प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर या परगना अधिकारी कहा जाएगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियन्त्रण में रहते हुये इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित सभी-कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(4) राज्य सरकार किसी जिले के लिए नियुक्त प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को जिले के एक या अधिक परगना के लिए अपर परगना अधिकारी पदाभिहित कर सकती है।

(5) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपर परगना अधिकारी ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग में किसी परगना अधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा राज्य सरकार, या राज्य सरकार के किसी निदेश के न होने पर, कलेक्टर निदेश दे।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नालिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-13 के उपखण्ड-(1) में शब्द "प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी" को निकाल दिये जायें।

खण्ड-13 के उपखण्ड-(2) में शब्द "प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के स्थान पर शब्द "सहायक कलेक्टर" रख दिये जायें।

खण्ड-13 के उपखण्ड-(4) में शब्द "प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को जिले के एक या अधिक परगना के लिये अपर परगनाधिकारी" **के स्थान** पर शब्द "सहायक कलेक्टर' को जिले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर **उपजिलाधिकारी**" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 के उपखण्ड-(1) में शब्द 'प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी' को निकाल दिये जायें ?

खण्ड-13 के उपखण्ड (2) में शब्द 'प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर' के स्थान पर शब्द 'सहायक कलेक्टर' रख दिये जायें ?

खण्ड-13 के उप खण्ड(4) में शब्द 'प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर को जिले के एक या अधिक परगना के लिए अपर परगनाधिकारी' के स्थान पर शब्द 'सहायक कलेक्टर को जिले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर उपजिलाधिकारी' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-13 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-14 से खण्ड-23 तक**

तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक

14-(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितना यह उचित समझे, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है।

(2) तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद, और राज्य सरकार या परिषद का कोई निदेश न होने पर कलेक्टर निदेश दे।

नायब तहसीलदार

15-राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

राजस्व निरीक्षक और लेखपाल

16-(1) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।

(2) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हो।

पदों का समुच्च

17-राज्य सरकार या, यथास्थिति, नियुक्त करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के लिए किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो, इस अध्याय में उपबन्धित दो या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्ति या कर्तव्य को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन समझें प्रदत्त करना विधिपूर्ण होगा।

धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली

18-(1) कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके जिले में उस रुप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गये, लोक धन या कागज-पत्र या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे निरुद्ध धन या विशिष्ट कागज-पत्र या सम्पत्ति तुरन्त उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि उपर्युक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार अनुपालन नहीं करता है तो कलेक्टर उसे गिरफ्तार करवा सकता है और उसे विहित प्रपत्र में वारन्ट के साथ सिविल कारागार में तब तक रखने के लिए भेज सकता है जब तक कि वह आदेशों का अनुपालन न करे:

परन्तु कोई व्यक्ति ऐसे वारन्ट के आधार पर तीस दिन से अधिक अवधि के लिये निरुद्ध नहीं किया जायेगा।

राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियां

19-(1) जब इस संहिता के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई शक्ति या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी ऐसी प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है।

(2) इस संहिता के अधीन नियुक्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

## सीमा और सीमा चिन्ह

सीमा का निर्धारण और सीमांकन

20-(1) राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जायेगी।

(2) सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित की जाय।

सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व

21-(1) प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) ग्राम सभा अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा (1) में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगी।

सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना

22-(1) यदि लेखपाल के हल्के में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाय, हटाया जाय या उसे क्षति पहुंचाई जाये तो सम्बन्धित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।

(2) नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में जांच करेगा और अपनी संस्तुति परगनाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

23-(1) परगना अधिकारी धारा-22 के अधीन नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त करके या अन्यथा ग्राम सभा में किसी ग्राम के सम्बन्ध में और किसी खातेदार से उसकी जोत के सम्बन्ध में, समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्माण या पुनःस्थापन करने या उनकी मरम्मत या उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहां ग्राम सभा या कोई खातेदार उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहां परगनाधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों का यथास्थिति निर्माण पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम सभा या खातेदार से उसका खर्च वसूल कर सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-14 से खण्ड-23 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-24**

सीमा सम्बन्धी विवाद

24-(1) परगनाधिकारी स्व-प्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिये जाने पर सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहां उन नक्शों के आधार पर किन्तु यदि सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा विनिश्चय कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान परगनाधिकारी अपना समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो परगनाधिकारी।

(क) प्रथम स्थिति में, संक्षिप्त जांच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा,

(ख) द्वितीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तद्नुसार करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही परगनाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासम्भव छः मास के भीतर समाप्त कर ली जायेगी।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-24 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-24 के उपखण्ड-(1) में शब्द "यदि सम्भव न हो" के स्थान पर शब्द "यदि ऐसा सम्भव न हो" रख दिये जायें।

खण्ड-24 के उपखण्ड-(3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड (4) रख दिये जाये :--

(4) उपजिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-24 के उपखण्ड (1) में शब्द 'यदि सम्भव न हो' के स्थान पर शब्द 'यदि ऐसा सम्भव न हो' रख दिये जायें ?

खण्ड-24 के उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड (4) रख दिये जाये:-

(4) उपजिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-24 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-25 से खण्ड-30 तक**

मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार

25-ऐसे मार्ग के सम्बन्ध में (सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न) जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चारागाह भूमि पर पहुंच सके या ऐसे स्रोत या ऐसे जल मार्ग के सम्बन्ध में जहां से या जिससे वह सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, तहसीलदार, ऐसी स्थानीय जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त सम्बद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मामले का विनिश्चय कर सकता है।

वह ऐसे अवरोधों के निराकरण के लिए निदेश दे सकता है और उक्त प्रयोजनों के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो और सम्बन्धित व्यक्ति से विहित रूप में ऐसे निराकरण की लागत की वसूली कर सकता है।

अवरोध का हटाया जाना

26-यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से ग्राम सभा की किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने का निदेश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और सम्बद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है।

परगना अधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति

27-परगना अधिकारी धारा 25 या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किये गये किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किये जाने से विवर्जित न किया जाना

28-इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है।

## ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण

ग्रामों की सूची

29-(1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें उसके जिले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जायगा :-

(क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों;

(ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हों; और

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।

(2) रजिस्टर का, प्रत्येक पांच वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जिसे विहित किया जाय, पुनरीक्षण किया जायगा।

मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण

30-कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जैसा विहित किया जाय, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और, किन्हीं गलतियों और लोप को समय-समय पर पायी जाय भी ठीक करायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-25 से खण्ड-30 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अधिकार अभिलेख

31-(1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में और विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख (खतौनी) रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जायगा, अर्थात् :-

(क) समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा धृत सर्वेक्षण संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल;

(ख) ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम जो भूमि पर खेती करते हों या जिनका उस पर अन्यथा अध्यासन हो और सर्वेक्षण संख्या तथा उनका क्षेत्रफल;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों का प्रकार या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्वों या शर्तें, यदि कोई हों ;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो ;

(ङ) राज्य सरकार, ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित या उसमें निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण ;

(च) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-31 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-31 में कोष्ठक तथा अंक "(1)" निकाल दिया जाये।

(ख) खण्ड "(ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें :-

(ख) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों का प्रकार या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्वों या शर्तें, यदि कोई हों;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हों;

(घ) राज्य सरकार, ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित या उसमें निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण;

(ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-31 में कोष्ठक तथा अंक "(1)" निकाल दिया जाय ? (ख) खण्ड "(ख), (ग), (घ), (ङ) और (च)" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें :-

(ख) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों का प्रकार या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्वों या शर्तें, यदि कोई हों;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हों;

(घ) राज्य सरकार, ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित या उसमें निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण;

(ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-31 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-32 से खण्ड-56 तक**

अभिलेखों को ठीक करना

32-(1) कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, परगना अधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहार को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाय कि वह पहले तैयार किए गये अभिलेख में की गयी थी।

(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा।

उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण

33-(1) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हल के, जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक-

(क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा,

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा,

(ग) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किये आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(3) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इसे संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमन के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अनन्तरणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

अन्तरण के मामले में रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य

(34) धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।

**स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'अन्तरण' के अर्न्तगत कोई परिवार बन्दोबस्त या जोत या उसके भाग का विनिमय भी है।

अंतरण के मामलों में नामांतरण

(35) (1) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उदघोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो और-

(क) यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा,

(ख) यदि मामला विवादित है तो वह पक्षकारों के मध्य सुलह कराकर इसे यथा संभव निपटा देगा, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, और

(ग) यदि सुलह द्वारा मामला नहीं निपटाया जाता है तो वह विवाद का निर्णय करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने का निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर परगना अधिकारी को अपील कर सकता है, परगना अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना

36-(1) धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जहां भूमि पर किसी हक या भार को बनाने, समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिसके सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया है या कराया गया समझा गया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस तहसीलदार को, जिसकी अधिकारिता में वह भूमि स्थित है, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी समय सीमा में, जैसी विहित की जाये, सूचना भेजेगा।

(2) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभिलिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) में कोई संशोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस

भूमि, जिससे ऐसा आदेश सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में अद्यतन देय भू-राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाये।

कतिपय वादों का विवर्जन

37-उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्तरण द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथास्थिति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो।

गलती और लोप का सुधार

38-(1) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा रूप से उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ परगनाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) परगनाधिकारी द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति पर विचार करने के पश्चात् मामले का निर्णय किया जायेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन परगनाधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

**स्पष्टीकरण**-इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप को सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाय कि इसमें हक के प्रश्न से सम्बन्धित किसी विवाद के निर्णय की शक्ति सम्मिलित है।

राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते

39-धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक या धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार द्वारा या धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन परगनाधिकारी द्वारा, या धारा 35 की उपधारा (2) या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति की धारा 144 के अधीन वाद के माध्यम से भूमि का अपना अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा।

प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा

40-इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये ग्राम के नक्शे, खसरा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) में सभी प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जायेंगी जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

किसानबही

41-(1) हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) तैयार की जाय कलेक्टर यथाधीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसानबही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाय।

(2) किसानबही जिले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के सम्बन्ध में समेकित जोत-बही होगी।

(3) संयुक्त जोत की स्थिति में, इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसानबही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह खातेदारों को दी जाय।

(4) जो खातेदार किसानबही के लिए आवेदन करें वह ऐसा मूल्य ऐसी रीति से, भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाय।

(5) किसानबही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किये बिना समय-समय पर अधिकार अभिलेख में किये गये संशोधनों को अपनी किसानबही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।

(6) जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संख्या किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसानबही में अभिलिखित जोत का धारक है तो वह इस प्रकार दिये गये ऋण के ब्यौरे को किसानबही में पृष्ठांकित करेगा। ऐसे प्रयोजनों के लिए खातेदार द्वारा ऐसी संस्था को केवल मूल किसानबही न कि अनुलिपि, प्रस्तुत की जायेगी।

(7) खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसानबही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण (जो पूर्णतः या अंशतः असंदत्त है) नहीं प्राप्त किया है और न ही उसने जोत या उसमें किस अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो, अन्तरित किया है।

(8) कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ-पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी जानकारी या विश्वास के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से, ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

(9) ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अन्तिम पुनर्भुगतान को किसानबही पर पृष्ठांकित करेगी।

सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य

42-प्रत्येक व्यक्ति, जिसके अधिकार, हित या बाध्यता का इस अध्याय के अधीन रखे गये किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या उनकी प्रविष्टि कर ली गयी हो, ऐसे अभिलेख या रजिस्टर के संकलन या पुनरीक्षण

कार्य में लगे/हुए किसी राजस्व अधिकारी के अधियाचन पर, उसके निरीक्षण के लिए, सही संकलन या पुनरीक्षण के लिए आवश्यक ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी, कब्जे या शक्ति में हो, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, देने या प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

## ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण

अभिलेखों और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना

43-(1) जब कभी राज्य सरकार की राय हो कि किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों आवश्यक हैं तो वह इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और तदुपरान्त ऐसा जिला या क्षेत्र, यथास्थित, अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण क्रियाओं या दोनों के अधीन समझा जायगा।

(2) राज्य सरकार अनुवर्ती सूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना को संशोधित या निरस्त कर सकती है या उस क्रिया को समाप्त घोषित कर सकती है।

अभिलेख अधिकरी और सहायक अभिलेख अधिकारी

44-(1) राज्य सरकार एक अभिलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख क्रियाओं या सर्वेक्षण या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्ति कर सकती है जितनी वह उचित समझे।

(2) सहायक अभिलेख अधिकारी, जब तक धारा 43, की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जायं।

अभिलेख सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति

45-जहां कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहां धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण

46-जब कोई जिला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) का पुनरीक्षण करायेगा।

सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण

47-जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार करायेगा और तत्पश्चात् क्षेत्र पंजी (खसरा) अधिकार अभिलेख (खतौनी) के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा।

सीमा चिन्ह के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति

48-जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम सभा और भूमिधरों को निदेश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गावों और क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्ह का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझे और व्यतिक्रम होने पर वह ऐसे सीमा चिन्ह का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर सम्बन्धित ग्राम सभाओं या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा।

मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया

49-(1) धारा 46 और 47 के अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी उपधारा (2) से (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में सुधार खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

(2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात नायब तहसीलदार ऐसे अभिलेख में लेखन सम्बन्धी भूलों और गल्तियों को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा और सम्बद्ध खातेदारों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी करायेगा जिसमें चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख से, जो विहित किया जाय, सुसंगत उद्धरण दिये जायेंगे, जिसमें भूमि के सम्बन्ध में उनके अधिकार और दायित्व और उपधारा (1) में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान उनमें पायी गयी भूलों और विवाद का उल्लेख किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अनुसार विवाद के तय किये जाने के पूर्व किसी समय नायब तहसीलदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किये जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार-

(क) जहां उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं वहां सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात, और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जांच करने के पश्चात, जिसे वह आवश्यक समझे, भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।

(6) ऐसे समस्त मामलों का अभिलेख, जिनका निस्तारण, नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जायेगा जो उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा, और जहां विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो वहां वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात करेगा।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाये कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहां ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को वेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है, और अभिलेख अधिकारी का ऐसी अपील पर प्रत्येक आदेश, धारा-210 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

अधिकार अभिलेख को अन्तिम रुप देना

50-धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।

नया अधिकार अभिलेख तैयार करना

51-तत्पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये धारा-50 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख (खतौनी) के आधार पर धारा-30 और 31 में विनिर्दिष्ट अभिलेख तैयार करेगा और कलेक्टर द्वारा, पहले से विद्यमान अभिलेख के स्थान पर इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख रखा जायेगा।

ऐसे ग्रामों के लिये प्रक्रिया जहां कोई अभिलेख उपलब्ध न हो

52-इस अध्याय के उपबन्ध, प्रत्येक ऐसे ग्राम या उसके भाग के सम्बन्ध में, जहां धारा 46 या धारा 47 में निर्दिष्ट कोई मानचित्र या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित अभिलेख, क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होगें और इस प्रयोजन के लिये अभिलेख अधिकारी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जैसी विहित की जाय।

प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा

53-इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख (खतौनी) में समस्त प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जायेगी, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

## भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

समस्त भूमि आदि में राज्य का हक

54-समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबन्धों और बाड़ों, नदीतल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों और पोखरों समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त, भूमि जहां कहीं स्थित हो, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, को और जहां तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अन्तर्गत या उन पर स्थापित किये जाने का सम्बन्ध हो, उसके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथा शक्य उपबन्ध किये जाने के सिवाय, एतद्द्वारा उनमें या उन पर या उनसे सम्बन्धित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित की जाती है :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से किसी ऐसी सम्पत्ति पर निर्भर रहने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से तत्काल पूर्व प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

खान और खनिज

55-(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने या उसमें काम करने या उनमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 द्वारा शासित होगा।

(2) किन्हीं खानों या खनिजों की कार्यप्रणाली या उनके उत्खनन, और इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से संचालित होनें, से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए इस संहिता द्वारा निरसित किये गये किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गये भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा, ऐसे किराये के संदाय पर, जैसा कि ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त था, निरन्तर बना रहेगा।

वृक्षों पर अधिकार

56-(1) किसी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित समझा जाएगा जो ऐसा जोत या बाग धारण करता हो।

(2) किन्हीं जोतों की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्षों को ऐसे व्यक्तियों के संयुक्त रुप से सम्बन्धित समझा जायगा जो ऐसी सीमा के प्रत्येक ओर जोतों को धारण करते हों।

(3) किसी व्यक्ति से सम्बन्धित या उसके द्वारा धारित आबादी में या किसी दखल न की हुई भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरंतर सम्बन्धित रहेंगे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यधीन धृत रहेंगे।

(4) धारा 57 के उपबन्धों के अध्यधीन उपधारा (1) से (3) में निर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न समस्त वृक्षों झाड़ जंगल, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहां कहीं उगे हों या आरोपित हो, को इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण-** इस धारा और धारा 59 के प्रयोजनों के लिए पद 'दखल न की हुई भूमि' का तात्पर्य भू-धारकों द्वारा धारित भूमि से भिन्न ग्राम में स्थित भूमि से है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-32 से खण्ड-56 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-57

## परिषद् और राजस्व अधिकारी

फलदार वृक्ष

57-(1) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जो यथास्थिति किसी तहसीलदार या किसी सहायक वन संरक्षक या किसी सहायक अभियन्ता की श्रेणी के नीचे का न हो, की लिखित अनुज्ञा से जब कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या नहर के प्रत्येक ओर रोपित किया गया हो, तो ऐसा होते हुए भी ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि किसी प्रभार, जो भी हो, के संदाय के बिना ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे।

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या नहर के प्रत्येक ओर फलदार वृक्ष रोपित करने कि लिए इच्छुक कोई व्यक्ति या कलेक्टर या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है और उपधारा (1) के उपबन्ध इस प्रकार रोपित किये गये वृक्षों के निमित्त लागू होंगे।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे किन्तु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे समग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूमि पर जिस पर वह स्थित हो, कोई अधिकार नहीं होगा।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-57 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-57 के उपखण्ड (1) शब्द "लोक निर्माण विभाग के अधिकारी" के स्थान पर शब्द "लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-57 के उपखण्ड (1) शब्द "लोक निर्माण विभाग के अधिकारी" के स्थान पर शब्द "लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-57 को इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-58 से खण्ड-75 तक

विवाद, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा

58-(1) जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में या ऐसी सम्पत्ति के किसी अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

## ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबन्धन

ग्राम सभाओं और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना

59-(1) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों।

(2) निम्नलिखित चीजें उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती हैं, अर्थात् :--

(एक) किसी जोत या बाग में तत्समय समाविष्ट भूमि के सिवाय भूमि, जो खेती योग्य हों या अन्यथा हों;

(दो) ग्राम सभा की भूमि पर लगा बाग, चारागाह, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, उर्वरक गर्ते, खलिहान, चकरोड, सम्पर्क मार्ग, सेक्टर मार्गों, नदी तल भूमि, सड़क, सड़क की खन्ती, मलिन जल क्षेत्र;

(तीन) वन और मत्स्य क्षेत्र;

(चार) किसी जोत में या किसी जोत की सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष;

(पांच) हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जल मार्ग, निजी नौघाट, पगडन्डी और आबादी स्थल;

(छः) निरवात निधि अधिनियम, 1878 के उपबन्धों के अध्यधीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति;

(3) ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज, जो

(क) उत्तर प्रदेश प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो,

(ख) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो,

(ग) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो,

उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा,

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है,

(ख) अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के लिए उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी किसी भूमि या अन्य चीज स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर सकती है,

(ग) किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तरित की गयी किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय वापस ले सकती है,

(घ) ऐसी शर्तें और निबन्धन अधिरोपित कर सकती है, जिनके अध्यधीन इस धारा के अधीन अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा।

(5) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई चीज किसी ग्राम सभा को सौंपी गयी हो या सौंपी हुई समझी गयी हो और ग्राम या उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हों, ग्राम सभा के क्षेत्र के बाहर हो वहां ऐसी ग्राम सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन इस संहिता या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उसके अधीन ग्राम सभा या किसी भूमि प्रबन्धक समिति पर समनुदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी मानो वह ग्राम या उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता हो।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई चीज, ग्राम सभा से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी हो या सौंपी हुई समझी गयी हो वहां इस अध्याय के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे।

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण

60-(1) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति को ग्राम सभा के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन उस ग्राम सभा को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी समस्त भूमि और अन्य चीजों, जिन पर ऐसी ग्राम सभा को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो, के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे :-

(क) भूमि का बन्दोबस्त और प्रबन्धन,

(ख) वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास,

(ग) आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास,

(घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्धन,

(ङ) मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास,

(च) कुटीर उद्योग का विकास,

(छ) कृषि का विकास और उसमें सुधार,

(ज) ग्राम सभा द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन, और

(झ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायं।

ग्राम तालाबों का प्रबन्धन

61-जहां ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम सभा द्वारा उसके प्रबन्ध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा किया जायेगा, अर्थात् :--

(क) जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो वहां उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जायगा;

(ख) जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे अधिक हो वहां भूमि प्रबन्ध समिति परगनाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराये पर देगी;

**स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "तालाब" में पानी से आच्छादित तालाब, पोखर, तगाड़ और अन्य भूमि भी है।

वादों और विधिक कार्यवाहियों का संचालन

62-(1) उपधारा (2) के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों, जो विहित की जायं, के अध्यधीन भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य, जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाय, ग्राम सभा के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिए किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं।

(2) किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिए कोई ग्राम सभा एक पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम सभा की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबन्धक

समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता है और परगनाधिकारी का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है।

ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है

63-(1) परगनाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिए आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है :-

(क) धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी ग्राम सभा को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी समस्त भूमि;

(ख) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम सभा के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि;

(2) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि प्रबन्धक समिति, परगनाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवंटित कर सकती है:--

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भूमि,

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि,

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) के उपबन्धों के अधीन आबादी के लिए अर्जित कोई भूमि।

आबादी स्थलों का आवंटन

64-(1) धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जायेगा:--

(क) ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से सम्बन्धित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर,

(ख) ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर,

(ग) ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति :

परन्तु उसी श्रेणी के अन्तर्गत विधवा और शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,--

(एक) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4 सन् 1994) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

(दो) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 'सामान्य श्रेणी के व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन न हो या आवास अपर्याप्त हो :

(3) इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटी द्वारा ऐसी निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना

65-(1) जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबन्धों के उल्लघंन में किसी आवंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो वहां परगनाधिकारी स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और आवंटी के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलायेगा और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वह उचित समझें।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन खाली कराये जाने के पश्चात् भूमि व उसके किसी भाग को किसी विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में लेता है वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायगा जो दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन माह से कम नहीं होगा और ऐसे जुर्माने के साथ भी दण्डित किया जायगा जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है :

परन्तु न्यायालय दण्ड पारित करते समय दोषी को दोष सद्ध करते हुए यह निदेश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने जिसे वसूल किया जाय का सम्पूर्ण या ऐसा भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग के लिए क्षति स्वरुप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

(3) जहां उक्त उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में मामले का संज्ञान लिए जाने के पश्चात् न्यायालय का किसी भी स्तर पर शपथ-पत्र या अन्यथा द्वारा समाधान कर दिया जाता है कि:-

(क) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में दोषी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्यवाही सम्बन्धित हो, और

(ख) आवंटी ऐसी भूमि पर कब्जे के लिए हकदार हों, तो न्यायालय संक्षिप्ततः मामले के अन्तिम अवधारण को लम्बित रखते हुए ऐसी भूमि को दोषी व्यक्ति से खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में किसी दोषी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में दोषी व्यक्ति को दोष मुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोष मुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार है वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर यह निदेश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाय।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा।

आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच

66-(1) कलेक्टर स्वप्रेरणा से और धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटी, तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार हक और हित समाप्त हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक के तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

ग्राम सभा की सम्पत्ति की क्षति उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति

67-(1) जहां किसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम सभा या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबन्धों के सिवाय अन्यथा रुप से अधिभोग में हो वहां यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या अन्य प्राधिकरण या सम्बन्धित लेखपाल विहित रीति से सम्बन्धित परगना अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) या अन्यथा के अधीन प्राप्त सूचना से परगना अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि यथास्थिति क्यों न उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय या क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि परगना अधिकारी इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो परगना अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है, जैसा कि आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि यथास्थिति सम्पत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिए या गलत अधिभोग के लिए प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाये के रुप में की जा सकती है।

(4) यदि परगना अधिकारी की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन परगना अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा।

(6) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन परगनाधिकारी का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा (5) के अध्यधीन अन्तिम होगा, और

(7) इस धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाय।

**स्पष्टीकरण:**--इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'भूमि' में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं।

ग्राम निधि

68-(1) इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि ग्राम निधि में जमा की जाएगी :

परन्तु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित ग्राम निधि में जमा किया जायेगा।

(2) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली ग्राम निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी।

(3) ग्राम निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

समेकित ग्राम निधि

69-(1) प्रत्येक जिले के लिए एक समेकित ग्राम निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :-

(क) धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट धनराशि,

(ख) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान,

(ग) ऐसी अन्य धनराशि जैसी विहित किया जाए।

(2) किसी जिले में प्रत्येक ग्राम सभा कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन ग्राम निधि में जमा की गयी कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय विहित रूप में भुगतान करेगा जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) समेकित ग्राम निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जा सकता है, अर्थात् :-

(क) धारा 72 के अधीन नियुक्ति अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों, यदि कोई हों, का भुगतान;

(ख) इस संहिता के अधीन ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों के संचालन और अभियोजन, आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उपगत व्ययों का भुगतान;

(ग) समान उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान, और

(घ) किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे।

(4) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व समेकित ग्राम निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा।

राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश

70-(1) राज्य सरकार और उसके नियंत्रण के अध्यधीन कलेक्टर, भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकता है जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

(2) भूमि प्रबन्धक समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे तत्काल आदेशों को कार्यान्वित करें और उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये निदेशों का अनुपालन करें।

वैकल्पिक व्यवस्था

71-यदि किसी समय कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि :-

(क) भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अपने लिए अधिरोपित या समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के लिए युक्ति युक्त कारण या क्षमा याचना के बिना विफल हो गयी है, या

(ख) परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं कि भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के योग्य नहीं है या उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, या

(ग) यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक हो तो वह यह निदेश दे सकता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन ऐसे भूमि प्रबन्धक समिति के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और निष्पादन ऐसे किसी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निर्बधनों के अध्यधीन किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता

72-(1) राज्य सरकार ऐसी निर्बधन और शर्तों पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है :-

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके लखनऊ खण्डपीठ प्रत्येक में एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);

(ख) इलाहाबाद और लखनऊ प्रत्येक राजस्व परिषद् के लिए एक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);

(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और;

(घ) जिला मुख्यालय के लिए एक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)।

(2) कलेक्टर ऐसे निबंधन और शर्तों पर और ऐसी रीति से जैसा विहित की जाय, प्रत्येक तहसील के लिए दो से अनधिक पैनल अधिवक्ताओं (राजस्व) की नियुक्ति कर सकता है।

(3) धारा 62 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी लिखित प्राधिकार के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकरण, जिसके लिए वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, में अभिवचन या कार्यवाही कर सकते हैं।

(4) कोई ग्राम सभा, पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति इस धारा के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं रखेगी।

(5) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी वकालतनामा या हाजिरी के ज्ञापन पर कोई न्यायालय फीस संदेय नहीं होगी।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध ऐसे किसी न्यायालय, जिसमें वह नियुक्त किया गया हो, के समक्ष अभिवचन या कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व

73-(1) इस संहिता के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा :-

(क) सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के समक्ष कार्यवाहियों में, जिला सरकारी अधिवक्ता (राजस्व);

(ख) आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में मण्डलीय सरकारी अधिवक्ता (राजस्व); और

(ग) राजस्व परिषद् या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में, यथास्थिति, लखनऊ या इलाहाबाद के अलग-अलग स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)।

(2) इस अध्याय में कोई बात राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन के लिए जिसमें ग्राम सभा पक्षकार हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित की जाय, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रवारित नहीं करेगी।

## खाता

खातेदारी का वर्ग

74-निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे, अर्थात् :-

(क) अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर ;

(ख) अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर ;

(ग) असामी ; और

(घ) सरकारी पट्टेदार।

अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर

75-निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर था ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-58 से खण्ड-75 तक इस विधेयक का अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-76

अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर

76-निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात् :-

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व अनन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर था ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किया गया हो।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश में भूदान योजना अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित है या की गयी हो ;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो या की गयी हो ;

(ङ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-76 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-76 को उसके उपखण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाये और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायें:-

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे क लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-76 को उसके उपखण्ड (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाये और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायं :-

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा।

(4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी बात के होते हुए भी, यदि को व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा 2) या उपधारा (3) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्र, द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-76 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-77 से खण्ड-81 तक**

कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे

77-(1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा:--

(क) खलिहान, खाद के गड्ढों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिये प्रयुक्त भूमि,

(ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो,

(ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा-कदा खेती के लिए किया जाता हो,

(घ) स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भू-भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

(ङ) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टौगिया-बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो,

(च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गयी समझी गई हो,

(छ) सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई हो,

(ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो,

(झ) भूमि जिस पर पोखर, तालाब, या झील हो, या जो तटबंध बांध या भीटा का भाग हो, और

(ञ) कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

**स्पष्टीकरण**-खण्ड (ज) में पद "सार्वजनिक प्रयोजन" में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:--

(एक) भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिए पृथक्‌रक्षित हो,

(दो) भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो,

(तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिए अर्जित और धृत हो,

(चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29-ग में निर्दिष्ट हो, या

(पांच) भूमि जो किसी ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो:

परन्तु तालाब, कब्रिस्तान, श्मशान भूमि, ईदगाह, वनाच्छादित भूमि, धार्मिक स्थलों या होली स्थल को छोड़कर सार्वजनिक उपयोग की भूमि के भू-उपयोग में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा लोकहित में यथा विहित रीति से किया जा सकता है।

असामी

78-निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असामी कहा जायगा, और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे असामी को प्रदत्त या उस पर आरोपित किये गये हों, अर्थात् :--

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी था,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असामी के रूप में कोई भूमि स्वीकार की गयी हो,

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि के भूमिधर द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो,

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से असामी का अधिकार प्राप्त कर लें।

अनन्य कब्जा के लिये भूमिधरों को अधिकार

79-(1) अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।

(2) अनन्तरणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकार होगा।

अकृष्य प्रयोजन के लिये भूमिधरी भूमि का उपयोग

80-(1) जहां अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत या उसके भाग का कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग करता है वहां परगनाधिकारी स्व-प्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथाविहित जांच करने के पश्चात् उस आशय की घोषणा कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के आवेदन में ऐसे विवरण होंगे और उसे ऐसी रीति से दिया जायेगा जैसी विहित की जाय।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र जोत के किसी भाग के सम्बन्ध में दिया जाय, वहां परगना अधिकारी विहित रीति से ऐसे भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिये कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन परगना अधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका यह समाधान हो जाय कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया जाना हो जिससे सार्वजनिक उत्पात होने की सम्भावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो।

घोषणा का परिणाम

81-जहां धारा 80 के अधीन घोषणा की जाय वहां ऐसे जोत या उससे सम्बन्धित भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे।

(क) भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबन्धन अन्तरणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिये लागू नहीं रह जायेंगे,

(ख) अध्याय नौ में किसी बात के होते हुये भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ग के प्रारम्भ के दिनांक से ऐसी भूमि भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त होगी,

(ग) भूमिधर, न्यागमन के विषय में उस वैयक्तिक विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-77 से खण्ड-81 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-82

घोषणा का रद्द किया जाना

82-(1) जब कभी किसी ऐसी जोत या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में धारा 80 के अधीन घोषणा की गयी है, से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है तब परगनाधिकारी स्व-प्रेरणा से या इस निमित आवेदन दिये जाने पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी विहित की जाय, ऐसी घोषणा को रद्द का स[illegible] है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा रद्द की जाय वहां जोत या उससे सम्बन्धित भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किये जायेंगे अर्थात् :--

(क) जोत या उसका भाग अन्तरण और न्यागमन के विषय में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबन्धनों के अधीन हो जायेगा,

(ख) जोत या उसके भाग का उस कृषि वर्ष के जिसमें घोषणा को रद्द करने का आदेश दिया जाए, प्रारम्भ के दिनांक से भू-राजस्व का भुगतान किया जायेगा:

परन्तु जब तक इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जोत या भाग का कोई भू-राजस्व पुनर्निधारित न किया जाय तब तक धारा 80 के अधीन घोषणा किये जाने के पूर्व ऐसी जोत या उसके भाग के सम्बन्ध में देय या देय समझे गये भू-राजस्व को ऐसी जोत या भाग के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व समझा जायेगा,

(ग) जहां भूमि किसी संविदा या पट्टा के आधार पर उसके भूमिधर से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो और ऐसी संविदा या पट्टा के निबन्धन इस संविदा के उपबन्धों से असंगत हो, वहां ऐसी संविदा या पट्टा, ऐसी असंगति की सीमा तक, शून्य हो जायेगा और कब्जाधारी व्यक्ति को भूमिधर के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा:

परन्तु घोषणा के रद्द किये जाने के दिनांक को विद्यमान भूमि-बन्धक को ऐसी भूमि पर प्रतिभूति देय धनराशि के लिए दृष्टि बन्धक द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा जिसकी ब्याज की दर ऐसी होगी जैसी विहित ही जाय।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-82 मे निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-82 के उप खण्ड (1) में शब्द "से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए" के स्थान पर शब्द "कृषि प्रयोजन से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-82 के उपखण्ड (1) में शब्द "से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए" के स्थान पर शब्द "कृषि प्रयोजन से सम्बद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-82 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-83 से खण्ड-88 तक

घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना

83-धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा।

असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार

84-किसी असामी का इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपनी जोत में समाविष्ट समस्त भूमि पर अनन्य कब्जा और ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए करने का अधिकार होगा :

परन्तु कोई असामी किसी ऐसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा टौगिया बागान के लिए आशयिक या पृथक रक्षित घोषित है, कृषि उपज की खेती और उत्पादन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम

85-(1) जहां अनन्तरणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर धारा 79 के उपबन्धों के उल्लंघन में अपनी जोत या उसके भाग का उपयोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम सभा के वाद के आधार पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किये जाने का भागी होगा।

(2) जहां कोई असामी धारा 84 द्वारा अननुज्ञात किसी प्रयोजन के लिए अपनी जोत या उसके भाग का उपभोग करता है वहां वह इस संहिता किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि धारक के वाद के आधार पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किये जाने का भागी होगा।

(3) इस धारा के अधीन बेदखली के लिए पारित डिक्री में ऐसे कार्य के लागत जो भूमि को अपने मूल रूप में बहाल करने के लिये अपेक्षित हो,के बराबर क्षतियों के भुगतान का निदेश दिया जा सकता है।

अन्तरर्णीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना

86-जहां अनन्तरर्णीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर या किसी असामी को धारा 85 के अनुसार किसी जोत या उसके भाग से बेदखल कर दिया गया हो वहां ऐसे भूमिधर या असामी के ऐसी जोत या उसके भाग में समस्त अधिकार और हित उनमें किये गये किन्हीं सुधारों सहित समाप्त हो जायेंगे।

सुधार जिसे न हटाया जाय

87-(1) भूमिधर के लिए उस भूमि पर जिसका वह भूमिधर है ऐसी भूमि पर खेती के लिए या उसका अधिक सुगम उपयोग करने के लिए उस भूमि पर कोई सुधार करना विधिपूर्ण होगा।

(2) जहां किसी खातेदार का किसी जोत या उसके भाग में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार समाप्त हो जाय, वहां वह उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य को हटाने या प्रयोग में लाने का हकदार न होगा।

अन्तरण

भूमिधरों के हितों अन्तरणीयता

88-(1) अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर का हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अन्तरणीय होगा।

(2) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबन्धित दशा के सिवाय किसी जोत में अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी का हित अन्तरणीय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-83 से खण्ड-88 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-89**

भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध

89-(1) किसी भूमिधर को, किसी जोत या उसके भाग का ऐसा अन्तरण का अधिकार न होगा जहां ऐसा अन्तरण उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन हो या उल्लंघन होने की सम्भावना हो।

(2) उप नियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति को किसी भूमिधर से अन्तरणीय अधिकार वाले क्रय या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा जहां अर्जन के परिणाम स्वरूप अन्तरिती भूमि का हकदार बन जाता है जो कि उसके और उसके परिवार द्वारा धारित, यदि कोई हो, भूमि को मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.04 हेक्टयर से अधिक हो जाती है।

(3) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी अर्जन को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन पूर्त या औद्योगिक प्रयोजनों के लिये हों और किसी पंजीकृत सोसाइटी या किसी कम्पनी या अन्य निगम या किसी पूर्त संस्था के पक्ष में हो और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन लोकहित में होगा, और ऐसे किसी मामले में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-89 मे निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

खण्ड-89 के उपखण्ड (3) में शब्द "अन्य निगम या" के स्थान पर शब्द "अन्य निगम, शिक्षण संस्था या" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-89 के उपखण्ड (3) में शब्द "अन्य निगम या" के स्थान पर शब्द "अन्य निगम, शिक्षण संस्था या" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-89 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-90 से खण्ड-125 तक

भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाना

90-इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुये भी भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा या किसी अन्य रीति में जिसमें उसके पक्ष में कब्जे का अन्तरण सम्मिलित है, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित करने का अधिकार न होगा।

**स्पष्टीकरण** :-इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "भारतीय नागरिक" में कोई कम्पनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हों या नहीं और जो पूर्णतया या मौलिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, सम्मिलित होंगी।

बन्धक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध

91-किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बन्धक रखने का अधिकार न होगा जहां बन्धक सम्पत्ति का कब्जा अग्रिम दी गयी या अग्रिम दी जाने वाली या उस पर ब्याज के लिये बन्धक की धनराशि के लिये प्रतिभूति के रूप में बन्धक ग्रहीता को अन्तरित किया गया हो या अन्तरित किये जाने हेतु करार किया गया हो।

अनन्तरणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बन्धक रखा या भूमि को दान देना

92-इस संहिता के उपबन्धों के अधीन, किसी जोत या उसके किसी भाग में अनन्तरणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर का हित :-

(क) राज्य सरकार या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति या यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, या ऐसी सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रित किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये या लिये जाने वाले ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा के बन्धक द्वारा अन्तरित किया जा सकता है ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या अध्याय **बारह** के अधीन भू-राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता।

धनराशि प्राप्त करने के लिये कब्जा का अंतरण विक्रय माना जायेगा

93-यदि कोई भूमिधर ऋण के रूप में या ऐसे ऋण पर ब्याज के बदले में अग्रिम ली गयी किसी धनराशि को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी जोत या उसके किसी भाग का कब्जा अन्तरित करता है तो किसी विधि या संविदा या अन्तरण के अभिलेख में किसी बात के होते हुये भी यह संव्यवहार, सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिये, अन्तरिती को विक्रय माना जायेगा और ऐसे प्रत्येक विक्रय पर धारा 89 के उपबन्ध लागू होंगे।

पट्टे पर प्रतिबन्ध

94-कोई भूमिधर या असामी अपनी जोत या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा सिवाय :

(क) धारा 95 या धारा 96 में उपबन्धित मामलों में या ;

(ख) कृषि में प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को।

किसी निःशक्त व्यक्ति द्वारा पट्टा करना

95-(1) किसी ग्राम सभा से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई भूमिधर या असामी एक बार में तीन वर्ष की सीमा से अनधिक अवधि के लिये अपने पूरे जोत या भाग को पट्टे पर दे सकता है, यदि वह निःशक्त व्यक्ति है अर्थात् वह नीचे उल्लिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग का है :

(क) मानसिक रूप से बीमार या मन्दबुद्धि व्यक्ति, ऐसे मामले में उसके अभिभावक द्वारा या उसके सम्पत्ति के प्रबन्धक द्वारा पट्टा किया जाता है ;

(ख) किसी शारीरिक अःशक्तता के कारण खेती करने के लिये असमर्थ कोई व्यक्ति ;

(ग) कोई देवता या कोई वक्फ ;

(घ) कोई विधवा या कोई अविवाहित स्त्री ;

(ङ) विवाहित महिला परन्तु वह तलाकशुदा हो या उसे पति द्वारा छोड़ दिया गया हो या अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक है या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक से रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), (ख) वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो ;

(च) कोई अवयस्क जिसका पिता या तो मृत है या वर्ग (क), वर्ग (ख) वर्ग (छ), वर्ग (ज) या वर्ग (झ) या वर्ग (ञ) का हो ऐसे मामले में उसकी सम्पत्ति के अभिभावक द्वारा पट्टा किया जाता है ;

(छ) पच्चीस वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है और जिसका पिता या तो मृत है या वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (ज), या वर्ग (झ) या वर्ग (ञ) का है ;

(ज) भारत सरकार के थल, जल या वायु सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति या उसकी पत्नी या उसके साथ रह रही या रह रहा उसकी पत्नी या उसका पति ;

(झ) कोई अन्य लोक सेवक या उसके साथ रह रही या रह रहा उसकी पत्नी या उसका पति ;

(ञ) निरोध के अधीन या कारावास भोग रहा कोई व्यक्ति।

(2) जहां उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाहियों में कोई बैंक किसी भूमि को अधिग्रहीत करता है, वह एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टा धारक का, इस प्रकार पट्टे पर दी गयी भूमि में, कोई अधिकार, हक या हित समाप्त हो जायेगा।

**स्पष्टीकरण** :-पद 'मानसिक रूप से बीमार' और 'मन्दबुद्धि' के वही अर्थ होगे जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1987) में उनके लिये दिये गये हैं।

निःशक्त सहअंश धारकों द्वारा पट्टा करना

96-(1) जहां कोई जोत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धृत की जाती है और उनमें से सभी धारा 95 की उपधारा (1) में उल्लिखित निःशक्ताओं के अधीन नहीं है तो निःशक्त सहअंशधारक जोत में अपने अंश का अकेले पट्टा कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में किसी सहअंशधारक द्वारा किसी जोत में किसी अंश का पट्टा कर दिया गया है तो ऐसा अंशधारक ऐसे अंश के बटवारे के लिये वाद कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन विभाजन के लिये किसी वाद में किसी अन्य अनुतोष को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

पट्टा कैसे किया जायेगा

97-सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1882) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) में किसी बात के होते हुये भी धारा 95 में निर्दिष्ट एक वर्ष की सीमा से अधिक के लिए कोई पट्टा या के रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या विहित रीति से किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण** :-कोई पट्टा जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में इस कारण से किया गया अन्तरण नहीं समझा जायेगा।

अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध

98-(1) इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों की सीमाओं के बाहर स्थित किसी भूमि को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टेदारी के द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को, सिवाय कलेक्टर के लिखित पूर्वानुमति के अन्तरण करने का अधिकार न होगा :

परन्तु कलेक्टर द्वारा कोई ऐसी अनुमति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे अन्तरण के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में 1.265 हे0 से कम भूमि अन्तरण के अधीन धारित की जा रही है।

(2) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाय।

अनुसूचित जन-जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध

99-इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, दान या पट्टेदारी के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार न होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों द्वारा बन्धक रखना

100-इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुये भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिधर या कोई असामी राज्य सरकार से या धारा 92 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी संस्था से लिया गया या लिये जाने वाले किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रुप में बिना कब्जे के बन्धक द्वारा किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का अन्तरण कर सकता है।

विनिमय

101-(1) परगना अधिकारी की लिखित में पूर्वानुमति के बिना कोई भूमिधर अपनी भूमि का विनिमय :--

(क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से, या

(ख) धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गयी भूमि से नहीं कर सकता है।

(2) परगना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इन्कार कर सकता है, अर्थात् :--

(क) यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबन्दी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है,

(ख) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि का विहित रीति में अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अन्तर निम्नतर मूल्यांकन के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है,

(ग) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अन्तर निम्नतर क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है,

(घ) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिये आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं,

(ङ) यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो।

(3) इस धारा में दी गयी कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती, हुयी नहीं समझी जायेगी सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय दो या अधिक सह हिस्सेदारों के बीच हो।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) में दी गयी कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।

विनियम के परिणाम

102-जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है--

(क) तो विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार होंगे जैसा कि दी गयी भूमि में उनके पास थे,

(ख) परगना अधिकारी, तद्नुसार अधिकारों के अभिलेखों (खतौनी) में संशोधन किये जाने का आदेश देगा, और

(ग) इस प्रकार विनिमय की गयी भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि एतद्द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

इस संहिता के उल्लंघन में पट्टे का प्रभाव

103-जहां तक धारा 94, धारा 95, धारा 96, या धारा 99 के उल्लंघन में किसी भूमिधर ने अपनी किसी जोत या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दिया हो तो वहां किसी विधि या संविदा या पट्टाविलेख में दी गयी किसी बात के होते हुये भी,-

(क) जहां अपने परिवार द्वारा धृत भूमि के साथ पट्टेदार द्वारा धृत भूमि जिसमें कि उसको और उसके परिवार के किसी सदस्य को पट्टे पर दी गयी भूमि सम्मिलित है, का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 5.04 हेक्टेयर से अधिक न हो तो वहां पट्टेदार उस पर अनन्तरणीय अधिकारों सहित भूमिधर हो जायेगा और समझा जायेगा, और

(ख) जहां कुल क्षेत्रफल, जैसा ऊपर वर्णित है, 5.04 हेक्टेयर से अधिक है, वहां पट्टेदार उसका क्रेता हो जाएगा और समझा जाएगा और उस पर धारा-89 के उपबन्ध लागू होंगे।

इस संहिता के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा

104-धारा 103 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत में किया गया प्रत्येक अंतरण या उसका भाग शून्य होगा जो इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है।

संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम

105-(1) जहां किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग में हित का अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहां ऐसे अन्तरण के दिनांक से निम्नलिखित परिणामों से यह सुनिश्चित किया जायेगा अर्थात् :--

(क) ऐसे अंतरण की विषय वस्तु को सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायेगा,

(ख) उस जोत या उसके भाग में विद्यमान वृक्ष, फसल, कुंआ और अन्य सुधारों को सभी भार से मुक्त, राज्य सरकार में निहित समझा जायेगा,

(ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों में अंतरक और अंतरिती का हित समाप्त हो जायेगा,

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अंतरिती के हित के निर्वापन से किसी असामी का उसके अधीन धारण करने वाला हित समाप्त हो जायेगा।

(2) जहां कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है ऐसी भूमि और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि सम्मत होगा और वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस पर अध्यासन हो, बेदखल होने वाली ऐसी भूमि या सम्पत्ति के कब्जे का निदेश दे सकता है और इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और धारा 59 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी सम्पत्ति पर लागू होंगे।

इस संहिता के उल्लंघन में असामी द्वारा किये गये अंतरण का परिणाम

106-जहां किसी जोत या उसके भाग में किसी असामी द्वारा किया गया हित का कोई अन्तरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाये वहां ऐसे असामी को इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार यथास्थिति, ग्राम सभा या अन्य भूमिधारक के वाद के आधार पर बेदखल करं दिया जायेगा।

भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत

107-(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तरणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है।

(2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अन्तरणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर के सम्बन्ध में धारा 98 और 99 के उपबन्ध वसीयत किये जाने के निमित्त उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे जीवनकाल में अन्तरण के लिए लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक इच्छा-पत्र किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी लिखित रूप में और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(4) अनन्तरणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या असामी को किसी जोत में अपने हित को इच्छा-पत्र द्वारा वसीयत करने का अधिकार न होगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी कोई वसीयत शून्य होगी।

पुरुष भूमिधर या असामी को उत्तराधिकार का सामान्य क्रम

108-(1) धारा 107 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी पुरुष भूमिधर या असामी की मृत्यु हो जाने पर उसके जोत में उसके हित का न्यागमन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को नातेदार होने पर नीचे दिये गये सिद्धान्त के अनुसार होगा:--

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे;

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट से समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात् खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ग) में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे, आदि;

(तीन) भूमिधर या असामी या किसी पूर्व पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, के यदि एक से अधिक विधवायें हो तो ऐसी समस्त विधवायें एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी;

(चार) विधवा या विधुर माता या पिता की विधुर माता या किसी मृत्युपूर्व पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, की विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्यधीन पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं अर्थात् :-

(क) विधवा और पुत्र-पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार :

परन्तु किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता।

(ख) माता और पिता;

(ग) अविवाहित पुत्री;

(घ) विवाहित पुत्री;

(ङ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(च) पुत्र की पुत्री;

(छ) पिता का माता और पिता के पिता;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ट) बहिन का पुत्र;

(ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जहां बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ड) भाई के पुत्र का पुत्र;

(ढ) माता की माता का पुत्र;

(ण) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र।

स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार

109-जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई स्त्री किसी पुरुष भूमिधर, असामी या किसी जोत में सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले वहां जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबन्धों के अध्यधीन यथास्थिति अन्तिम पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यागत होता।

**स्पष्टीकरण** :-इस धारा में पद "निकटतम जीवित वारिस" का तात्पर्य धारा-108 के अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है।

स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भू-धारक का उत्तराधिकारी

110-जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नीचे दिये गये उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जायगा :-

(क) पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में :

**परन्तु प्रथमतः** उसी शाखा का निकटतर दुरतर को अपवर्जित कर देगा;

**परन्तु द्वितीयतः** कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो, उपवर्जित हो जाएगी;

(ख) पति;

(ग)अविवाहित पुत्री;

(घ) विवाहित पुत्री;

(ङ) पुत्री का पुत्र;

(च) पिता;

(छ) विधवा माता;

(ज) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो और प्रति शाखा अनुसार भाई का पुत्र;

(झ) अविवाहित बहिन;

(ञ) विवाहित बहिन;

(ट) बहिन का पुत्र।

धार्मिक विन्यासों आदि के प्रति व्यावृत्तियां

111-इस अध्याय में दी गयी किसी बात का अर्थ किसी हिन्दू देवस्थान, मठ या डिबटर सम्पत्ति या किसी मुस्लिम वक्फ, जिसमें कोई जोत भी शामिल है, के प्रबन्धन के न्यागमन पर लागू नहीं समझा जायेगा और जो ऐसे वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होते हों।

उत्तरजीविता द्वारा सह-खातेदारों के हित का संक्रमण

112-(1) जहां दो या उससे अधिक सह-विधवायें किसी पुरुष खातेदार का हित इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उत्तराधिकार में प्राप्त करे और उनमें से कोई एक ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मर जाय या पुनर्विवाह कर ले वहां ऐसी सह-विधवा का हित उत्तरजीविता द्वारा उत्तरजीवी विधवा को और जहां दो या अधिक ऐसी उत्तरजीवी सह-विधवायें हों, वहां उत्तरजीवी सह-विधवायें को समान अंश में संक्रमित हो जायेगा ;

(2) जहां कोई भूमि दो या अधिक सह खातेदारों द्वारा धृत हो और इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् उनमें से किसी एक की धारा 108 से 110 तक के अधीन उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मृत्यु हो जाय, वहां ऐसे सह-खातेदार का हित उत्तरजीवी सह-खातेदारों को समान अंशों में संक्रमित हो जायेगा।

भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे

113-इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है से भिन्न कोई व्यक्ति न तो इच्छापत्र द्वारा और न विरासत द्वारा किसी भूमि का अर्जन या उसमें किसी हित का हकदार होगा।

न्यागमन से सम्बन्धित सामान्य शर्तें

114-इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(क) यदि किसी भूमिधर या असामी की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो यह ऐसे भूमिधर या असामी की मृत्यु के पहले पैदा हुआ या हुई हो और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर या असामी की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जायेगा;

(ख) जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई हो जिससे यह निश्चित न हो पाय कि उनमें से किस की मृत्यु हुई है और यदि मृत्यु हुई हो तो कौन दूसरे के बाद जीवित बचा है तब किसी जोत में हित के न्यागमन के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाय, छोटा बड़े के बाद जीवित बचा है;

(ग) कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर या असामी की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किये जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह किसी जोत में मृतक के हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा ;

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (ग) के अधीन किसी भूमिधर या असामी के जोत में हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाय, तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यायगमन हो जायेगा मानों अयोग्य व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भूमिधर या असामी की मृत्यु के पूर्व हुई हो।

**स्पष्टीकरण** :-इस धारा में पद "हत्या" का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 303, धारा 304-क, धारा-304-ख, धारा-305 या धारा 306 के अधीन दण्डनीय है।

राजगामी सम्पत्ति

115-(1) जहां किसी भूमिधर या ग्राम सभा से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकार के बिना मृत्यु हो जाय वहां परगना अधिकारी ऐसे भूमिधर या असामी द्वारा धृत भूमि का कब्जा लेगा और उसे विहित रीति से किसी एक समय में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक पट्टे के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

(3) यदि भूमि पर परगना अधिकारी द्वारा कब्जा लेने के तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए आवेदन करे तो परगना अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे ऐसे दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन अपना दावा अस्वीकृत होने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर अपने अधिकार की घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(5) परगना अधिकारी उपधारा (1) और (2) के अनुसार भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट वाद का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(6) यदि परगनाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो या यदि ऐसे दावेदार का जिसका दावा उपधारा (3) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया हो, उपधारा (4) के अनुसार वाद प्रस्तुत न करे या यदि ऐसा वाद प्रस्तुत करे और वह अन्तिम रूप से खारिज हो तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित हुयी समझी जायेगी अर्थात् :-

(क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार उपस्थित न हो या

(ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार घोषणा का वाद दाखिल नहीं करता है, या

(ग) ऐसे अन्तिम निस्तारण के दिनांक से जहां उपधारा (4) के अधीन दावेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद अन्ततः खारिज कर दिया गया है।

(7) जहां कोई दावेदार, उपधारा (3) के अधीन किसी दावे में या उपधारा (4) के अधीन किसी वाद में सफल होता है वहां वह तत्समय प्रदत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि पर अध्यासन और उसके सम्बन्ध में देय भू-राजस्व की समस्त बकाया उसके प्रबन्ध का व्यय काटने के पश्चात् पट्टेदार से वसूल किये गये लगान पाने का हकदार होगा।

**विभाजन**

जोत के विभाजन के लिए वाद

116-(1) भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह-अंशधारी है, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुंओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है।

(3) जहां ग्राम सभा से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहां एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए सम्बन्धित ग्राम सभा को पक्षकार बनाया जायेगा।

जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य

117-(1) धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर न्यायालय-

(क) ऐसी प्रक्रिया का अनुश्रवण करेगा जो विहित की जाय;

(ख) प्रत्येक ऐसे विभाजन के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

(2) धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से अन्तिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू-राजस्व के सम्बन्ध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## समर्पण और परित्याग

भूमिधर द्वारा समर्पण

118-(1) भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण, तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहें ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या नहीं;

(2) जहां किसी जोत का केवल हिस्सा (अंश) समर्पित किया गया हो वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

असामी द्वारा समर्पण

119-असामी किसी जोत में (किन्तु उसके किसी अंश मात्र में नहीं) अपने हित का समर्पण भूमिधारक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित नोटिस देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है।

समर्पण का प्रभाव

120-(1) किसी भूमिधर या असामी के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने अपने द्वारा धृत भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा-118 या धारा-119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया हो।

(2) जहां कोई भूमि :-

(क) किसी असामी द्वारा समर्पित कर दी जाय, वहां ऐसी भूमि में उसका अधिकार, हक या हित ऐसे समर्पण दिनांक से समाप्त समझा जायेगा;

(ख) किसी भूमिधर द्वारा समर्पित कर दी जाय, वहां ऐसी जोत में या उसके भाग में ऐसे भूमिधर का और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित उक्त दिनांक से समाप्त समझा जाएगा।

समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व

121-धारा 118 से 120 के उपबन्धों के होते हुए भी, भूमिधर या असामी समर्पण के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के सम्बन्ध में जोत का यथास्थिति भू-राजस्व या लगान का देनदार बना रहेगा जब तक कि समर्पण का नोटिस अप्रैल के प्रथम दिनांक के पूर्व न दे दिया गया हो।

भूमिधर द्वारा परित्याग

122-(1) यदि कोई भूमिधर लगातार तीन कृषि वर्ष की अवधि तक भू-राजस्व का भुगतान न करे और इसका कृषि के लिए प्रयोग न करे और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह साधारणतः निवास करता है और जिसका पता न हो तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि का कब्जा ले सकता है।

(2) जहां कलेक्टर ने उप धारा (1) के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहां वह उसे भूमिधर की ओर से एक बार में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति से पट्टे पर दे सकता है।

(3) यदि भूमिधर या कोई अन्य व्यक्ति जो विधि पूर्वक भूमि का हकदार हो, उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो, अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उसका दावा करें तो वह उसे देयों का यदि कोई हो भुगतान करने पर और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे, वापस कर दी जायेगी।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कोई दावा न किया जाय या यदि कोई दावा किया जाय किन्तु अस्वीकृत कर दिया जाय वहां कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा और धारा-144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(6) इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी जोत पर लागू नहीं होगी जिसके पक्ष में धारा-80 के अधीन घोषणा की गई हो जहां ऐसी घोषणा निरन्तर प्रवृत्त रही हों।

परित्याग का परिणाम

123-जहां धारा-122 के अधीन कोई जोत परित्यक्त हों, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) जोत समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णता निहित हो जायेगी;

(ख) सम्बद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार हक या हित नहीं रह जायगा;

(ग) सम्बद्ध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उक्त धारा की उप धारा (4) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो, ऐसी जोत के सम्बद्ध में देय भू-राजस्व का देनदार बना रहेगा।

ग्राम सभा को कब्जा देना

124-(1) जब इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि में भूमिधर का हित समाप्त हो जाय तब परगना अधिकारी सम्बद्ध ग्राम सभा के आवेदन देने पर ऐसी भूमि का अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ग्राम सभा को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे असामी को जिसके पास किसी ग्राम सभा से या धारा-95 की उपधारा (2) किसी बैंक से प्राप्त भूमि हो बेदखल करने पर लागू होंगे।

ग्राम सभा को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश

125-भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम सभा द्वारा भूमि का पट्टा परगना अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के रूप में स्वीकार कर सकती है :-

(क) धारा-59 के अधीन ग्राम सभा को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई धारा 77 में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि के निमित्त अन्तरणीय अधिकारों वाला भूमिधर।

(ख) खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) में स्थित भूमि को छोड़कर धारा-77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असामी जहां ऐसी भूमि धारा 61 के खण्ड (क) विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम सभा को ऐसी भूमि सौंपी जाय या सौंपी हुई समझी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-90 से खण्ड-125 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-126**

भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम

126-(1) किसी व्यक्ति को अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा-125 के अधीन असामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का आवंटन कहा गया है, भूमि प्रबन्धक समिति निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करेगी :-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, विधवा,

पुत्र अविवाहित पुत्रियां या माता-पिता, जो ग्राम-सभा में निवास करते हों और भूमिहीन हों;

(ख) ग्राम-सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से पूर्णतया विकलांग हो गया हो;

(ग) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो;

(घ) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक;

(ङ) कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम-सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;

(च) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो;

(छ) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गई हो;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम सभा में निवास न करता हो, किन्तु संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 की धारा-42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो।

**स्पष्टीकरण** :-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए :-

(एक) "आवंटन" में इस संहिता द्वारा किसी निरसित अधिनियमन के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आवंटन सम्मिलित है।

(दो) "ग्राम-सभा" का तात्पर्य ऐसे ग्राम सभाओं से है जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 के अधीन परिभाषित हो।

(तीन) किसी व्यक्ति को "भूमिहीन" समझा जायेगा, यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों और जहां आवंटिती स्वयं अवयस्क हो, वहां उसके माता-पिता के पास आवंटन के दिनांक की या उक्त दिनांक को ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि में कोई भूमि न रही हो।

(चार) पद "स्वतन्त्रता सेनानी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है-जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित हो।

(पांच) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।

(छः) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।

(2) उपधारा-(1) के अधीन जितनी भूमि का आवंटन किया जाय, वह ऐसी भूमि को मिला कर, जो आवंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेयर से कम न हो।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-126 निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

खण्ड-126 के उप खण्ड (1) में शब्द "अन्तरणीय" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय" रख दिये जायें।

खण्ड-126 के उप खण्ड (1) में मद (ङ), (च) और (छ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जाय :-

"(ङ) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो;

(च) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो;

(छ) कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-126 के उपखण्ड (1) में शब्द "अन्तरणीय" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय" रख दिये जायें ?

खण्ड-126 के उपखण्ड (1) में मद (ङ), (च) और (छ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जाय :-

'(ङ) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा में उन्मोचित कर दिया गया हो;

(च) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो;

(छ) कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-126 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-127 से खण्ड-132 तक**

आवंटन का परिणाम

127-(1) जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और 126 के अनुसार आवंटित की जाय, और ऐसी भूमि पर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसे वृक्ष या सुधार की भूमि सहित सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।

(2) आवंटी ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जायं, इस प्रकार से आवंटित भूमि को धारण करेगा।

आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना

128-(1) कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से स्वतः जांच कर सकता है और किसी व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाय कि आवंटन इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमितियों में से किसी एक के उल्लंघन में है तो वह आवंटन और पट्टा को, यदि कोई हो :-

(क) इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर ;

(ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर, निरसित कर सकता है।

(2) जहां किसी भूमि का आवंटन या पट्टा उपधारा (1) के अधीन निरसित किया जाय, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) ऐसी भूमि में और उसके विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंटिती या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अधिकार, हक और हित समाप्त हो जायगा, और वे ग्राम सभा को प्रतिवर्तित हो जायेंगे।

(ख) कलेक्टर ऐसी भूमि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् ग्राम सभा को तुरन्त उन पर कब्जा देने का निदेश कर सकता है और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवंटन या पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही में, कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि धारा-77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) के सिवाय किसी व्यक्ति को अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गयी है, वहां वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाए, यह निदेश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन असामी माना जायगा।

(4) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(5) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-5 और 49 के उपबन्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।

आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली

129-(1) जहां धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहां राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर यथा स्थिति स्वप्रेरणा से और आवंटिती या पट्टेदार के आवेदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग जैसा वह आवश्यक समझे कर सकता है या करा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कब्जा दे दिये जाने के पश्चात् किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के सम्बन्ध में धारा 65 की उपधारा (2) से (8) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भूमिधरों को बेदखल न किया जाना

130-इस संहिता के द्वारा या अधीन यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भूमिधर उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।

असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिये वाद

131-(1) कोई असामी उसके द्वारा धारित भूमि से ग्राम सभा या भूमिधारक के वाद के सिवाय जैसी भी स्थिति हो जो कि निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर दाखिल किया जा सकता है, बेदखल नहीं किया जाएगा अर्थात् :-

(क) यह कि इस संहिता के उपबन्धों के अधीन असामी का हित उसके द्वारा धारित भूमि में समाप्त हो गया है;

(ख) यह कि असामी वर्षानुवर्ष या किसी एक अवधि के लिये भूमि धारण कर रहा था जो कि पहले ही समाप्त हो चुकी है या चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जायगी;

(ग) यह कि असामी किसी ऐसे प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग कर रहा है जो धारा-84 के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है;

(घ) यह कि भूमिधारक धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त था और या तो उसकी निःशक्तता समाप्त हो गयी है या वह भूमि को अपने निजी कृषि उपयोग में लाना चाहता है;

(ङ) यह कि असामी तीन माह से अधिक की अवधि के लिये लगान का बकायेदार था और वह मांग की सूचना की तामील के बावजूद तीस दिनों की अवधि के भीतर भूमिधारक को उसका भुगतान करने में विफल रहा हो;

(च) यह कि असामी ने उसके द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में अन्तरित कर दिया है;

(2) इस धारा के अधीन वाद दाखिल करने के पूर्व असामी को निकल जाने की कोई सूचना देना आवश्यक न होगी।

(3) भूमिधारक बेदखली के किसी वाद में लगान के बकाये का भी दावा कर सकता है।

(4) भूमिधारक, असामी को बेदखली के लिये वाद दाखिल किये बिना भी लगान के बकाये का वाद दाखिल कर सकता है।

फसलों और पेड़ों पर अधिकार

132-(1) जहां धारा 131 के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में कोई असामी बेदखल किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्यायनिर्णीत ऋणी की असंग्रहीत कोई फसल या पेड़ भूमि पर

विद्यमान है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गई किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित रीति में कार्यवाही करेगा :-

(क) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों और पेड़ों के मूल्य के बराबर या अधिक है तो न्यायालय ऐसी फसलों और पेड़ों के साथ भूमि का कब्जा डिक्री धारक को परिदत्त करेगा और ऐसी फसलों और पेड़ों में न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जाएंगे ;

(ख) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों और पेड़ों के मूल्य से कम है, और-

(एक) डिक्री धारक ऐसी धनराशि और मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान न्यायनिर्णीत ऋणी को कर देता है तो न्यायालय भूमि का कब्जा डिक्री धारक को सौंप देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में या पर न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जायेंगे;

(दो) डिक्री धारक ऐसे अन्तर का भुगतान नहीं करता है तो न्यायनिर्णीत ऋणी को भूमि के उपयोग और अध्यासन हेतु न्यायालय द्वारा यथा नियत प्रतिपूर्ति का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों को देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति एकत्रित या हटाये या मृत या काटे नहीं जाते।

(2) डिक्री निष्पादनकर्ता न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर फसलों या पेड़ों के मूल्य का और उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन न्यायनिर्णीत ऋणी द्वारा देय प्रतिपूर्ति का अवधारण कर सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-127 से खण्ड-132 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

## खण्ड-133

व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिये वाद

133-ग्राम सभा या भूमिधारक, धारा 131 के अधीन किसी असामी की बेदखली हेतु वाद चलाने के बदले में तहसीलदार के न्यायालय में निम्नलिखित के लिये वाद दाखिल कर सकता है :-

(क) भूमि के किसी अप्राधिकृत उपयोग या उसे किसी रूप में बेकार करने या नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिये व्यादेश;

(ख) ऐसे उपयोग में लाने या बेकार करने या नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु; या

(ग) भूमि को बेकार करने या हुए नुकसान की मरम्मत हेतु।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से खण्ड-133 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

खण्ड-133 में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर "उप जिलाधिकारी" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-133 में शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर "उप जिलाधिकारी" रख दिया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-133 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-134 से खण्ड-192 तक**

बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली

134-(1) जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिधर या असामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या असामी के जोत (धृत) के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है तो ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित भूमिधर या असामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भूमि से सम्बन्धित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार और ग्राम सभा को आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जायेगा।

धारा 139 के अधीन वाद दाखिल करने में विफलता के परिणाम

135-यदि किसी भूमिधर या असामी द्वारा धारा-134 की उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति किसी भूमि से बेदखली का वाद नहीं संस्थित किया जाता है या ऐसे किसी वाद में प्राप्त डिक्री का निष्पादन, ऐसे वाद के संस्थित किये जाने या ऐसी डिक्री के निष्पादनार्थ उपबन्धित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम प्रभावी होंगे, अर्थात्-

(क) जहां भूमि अन्तरणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर की जोत का हिस्सा हो, तो वहां कब्जेदार व्यक्ति अनन्तरणीय अधिकारों के साथ भूमिधर हो जाएगा और उसके लिए पूर्व प्रचलित दरों की दोगुनी से भू-राजस्व अदा करने का दायी होगा;

(ख) जहां भूमि अनन्तरणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर की जोत का हिस्सा हो तो वहां कब्जा करने या रखने वाला व्यक्ति अनन्तरणीय अधिकारों वाला भूमिधर हो जायेगा और उसके लिए पूर्व प्रचलित दरों की दोगुनी दर से भू-राजस्व अदा करने का दायी होगा;

ग्राम सभा की भूमि से अतिचारी की बेदखली

136-(1) परगना अधिकारी स्व-प्रेरणा पर या ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे अर्थात् :-

(क) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई कोई भूमि;

(ख) कोई भूमि जिस पर ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कब्जा लेने का हकदार हो;

(ग) कोई भूमि जो ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के स्वामित्व में हो या द्वारा धारित की गयी हो।

(घ) असामी धारा 77 के खण्ड (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट भूमिधारण कर रहा था और ऐसी भूमि में फसलों की पैदावार असम्भव हो गयी है;

(ङ) असामी को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन भूमि दी गयी थी और ग्राम सभा उसे लोक प्रयोजन के लिये उपयोग करना चाहती है।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(4) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करते समय परगना अधिकारी यथा आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द "भूमि" में ऐसी भूमि पर विद्यमान पेड़ और सुधार भी है।

गलत बेदखली के लिए उपचार

137-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार से भिन्न किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली की प्रत्याशा में के भय से या कब्जा लेने से निवारित किया गया कोई असामी इस प्रकार निकालने वाले, निकालने का प्रयास करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध-

(एक) भूमि के कब्जे के लिए ;

(दो) गलत रूप से बेदखली हेतु क्षतिपूर्ति के लिये ;

वाद दायर कर सकता है।

(2) जब किसी गलत विस्थापन के लिये न कि कब्जेदारी के लिये क्षतिपूर्ति हेतु कोई डिक्री पारित की जाती है तो प्रदान की गई क्षतिपूर्ति अवधि के लिए होगी जिसके दौरान असामी कब्जा रखने के लिए हकदार था।

## लगान

असामी द्वारा देय लगान

138-ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जायं, किसी भूमि के अध्यासन हेतु अनुमति पाने पर कोई असामी ऐसे लगान के भुगतान का दायी होगा जैसा कि यस्थास्थिति, उसके भूमिधारक या ग्राम सभा और उसके बीच अनुबन्धित किया गया हो।

लगान निर्धारण के लिए वाद

139-(1) जहां कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना किसी भूमि पर असामी के रूप में कब्जेदार हो तो असामी या उसका भूमिधारक किराये के निर्धारण हेतु तहसीलदार को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर तहसीलदार यथाविहित रीति में जांच करायेगा और इस संहिता के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार लगान नियत करेगा।

(3) उपधारा (2) में नियत किया गया लगान किसी असामी द्वारा इस रूप में भूमि के अध्यासन के दिनांक से संदेय हो जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति परगना अधिकारी को अपील दायर कर सकता है और इस संहिता के अन्य उपबन्धों में दी गई किसी बात के होते हुए भी परगना अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

बकाया हेतु दावा की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिये छूट

140-(1) जहां लगान की बकाया की वसूली के लिये वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि उस अवधि में जिसके लिये बकाया का दावा किया गया है, जोत का क्षेत्र जलप्लावन या अन्य प्रकार से सारवान रूप से घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू जमा हो जाने या अन्य विपत्ति के कारण सारवान रूप से कम हो गयी थी, वहां वह लगान में ऐसी छूट दे सकता है जैसी उसे न्याय संगत प्रतीत हो :

परन्तु ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जायेगा कि जिस अवधि के लिये वह दी गयी है उसके अतिरिक्त किसी और अवधि के लिये भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है।

(2) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन छूट दे, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जाय, भू-राजस्व में पारिणामिक छूट का आदेश देगा।

लगान की गणना

141-(1) जहां किसी जोत के सम्बन्ध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम सभा या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसको लगान देय हो, के आवेदन पर विहित रीति से लगान की गणना कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगणित किराया, संगणना के आदेश के दिनांक के पश्चात्वर्ती जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा जब तक कि आदेश में कोई अन्य दिनांक की व्यवस्था न हो।

ग्राम सभा आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली

142-ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त भूमि को धारण करने वाले असामी से बकाया लगान चाहे वह इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् देय हो, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा।

बकाया लगान को बट्टे खाते में डालने की शक्ति

143-इस संहिता के उपबन्धों के अधीन ग्राम सभा या किसी स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगान का सम्पूर्ण बकाया या उसके किसी भाग को ऐसी परिस्थितियों में जैसी विहित की जाय, यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अवसूलनीय मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है :

परन्तु ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि परगना अधिकारी उसकी पुष्टि न कर दे।

खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद

144-(1) कोई व्यक्ति जो कि किसी जोत या उसके भाग का चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिये वाद ला सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वाद में, जो-

(क) किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होंगे ;

(ख) किसी असामी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होंगे।

ग्राम सभा द्वारा घोषगात्मक वाद

145-विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी ग्राम सभा किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिये किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम सभा ऐसे वाद में किसी अन्य राहत के लिये नहीं कहेगी।

व्यादेश का उपबन्ध

146-यदि धारा 144 या 145 के अधीन किसी वाद के दौरान शपथ-पत्र या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है :-

(क) कि विवादित भूमि पर कोई सम्पत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने, क्षति पहुंचाने या अन्यथा संक्रमित किये जाने का खतरा है, या

(ख) कि वाद को कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त सम्पत्ति, पेड़ या फसल को हटाने बेच देने की धमकी देता है या इरादा रखता है-

तो न्यायालय अस्थायी आदेश दे सकता है और जहां आवश्यक हो, रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

सरकारी पट्टेदार की परिभाषा

147-प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, चाहे ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सरकारी पट्टेदार कहा जायेगा।

सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक

148-इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक सरकारी पट्टेदार को पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसी भूमि धारण करने का हक होगा।

सरकारी पट्टेदार की बेदखली

149-किसी सरकारी पट्टेदार को उसके द्वारा धृत भूमि से निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर बेदखल किया जा सकता है अर्थात् :-

(क) वह लगान या पट्टे के अधीन देय किसी अन्य धनराशि का उस दिनांक से जब वह देय हुआ हो, छः मास के भीतर भुगतान करने में विफल रहा है;

(ख) उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिये वह दी गयी थी, भिन्न प्रयोजन के लिये किया है;

(ग) उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है या पट्टा निरस्त कर दिया गया है ;

(घ) उसने पट्टे के किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया है।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-22, 1972 के उपबन्ध लागू होंगे

150-उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के उपबन्ध किसी सरकारी पट्टेदार की बेदखली पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत अध्यासियों पर लागू होते हैं और परगना अधिकारी को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विहित प्राधिकारी समझा जायेगा।

सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार

151-(1) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी किसी भूमि पर पट्टे के निबन्धन और शर्तों से भिन्न प्रकार से और ऐसे पट्टेदार की सहमति के बिना कब्जा कर लेता है या उसे बनाये रखता है तो ऐसा व्यक्ति सम्बद्ध सरकारी पट्टेदार के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और विहित दरों पर क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संस्थित किसी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जायेगा किन्तु ग्राम सभा पक्षकार नहीं होगी।

(3) यदि किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट बेदखली के लिये वाद का संस्थापन या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन, उसके लिये उपबन्धित परिसीमा काल के भीतर न किया जाय तो ऐसी अवधि की समाप्ति से उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्-

(क) सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी भूमि पर कब्जा करने या कब्जा बनाये रखने वाले व्यक्ति को धारा 150 के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा ;

(ख) ऐसी भूमि पर सरकारी पट्टेदार का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जायेगा और उसके पट्टे की अवधि समाप्त समझी जायेगी।

भू-राजस्व के बकाया की वसूली देयों की तरह

152-किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा देय लगान या किसी अन्य धनराशि की बकाया को भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है।

## भू-राजस्व का निर्धारण

भूमिधर धृत भूमि पर भू-राजस्व के भुगतान का दायित्व

153-(1) किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का, चाहे वह कहीं पर स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिये किया जा रहा हो। भू-राजस्व निर्धारित किया जायेगा (ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति में जैसी विहित की जायं) और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(2) भूमि का भू-राजस्व, इस बात के होते हुए भी कि उसे उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन छूट दी गयी है, निर्धारित किया जा सकता है।

(3) किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू-राजस्व के भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त न होगी।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुये भी निम्नलिखित भूमि को भू-राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी, अर्थात्-

(क) सुधार से भिन्न भवन द्वारा कब्जे की भूमि ;

(ख) कब्रिस्तान और श्मशान।

भूमिधरों द्वारा देय भू-राजस्व

154-(1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू-राजस्व की वही धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिये करने का दायी था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार धारण करता है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू-राजस्व की वही धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अधिग्रहण के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिये देय थी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार धारण करता है जिसके सम्बन्ध में ऐसे अधिग्रहण के ठीक पूर्व कोई भू-राजस्व देय नहीं था, परगना अधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुसरण में, जैसी विहित की जाय, अवधारित भू-राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।

भू-राजस्व में परिवर्तन

155-इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व में उसकी जोत के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में नहीं किया या अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कमी हो जाने के आधार पर विहित रीति से परितर्वन किया जा सकता है।

कतिपय मामलों में भू-राजस्व की छूट

156-इस संहिता में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जायेगी।

कृषि विपत्ति होने पर भू-राजस्व में माफी या स्थगन

157-(1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, कृषि सम्बन्धी विपत्ति आने पर, जिससे किसी ग्राम या ग्राम के भाग की फसलों पर प्रभाव पड़े ऐसी विपत्ति से प्रभावित किसी जोत के सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग को किसी भी अवधि के लिये माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।

(2) इसी प्रकार राज्य सरकार किसी ग्राम या उसके भाग में जहां ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम सभा को देय लगान माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।

कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति

158-जब कभी भू-राजस्व में धारा 155 के अधीन वृद्धि या कमी की जाय या धारा 157 के अधीन माफी दी जाय या उसे स्थगित किया जाय, तब राज्य सरकार ग्राम सभा के असामी से भिन्न असामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान या उसके किसी भाग में वृद्धि या कमी कर सकती है या यथास्थिति माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।

159-जहां किसी लगान का भुगतान धारा 157 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, वहां- लगान स्थगित करने के परिणाम

(क) उस अवधि को जिसमें ऐसा स्थगन लागू रहे, लगान की वसूली के लिये किसी वाद के लिये अनुज्ञात परिसीमा-काल की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायगा ;

(ख) ऐसे स्थगन की अवधि में उसकी वसूली के लिये कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा न कोई आवेदन दिया जा सकेगा।

160-(1) कलेक्टर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त समस्त भूमि के मामले की प्रति वर्ष जांच करेगा। राजस्व मुक्त भूमि की वार्षिक जांच

(2) यदि मुक्ति किसी शर्त पर दी गयी हो और उसे भंग किया गया हो तो वह मामले की रिपोर्ट परिषद् को आदेशार्थ करेगा और उस पर परिषद् का आदेश अन्तिम होगा।

161-जहां किसी भू-राजस्व के कारण देय धनराशि या उसकी किसी किस्त में रुपये का अंश शामिल हो तो उसे निकटतम रुपये तक पूर्णीकृत कर दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ यदि धनराशि में रुपये का ऐसा हिस्सा पचास पैसा या अधिक हो तो उसे बढ़ाकर पूरा एक रुपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा हिस्सा पचास पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। भू-राजस्व की धनराशि का पूर्णीकृत किया जाना

162-इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी। आदेशों का अन्तिम होना

## भू-राजस्व का संग्रह

163-(1) किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी, प्रथम प्रभार होगा। भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा

(2) भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जायेगी।

164-किसी जोत के समस्त सहभूमिधर उस पर तत्समय निर्धारित भू-राजस्व के भुगतान के लिये राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और ऐसे भूमिधरों के हित के चाहे न्यागमन द्वारा या अन्य प्रकार से उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व के समस्त बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे। भूमिधर संयुक्त रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे

भू-राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना

165-किसी कृषि वर्ष के लिये उद्ग्रहणीय भू-राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और उसका ऐसे समय पर ऐसी किस्तों में, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, भुगतान किया जायेगा।

भू-राजस्व के संग्रह के लिये प्रबन्ध

166-राज्य सरकार भू-राजस्व के संग्रह के लिये ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझें।

बकायादार

167-कोई भू-राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो, उसी दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिये उत्तरदायी व्यक्ति बकायेदार हो जायेंगे।

प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य लेगा

168-इस अध्याय के प्रयोजन के लिये तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, भू-राजस्व के बकाया होने, उसकी धनराशि और ऐसे व्यक्ति का जो बाकीदार हो निश्चायक होगा।

मांग पत्र

169-जैसे ही भू-राजस्व की बकाया देय हो जाय वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग-पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जायगा, उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया

170-(1) भू-राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूल की जा सकती है अर्थात् :-

(क) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या निरुद्ध करके;

(ख) उसकी जंगम सम्पत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और विक्रय करने;

(ग) व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लाकर की कुर्की करके;

(घ) ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, कुर्की करके;

(ङ) ऐसी भूमि को जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, पट्टे पर देकर या बिक्री करके;

(च) व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके;

(छ) व्यतिक्रमी किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्ति करके।

**स्पष्टीकरण** :-शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतद्पूर्व उल्लिखित दो या अधिक आदेशिका साथ-साथ या एक के बाद एक प्रयुक्त और प्रवर्तित किए जा सकते हैं।

(2) भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किन्तु जो किसी विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर सम्पत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है जिसका वह भूमिधर या असामी है, से आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है।

गिरफ्तारी और निरोध

171-(1) कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया जो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाये, एक बार में पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाय :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, भू-राजस्व के बकाये के लिये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिये कि ऐसा व्यक्ति :

(क) स्त्री या अव्यस्क हो, या 65 वर्ष का वरिष्ट नागरिक हो या धारा 95-(1)(क) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;

(ख) संघ के सशस्त्र बल का हो;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133, 135 या 135-क के अधीन छूट प्राप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं किया जायेगा जब तक कि गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि बकाये की पूर्ण या सारभूत अंश के भुगतान को ऐसे निरुद्ध किया जाना बाध्य नहीं करेगा।

(4) गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारन्ट का समपहरण कर सकता है (वापस ले सकता है) यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति सम्पूर्ण बकाये या उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिये पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है।

जंगम सम्पति की कुर्की और बिक्री

172-(1) परगना अधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन कुर्की और उपधारा (5) के अधीन बिक्री से मुक्त होगी :-

(क) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आवश्यक परिधान, रसोई के बर्तन, पलंग और बिस्तर और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता ;

(ख) ग्रामीण शिल्पी के औजार और यदि बकायेदार कृषक हो, तो उसके खेती के उपकरण (यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण को छोड़कर) और ऐसे पशु और बीज, जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन कर सकने के लिये आवश्यक हों;

(ग) धार्मिक विन्यास के उपयोग के लिये अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।

**स्पष्टीकरण** :-1-इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद "कृषक" का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वयं भूमि पर खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिये मुख्यतया कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर रहता है।

**स्पष्टीकरण** :-2-स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह स्वयं भूमि पर खेती करता है यदि वह-

(क) स्वयं अपने श्रम से,

(ख) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम से, या

(ग) नकद या वस्तुरूप में या दोनों प्रकार से देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है।

(3) जहां कोई जंगम सम्पत्ति वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाय और बाकीदार कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति दे जिससे उसका समाधान हो जाय, वहां इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्ति बाकीदार की अभिरक्षा में छोड़ दी जायेगी। यदि कुर्की के समय बाकीदार उपलब्ध न हो या यदि वह उपलब्ध हो किन्तु कुर्क अधिकारी की ऐसी प्रतिभूति देने में विफल हो जिससे उसका समाधान हो जाय तो कुर्क की गयी सम्पत्ति किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उसकी अभिरक्षा का भार लेने को इच्छुक हो :

परन्तु पशुधन की स्थिति में, उसे निकटतम कांजी हाउस में ले जाया जा सकता है यदि न तो बाकीदार ऐसी प्रतिभूति देता है और न कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी अभिरक्षा का भार लेने का इच्छुक हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन किसी जंगम सम्पत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, विहित प्रपत्र में एक बन्ध-पत्र (सुपुर्दनामा) (जो स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगा) निष्पादित करेगा और ऐसी सम्पत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा और जब कि अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि के लिये दायी होगा। ऐसी क्षतियों या हानि का अवधारण परगना अधिकारी द्वारा किया जायेगा और वे सुपुर्ददार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जा सकेंगे।

(5) यदि इस धारा के अधीन स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो परगना अधिकारी विहित रीति में उसका विक्रय कर सकता है।

**व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की कुर्की**

173-व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की, जहां तक सम्भव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची में दिये गये आदेश-21 के नियम 46, 46-क तथा 46-ख मे अधिकाधिक रीति में सम्बन्धित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबन्धक को अनुऋणी आदेश को तामील करके की जाय और व्यतिक्रमी द्वारा किराये पर लिये गये लाकर की दशा में उसे ऐसे प्रबन्धक की उपस्थिति में सील किया जायेगा जो कि तत्पश्चात् उसके संघटकों की सूची की तैयारी और उनके अंततः निस्तारण के सम्बन्ध में परगना अधिकारी के अग्रेतर आदेशों की प्रतिक्षा करेगा।

जोत की कुर्की

174-(1) परगना अधिकारी किसी ऐसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है।

(2) जहां बकाया की धनराशि का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कुर्की की हो भुगतान कर दिया जाय, वहां ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जायगा।

(3) यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर न किया जाय तो कलेक्टर, यथास्थिति धारा-175 या धारा-176 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

जोत का पट्टा

175-(1) जहां कोई भूमि धारा 174 के अधीन कुर्क की जाय, वहां परगना अधिकारी संहिता में किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विहित किया जाय, अनुगामी जुलाई के प्रथम दिनांक से दस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझे बाकीदार से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि पट्टे पर दी जाय ऐसी भूमि पर देय सम्पूर्ण बकाया का भुगतान करने और पट्टे की अवधि के दौरान भू-राजस्व उस दर से जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उसकी कुर्की किये जाने के ठीक पूर्व बाकीदार द्वारा देय रही हो, भुगतान करने के लिये आबद्ध होगा।

(3) यदि पट्टे की अवधि में पट्टादार पट्टे के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करें और उसके बाकी अवधि तक पट्टे पर भूमि किसी अन्य व्यक्ति को न लेना हो तो उससे ऐसी धनराशि धारा-170 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रक्रिया से वसूल की जा सकती है और पट्टा भी अवधारित किया जा सकेगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भूमि समबद्ध खातेदार को ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व की किसी बकाया के लिये राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावे से मुक्त वापस कर दी जायेगी।

जोत की बिक्री

176-(1) जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा-174 के अधीन कुर्क की गयी भूमि को पट्टे पर लेने के लिये तैयार न हो या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा-175 के अधीन अवधारित किया जाता है वहां परगना अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को ऐसी रीति से बेच सकता है जैसा कि धारा-200 के अनुसार विक्रय आगम समुचित रूप में विहित किये जाय।

(2) परगना अधिकारी उप धारा (1) के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट कलेक्टर को करेगा।

अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री

177-तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कलेक्टर भू-राजस्व की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री की वसूली कर सकता है।

परन्तु यह कि किसी कृषक की उससे एकदम संलग्न मकान, अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और भूमि जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगा।

**स्पष्टीकरण** :-इस धारा के प्रयोजनार्थ ''कृषक'' का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 172 में दिया गया है।

रिसीवर की नियुक्ति

178-(1) जहां किसी व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहां कलेक्टर आदेश द्वारा :-

(क) व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का ऐसी अवधि के लिये जिसे वह उचित समझें रिसीवर नियुक्ति कर सकता है ;

(ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है और उस भूमि को रिसीवर के कब्जे अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है ;

(ग) रिसीवर को वाद प्रस्तुत करने और उनका प्रतिवाद करने सम्पत्ति की वसूली, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने और दस्तावेजों का करने की ऐसी सभी शाक्तियां प्रदान कर सकता है जो ऐसे व्यतिक्रमी के पास हो या उनमें से ऐसी किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है जिसे कलेक्टर उचित समझें।

(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार बाकीदार को न हो, सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिये कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी।

(3) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की कालावधि बढ़ा सकता है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि बाकीदार को कारण बताने का नोटिस न दे दिया जाय और ऐसे अभ्यावेदन पर जो ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में कलेक्टर द्वारा प्राप्त हो, विचार न कर लिया जाय।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अंतरिम आदेश ऐसी सूचना के जारी किये जाने के पहले या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है।

परन्तु अग्रेतर यह कि जहां ऐसी सूचना जारी किये जाने के पूर्व कोई अंतरिम आदेश किया जाता है तो अंतरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई सूचना जारी न किये जाने पर ऐसा आदेश निरस्त हो जायेगा।

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूची में दिये गये आदेश 40 के नियम 2 से 4 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(6) रिसीवर कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और ऐसी सूचना विवरणी या विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसे कलेक्टर उचित समझें।

(7) कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताये बिना किसी रिसीवर को ऐसे रिसीवर का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके स्थान पर कोई अन्य रिसीवर नियुक्त कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अदक्षता, घोर उपेक्षा, जान-बूझकर व्यतिक्रम अवज्ञा, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में गम्भीर लोप या दुर्विनियोग के आधार पर किसी रिसीवर का बना रहना वांछनीय या समीचीन न होगा। इस धारा के अधीन रिसीवर के पद से हटाया गया व्यक्ति हटाये जाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(8) कलेक्टर को रिसीवर की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारण करने कि रिसीवर के जान-बूझकर व्यतिक्रम करने, अवचार या उसकी घोर उपेक्षा से या किसी दुर्विनियोग के कारण क्या और कितनी हानि यदि कोई हो, हुई है और रिसीवर से हानि की धनराशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने की शक्ति होगी।

(9) सम्पत्ति का लगान लाभ या उससे प्राप्त कोई अन्य आय, प्रबन्ध व्यय को जिसमें रिसीवर का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है चुकता करने के पश्चात् बकाया को चुकता करने में समायोजित किया जाएगा और शेष धन यदि कोई हो, बाकीदार को दे दिया जायगा।

(10) जैसे ही उपधारा (9) के अधीन या अन्य प्रकार से बकाया चुकता हो जाय, कलेक्टर बाकीदार को सम्पत्ति वापस कर देगा।

वसूली की प्रक्रिया

179-इस अध्याय के अनुसार बकायों या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य भू-राजस्व या अन्य देयों को संग्रह करने के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय।

लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली

180-(1) धारा 170 से 178 तक में उल्लिखित उपायों का व्यय जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य सरकार देय धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु कोई संग्रहण प्रभार देय नहीं होगा यदि देय धनराशि का भुगतान

यथास्थिति व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी सम्पत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है।

(3) ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू-राजस्व के बकाये की भांति उसी रीति में वसूली योग्य होगी।

विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही

181-(1) यदि इस अध्याय के अधीन बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किसी समय बाकीदार की मृत्यु हो जाय तो बाकीदार के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाहियां (गिरफ्तारी और निरोध के सिवाय) प्रारम्भ की जा सकेगी या चालू रखी जा सकेगी मानो विधिक प्रतिनिधि स्वयं बाकीदार रहे हों।

परन्तु ऐसे विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की केवल उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है और जिसका विधिवत निस्तारण नहीं हुआ है।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति बाकीदार द्वारा देय धनराशि के लिए प्रतिभूत हुआ हो, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है मानो वह स्वयं बाकीदार रहा हो।

## स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय

182-(1) धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की या धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की प्रत्येक प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा जारी की जायगी।

(2) ऐसी प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के नियम 54 आदेश इक्कीस में विहित रीति से कार्यान्वित की जायगी।

183-(1) जहां कोई दावा, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, किया गया है तो कलेक्टर जांच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा :-

(क) जहां दावा किये जाने के पूर्व कुर्क की गयी सम्पत्ति का पहले ही विक्रय किया जा चुका हो; या

(ख) जहां कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रूप से विलम्बित किया गया है, या

(ग) या जहां कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया गया है।

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति के लिए दावा करता है को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अध्यधीन कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

विक्रय की उद्घोषणा

184-(1) जहां इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहां उप कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जारी करेगा :-

(क) विक्रय किये जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण;

(ख) ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य;

(ग) तदनिमित्त संदेय भू-राजस्व, यदि कोई हो;

(घ) विल्लंगम, यदि कोई हो;

(ङ) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो;

(च) आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान; और

(छ) ऐसे अन्य विवरण जैसा कि कलेक्टर आवश्यक समझे।

(2) विक्रय किये जाने हेतु ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल 5.04 हेक्टेयर हो वहां उपधारा (1) के अधीन एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।

(4) उद्घोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील करायी जाएगी।

उद्घोषणा का चिपकाया जाना

185-धारा 184 में निदिष्ट विक्रय उद्घोषणा की प्रति निम्नलिखित प्रत्येक स्थानों पर चिपकायी जाएगी।

(क) कलेक्टर का कार्यालय,

(ख) तहसील, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, के तहसीलदार का कार्यालय ;

(ग) ग्राम या क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, में कुछ अन्य सार्वजनिक भवन :

(घ) व्यतिक्रमी का निवासगृह।

186-(1) ऐसा प्रत्येक विक्रय, कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित रविवार या अन्य अवकाश दिवस में कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।

(3) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं।

(4) जहां किसी विक्रय को इक्कीस दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया गया हो या जहां क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है तो मूल विक्रय के लिए विहित प्रपत्र में नयी उद्घोषणा निर्गत की जायगी।

187-यदि व्यतिक्रमी ऐसी सम्पत्ति, जिसका विक्रय किया जाना है, के सम्बन्ध में विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रक्रिया की लागत सहित बकाये का भुगतान कर देता है तो विक्रय को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा।

188-(1) कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य निष्पादित कर रहा है और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की गयी सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा या को अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा या उसमें कोई रुचि नहीं लेगा।

(2) जहां ऐसी धनराशि तक, जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो, कोई बोली नहीं लगायी गयी है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिये आदेश दे सकता है।

189-(1) क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति से उसकी बोली की धनराशि का पचीस प्रतिशत तुरन्त जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसी धनराशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः विक्रय कर दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में उपगत व्ययों और पुनः विक्रय में मूल्य में होने वाली किसी कमी या कमी का वायी होगा और कलेक्टर द्वारा इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई जमा या तो नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा (किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत) या अंशतः नगद और अंशतः ऐसे ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :-इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "डिमाण्ड ड्राफ्ट" में बैंकर्स चेक भी है।

क्रय धन का जमा

190-क्रय धन की शेष धनराशि क्रेता द्वारा विक्रय के दिनांक से पन्द्रहवें दिन पर या इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में जमा की जायेगी और व्यतिक्रम करने पर-

(क) सम्पत्ति को पुनः विक्रय कर दिया जायेगा; और

(ख) धारा 189 के अधीन किया गया जमा राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगा।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति द्वारा धृत भूमि का नीलामी विक्रय

191-जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति का किसी भूमि में अधिकार हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है और ऐसी जाति या जन-जाति का कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नीलामी के तीस दिन के भीतर अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि का भुगतान करता है तो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, ऐसी धनराशि देने वाला व्यक्ति विक्रय के मामले में ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसी जाति या जनजाति का न हो, अधिक वरीयता पाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा जमा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति है तो मौके पर ही उनमें से बोली लगवायी जायेगी और अधिकतम बोली लगाने वाला ऐसी वरीयता का हकदार होगा।

बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन

192-(1) कोई व्यक्ति, जिसकी जोत या स्थावर सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय कर दी गयी हो, विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को अपास्त करने के लिए कलेक्टर को कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप कोषागार में आवेदन कर सकता है-

(क) क्रेता को क्रय धन के पांच प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करने के लिए ; और

(ख) अवशेष के मद्दे भुगतान करने के लिए विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट धनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक से उसी मद्दे भुगतान की गयी हो :

(ग) विक्रय की प्रतिक्रिया की लागत जिसमें संग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि जमा की गयी है तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त कर देगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया हो तो वह धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

खण्ड-134 से खण्ड-192 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

**खण्ड-193**

अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन

193-(1) विक्रय दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, व्यतिक्रमी या नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विक्रय से प्रभावित हो रहा हो, किसी तथ्यपरक अनियमितता या प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रृटि के आधार पर विक्रय को अपास्त करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जायेगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में सिद्ध नहीं कर देता है कि उसे ऐसी अनियमितता या त्रृटि के कारण सारवान क्षति हुई है।

(3) इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

खण्ड-193 के उप खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाये :-

"(3) राजस्व परिषद् में पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-193 के उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय :-

"(3) राजस्व परिषद् में पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-193 को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-194 से खण्ड-234 तक**

विक्रय की पुष्टि

194-(1) विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर धारा 192 या 193 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और उसे यथास्थिति आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो तो कलेक्टर उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विक्रय की पुष्टि कर देगा।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन स्थावर सम्पत्ति के किये गये विक्रय में क्रय धन की धनराशि :-

(क) पचास लाख रुपये से अधिक हो सकती है ; या

(ख) विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम,

तो कलेक्टर मामले को आयुक्त को रिपोर्ट करेगा जो विक्रय की पुष्टि कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना

195-धारा 192, धारा 193 या 194 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति कलेक्टर या आयुक्त को विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जा सकता है तो नीलामी क्रेता को कारण बताने, यदि कोई है, की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।

कतिपय मामलों के विरुद्ध दावों का वर्जन

196-यदि धारा 193 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में अनियमितता या त्रुटि से सम्बन्धित सभी दावे वर्जित हो जायेंगे।

क्रय धन का प्रतिदाय

197-जहां धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता है, क्रेता धारा 192 में उल्लिखित मामले में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी ऐसी धनराशि के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि सहित, अपने क्रय धन को वापस पाने का हकदार होगा।

विक्रय का प्रमाण पत्र

198-(1) धारा 194 के अनुसार किसी विक्रय की पुष्टि के पश्चात् कलेक्टर, विक्रय की गयी सम्पत्ति और ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया था, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में क्रेता को एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(2) कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया गया प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का विधिक अन्तरण समझा जायेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 में उपबन्धित के सिवास इसको हस्तान्तरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति क्रेता में उस दिनांक से जब उसका विक्रय किया गया हो, निहित समझी जायेगी और ऐसे दिनांक से नहीं जब विक्रय की पुष्टि की गयी हो।

प्रमाण-पत्र प्राप्त क्रेता को कब्जा दिलाना

199-(1) कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का जैसा आवश्यक समझी जाय, उपभोग कर सकता है या करा सकता है।

(2) इस धारा में कोई बात कलेक्टर को किसी व्यक्ति की जिसको व्यतिक्रमी को प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं था, किसी सम्पत्ति के कब्जे से हटाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

विक्रय मूल्य का विनियोग

200-जहां धारा 194 के अधीन किसी सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गयी हो, वहां विक्रय का मूल्य निम्नलिखित क्रम में उपयोग किया जायेगा :-

(क) प्रक्रिया की लागत और संग्रह प्रभारी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए ;

(ख) बकाया जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, का भुगतान करने के लिए ;

(ग) अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान व्यतिक्रमी को किया जायेगा।

अप्राधिकृत अधिभोगी की सरसरी बेदखली

201-कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क, पट्टे पर दी गयी या विक्रय की गयी अन्य सम्पत्ति का उक्त अध्याय के उपबन्धों के अनुसार से अन्यथा कब्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा जो ऐसा बल जैसा आवश्यक समझा जाय का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।

वाद का वर्जन

202-धारा 203 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भू-राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रह या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नहीं होगी।

वाद के पूर्व भुगतान

203-(1) जब कभी भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन शुरू की जाय तो यह दावा की गयी धनराशि का भुगतान वसूली अधिकारी को करेगा और ऐसा भुगतान किये जाने पर कार्यवाही रोक दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरू की गयी थी, इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर वाद कर सकता है।

अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है।

204-इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के मद्दे असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का ऐसी कुर्की के पश्चात् किया गया कोई भुगतान विधिमान्य परिशोध न होगा।

अध्याय का लागू होना

205-इस अध्याय के उपबन्ध भू-राजस्व के सभी बकाये और इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् देय हुई भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य अन्य धनराशि पर लागू होंगे।

## राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया

सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता

206-(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार परिषद् कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त हैं निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना-पत्र कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(2) धारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीन :-

(क) कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, और

(ख) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना-पत्र कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर कि धारा (2) (ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति न्यायालय या में उल्लिखित अधिकारी के समक्ष स्वीकार की गयी हो और सभी मामलों में जहां विवादों का निपटारा हो गया है या ऐसे निपटारे से पूर्व और जब तक कि न्याय पाने में लगातार विफल रहा हो।

प्रथम अपील

207-(1) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही में पारित किसी अन्तिम आदेश डिक्री से व्यथित कोई व्यक्ति स्तम्भ-5 विनिर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है जहां इस अनुसूची के स्तम्भ-4 के समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हों।

(2) निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगी :-

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 में, या

(ख) उक्त संहिता की धारा 104 में, या

(ग) उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 में।

(3) इस धारा के अधीन दाखिल किये जाने प्रथम अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, के दिनांक से 30 दिन के भीतर होगी।

द्वितीय अपील

208-(1) जहां तृतीय अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अन्तिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसा पक्षकार स्तम्भ-6 के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(3) इस धारा के अधीन दाखिल किये जाने के लिए द्वितीय अपील की अवधि की परिसीमा ऐसे आदेश या डिक्री जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, के दिनांक से 90 दिन के भीतर होगी।

कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन

209-धारा 207 और 208 में किसी बात के होते हुए किसी निम्नलिखित आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी जो :-

(क) इस संहिता के अध्याय पांच के अधीन किया गया ;

(ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा पांच के अधीन विलम्ब की माफी के लिए किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ;

(ग) पुनरीक्षा के लिए किसी प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करना ;

(घ) रोक के लिए किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ;

(ङ) किसी अधीनस्थ न्यायालय को मामले को प्रतिप्रेषित करना ;

(च) जहां ऐसा आदेश डिक्री अंतरिम प्रकृति का है।

अभिलेख मंगाने की शक्ति

210-परिषद् या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णित किसी वाद या कार्यवाही का जिसमें कोई अपील नहीं हुयी जहां अपील होनी है परन्तु प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने :-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधितः किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है,

तो यथास्थिति परिषद् या आयुक्त ऐसे आदेश पारित करवा सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र या तो परिषद् या आयुक्त को दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना-पत्र पर उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी प्रार्थना पर पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से या इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से जो भी बाद में हो 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार नहीं किया जायेगा।

परिषद् की पुनर्विलोकन की शक्ति

211-(1) परिषद् स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना-पत्र पर अपने द्वारा या सम्बन्धित अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) निम्नलिखित आधारों के सिवाय किसी आदेश की धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा :-

(क) किसी नयी और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य की खोज ;

(ख) अभिलेखों को देखने से ही प्रकट किसी गलती या त्रुटि ;

(ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

(3) पुनर्विलोकन पर पारित आदेश पुनर्विलोकित नहीं किया जायेगा।

मामले को अंतरित करने की शक्ति

212-(1) जहां परिषद् को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन होगा, वहां वह किसी मामले को एक राजस्व अधिकारी से समान या उच्चतर श्रेणी के उसी जिला या किसी अन्य जिला के दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतरित करने का निदेश दे सकता है।

(2) आयुक्त या कलेक्टर या परगना अधिकारी इस संहिता के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी पत्रावली में से निर्णय के लिए अपने से अधीनस्थ और ऐसा मामला या ऐसे मामलों के वर्ग को निर्णय करने में सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के हवाले कर सकता है या किसी मामले या मामलों के वर्ग को ऐसे राजस्व अधिकारी से वापस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को स्वयं निपटा सकता है या इसे किसी अन्य राजस्व अधिकारी को जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निर्णय करने में सक्षम हो, निस्तारण के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

राज्य सरकार कतिपय मामलों में आवश्यक पक्षकार होगा

213-इस संहिता के उपबन्धों या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या के विरुद्ध इस संहिता के अधीन संस्थित किसी वाद में पक्षकार बनाया जायेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना

214-जब तक इस संहिता द्वारा या अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न हो तब तक इस संहिता के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे।

प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे।

215-किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अपील या अन्य कार्यवाही के पूर्व या दौरान सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारण्ट या आदेश या कार्यवाहियों में किसी गलती लोप या अनियमितता मात्र के कारण तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी गलती, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय न हुआ हो।

नोटिस को तामील कराना

216-इस संहिता के अधीन तामील कराये जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस् या अन्य अभिलेख को निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील कराया जा सकता है :-

(क) ऐसे व्यक्ति को ही देकर जिसको तामील कराया जाना है, या

(ख) उस व्यक्ति के सामान्य या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर पता लिखे रजिस्टर्ड डाक द्वारा, या

(ग) किसी निगमित कम्पनी या निकाय के मामले में कम्पनी या निकाय के प्रधान कार्यालय पर देकर या इसके सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी का पता लिखकर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या

(घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सम्मन की तामील के लिए दिये गये किसी अन्य रीति से।

राजस्व न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीय करने की शक्ति नहीं होगी

217-इस संहिता के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी परिषद् या किसी अन्य राजस्व न्यायालय को ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जिसमें इस संहिता का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों या किसी नियम या तद्धीन बनायी गयी या जारी की गयी अधिसूचना की विधिमान्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

## प्रकीर्ण

संहिता के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति

218-राज्य सरकार अपने द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व में रखे गये किसी भूमि को इस संहिता के सभी या किसी उपबन्ध के लागू होने से अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकती है और इसी प्रकार किसी अधिसूचना को रद्द या उपान्तरित कर सकती है।

प्रत्यायोजन

219-राज्य सरकार परिषद् को या अपने से अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को नियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न इस संहिता के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकती है जिसका प्रयोग ऐसी निर्बन्धनों और शर्तों, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय के अधीन किया जायेगा।

भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति

220-इस संहिता के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी ऐसी निर्बन्धनों और शर्तों जैसी विहित की जाय के अधीन रहते हुए ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये आवश्यक समझें, किसी भी समय किसी को ग्रहण कर सकता है।

निरीक्षण करने और प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार

221-इस संहिता या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार किये गये या रखे गये सभी दस्तावेज, विवरण, अभिलेख और रजिस्टर ऐसे समय और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के भुगतान जैसी विहित की जाय, पर निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे और कोई व्यक्ति विहित फीस का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेज, विवरण, अभिलेख या रजिस्टर की या ऐसे दस्तावेज के किसी भाग की प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।

कतिपय जिलों में क्षेत्रों की संगणना

222-इस संहिता के किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियत क्षेत्र की संगणना करने के प्रयोजन से निम्नलिखित क्षेत्रों में डेढ़ हेक्टेयर भूमि की गणना एक हेक्टेयर के रूप में की जायेगी :-

(क) झांसी मण्डल ;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों का जमुनापार हिस्सा ;

(ग) जिला सोनभद्र ;

(घ) जिला मिर्जापुर में तहसील सदर का टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी बलाई (पहाड़) ; और

(ङ) मिर्जापुर जिला के तहसील चुनार के परगना साकेतगढ़ और परगना अहरौरा और भगवत के पहाड़ी पट्टी में चौथी अनुसूची में उल्लिखित गांव।

जुर्माना आदि की वसूली की रीति

223-इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय या के द्वारा वसूली योग्य किसी फीस, जुर्माना, लागत, व्यय, शास्ति या मुआवजा, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

विवरण मांगने की शक्ति

224-(1) जहां कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये यह आवश्यक समझे वहां वह किसी भू-धृति धारक या किसी भूमि के कब्जादार किसी व्यक्ति से ऐसे समय के भीतर जैसा विहित किया जाय, उसके द्वारा और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित या कब्जे में रखी गयी भूमि में उसके हित की प्रकृति और विस्तार से युक्त विवरण मांग सकता है।

(2) भू-खातेदार या उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति का, जो ऐसी भूमि में, प्रकृति और विस्तार सहित, कोई रुचि रखता हो, नाम और पता प्रकट करने के लिये भी कहा जा सकता है।

सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का परित्राण

225-(1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस संहिता या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा यदि यह कार्य दुर्भावनापूर्वक किया गया है और इस संहिता, द्वारा या के अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन के समय किया गया है।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के फलस्वरूप हुयी या होने वाली किसी नुकसानी या उठायी गयी था उठायी जाने वाली किसी क्षति के लिये या इस संहिता के उपबन्धों या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

## शास्तियां

अधिक्रमण आदि के लिये शास्ति

226-(1)कोई व्यक्ति जो-

(क) गांव की किसी सार्वजनिक सड़क (चक रोड सहित) पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, या

(ख) परगनाधिकारी द्वारा धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या

(ग) तहसीलदार द्वारा धारा 25 या धारा 26 के अधीन किये गये किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता, या

(घ) धारा 42 या धारा 48 के अधीन किये गये किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है;

जुर्माना का दायी होगा जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा और दो हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और किसी अन्य मामले में एक सौ रुपये से कम नहीं होगा और पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से यथास्थिति परगनाधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपेक्षा की जा सकती है कि वह पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसी धनराशि जिसे सम्बन्धित अधिकारी ऐसे कार्य या विफलता की पुनरावृत्ति से प्रविरत रहने के लिये ठीक समझें का बन्धपत्र निष्पादित करें।

सीमा चिन्हों की नुकसानी या नाश

227-(1) यदि कोई व्यक्ति अध्याय-चार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विधिपूर्वक परिनिर्मित किसी सीमा चिन्ह को जान बुझकर नष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो उसे तहसीलदार द्वारा इस प्रकार नष्ट की गयी क्षति पहुंचायी गयी या हटाये गये प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिये एक सौ रुपये से अनधिक की ऐसी धनराशि जो तहसीलदार की राय में इसे पुःस्थापित करने के व्यय को पूरा करने और इत्तला करने वाले को पुरस्कार देने यदि कोई हो के लिये आवश्यक हो का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नुकसानी की वसूली, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ऐसे नाश, क्षति या हटाने के सम्बन्ध में किये गये किसी अपराध के लिये अभियोजन से विवर्जित नहीं करेगी।

अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने और हटाने के लिये शास्ति

228-(1) कोई व्यक्ति जो किसी वृक्ष या उसके किसी भाग को, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम सभा की सम्पत्ति है, इसके लिये किसी प्राधिकार के बिना काटता है हटाता है या अन्यथा काम में लाता है, इसके मूल्य का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा जो उससे किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त जिसका वह भूमि का अध्यासन करने के कारण या अन्यथा, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन मांगी हो सकता है और किसी ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के होते हुये भी जो इस प्रकार काटने, हटाने या उपयोग करने के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती है, वसूल किया जा सकेगा।

(2) कलेक्टर किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृक्ष या उसके भाग के अधिहरण का निदेश दे सकता है।

अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति

229-प्रत्येक व्यक्ति जो,-

(क) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है ; या

(ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है और जिसे मिथ्या मानने का उसके पास कारण हो ; या

(ग) कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकारी या ग्राम सभा को किसी भूमि का कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त करने में बाधा डालता है ; या

(घ) किसी अधिकारी या लोक सेवक को धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने में बाधा डालता है ; या

दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

## निरसन और अपवाद

निरसन

230-(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अधिनियमन के निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा-

(क) उत्तरांचल राज्य में ऐसे किसी अधिनियमन के लागू रहने पर ;

(ख) किसी अधिनियमन के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात पर ; या

(ग) कोई अन्य अधिनियमन जिसमें ऐसा अधिनियमन उपयोजित, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया हो ; या

(घ) पहले से कुछ भी किये गये या सहन किये गये कार्य की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, हक या बाध्यता या दायित्व जिसमें विशेष रूप से सभी परिसम्पत्तियों को राज्य में निहित करना और इसमें सभी मध्यवर्तियों के सभी अधिकार, हक और हित को समाप्त करना सम्मिलित है ; या इसके सम्बन्ध में कोई उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण का या से निर्मोचन या उन्मोचन, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग, या पहले से स्वीकृत कोई क्षतिपूर्ति या विगत में किये गये किसी कार्य या वस्तु का सबूत, या

(ङ) विधि का कोई सिद्धान्त, नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का रूप या माध्यम, प्रथा या प्रक्रिया या विद्यमान उपयोग, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति :

परन्तु किसी ऐसे अधिनियमन के अधीन किसी कृत कार्य या कार्यवाही को जिसमें बनाया गया कोई नियम, नियम संग्रह, निर्धारण, नियुक्तियां एवं अन्तरण जारी की गयी अधिसूचनाएं, सम्मन, नोटिस, वारन्ट और उद्घोषणा, प्रदत्त शक्ति, दिया गया पट्टा, नियम सीमा चिन्ह, तैयार किया गया अधिकार अभिलेख और अन्य अभिलेख, अर्जित अधिकार और उपगत दायित्व भी सम्मिलित है ; जहां तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत न हो, इस संहिता के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझा जायगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस संहिता के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही से अधिक्रमित न हो जाय।

विचाराधीन कार्यवाहियों पर संहिता का लागू होना

231-(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा रूप से उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त मामलों का, चाहे वे अपील, पुररीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य रूप में हो, का विनिश्चय समुचित विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा जो उन पर लागू होते यदि यह संहिता पारित न हुयी हो, तो

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सिविल न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों का, जिस पर इस संहिता के अधीन अनन्य रूप से किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जायगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

232-(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमनों के उपबन्धों से इस संहिता के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस संहिता के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (चाहे वे उपान्तरों, परिवर्तनों या लोप के रूप में हों) के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष पश्चात् कोई ऐसा आदेश नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

233-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जा सकती है :-

(एक) परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की अवधि और शर्तें ;

(दो) परिषद् के कार्य के वितरण का विनियमन और अपनी अधिकारिता के क्षेत्रीय मण्डलों को बनाना ;

(तीन) राजस्व क्षेत्रों के परिवर्तन, समाप्ति या सृजन के लिए दिशा निर्देश ;

(चार) सीमाओं के सीमांकन की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों का विनिर्देश, निर्माण और अनुरक्षण इसके लागत का उद्ग्रहण और वसूली ;

(पांच) इस संहिता के अधीन नक्शों, दस्तावेजों, विवरणों, अभिलेखों और रजिस्टरों को तैयार करने और अनुरक्षण की प्रक्रिया, उनके निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां या उद्धरण देने की प्रक्रिया ;

(छः) उत्तराधिकार और अन्तरण के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार को सूचना देने और ग्रामीण अभिलेखों जिसमें नामान्तरण और ग्रामीण अभिलेखों को ठीक करना भी है, की प्रक्रिया :

(सात) किसान बही और उससे जुड़े मामलों को तैयार करने, आपूर्ति और अनुरक्षण की प्रक्रिया जिसमें इसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस भी है ;

(आठ) सार्वजनिक सड़क, पथों या नहरों के किनारे, वृक्षारोपण से सम्बन्धित और आबादी और बेदखली भूमि में वृक्षों से सम्बन्धित विवाद के अवधारण की प्रक्रिया ;

(नौ) राज्य सरकार, ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या उसमें निहित सम्पत्तियों के संरक्षण, परिरक्षण और निपटाने की प्रक्रिया जिसमें उसकी नुकसानी, दुर्विनियोग या सदोष दखल के लिए मुआवजा का अवधारण भी है ;

(दस) भू-राजस्व के सिद्धान्त जिसमें इसका फेरफार, परिहार, निलम्बन और नियुक्ति भी है ;

(ग्यारह) भू-राजस्व और अन्य सार्वजनिक धन के संग्रह की प्रक्रिया और उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन से सम्बन्धित मामले जिसमें लागत नियत करना और संग्रहण प्रभार भी है ;

(बारह) लगान नियत करने और संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाता डालना भी है ;

(तेरह) किसी ग्राम सभा या किसी भूमि प्रबन्धक से सम्बन्धित मुकदमों में विधि व्यवसायी की नियुक्ति की प्रक्रिया और ऐसी नियुक्तियों की अवधि और शर्तें ;

(चौदह) वाद, अपील और अन्य कार्यवाहियों के संचालन और अभियोजन से सम्बन्धित प्रक्रिया जिसमें इस संहिता के अधीन विभिन्न जांच करने की प्रक्रिया भी है ;

(पन्द्रह) कलेक्टर द्वारा पट्टा देने, ऐसे पट्टा का निरस्तीकरण और राज्य सरकार ग्राम सभा और स्थानीय प्राधिकारी की भूमि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली की प्रक्रिया ;

(सोलह) ग्राम सभा को सौंपी गयी भूमि का आवंटन, आवंटी को कब्जा वापस दिलाना और ऐसे आवंटन के निरस्तीकरण से सम्बन्धित प्रक्रिया ;

(सत्रह) इस संहिता के अधीन अधिकारिता वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(अठारह) ऐसी समय सीमा आरोपित करना जिसके भीतर इस संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट कोई विशिष्ट कार्य किया जाना चाहिए ;

(उन्नीस) इस संहिता के अधीन वादी, अपीली, प्रार्थना-पत्रों और अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली फीस ;

(बीस) किसी ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी नदियों, झीलों, पोखरों और तालाबों में मछलियां पकड़ने विनियमित करना ;

(इक्कीस) चरागाह, श्मशान घाट या कब्रिस्तान और गांवों में पशुओं और चिड़ियों का पकड़ना, शिकार करना या गोली मारने को विनियमित करना ;

(बाइस) इस संहिता के अधीन कोई अन्य विषय जिसमें नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता हो।

(3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व निरसित किन्हीं अधिनियमन के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा बनाये गये और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त नियम और आदेश, जहां तक के इसके उपबन्धों से असंगत नहीं है, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार विखंडित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जाय।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार के लिए यह विहित करना विधिपूर्ण होगा कि कोई व्यक्ति जो उसका उल्लंघन करें, ऐसे उल्लंघन से होने वाले अन्य परिणाम के अतिरिक्त एक हजार रुपये से अनाधिक ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जिसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी आरोपित करना उचित समझे।

विनियमावली बनाने की शक्ति

234-(1) इस संहिता के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए विनियमावली बना सकती है।

(क) इस संहिता के अधीन वाद, प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों को शसित करने की प्रक्रिया, और

(ख) भू-अभिलेख और उससे सम्बन्धित मामलों को तैयार करने, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए दिशा निर्देश ;

(ग) तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कर्तव्य विहित करने और उनकी तैनाती, स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति विनियमित करने के लिए।

(2) उपधारा (1) के अनुसार बनाये गये सभी विनियमों में विधि का बल होगा।

(3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त राजस्व न्यायालय नियम संग्रह और भू-अभिलेख नियम संग्रह तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विखण्डित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-194 के खण्ड-234 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति के स्वीकृत हुआ।)

**प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची**

**प्रथम अनुसूची**

**(धारा 2 तथा 230 देखिये)**

**सूची-क**

**सामान्य उपयोग के अधिनियमन**

| क्रम संख्या | निरसित अधिनियमनों का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | द यूनाइटेड प्रोविसेंस रेवेन्यू आफिसर्स रेग्यूलेशन, 1803 |
| 2 | द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन, 1823 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1823 का 6) |
| 3 | द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन, ऐक्ट, 1830 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1830 का 5) |
| 4 | द बंगाल लैण्ड रेवेन्यू (सेटलमेंट एण्ड डिप्टी कलक्टर्स) रेग्यूलेशन, 1833 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1833 का 9) |
| 5 | द बंगाल इण्डिगों कॉन्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 1836 (वर्ष 1836 का ऐक्ट संख्या-10) |
| 6 | द बुन्देलखण्ड एलीनेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, 1903 (वर्ष 1903 का ऐक्ट संख्या-2) |
| 7 | बनारस पारिवारिक भू-सम्पदा अधिनियम, 1904 (वर्ष 1904 का अधिनियम संख्या-तीन) |
| 8 | उत्तर प्रदेश विलीन राज्य विधियों को लागू करने का अधिनियम, 1950 (वर्ष 1950 का अधिनियम संख्या-8) |
| 9 | दुदधी राबर्टसगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश का वर्ष 1951 का अधिनियम संख्या-32) |
| 10 | संयुक्त प्रान्त लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 |
| 11 | द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1911 |
| 12 | द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1915 |
| 13 | द गोरखपुर गोरेट्स ऐक्ट, 1919 |
| 14 | संयुक्त प्रान्त राजस्व परिषद अधिनियम, 1922 |
| 15 | संयुक्त प्रान्त एबेटमेंट आफ रेन्ट सूट्स ऐक्ट, 1938 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 16 | द यू0पी0 हिन्दू वोमेन्स राइट टू प्रापर्टी (एक्सटेंसन टू एग्रीकल्चरल लैण्ड्स) ऐक्ट, 1942 |
| 17 | संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947 |
| 18 | उत्तर प्रदेश काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान ऐक्ट, 1949 |
| 19 | उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 |
| 20 | रामपुर में बेदखली के वाद और व्यवहार रोकने का अधिनियम, 1951 |
| 21 | उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, 1952 |
| 22 | उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) अधिनियम, 1952 |
| 23 | उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, 1952 |
| 24 | रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, 1953 |
| 25 | उत्तर प्रदेश नगर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 |
| 26 | उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अधिनियम, 1957 |
| 27 | उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958 |
| 28 | उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, 1960 |
| 29 | उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, 1965 |
| 30 | उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1966 |
| 31 | उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 |
| 32 | उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रमण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972 |

## सूची-ख

## उत्तरांचल राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से सम्बन्धित अधिनियमन

| क्रम संख्या | निरसित अधिनियमों का नाम |
|---|---|
| 1 | अल्मोड़ा आनरेरी असिस्टेंट कलक्टर्स डिक्रीज एण्ड आर्डर्स वैलिडेटिंग ऐक्ट, 1938 |
| 2 | जौनसार बाबर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, 1952 |
| 3 | कुमायूं कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1954 |
| 4 | जौनसार बाबर परगना (जिला देहरादून) राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 |
| 5 | जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 |
| 6 | कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 |
| 7 | कुमायूं तथा गढ़वाल जल (संग्रह,संचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975 |

## द्वितीय अनुसूची

[ धारा 206 (2) (क) देखिये ]

### सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषय

1-सीमाओं के अभ्यंकन या सीमा चिन्हों को नियत करने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।

2-आबादी के अवधारण के लिए कलेक्टर द्वारा लिये गये किसी निर्णय पर आक्षेप करने का कोई दावा।

3-किसी राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि किये जाने या किसी ऐसी प्रविष्टि को निकालने, उपान्तरित या प्रतिस्थापित किये जाने का कोई दावा।

4-भू-राजस्व या लगान के निर्धारण, माफी या निलम्बन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।

5-राज्य सरकार द्वारा संग्रह या भू-राजस्व की वसूली के लिए ऐसी सरकार द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवर्तन या इस संहिता के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से सम्बन्धित या उससे उत्पन्न होने वाला कोई दावा।

6-राज्य सरकार, ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में इस संहिता के अधीन किसी सम्पत्ति के निहित होने के विरुद्ध कोई दावा।

7-इस संहिता के अधीन कोई जुर्माना, लगान, व्यय प्रभार, शास्ति या मुआवजा के उदग्रहण या अधिरोपण से सम्बन्धित कोई प्रश्न।

8-किसी भूमि से सदोष बेदखल या बेकब्जा किये गये किसी भूमिधर या असामी के पुनःस्थापन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।

9-इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी राजस्व अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए विवश करने का कोई दावा।

10-अध्याय दो के अधीन राजस्व क्षेत्रों और लेखपाल सर्किल के विभाजन, सृजन, समामेलन, समाप्ति या पुनः समायोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।

11-धारा-65 या धारा-130 में उल्लिखित भूमि के आवंटन या ऐसे आवंटन को रद्द किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।

12-धारा-72 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये निदेश पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।

13-धारा-129 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिये जाने या धारा 139 या धारा 204 के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल किये जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।

14-अध्याय ग्यारह के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये किसी आदेश की विधि मान्यता पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।

15-किसी भूमि पर कब्जा से सम्बन्धित कोई दावा।

16-किसी भूमि के सम्बन्ध में सह-भू-धृतिधारक के अधिकारों को सिद्ध करने विषयक कोई दावा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि प्रथम अनुसूची तथा द्वितीय अनुसूची इस विधेयक की अंग मानी जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

# तृतीय अनुसूची

(धारा 206, 207 और 208 देखिये)

| क्र0सं0 | धारा | वाद आवेदन या कार्यवाहियों का विवरण | प्रारम्भिक अधिकारिता का न्यायालय या अधिकारी | प्रथम अपील | द्वितीय अपील |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 82(2) (ग) | किसी संविदा या पट्टे के आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भूमिधर द्वारा बेदखली के लिए वाद | परगना अधिकारी | आयुक्त | बोर्ड |
| 2 | 85 (1) | अहस्तान्तरणीय अधिकार रखने वाले किसी भूमिधर के विरुद्ध ग्राम सभा द्वारा बेदखली के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 3 | 85 (2) | किसी असामी के विरुद्ध किसी भू-धारक द्वारा बेदखली के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 4 | 96 (2) | किसी निःशक्त सह-अंशधारा द्वारा विभाजन के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 5 | 116 | किसी जोत के विभाजन के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 6 | 131 (1) | किसी असामी की बेदखली के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 7 | 131 (4) | किसी असामी के विरुद्ध बकायों या लगान की वसूली के लिए वाद | तहसीलदार | कलेक्टर | शून्य |
| 8 | 133 | व्यादेश, प्रतिकर आदि के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 9 | 134 | हक के बिना भूमि का अभियोग रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली या नुकसान या दोनों के लिए वाद | परगना अधिकारी | आयुक्त | बोर्ड |
| 10 | 137 (1) | कब्जा, प्रतिकर या व्यादेश के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 139 (1) | लगान को नियत करने हेतु आवेदन | तहसीलदार | परगना अधिकारी | शून्य |
| 12 | 141 (1) | लगान के न्यूनीकरण के लिए आवेदन | परगना अधिकारी | कलेक्टर | शून्य |
| 13 | 144 | भूमिधर या असामी द्वारा घोषणा के लिए वाद | तदैव | आयुक्त | परिषद |
| 14 | 145 | ग्राम सभा द्वारा घोषणा के लिए वाद | तदैव | तदैव | तदैव |
| 15 | 151 (1) | बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा वाद | तदैव | तदैव | तदैव |

**टिप्पणी** :-क्रम संख्या 1 से 6, 9, 10 और 12 से 15 पर वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी (परगना अधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा, की जा सकेगी।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करता हूं :-

तृतीय अनुसूची में स्तम्भ, क्रम संख्या को निकाल दिया जाये।

तृतीय अनुसूची में धारा-82 (2) (ग) की प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायें :-

"24 सीमा और सीमा चिन्ह-उप जिलाधिकारी-आयुक्त

35-नामान्तरणवाद-तहसीलदार-उपजिलाधिकारी-आयुक्त

54,56,57-वृक्षों सम्बन्धी विवाद-कलेक्टर-आयुक्त

67-ग्राम सभा भूमि से अवैध-उपजिलाधिकारी-आयुक्त कब्जेदार की बेदखली"

तृतीय अनुसूची की टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रख दी जाये :-

**"टिप्पणी** :-धारा 82 (2) (ग) से धारा-131 (1), धारा-134, 137 (1) और धारा-139 (1) से धारा 151 (1) से सम्बन्धित प्रविष्टियों में वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर, (उपजिलाधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा, की जायेगी।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि तृतीय अनुसूची में स्तम्भ, क्रम संख्या को निकाल दिया जाय ?

तृतीय अनुसूची में धारा-82 (2)(ग) की प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं :-

"24 सीमा और सीमा चिन्ह-उप जिलाधिकारी-आयुक्त
35-नामान्तरणवाद-तहसीलदार-उपजिलाधिकारी-आयुक्त
54,56,57-वृक्षों सम्बन्धी विवाद-कलेक्टर-आयुक्त
67-ग्राम सभा भूमि से अवैध-उपजिलाधिकारी-आयुक्त कब्जेदार की बेदखली" ?

तृतीय अनुसूची की टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रख दी जाये :-

"टिप्पणी :-धारा 82 (2) (ग) से धारा-131 (1), धारा-134, 137 (1) और धारा-139 (1) से धारा 151 (1) से सम्बन्धित प्रविष्टियों में वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर, (उपजिलाधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्थानान्तरित किया जायेगा, की जायेगी ?"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित तृतीय अनुसूची को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

## चतुर्थ अनुसूची

(धारा 222 देखिये)

### सूची "क"

### परगना अहरौरा के गांवों की सूची

1-अमडीह
2-बघोर
3-बाघरी
4-बंतरा
5-बाट
6-भवानीपुर
7-धोतवा
8-धुरही
9-खमल्हरिया
10-खान अरजमपुर
11-कुतलुपूर
12-लोहरा
13-मद्धूपुर
14-मझुई
15-मुबारकपुर
16-मगनर हरैया
17-पवही
18-सुकरट
19-तकिया

## सूची "ख"

### परगना भागवत के गांवों की सूची

1-बन इमलिस

2-जरगल महल

3-सेमरा बरहो

4-निबिया

5-रामपुर बरहू

6-सोन बरसा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि चतुर्थ अनुसूची को इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

### खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

### उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश राज्य में भू-खातेदारी और भू-राजस्व से सम्बन्धित विधियों का समेकन एवं संशोधन करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

### विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

### अध्याय-एक

### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करें और विभिन्न क्षेत्रों के लिये या इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां मैने सबका आभार व्यक्त किया है, एक अनुमति और चाहता हूं जिन लोगों ने इसे तैयार करने में सहयोग दिया है, भालचन्द्र जी, द्विवेदी जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारी और ऐसे अधिकारी जो इसका ज्ञान रखते हैं, न्याय और विधायी विभाग तथा विधान सभा सचिवालय के जिन लोगों ने सहयोग दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006, यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 2006, यथासंशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006**

*उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री अध्यक्ष-

कुछ बोलना चाहते हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 आया है, उसके सम्बन्ध में जो सरकार इससे पूर्व एक संशोधन विधेयक लाई थी उसके बाद दोबारा यह विधेयक लायी है और इसके लाने का उद्देश्य यह बताया है कि राष्ट्रीय विधि संस्थान नाम से है, इन्स्टीट्यूट के नाम पर भ्रम हो रहा था इसलिए इस नाम से लाए हैं और यह संशोधन विधेयक कार्य परिषद् की बैठक 15 दिन के बजाय 10 दिन पर बुलाये जाने के नाम पर लाया गया है, मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले जब डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया गया था उस समय भी मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा था कि उसे सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और फिर टौटेलिटी में विचार करके निर्णय लिया जाए। मान्यवर, विधेयक, 2005 में पास होता है और 31 अगस्त को पहला संशोधन डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान का विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है और पास होता है। यह मेरी बात को सिद्ध करता है जो हमने कहा था। यह विधेयक पारित हुआ, विधि संस्थान बना नहीं, यह हास्यास्पद स्थिति है। 14 सितम्बर को वही जो पहला संशोधन है यह विधान परिषद् से पारित होकर विधान सभा में रखा जाता है और उसी दिन द्वितीय संशोधन पुनः विधान सभा में प्रस्तुत होता है। मुझे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खेद के साथ कहना पड़ रहा है या तो इसमें जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वह इसको पूरी तरह से देखते नहीं हैं।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, शासन के अधिकारी इस विधेयक को पूरी तरह से देखते नहीं हैं। अब द्वितीय संशोधन के माध्यम से यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय संशोधन किया जाएगा। जब यह संस्थान न होकर विश्वविद्यालय हो जाएगा तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जब डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर विधि संस्थान बन रहा था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर महापरिषद होगी और 22 सदस्य होंगे। मुख्य मंत्री जी अध्यक्ष होंगे और मुख्य न्यायधीश रहेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री रहेंगे, महाधिवक्ता होंगे, राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रहेंगे, न्याय विभाग के प्रभारी सचिव होंगे, वित्त विभाग के प्रभारी सचिव होंगे, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव रहेंगे। जब यह विश्वविद्यालय बन रहा है तो विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इसको बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, विश्वविद्यालय के नियम होते हैं। उसकी एक विधायी व्यवस्था होती हैं जब यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। जब विश्वविद्यालय के रूप में इसको कनवर्ट किया जा रहा है तो जब महापरिषद है, इसमें 3-3 मंत्री रहेंगे तो क्या महामहिम राज्यपाल के अन्तर्गत यह रहेगा भी कि नहीं और मान्यवर, इसमें कहा गया है कि उपाचार्य पदों के स्थान पर इसमें सह/सहायक आचार्य पदों रख दिये जाएंगे। इसमें दूसरा नाम रखने का क्या औचित्य हैं कम से कम मूल अधिनियम की धारा 12-1 के अन्तर्गत जब 15 दिन पर मीटिंग हो सकती है तो 10 दिन क्यों किया जा रहा है। मूल अधिनियम की धारा 16 में खण्ड-2 में शब्द 'प्रयोजन; के लिये विनियमावली द्वारा' गठित 'के स्थान पर शब्द' धारा 25 के अधीन इस रीति से गठित जैसी विहित की जाये' रख दिए जायेंगे। मान्यवर, इसकी भी आवश्यकता नहीं है और यह जो संशोधन किया है कि 15 दिन की नोटिस के स्थान पर 10 दिन रख दिया जाये। पहले जो मूल विधेयक पारित हुआ था उसमें व्यवस्था थी कि जो निदेशक होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो पदधारण करेगा। इसमें उस व्यवस्था को हटा रहे हैं। अब यह कर रहे हैं कि जब तक वह 65 वर्ष की आयु नहीं पूर्ण कर लेता/लेती है। मान्यवर, जब पहले यह विधेयक राष्ट्रीय विधि संस्थान के रूप में लाया गया था तो निश्चित रूप से अच्छा था। जब इसको विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय के अधिनियम के अन्तर्गत इसको लिया जाना चाहिए। इसलिए जो भी विधेयक है उसका प्रारूप बदलने की आवश्यकता है। इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और इस पर विचार करके यह रखा जाये।

* श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान के विधेयक पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। मैं भी एक लॉ ग्रेजूएट हूं। मैं तो इस विधेयक पर संशोधन लाने पर बधाई देना चाहता हूं क्योंकि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निश्चित तौर पर डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान का जो स्वरूप होगा और देश में जो राष्ट्रीय विधि संस्थान हैं उनके समकक्ष लाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कम से कम यह प्रदेश का गौरव होगा कि एक इंस्टीट्यूट इस स्तर का होगा जो कि राष्ट्र के मानचित्र पर आ जाएगा। आज कहीं भी हो, कोई विधेयक पारित करें चाहें यहां करें या लोक सभा में करें लेकिन उस विधेयक को बनाने का काम विधायिका करती है। कम से कम उस विधि की व्याख्या करने का काम वह अधिवक्ता ही करते हैं और उस सम्बन्ध में अगर शोध का कार्य हो किसी संस्थान में, और अगर और काम हों तो निश्चित तौर से उस सम्बन्ध में हर विधेयक को प्रवर समिति को भेज दें। कुछ विधेयक प्रदेश और देश के हित के लिए होते हैं। यह सम्मान के लिए उस दिशा में लाया जाने वाला विधेयक है। निश्चत तौर से इस सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो अभी तक डा0 राम मनोहर लोहिया संस्थान था, उसको राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए एक राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना और निगमन और उससे सम्बन्धित जो अनुषांगिक विषय है उसकी व्यवस्था करने के लिए, इसमें संशोधन किया है। अब इसमें स्वाभाविक है कि जब उसका राष्ट्रीय स्वरूप होगा तो चाहे उसके उपाचार्य हो, या आचार्य हों या उसका स्तर निश्चित तौर से आटोनोमस या विश्वविद्यालय स्तर पर हम करेंगे तभी उसकी स्वायत्तता होगी। मान्यवर, अगर एक संस्थान हो तो निश्चित तौर से वह स्वायत्तता नहीं हो सकती। तो आज उस स्वायत्तता को, दूसरे के किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विधि संस्थान से तुलना करना हो या गुणवत्ता में करना हो तो उसे हमें शक्ति प्रदान करना होगा, उस दिशा में यह विधेयक लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, डा0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान, लखनऊ के अधिनियम में एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि राज्य में प्रथम बार विधि व्यवसाय की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय स्तर के विधि संस्थान की स्थापना करने का काम किया है। मान्यवर, आदरणीय गौर साहब ने कुछ आपत्ति की है, लेकिन आज से पहले कभी भी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधि व्यवसाय की उच्च शिक्षा देने के लिए इसके पहले कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान राज्य में हो। पहली बार इसकी स्थापना की गयी है और इस विधि संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के अन्य विधि संस्थानों के समकक्ष बनाने के लिए, एक व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय विधि संस्थान का नाम परिवर्तित करके अब डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रखने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है और इसलिए लाया गया है कि राज्य के अन्दर, प्रदेश के अन्दर, जो सच्चाई है इस विधि संस्थान के बारे में जानते होंगे, लेकिन राज्य के बाहर अन्य राज्यों में चले जांय या देश के बाहर अन्य देश में इस विधि संस्थान के छात्र डिग्री लेकर जायेंगे तो संस्थान के नाम यह यह लगेगा कि छोटा सा संस्थान होगा। वह सामान्य संस्थान लगेगा इसलिए उसको राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा देने के लिए और उसकी पढ़ाई उसकी शिक्षा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी इसलिए नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रखने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसको राष्ट्रीय

स्वरूप प्रदान करने और अध्यापन स्टाफ को राष्ट्रीय विधि संस्थानों के समकक्ष किये जाने, महापरिषद् एवं कार्य परिषद् के अधिवेशनों को विनियमित करने, अध्यापकों के चयन में कार्यपरिषद् को और अधिक अधिकार देने व निदेश की अर्हता एवं अधिवर्षता की आयु को राष्ट्रीय स्वरूप की अन्य विधि संस्थानों के समतुल्य करने के लिए मान्यवर, ये विभिन्न धाराओं में संशोधन किये गये है। माननीय गौर साहब ने अभी एक आपत्ति की, मान्यवर, संस्थान की जो महापरिषद है और कार्यपरिषद है उसमें बहुत की अच्छे हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश से ले करके बहुत विद्वान लोग उसमें रखे गये हैं लेकिन बार काउन्सिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व मान्यवर, उसमें नहीं था और बार काउन्सिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष ने यह अपेक्षा की थी कि इस विधि संस्थान में अध्यक्ष बार काउन्सिल आफ इण्डिया को भी पदेन सदस्य के रूप में महापरिषद में रखा जाय और संस्थान की कार्यपरिषद में बार काउन्सिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष या उनके नामिनी या प्रतिनिधि को रखा जाय। मान्यवर इस कारण पिछले दिनों एक्ट की धारा-9 और 14 में संशोधन करके बार काउन्सिल आफ इण्डिया के अध्यक्ष को एक पदेन सदस्य के रूप में और उसके बाद कार्यपरिषद में पदेन सदस्य या उनके नामिनी के रूप में रखने के लिए मान्यवर, पिछले दिनों एक संशोधन लाया गया था और माननीय गौर साहब ऐसी बात नहीं है जब कहीं भी कोई विधिक अड़चन होती है तब यह प्रस्ताव जो मान्यवर, यहां पर लाया गया और हम तो यह कहना चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय तो जरूर नाम दिया गया है लेकिन इसका शिक्षा का स्तर और इसकी सारी चीजें जो देश के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें सब प्रकार की व्यवस्था की जा रही हैं मान्यवर, बड़े अच्छे उद्देश्य से लाया गया है आपकी शंका निर्मूल है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसको जो प्रवर समिति का आपका प्रस्ताव है उसको कृपया वापस ले लें और इस संशोधन को पास कराने में मदद करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय गौर जी वापस ले रहे हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। माननीय गौर साहब, आपने जो कुछ भी कहा उस सम्बन्ध में माननीय जगदम्बिका पाल जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। हम रखते वह बात, उन्होंने खुद ही रख दी। सिर्फ दो बातें हैं। एक तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि माननीय गौर साहब जाने लखनऊ में रहते हैं, कहां रहते हैं ? या सोते हैं ? पढ़े-लिखे प्रोफेसर हैं, अच्छे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आप कहते हैं कि वह बना ही नहीं। मेरी यह प्रार्थना है कि कल मेरे साथ साढ़े दस बजे चल दीजिए और उसमें जा करके देखिये कि छात्र-छात्रायें कहां रह रहे हैं, कितना अच्छा हास्टल है और कैसे प्रोफेसर हैं। पीछे बैठ जाना, हम भी बैठ जायेंगे और किस तरह से पढ़ा रहे हैं .... मैं आज कह सकता हूं कि आज के दिन अच्छी पढ़ाई हिन्दुस्तान में किसी में नहीं हो रही है जितनी कि आज लखनऊ में हो रही है। अगर ये साथ चलें .... इस मेरी सरकार की तारीफ बार काउन्सिल आफ इण्डिया ने इतनी की थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कालेज का जो आपका करने की बुनियाद रखी है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा कालेज है और होगा और

हो गया है। उसके बाद इस बात की खुशी होनी चाहिए कि चीफ जस्टिस आफ इण्डिया आये थे मानव अधिकार के भवन का शिलान्यास करने। उसके बाद उन्होंने वहीं से कार्यक्रम दे दिया था। उस रोज उन्होंने यहां से भी कहा था कि सीधे हम जायेंगे, विधि संस्थान को देखेंगे और विधि संस्थान में उनका समय थोड़ा ही था लेकिन उन्होंने ज्यादा समय दिया और क्लास में बैठ कर देखा पीछे की कुर्सी से कि आगे कैसे बैठा जाता है, कैसी कुर्सी है और कैसा क्लास है। इतना ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सराहना की। चीफ जस्टिस आफ इण्डिया ने कह दिया था कि इतना अच्छा कालेज हैं उस कालेज की बनावट भी हिन्दुस्तान में किसी विश्वविद्यालय की नहीं हो सकती। एक आकर्षण रखा है कि जो बाहर के छात्र आयें और बाहर के कितने ही छात्र-छात्रायें हैं, लड़कियां कहां-कहां की हैं आप वहां परिचय करेंगे, नाम पूछेंगे, सबसे मिलेंगे, कम से कम दो घण्टे का समय निकाल लें। मैं तो पास ही में जा रहा हूं हमें भी सुविधा रहेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जब रहूंगा तो निकाल लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं कल समय है तो आज ही चलते। मैं चाहता हूं कि .... सबको निमन्त्रण दे रहा हूं, माननीय जगदम्बिका पाल, सब मिल करके जितने नेता हैं वह सब चलें और बैठ करके देखें और जो कमियां आपको लगती हों, उन कमियों को दूर करेंगे। क्योंकि सोच समझ कर सब काम किया जा रहा है। आपने स्वयं कहा था कि कोई दलीय आधार पर नहीं विचार है, कोई सरकार किसी की रहेगी, मुख्य मंत्री वही तो नहीं रहेंगे। बार काउन्सिल आफ इण्डिया का अगर कोई प्रतिनिधि नहीं है तो वह भी अच्छा नहीं था।

मान्यवर, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया का कोई प्रतिनिधि नहीं है तो वह अच्छी बात नहीं थी। बार काउसिंल आफ इण्डिया के जब अध्यक्ष और सचिव आये तो उन्होंने कहा कि मेरे एक आदमी को आपने इसमें नहीं रखा है तो मैंने भी सोचा कि बात अच्छी है। अब रख दिया है और कोई सुझाव आयेगा तो फिर संशोधन ले आयेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप एक हफ्ते दस दिन के अन्दर विचार करके तय कर लें सभी नेता तैयार हो तो चल कर वहां देख लेंगे। कम से कम उससे एक दृष्टि तो आपकी बनेगी। कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है जगदम्बिका पाल जी ने व्यापक दृष्टि का, और कहा है कि विधेयक की भावना का आदर करना चाहिए। लेकिन जगदम्बिका पाल जी घूम फिर करके फिर वही अपनी बात पर आ जाते हैं तो व्यापक दृष्टि बनाइये। प्रोफेसर गौर साहब यह काम किसी दल विशेष का नहीं हो रहा है न किसी वर्ग का है। यह हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है ताकि विधि को जानने वाले लोग यहां से निकल कर जायें और केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं विश्व में जाकर उनका सम्मान हो। आप जानते होंगे कि बिना लॉ पास होते हुए भी डा0 राम मनोहर लोहिया जी हिन्दुस्तान में जाने माने विद्वान माने गये हैं। इसलिए आप जानते हैं आप उनके साथ रहे हैं। अध्यक्ष जी (अधिष्ठाता जी को सम्बोधित

करते हुए) चलिये आप अध्यक्ष हो जाएं, कोई बात नहीं (हंसी)। अधिष्ठाता महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है, आपके माध्यम से गौर साहब से कि इस विधेयक पर बहस की आवश्यकता नहीं है। इसकी आपको सराहना करनी चाहिए। मुझे खुशी होगी कि आप हमारे साथ चलेंगे। आप इसे पास करा दीजिए। धन्यवाद।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान की जो घोषणा की गयी है उसका मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं। हमने कहा कि चूंकि विधेयक एक बार आया, उसके बाद उसमें पहला संशोधन आ गया फिर दूसरा संशोधन प्रस्तुत है तो सरकार और उसके अधिकारी इसकी टोटलिटी पर विचार कर लें। इतने बड़े स्तर की चीज बनी है तो उसमें छोटे-छोटे संशोधन उचित नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है। उनका अपना एक कानून है और वह सब यूनिवर्सिटी ऐक्ट से गवर्न होते हैं। मान्यवर, यह विधि संस्थान के रूप में बना और उसकी अपनी महा परिषद् और कार्य परिषद् की व्यवस्था की गयी, अब चूंकि विश्वविद्यालय के स्वरूप में बन रहा है तो विश्वविद्यालय तो यू0जी0सी0 के नियमों से गवर्न होता है तो उसके रूल्स रेगुलेशन्स के तहत लागू होना चाहिए। उस हिसाब से संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने संस्थान में चलने की बात कही है। आज तो मैं शायद इलाहाबाद चला जाऊंगा लेकिन फिर जब आऊंगा तो अगर माननीय मुख्य मंत्री जी से समय मिल गया तो वहां चल के देखेंगे। शिक्षक होने के नाते यह मेरा अच्छा सौभाग्य भी होगा कि वहां जाकर देख सकूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

श्रीमन्, नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

## खण्ड 2 से 9 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

# डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

**विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2005 का सामान्य संशोधन

2-डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, में शब्द "राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश अधिनियम", "राष्ट्रीय विधि संस्थान" और "संस्थान" जिसमें शीर्षक, पार्श्व शीर्षक संक्षिप्त नाम और परिभाषा भी है, जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम", "राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय" और विश्वविद्यालय रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, खण्ड (चौदह) में, शब्द "उपाचार्य पदों" के स्थान पर शब्द "सह/सहायक आचार्य पदों" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) में शब्द "कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना" के स्थान पर शब्द "कम से कम दस दिन की सूचना" रख दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 16 में, खण्ड (दो) में शब्द "प्रयोजन के लिये विनियमावली द्वारा गठित" के स्थान पर शब्द "धारा 25 के अधीन इस रीति से गठित जैसी विहित की जाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में शब्द "पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटिस" के स्थान पर शब्द "दस दिन से अन्यून की नोटिस" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में, खण्ड (सात) में शब्द "संस्थान के उपाचार्यों और प्राध्यापकों" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय के सह आचार्यों/सहायक आचार्यों और प्राध्यापकों" रख दिये जायेंगे।

8-मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) में खण्ड (तीन) (ख) में शब्द "संस्थान प्रशासन के क्षेत्र के" के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय प्रशासन के क्षेत्र के" रख दिये जायेंगे। धारा 25 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 27 में,- धारा 27 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे व्यक्तियों में से" के स्थान पर शब्द "विख्यात शिक्षाविद या शिक्षा शास्त्री या विधि के क्षेत्र के विख्यात आचार्यों में से" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) में शब्द "जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती है, जो भी पहले हो" निकाल दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की कुछ धाराओं में संशोधन लाने के लिए यहां पर प्रस्तुत किया गया है और मान्यवर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी क्योंकि पिछले वर्षों में, पिछली सरकार ने अनेक जिलों का गठन और अनेक मण्डलों के गठन करने का काम किया था परन्तु राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धाराओं में जहां राज्य विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार प्रदर्शित किये गये हैं उनमें नये जिलों का समावेश उन सूची में नहीं हो पाया था। इसलिए इस संशोधन विधेयक के माध्यम से नये जिले जो बने हुए हैं उनको राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए उसमें संशोधन सूची में सम्मिलित

करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, मेरठ मण्डल में बागपत, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद यह तीन नये जिले जोड़ने का प्रस्ताव है। इसी तरह से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर इसमें औरैया, कन्नौज कानपुर, कानपुर नगर और कौशाम्बी यह जिले इसमें सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में कुशीनगर, महराजगंज, सन्त कबीर नगर और सिद्धार्थनगर यह नये जिले थे चूंकि अधिनियम बहुत पहले का 1973 का बना था और इन जिलों का समावेश नहीं था। इसी तरह से डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर एवं श्रावस्ती, महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में ज्योतिबाफूले नगर, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में चित्रकूट एवं महोबा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जोनपुर में चन्दौली, मऊ, सन्त रविदास नगर एवं सोनभद्र।

मान्यवर, यह नये जिलों का समावेश करने का इसमें है। इसके अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 38 में 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहां से एसोसियेशन दी जाती थी और उसमें यह था कि लखनऊ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार दीक्षान्त हाल के 16 कि0मी0 की परिधि का होता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद लेकिन राज्य के विश्वविद्यालय के अधिनियम की जो सूची है उसमें अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम है तो उसको हटाने के लिए यह है और उसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार दीक्षान्त हाल के जो 16 कि0मी0 की परिधि तक सीमित है लेकिन लखनऊ जिले में जो अन्य डिग्री कालेज खोले गये हैं उनकी सम्बद्धता 16 कि0मी0 के भीतर तो लखनऊ विश्वविद्यालय एशोसियेशन दे देगा लेकिन उसके बाद की सम्बद्धता वह कानपुर विश्वविद्यालय से देने के लिए इसमें प्रस्तावित है।

इसी तरह से सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकता है परन्तु यह प्रदेश के बाहर किसी संस्था को उसी राज्य सरकार की सिफारिश से सम्बद्ध कर सकता है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी एक आवासीय विश्वविद्यालय है और उसे किसी महाविद्यालय को सम्बद्ध करने की संस्तुति प्रदान नहीं की गयी है तो तीन विश्वविद्यालय हुये, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, यह इन विश्वविद्यालयों को यथावत रखा गया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में हमने बता दिया कि उसको अधिनियम से हटा दिया गया है इसके अतिरिक्त राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा राज्य के तत्कालीन दो विश्वविद्यालय कुमायूं और गढ़वाल मण्डलों में जो स्थित थे, उत्तरांचल राज्य बन जाने के कारण अब वह उत्तरांचल राज्य में चले गये। उसमें से एक है कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल और गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर। यह दोनों उत्तरांचल राज्य में चले गये हैं लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की सूची में अब भी यह विश्वविद्यालय चले आ रहे हैं,

इसलिए इन दो विश्वविद्यालयों को इस सूची से निकालने के लिये यह किया गया है तो मान्यवर, यह सब आवश्यक और बहुत दिनों से पड़ा हुआ संशोधन था जिसको सरकार आज ले आयी है और यही संशोधन लाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं और आदरणीय गौर साहब मैं आपसे यह अनुरोध भी करता हूं कि इसमें प्रवर समिति को देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए अपना संशोधन वापस ले लें और पारित करने में मदद करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

मान्यवर, मंत्री जी यह विधेयक क्यों लाये, इसका उद्देश्य और कारण यहां पर प्रस्तुत किया कि उत्तरांचल प्रदेश बन गया, गढ़वाल और कुमायूं विश्वविद्यालय उस प्रदेश में चले गये, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पा गया और जब कुछ जनपद का गठन हुआ था तो पुनर्गठन की दृष्टि से विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र इसमें बांटा गया लेकिन मान्यवर, मैं एक विसंगति की तरफ भी सरकार का और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिन विश्वविद्यालयों के कार्यक्षेत्र आपने जनपदों के हिसाब से बांटे हैं, उसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ जहां तक मेरी जानकारी है, इसके अन्तर्गत 274 महाविद्यालय आते हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर इसके अन्तर्गत 279 महाविद्यालय आते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर इसके अन्तर्गत 142 आते हैं, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, इसके अन्तर्गत 161 आते हैं। डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, इसके अन्तर्गत 161 आते हैं। महात्मा ज्योतिबाफूले रूहलेखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, इसके अन्तर्गत 106 आते हैं, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, इसके अन्तर्गत 53 आते हैं और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में 390 महाविद्यालय आते हैं। मान्यवर, जब आप पुनगर्ठन कर रहे थे तो महाविद्यालयों के एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से अगर हर विश्वविद्यालय के अन्दर लगभग समान महाविद्यालय हो जायं तो एक सुविधा होगी। तो मैं शासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा।

दूसरे एक बिन्दु की तरफ जो इससे तो नहीं जुड़ा है लेकिन उच्च शिक्षा से जुड़ा है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा, इस सदन को और माननीय मंत्री जी को, कि 2002-2003 में अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय की संख्या प्रदेश में 345 थी, 2003-2004 में भी 345 थी और 2005-2006 से आज तक 345 है और मान्यवर, अनानुदानित और स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो जा रही है जहां 2002-2003 में 479 अनानुदानित स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालय थे, आज मान्यवर, यह 1173 या इससे भी अधिक हो गये। मान्यवर, आज अनानुदानित

स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या इतनी बढ़ गयी है। वहां पर जो शिक्षक हैं उनको मनमाने ढंग से शुल्क कहीं एक हजार, कहीं दो हजार, पी0एच0डी0, नेट क्वालीफाइड है, दिया जा रहा है और छात्रों से मनमाना शुल्क लिया जा रहा है तो मान्यवर, जब संशोधन लायें तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी विचार कर लिया जाय कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार ने 1000 इण्टरमीडिएट कालेज को अनुदान पर देने का प्रयास किया तो क्या महाविद्यालयों के बारे में भी सरकार विचार करेगी और यूनिफार्मिटी की दृष्टि से इस पर विचार कर लिया जाय, इसीलिए मैंने इसको रखा है अगर इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय कि हर विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में लगभग बराबर महाविद्यालय आ जायें क्योंकि मेरठ विश्वविद्यालय में हम देख चुके हैं कि वहां पर किस तरह की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। टोटैलिटी यह विधेयक अच्छा हो जाए इसलिए हमने कहा कि इसे आप प्रवर समिति को सौंप दें और उसके बाद इसे प्रस्तुत करें तो काफी अच्छा हो जाएगा।

*श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है और उस पर विचार करने के लिए चर्चा में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा कि अभी गौर साहब कह रहे थे और माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस विधेयक को लाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, उस पुनर्गठन में हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय और कुमायूं विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश में थे वह पुनर्गठन के बाद उत्तरांचल राज्य में चले गये हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो राज्य का विश्वविद्यालय था, पिछले दिनों उसे केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय दर्जा प्रदान कर दिया है इसलिए अब वह भी राज्य का विश्वविद्यालय न होकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। राज्य में जहां एक तरफ डिग्री कालेजेज की संख्या बढ़ रही है एक तरफ छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, महाविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। जैसा कि उल्लेख किया गया है 345 अनुदानित विश्वविद्यालय हैं और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे हम लोग महाविद्यालय खोल रहे हैं या समाजसेवी लोग खोल रहे हैं, आज जो काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है उस काम को सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हम लोगों के जैसे कार्यकर्ता महाविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि शिक्षा से बड़ी आवश्यकता कोई नहीं है। क्योंकि किसी भी पीढ़ी को तैयार करने के लिए, किसी व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए जब तक उसे ज्ञान से परिपूर्ण नहीं करेंगे, तालीम नहीं देंगे तब तक हम कुछ तैयार नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर से किसी सम्पत्तियों से परिसम्पत्तियों से वहां की गगनचुंबी इमारतों से किसी राष्ट्र की पहचान नहीं होती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज राष्ट्र की पहचान आई0आई0टी0 से है, आई0आई0एम0 से है। आज हमारे यहां के छात्र-छात्राओं ने दुनिया के अन्य मुल्कों में अपना स्थान बनाया है, यह हमारे लिए फख्र की बात है। आज उत्तर प्रदेश की ओर चाहे कितनी ही उंगलियां उठें, चाहे कितने ही प्रश्न चिन्ह लगे लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश से इस तरह के छात्र बाहर निकल रहे हैं जो प्रदेश में ही नहीं अपना योगदान दे रहे हैं बल्कि वह राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि आज शिक्षा में दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए महत्वपूर्ण इकोनामी भी हो रही है, तमाम लोग यू0एस0 में पढ़ने जा रहे हैं। खुद यू0एस0 एक सम्पन्न राज्य है लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से इन विश्वविद्यालयों में तीस-तीस, चालीस-चालीस हजार बच्चे पढ़ रहे हैं और एशिया और यूरोप के सभी मुल्कों के बच्चे वहां जा रहे हैं। तो मान्यवर, अगर तीन विश्वविद्यालय कम हो गये तो हम नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पर क्यों नहीं विचार कर सकते हैं। आज जिस तरह से एक बात कही गई कि आज कुछ विश्वविद्यालयों में इतने ज्यादा महाविद्यालय हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से या गुणवत्ता की दृष्टि से निरन्तर उस तरह की नजर उन पर नहीं रखी जा सकती है। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि जब हम मण्डल का पुनर्गठन करते हैं तो मण्डल का पुनर्गठन क्यों करते हैं ? अभी तक गोरखपुर मण्डल में बस्ती, सिद्धार्थनगर सभी आते थे, गोरखपुर में आजमगढ़ और मऊ भी आते थे। आज आवश्यकता महसूस हुई कि प्रशासनिक, भौगोलिक या सुविधाओं की दृष्टि से जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए मण्डल का पुनर्गठन किया जाए और आज आजमगढ़ और बस्ती मण्डल का गठन हुआ। जहां हम इस तरह से पुनर्गठन कर रहे हैं तो हमारे राज्य में तीन विश्वविद्यालय कम हो गये, दो विश्वविद्यालय उत्तरांचल चले गये और एक को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया तो इन विश्वविद्यालयों के ऊपर जो खर्चा आता था, वह भी कम हो गया, ऐसा भी नहीं है कि कोई नया खर्चा आयेगा तो आज बस्ती मण्डल में या पूर्वांचल जो शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, आज आवश्यकता है कि बस्ती मण्डल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

तो मान्यवर, जहां इस विधेयक की आवश्यकता यह थी कि हम उनके जिलों का पुनर्गठन करके एक और विधेयक लाना आवश्यक था, लम्बित था तो मैं चाहूंगा कि जब एक विधेयक लाने पर विचार हो रहा है तो निश्चित तौर से उन जिलों को पुनर्गठित करके जहां विश्वविद्यालय की भी आवश्यकता है, उन जिलों को किसी विश्वविद्यालय से जोड़ दे और वहां के महाविद्यालयों की संख्या पर और अधिक भार बढ़ा दें तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस परिपेक्ष्य में नये विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर सकती है। जहां की मांग है, इस सदन में मांग हुई, क्षेत्र में हुई, वहां पर लोगों ने सड़कों पर कहा कि आज बस्ती मण्डल में एक विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए। एक नीतिगत निर्णय होना चाहिए कि मण्डल स्तर पर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, मण्डल स्तर पर एक इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना करेंगे, मण्डल स्तर पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना करेंगे। मान्यवर कौन पढ़ेगा ? अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो मानक क्या है कि क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाते जाए और

दूसरा क्षेत्र असेवित रह जाए। तो निश्चित तौर से चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार इस सदन में बात उठी।

(इस समय 5 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं आभारी हूं अध्यक्ष महोदय जी आप आ गये, कम से कम प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को शायद समाप्त करने की दिशा में आप उच्च शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित करेंगे। इसी सदन में जब हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ा पैमाना होगा मण्डल स्तर पर और हर मण्डल पर कम से कम उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक मण्डल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, एक मण्डल के स्तर पर उसके किसी जनपद में इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना हो, एक मण्डल के स्तर पर एक मेडिकल कालेज की स्थापना हो, जहां मान्यवर, जिलों के पुनर्गठन करके उच्च शिक्षा मंत्री जी यह विधेयक ला रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक के साथ-साथ बस्ती मण्डल के लिए नये विश्वविद्यालय के गठन की भी घोषणा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, दो उत्तरांचल में चले गये और एक विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया तो राज्य सरकार के एक्सचेकर पर भी बोझ नहीं आयेगा। तीन विश्वविद्यालय आज बनाने की बात करें तो जो संख्या पूर्व में थी वही संख्या रहेगी। आज जब हर तरफ चीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, विश्वविद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। आपने महाविद्यालय की क्यों आखिर स्थापना की इसलिए कि इटावा के क्षेत्र में अगर उच्च शिक्षा के लिए लड़कों को गोरखपुर जाना पड़ता रहा होगा, लखनऊ आना पड़ता रहा होगा तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपने डिग्री कालेज की स्थापना पर विचार किया, उससे पहले इण्टर कालेज की स्थापना की थी। तो आज आवश्यकता है उन महाविद्यालयों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना समीचीन होगी। उन तीन विश्वविद्यालयों की जगह पर कम से कम राज्य सरकार केवल जनपदों को पुनर्गठित करके इस विधेयक को पारित कराने का काम करेगी, हम विधेयक पारित कर देंगे लेकिन उसके साथ एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे तो हम और पुरजोर ढंग से इस विधेयक का समर्थन करके पारित करने का काम करेंगे।

(श्री राम आसरे विश्वकर्मा, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

* श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, केवल एक बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी खड़े हैं अब आप बैठिये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। केवल एक बात कहना चाहता हूं कि श्री वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर में कार्यरत है। इसमें 170 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, ऐसी मुझे जानकारी हैं उनकी संख्या इतनी अधिक है कि वह पूरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह से गर्वन नहीं कर पा रहे हैं और शैक्षणिक व्यवस्था में व्यवधान हो रहा है, उसके स्तर में गिरावट आ रही है। इसलिए एक विश्वविद्यालय मिर्जापुर या ज्ञानपुर में खोल दें। दो विश्वविद्यालय उत्तरांचल चले गये, एक विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो गया है। जो हमारे यहां के0एन0 डिग्री कालेज है, बहुत बड़ा डिग्री कालेज है उसे विश्वविद्यालय बना दें।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से जो कुछ हमने संशोधन किया है उससे विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने जो नये जनपदों का निर्माण किया था, राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की जो सूची है, उसके क्षेत्राधिकार में कितने जिले आते हैं तो नये जिलों को उसमें समावेश नहीं था, इस संशोधन के माध्यम से हमने नये जिलों का उस अधिनियम की सूची में समावेश किया है, क्षेत्राधिकार को नहीं बढ़ाया है। जैसा कि आपने कहा कि मेरठ यूनीवर्सिटी में कम हैं और पूर्वान्चल यूनीवर्सिटी में ज्यादा हैं तो हमने पुनर्गठन नहीं किया है। जो आपने नये जिले बना दिये थे उनका हमने समावेश किया है ताकि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में उस जिले का नाम शामिल हो सके और उस जिले में शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय से संचालित हो सके। दूसरी बात यह है कि उच्च शिक्षा की आवश्यकता आज लगातार बढ़ रही है। हमारी सरकार बनने के बाद प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने उच्च शिक्षा की बढ़ी हुयी फीस को कम किया। ताकि गांव के गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसलिए बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के दरवाजों पर जा रहे हैं और हमारी सरकार उनको शिक्षा देने का प्रबन्ध कर रही है, किसी छात्र को हमने निराश नहीं किया है।

मान्यवर, अनुदानित जो महाविद्यालय हैं उनकी संख्या 345 है लेकिन अभी हमने जो 23 महाविद्यालय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी0एड0 का पाठ्यक्रम संचालित कर रहे थे उनको अनुदान सूची पर लिया है। जैसे-जैसे स्थिति ठीक हो रही है हमने अनुदान सूची पर लेने का प्रयास किया है। हमारी सरकार के पहले राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 105 थी लेकिन अब राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 119 हो गयी है। 14-15 नये राजकीय महाविद्यालय सरकार ने खोलने का काम किया है। माननीय पाल साहब आपने कहा कि विश्वविद्यालय कम हो रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय जरूर हो गया है लेकिन है तो उत्तर प्रदेश में ही, उसमें जो वित्तीय व्यय है उसमें बचत हुयी है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में नयी फैकल्टी खोलीं हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और जो विश्वविद्यालय घाटे पर चल रहे थे उनकी अतिरिक्त मदद करके उनको चलाने का काम किया है। नये-नये पाठ्यक्रमों को खोल करके ज्यादा से ज्यादा छात्रों को समायोजित करने का काम किया है। प्राइवेट कालेज भी खुलवाये हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर हम लगातार बढ़ा रहे हैं। यह संशोधन जो हम लाये हैं उसमें कुछ नया नहीं किया है। जो विधिक अड़चन थी जो अधिनियम की सूची में सम्मिलित नहीं थे उनको केवल सम्मिलित करने का काम किया है। गौर साहब, मेरे विचार से इसको प्रवर समिति को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है, आप स्वयं शिक्षा मंत्री

रह चुके हैं। आप स्वयं जानते हैं। में तो यही अनुरोध करूंगा कि आप प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव वापस ले लें और सर्व सम्मति से पास करें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

अभी मंत्री जी ने कहा कि इनकी सरकार ने डिग्री कालेज में शुल्क कम किया है लेकिन इनकी सरकार के समय में ही सेल्फ फाइनेन्सिंग और अनुदानित महाविद्यालयों की बाढ़ सी आ गई है। इसमें कितना शुल्क लिया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा कि जो अनुदानित महाविद्यालय हैं उनका शुल्क सेल्फ फाइनेन्सिंग में लागू कर दिया जाय। आपकी हिम्मत नहीं है वहां छात्रों का शोषण होता है वहां पर जो टीचर आते हैं उनसे पांच हजार पर दस्तखत कराए जाते हैं और दो हजार रुपए दिए जाते हैं। उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं उनको भी ग्राण्ट एड में लिया जाय। इसकी घोषणा मंत्री जी करें कि उनको भी सरकार अनुदान सूची में लेने जा रही है। मैं भी उच्च शिक्षा मंत्री था मेरे पास उच्च शिक्षा विभाग की पुस्तिका है हमारी जब सरकार थी उस समय हमने 40 राजकीय महाविद्यालय खोले थे। मैं विसंगति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं एक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बड़ी संख्या में महाविद्यालय हैं और दूसरे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बहुत कम महाविद्यालय हैं इससे प्रशासनिक व्यवस्था में दिक्कत होती है। इसमें पुनर्गठन की आवश्यकता है इन सारी चीजों को देखते हुए ही मैंने प्रवर समिति को सौंपने की मांग की जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट सौंप दे। मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006**

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम 1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-38 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात :--

"(1) यह धारा लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973 की धारा-38 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या-2 से 12 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

अनुसूची का संशोधन

| | | |
|---|---|---|
| 2- | चौधरी चरण सिंह विश्विविद्यालय, मेरठ | बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। |
| 3- | छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर | इलाहाबाद, औरैय्या, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर, खीरी,लखनऊ, सीतापुर, रायबरेलीऔर उन्नाव। |
| 4- | दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीर नगर और सिद्धार्थनगर। |
| 5- | डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्याल, आगरा | आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी और मथुरा। |
| 6- | डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद | अम्बेदकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा प्रतापगढ़, श्रावस्ती और सुल्तानपुर। |
| 7- | महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली | बदांयू, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और शाहजहांपुर। |
| 8- | बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय | बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर,जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा। |
| 9- | वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,जौनपुर | आजमगढ़, बलिया, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, मीरजापुर, संत रविदासनगर, सोनभद्र और वाराणसी। |

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे विश्वकर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ)

**डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, सदस्य, विधान सभा को जिला-कारागार, मिरजापुर में निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में सूचना**

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-82, दिनांक 01 अगस्त, 2006 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर ने अपने फैक्स दिनांक 19 सितम्बर, 2006 में यह सूचित किया है कि डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, सदस्य, विधान सभा को मु0अ0स0 657/06 धारा-147, 148, 149, 341, 323, 504, 506, 307, 332, 333, 353, 336 भा0 द0 वि0 एवं 7 क्रिमिनल ला एक्ट थाना कछवा के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी, मीरजापुर के आदेशानुसार दिनांक 18 सितम्बर, 2006 को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया है।

**कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 2006 की बैठक में विधान सभा में दिनांक 22 सितम्बर, 2006 से 12 अक्टूबर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की है। :-

(1) दिनांक 22 सितम्बर, 2006 से 10 अक्टूबर, 2006 तक सदन का उपवेशन न हो।

(2) दिनांक 11 व 12 अक्टूबर, 2006 को सदन के उपवेशन हो।

(3) दिनांक 22 सितम्बर, 2006 से दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय:-

**सितम्बर, 2006**

| | |
|---|---|
| 22 शुक्रवार | बैठक नहीं होगी। |
| 23 शनिवार | |
| 24 रविवार | |
| 25 सोमवार | |
| 26 मंगलवार | |
| 27 बुधवार | |
| 28 गुरुवार | |
| 29 शुक्रवार | |
| 30 शनिवार | |

**अक्टूबर, 2006**

| | |
|---|---|
| 01 रविवार | |
| 02 सोमवार | दशहरा/गाँधी जयन्ती का अवकाश। |
| 03 मंगलवार | बैठक नहीं होगी। |
| 04 बुधवार | |
| 05 गुरुवार | |
| 06 शुक्रवार | |
| 07 शनिवार | |
| 08 रविवार | |
| 09 सोमवार | |
| 10 मंगलवार | |
| 11 बुधवार | 1-(क) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तेथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा। |

(ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

(ग) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

(घ) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (सेशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2-"प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में" श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

3-"प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

4-"प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में" डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

5-उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार।

6-उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार।

12 गुरुवार बैठक होगी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने जो प्रस्ताव किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2006-2007) का तृतीय प्रतिवेदन[1]**

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 के पुकारे जाने के समय पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे इसलिये इसको उस समय स्थगित कर दिया था। अगर अभी उपस्थित हों तो प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें।

सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति (श्री अरविन्द गिरि)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2006-2007) का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 21 सितम्बर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही स्थित ऊंज थाने के थानेदार द्वारा एक कम्पाउण्डर की हत्या थाने में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी

---

[1] छापा नहीं गया।

सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की जनपद बिजनौर में विद्युतीकरण, नये उपकेन्द्रों की स्थापना किये जाने हेतु एक निजी कम्पनी द्वारा ठेके पर कार्य लिये जाने एवं कार्य पूर्ण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तरवां स्थिति सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में डाक्टरों की उपस्थिति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा विभागीय टेण्डर नियमानुसार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की प्रदेश में श्रृंखलाबद्ध तरीक से पोलियो की ड्राप पिलाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्रीप्रदीप जैन आदित्य की जनपद झांसी में चिकुनगुनिया नामक भयंकर बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम के अन्तर्गत पशु वधशालाओं में हो रही अनियमितताओं के कारण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में करोड़ों रुपये के जाली दस्तावेजों के पकड़े जाने के बाद भी सी0 बी0 आई0 की जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डा0 पी0 के0 राय की दिल्ली-सुनौली परिवहन निगम के परिचालक श्री आशिक अली की अपराधियों द्वारा सरकारी पैसा छीनने के प्रयास में हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्रीराम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के थाना बैरिया अन्तर्गत सुलेमनपुर रेलवे स्टेशन पर 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुराचार करने एवं उसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री मस्त राम की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को विगत चार वर्षों से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत धन को कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौदहवीं सूचना श्री सोमारू राम सरोज की जौनपुर स्थित रतनूपुर बाजार में सांसद सैदपुर एवं उनके गनरों द्वारा श्री प्रेम शंकर की पिटाई करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के किसान मित्रों को अप्रैल, 2005 से अब तक मानदेय का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सोलहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है इन्होंने आवास विकास परिषद्, मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय को सहारनपुर स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार हुई।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

डिप्टी स्पीकर को दे दी थी।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरी तरफ देखें तो।

श्री अध्यक्ष-

इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरी सूचना वक्तव्य के लिये स्वीकार कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री जगदीश नारायण राय
2-श्री उदय राज यादव
3-श्री प्रमोद गौड़
4-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा
5-श्री मुकुट बिहारी वर्मा
6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
7-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
8-श्री जगन प्रसाद गर्ग
9-डा0 सुशील चौधरी
10-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर
11-श्री अकीलुर्रहमान खान
12-श्री राजेश कुमार
13-श्री ओ0 पी0 सिंह
14-श्री कौशल किशोर
15-श्री राम करन आर्य
16-श्री जियाउद्दीन रिजवी
17-श्री नवाब सिंह नागर
18-श्री गंगा बक्श सिंह
19-श्री आलमबर्दी
20-श्रीराम कृपाल
21-श्रीबाबू लाल कुशवाहा
22-श्री बाबू राम
23-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'
24-श्री अरुणवीर सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

25-श्री अब्दुल मन्नान
26-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
27-श्री रंगनाथ मिश्र
28-श्री संजीव दरियाबादी
29-श्री धर्मपाल सिंह
30-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
31-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
32-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया
33-श्री श्याम देव राय चौधरी
34-डा0 कौशल किशोर
35-श्री मलिक मसूद
36-श्री लालजी वर्मा
37-श्री अनिल कुमार मौर्य
38-श्री अनीस अहमद खां
39-श्री आर0 एस0 कुशवाहा
40-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
41-श्री मुंशी लाल गौतम
42-श्री सुरेश कुमार खन्ना
43-श्री जगदम्बिका पाल तथा
44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह।

**जनपद अलीगढ़ में हरदुआगंज रजबहा अन्तर्गत, संवर्धन नलकूपों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी महेन्द्र सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत हरदुआगंज रजवहा वर्ष 1990 में 08 संवर्धन नलकूप एवं वर्ष 1991 में 05 संवर्धन नलकूप तथा कौमरी रजवहा पर वर्ष 1991 में 03 संवर्धन नलकूपों का निर्माण कराया गया है जिसमें विभिन्न खण्डों द्वारा 2.74 करोड़ रु0 खर्च हुआ। परन्तु उक्त नलकूपों को आज तक चालू नहीं कराया गया है। इस तरह जनपद-अलीगढ़ में अधिकारियों द्वारा 16 सवर्धन नलकूपो के रखरखाव का पैसा आपस में बंदर-बांट किया जा रहा है। उक्त नलकूपों के चालू न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में काफी जनाक्रोश व्याप्त है।

उक्त सूचना के संबंध में प्रमुख अभियन्ता (यां0), सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत हरदुआगंज रजवहा पर वर्ष 1991 तक 16 संवर्धन नलकूपों के निर्माण एवं ऊर्जीकरण आदि पर वर्ष 1994-95 तक रु0 116.65 लाख एवं तत्पश्चात् वर्ष 2002-03 तक रु0 20.64 लाख, कुल 137.29 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2002-03 के पश्चात् इन नलकूपों पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

हरदुआगंज रजबहा पर निर्मित 16 नलकूपों में से नलकूप संख्या 1, 2, 6, 7, 8 एवं ए0 टी0 डब्लू क्रमशः 644, 815, 587, 534, 13 एवं 08 घंटे चले हैं।

उक्त राजवाहे पर निर्मित 16 नलकूपों में से 06 नलकूप 04/2002 से पूर्व 01 नलकूप (5ए0 टी0 डब्लू) 02/2006 में अर्थात् कुल 07 नलकूप ऊर्जीकृत हुये हैं, शेष 9 नलकूपों के ऊर्जीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 01 नलकूप (3 ए0 टी0 डब्लू) 30-8-06 तक तथा 01 नलकूप (4 ए0 टी0 डब्लू) दिनांक 07-09-06 तक ऊर्जीकृत किया जा चुका है। ऊर्जीकरण हेतु अवशेष अन्य 07 नलकूपों में से 03 नलकूपों (10, 12, 13 ए0 टी0 डब्लू) को दिनांक 30-09-06 तक एवं 04 नलकूपों (11, 14, 15, 16 ए0 टी0 डब्लू) को दिनांक 15-10-06 तक ऊर्जीकृत किये जाने का कार्यक्रम अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय अलीगढ़ द्वारा दिनांक 05-09-06 को आहूत संयुक्त बैठक में दिया गया है।

**जनपद गोरखपुर में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 05 विधान सभाओं में सड़कों का चयन न किये जाने के सम्बन्ध में श्री देव नारायण सिंह उर्फ जी0 एम0 सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[ प्रश्नगत सूचना के माध्यम से पूरे प्रदेश में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी किये जाने तथा निर्माण खण्ड-1 के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के 05 विधान सभाओं में एक भी मार्ग की स्वीकृति न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश की सूचना देते हुये सम्बन्धित विधान सभाओं में मार्गों की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में एस0 सी0 पी0 योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था रु0 534.00 करोड़ के सापेक्ष निर्धारित मानकों के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के विभिन्न जनपदों के मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु रु0 533.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। तथा उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। निर्माण खण्ड-1 के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के 05 विधान सभाओं से संबंधित प्रस्तावों में कतिपय कमियों के निराकरण के उपरान्त रु0 813.46 लाख के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये हैं, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

**आवश्यक वस्तु निगम, सीतापुर के गोदामों पर खाद्यान्न ढुलाई हेतु प्राप्त निविदाओं का निस्तारण न कराये जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री राधेश्याम जायसवाल, रामपाल यादव तथा अनिल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उक्त सूचना में कहा गया है कि मार्च, 2006 में आवश्यक वस्तु निगम, सीतापुर द्वारा गोदामों पर खाद्यान्न की ढुलाई हेतु टेण्डर डाला गया परन्तु उच्चाधिकारियों की मिलीभगत के कारण

उसका निस्तारण आज तक नहीं किया गया है जिससे विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह भी कहा गया है कि शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है और जानबूझकर प्रकरण को लम्बित रखा गया है।

2-इस संबंध में प्राप्त सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनपद सीतापुर में परिवहन/हैण्डलिंग ठेकेदारों की तैनाती हेतु शासनादेशानुसार जिलाधिकारी, सीतापुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 24-4-06 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं। कुल 12 निविदाओं द्वारा निविदायें डाली गयी जिसका विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0सं0 | फर्म/व्यक्ति का नाम | ब्लाकों की संख्या | जिलाधिकारी दर से स्वीकृत परिवहन दर | निगम दर से स्वीकृत हैण्डलिंग दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मै0 अंश इण्टर प्राइजेज | 17 | 10% कम | 10% कम |
| 2 | श्री विजय कुमार मिश्रा | 19 | 10% कम | 10% कम |
| 3 | श्री प्रहलाद कुमार जायसवाल | 04 | 10% कम | -- |
| 4 | श्री सचिन कुमार जायवाल | 04 | 10% कम | -- |
| 5 | मै0 किसान इण्टर प्राइजेज | 10 | 10% कम | -- |
| 6 | मै0 देव देवेश्वर इण्टरप्राइजेज | 16 | 10% कम | -- |
| 7 | श्री इन्द्र पाल सिंह | 04 | -- | निगम दर पर |
| 8 | मै0 अम्बे ट्रांसपोर्ट | 11 | 10% कम | -- |
| 9 | मै0 बाला जी ट्रांसपोर्ट | 19 | 10% कम | 10% कम |
| 10 | मै0 सिंह फ्रंट कैरियर | 05 | 10% कम | निगम दर पर |
| 11 | श्रीमती किरन देवी | 11 | -- | 10% कम |
| 12 | मे0 गुप्ता फारवर्डिंग एजेंसी | 03 | 10% कम | निगम दर पर |

उपरोक्त पात्र निविदाओं में परिवहन कार्य की दरें समस्त निविदाताओं द्वारा 10% कम की प्रस्तुत की गयी। एक ब्लाक पर कई समान दरें होने के कारण लाटरी प्रक्रिया अपनाते हुये जिलाधिकारी सीतापुर को निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिये था ताकि तद्नुसार ही चयनित ठेकेदारों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जा सके किन्तु उनके द्वारा लाटरी प्रक्रिया न अपनाकर पत्रावली निगम मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गयी। उक्त पत्रावली को जिलाधिकारी, सीतापुर की स्पष्ट संस्तुति तथा जनपद के ब्लाक गोदामों पर परिवहन/हैण्डलिंग ठेकेदारों के नाम चयनित न होने के कारण जिला प्रबन्धक, सीतापुर को पत्र संख्या-1328/वाणित्य दिनांक 22-5-06 से पुनः इस आशय से वापस भेज दी गयी कि टेण्डर समिति लाटरी प्रक्रिया अपनाते हुये प्रस्ताव मुख्यालय भेजे। इस क्रम में निगम के जिला प्रबन्धक द्वारा टेण्डर पत्रावली जिलाधिकारी को प्रस्तुत की गयी जिन पर दिनांक 23-6-2006 को अपराह्न 04 बजे लाटरी प्रक्रिया निकालने हेतु तिथि निर्धारित की गयी परन्तु जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा दिनांक 20-6-06 को ही लाटरी प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी तथा एक माह हेतु आवश्यक वस्तु निगम से कार्य लिये जाने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 13-9-06 को

जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये सभी ठेकेदारों ने एक ही दरें दी हैं प्रक्रिया निरस्त कर दी तथा धरोहर धनराशि को नियमानुसार भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये। आलोच्य वर्ष में निगम कर्मियों से ही जिलाधिकारी दर से 10 प्रतिशत कम पर परिवहन व हैण्डलिंग कार्य निगम दर से 10 प्रतिशत कम पर कराया जा रहा है जिससे निगम को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो रही है। उक्त कार्य में किसी पार्टी विशेष के ठेकेदार को लाभ पहुंचाने अथवा धन उगाही किये जाने का आरोप निराधार है।

**जनपद आजमगढ़ के ग्राम रासेपुर धनेहरी में पशु अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन मंत्री के वक्तव्य का स्थगन**

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-30 स्थगित है।

**जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जयसिंहपुर, मोतीगनपुर, कूड़ेभार, दोस्तपुर के माइनरों के पानी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश ओ0 पी0 सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जयसिंहपुर, मोतीगनपुर, कूड़ेभार, दोस्तपुर के किसानों को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनकी धान की फसल नष्ट हो गयी है, रजवाहे तथा माइनर में पानी नहीं आ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। कूड़ेभार माइनर जो पीढ़ी, सेमरी, राजापुर, मरैसी आदि गांवों के किसानों की सिंचाई का साधन है उसमें पानी नहीं आ रहा है भवानीपुर माईनर जिसमें प्रभापुर, विभागपुर, बरी, अहलादपुर आदि गांवों को सिंचाई के लिये पानी मिलता है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। चोरमा माइनर में भी पानी नहीं आ रहा है, जिससे किसानों की फसल नष्ट हो रही है। किसान परेशान हैं त्राहि-त्राहि कर रहा है तथा आन्दोलित है।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड-कूड़ेभार, जयसिंहपुर, मोतीगनपुर, दोस्तपुर में कूड़ेभार राजवहा, भवानीपुर राजवहा आदि से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है जो सुल्तानपुर शाखा बायीं से निकलने एवं सुल्तानपुर शाखा शारदा सहायक प्रणाली से निकलने वाली दरियाबाद शाखा के टेल भाग से निकलती है। विगत-3 सप्ताह क्षेत्र में वर्षा नहीं होने से पानी की अत्यधिक मांग होने लगी है नहरों के ऊपरी भाग में अवर्षण की स्थिति के कारण नीचे के भाग में पानी की कम आपूर्ति प्राप्त हो रही है जिससे दोनों में से एक-एक शाखा को साप्ताहिक आधार पर चलवाया जा रहा है जिसके कारण जनपद सुल्तानपुर में एक सप्ताह में केवल एक शाखा को ही पानी मिल पाता है तथा वांछित दूरी तक पानी पहुंचने के पहले ही ऊपर के भाग में अधिक खपत होने के कारण शाखा में पानी का स्तर कम हो जाता है कूड़ेभार राजवहा 38.200 कि0 मी0 की लम्बाई में है। अवर्षण के फलस्वरूप कृषकों द्वारा बंधे लगा दिये जाते हैं जिन्हें कटवाकर टेल भाग तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड कूड़ेभार, जयसिंहपुर, मोतीगनपुर, दोस्तपुर में कूड़ेभार राजवहा, भवानीपुर राजवहा एवं चोरमा माइनर आदि से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है, जो सुल्तानुपर शाखा बांयी से निकलती है इन तीनों नहरों के संबंध में आख्या निम्न प्रकार है :-

**1-भवानीपुर रजबहा-**

सुल्तानपुर शाखा (बांयी) के किमी0 121.200 से निकलती है। जिसकी लम्बाई किमी0 15.400 है, इसमें किमी0 7.00 तक पानी पहुंचाकर 49 हेक्टेयर सींच दर्ज करायी गयी है। इस नहर के हेड पर अत्यधिक सिल्ट जमा होने के कारण कम पानी मिल पाता है जिससे टेल फीड नहीं हो पा रही हैं सिल्ट सफाई का कार्य रबी के पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है।

**2-कूड़ेभार रजबहा-**

सुल्तानपुर शाखा (बांयी) के किमी0 93.800 से निकलती है। जिसकी लम्बाई किमी0 38.200 है, इसमें से कुल 32 अन्य नहरें निकलती है। इस नहर में किमी0 35.00 दो बार तथा 33.00 किमी0 तक दो से अधिक बार पानी पहुंचाकर 771 हेक्टेयर सींच दर्ज करायी गयी है।

**3-चोरमा माइनर**

कूड़ेभार रजवहा के किमी0 26.00 से निकली है। जिसकी लम्बाई 8.200 किमी0 है जिसमें 3 से अधिक बार पूरी लम्बाई में पानी पहुंचाया गया है।

अवर्षण की वर्तमान स्थिति में सिंचाई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उक्त सभी नहरों में पानी पहुंचाने हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं।

**जनपद लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में वैध आरा मशीनों को अवैध करार कर बन्द किये जाने के संबंध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि :-

"जनपद लखनऊ जहां मलिहाबाद से विदेशों में आम का निर्यात किया जाता है जिससे विदेशों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आमों को भेजने का लकड़ी का पैकिंग बॉक्स यहीं तैयार होता है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त है। आज बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं।

वन विभाग द्वारा पूरे उ0प्र0 में वैध आरा मशीनों को अवैध करार दिया जा रहा है, जबकि ये आरा मशीनें 50 वर्षों पूर्व की हैं कुछ मशीनें वर्ष 1980 के लगभग की हैं। इन मशीनों के नवीनीकरण के लिए वर्ष 1997 तक नवीनीकरण शुल्क वन विभाग द्वारा लगातार जमा कराया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने मात्र अनलाइसेंस सामिल्स को ही बन्द करने का आदेश दिया था परन्तु वन विभाग द्वारा जबरन पूरे उ0प्र0 के सभी आरा मशीनों को बन्द करा दिया गया, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करा लिया गया था। वन विभाग की जिम्मेदारी थी कि लाइसेन्स का नवीनीकरण

करें। प्रमुख वन संरक्षक लखनऊ के पत्र संख्या-214/पी0ए0 दिनांक 27 मार्च, 1997 से स्पष्ट है कि लाइसेन्स नवीनीकरण में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। जबकि विभाग ने लाइसेन्स शुल्क जमा करा लिया है।

मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री तरुन चटर्जी जो आज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं रिट याचिका 10142/04 में यह आदेश पारित कर चुके हैं कि लाइसेन्स नवीनीकरण पर न्यायालय ने कहीं कोई रोक नहीं लगायी है। इसी को आधार मान कर जनपद देवरिया और बनारस में आरा मशीनों का लाइसेन्स का नवीनीकरण भी किया गया है। परन्तु वन विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही और तानाशाही से राज्य सरकार का करोड़ों का घाटा हो रहा है तथा विदेशी मुद्रा से उ0प्र0 सरकार को भारी घाटा हो रहा है।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनहित रिट याचिका संख्या-202/1995 टी0 एन0 गोडावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 4-3-97 को यह आदेश पारित किया गया था कि उ0प्र0 में विद्यमान आरा मिलें, प्लाईवुड/विनियर फैक्ट्री जिनके पास वैध लाइसेन्स नहीं हैं, को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय। उपरोक्त आदेश के क्रम में तत्कालीन मुख्य सचिव, उ0प्र0 के हस्ताक्षर से समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्गत परिपत्र, दिनांक 06-3-1997 द्वारा आदेशित किया गया था कि समस्त अवैध आरा मशीन, प्लाईवुड, विनियर मिलों को बन्द करा दिया जाय। प्रदेश में 1750 आरा मशीनें जिनका लाइसेन्स एवं नवीनीकरण शुल्क 4-3-97 के पूर्व जमा हुआ था परन्तु उनके लाइसेन्स जारी नहीं हुये थे, उन आरा मशीनों को लाइसेन्स जारी करने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गयी थी परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा जवाहर लाल शर्मा व अन्य बनाम प्रभागीय वनाधिकारी व अन्य (सिविल अपील संख्या-670/2002) तथा अजीमुननिशा एवं अन्य बनाम प्रभागीय वनाधिकारी व अन्य (सिविल अपील संख्या-669/2002) में दिनांक 24-1-2002 को पारित निर्णय में यह कहा गया कि नयी आरा मशीनों को स्थापित करने हेतु नये लाइसेन्स नहीं जारी किये जा सकते हैं, परन्तु जिन आरा मशीनों के लाइसेन्स दिनांक 12-12-1996 से पूर्व जारी थे और नवीनीकरण शुल्क जमा कर रखे थे उनकी स्थिति भिन्न हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि श्री शर्मा के केस को उक्त परिपेक्ष्य में सक्षम अधिकारी द्वारा विधि के अनुरूप मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी आदेश को ध्यान में खते हुये निस्तारित किया जायेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लेख करते हुये तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक ने दिनांक 2 जनवरी, 2003 को समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारियों को यह परिपत्र भेजा कि पुरानी लाइसेन्स शुदा आरा मशीनों के नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार अपने अधिकार का प्रयोग किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक नवीनीकृत आरा मशीन की सूचना शपथ-पत्र के रूप में संबंधित द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाय।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी ने अपने पत्र दिनांक 19-4-2005 द्वारा यह निर्देश दिया कि 4 मार्च, 1997 के पश्चात् जिन काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाइयों को लाइसेन्स दिया गया या पुनः संचालन की अनुमति दी गयी उनके विवरण पृष्ठभूमि सहित कमेटी को दिये जायं। प्रमुख वन संरक्षक ने 1607 आरा मशीनों की सूची सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी में दाखिल कर दी थी। सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गयी आई0ए0-1399 में की गई संस्तुति को स्वीकार करते हुये मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01-9-2006 को यह आदेश पारित किये गये कि 1607 आरा मशीनों को, जिनके लाइसेन्स 4-3-1997 के बाद नवीनीकृत किये गये हैं निलम्बित कर दिये जायं।

प्रमुख वन संरक्षक द्वारा सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष दाखिल किये गये शपथ-पत्र में ऐसी आरा मशीनों की संख्या-1607 बताई गई थी। तत्पश्चात् प्रमुख वन संरक्षक के पत्र दिनांक 5 अगस्त, 2006 द्वारा शासन को इनकी संख्या-2448 सूचित की गयी है। आरा मशीनों की त्रुटिपूर्ण संख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारियों के विरुद्ध प्रमुख वन संरक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 01-9-2006 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-3130/14-2-06-405(55)/2004, दिनांक 08-9-2006 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारियों को 2448 आरा मशीनों का संचालन रोके जाने के निर्देश दिये गये हैं।

सम्पूर्ण उ0प्र0 के वैध आरा मशीनों के लाइसेन्स को नवीनीकरण किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में जिन आरा मशीनों का लाइसेन्स 4-3-1997 को नवीनीकृत था उनके संचालन अथवा नवीनीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय तथा विभाग द्वारा कोई रोक नहीं लगायी गई है और लाइसेन्सधारी के आवेदन करने पर नियमानुसार उनकी वैध आरा मशीनों का लाइसेंस नवीनीकृत किया जा रहा है।

**जनपद-आगरा में पेयजल हेतु अनुसूचित जाति एवं सामान्य क्षेत्र में शासनादेश के अनुरूप धनराशि आवंटित कराने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह परमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 24-8-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जनपद-आगरा में पेयजल हेतु अभी तक 25 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति के लिए तथा 75 प्रतिशत धनराशि सामान्य क्षेत्र हेतु आवंटित किया जाता है, परन्तु इस वित्तीय वर्ष में 90 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति हेतु एवं 10 प्रतिशत धनराशि सामान्य क्षेत्र हेतु जारी किया गया है। इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आगरा जनपद हेतु आवंटित पेयजल धनराशि को पूर्व की भांति संशोधित कर शासनादेश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई हैं।

2-अवगत कराना है कि जिला योजना में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के साथ नियोजन विभाग द्वारा जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारित किया जाता है। तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2006-07 में भी जिला योजनाओं को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारित किया गया है। ग्रामीण पेयजल (जिला योजना) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु जनपद-आगरा के लिए कुल रु0 1006.31 लाख का परिव्यय आवंटित हुआ है जिसमें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए रु0 900.00 लाख सम्मिलित है। मा0 जनप्रतिनिधिगण द्वारा यह संज्ञान में लाये जाने पर कि सामान्य योजना के लिए परिव्यय का आवंटन कम है, अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था कराते हुए सामान्य क्षेत्र हेतु कुल रु0 325.60 लाख का परिव्यय का आवंटन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भी यदि सामान्य हेतु परिव्यय की आवश्यकता होती है तो तद्नुसार परिव्यय का आवंटन किया जाएगा।

3-तद्नुसार संशोधन किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव जिलाधिकारी, से प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में जनपद-आगरा के लिए कुल रु0 353.68 लाख का परिव्यय आवंटित था जिसमें सामान्य हेतु रु0 243.78 लाख सम्मिलित था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जनपद-आगरा हेतु गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में सामान्य क्षेत्र हेतु निर्धारित परिव्यय रु0 243.78 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु0 325.60 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया है, जिससे जनपद-आगरा के लिए ग्रामीण पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

**जनपद बुलन्दशहर में प्राइवेट बस से दिनांक 12-8-2006 को 20 वर्षीय बालक की कुचल कर मृत्यु हो जाने के संबंध में श्री सुन्दर सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 विधायक द्वारा जनपद बुलन्दशहर के ग्राम चांदपुर पूठी की प्राइवेट बस संख्या यू0एच0एन0/3352 से कुचलकर मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उल्लेख किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में अवगत कराया गया है कि दिनांक 12-8-2006 को प्राइवेट बस संख्या यू0एच0एन0-3352 कस्बा खानपुर की तरफ से स्याना की सवारी लेकर जा रही थी। जैसे ही बस ग्राम चांदपुर पूठी से सवारी लेकर पिन्टू की दुकान के सामने से गुजर रही थी, तो वहां एक लड़के की इस बस से दुर्घटना हो गई, जिसके संबंध में वादी श्री गोपाल सिंह निवासी ग्राम चांदपुर पूठी, थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना स्याना पर अपने भतीजे कृष्ण कुमार को इस बस द्वारा टक्कर मारने के संबंध में मु0अ0सं0 121/2006 धारा 279, 304ए भादंवि पंजीकृत कराया गया। अभियोग की विवेचना उप निरीक्षक श्री हरपाल सिंह द्वारा प्रारम्भ की गई। घटना के परिप्रेक्ष्य में आक्रोशित जनता द्वारा प्राइवेट बस संख्या यू0एच0एन0-3352 को आग लगाकर जला दिया गया। सूचना पर तत्काल पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गये और आक्रोशित जनता को समझा-बुझाकर शान्त किया गया।

मृतक कृष्ण कुमार का पंचायतनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया तथा शव को उसके परिवारीजन के सुपुर्द किया गया। विवेचना के मध्य अज्ञात चालक के रूप में शमशाद पुत्र मुमताज निवासी मोहल्ला नेकजन कस्बा व थाना खानपुर प्रकाश में आये, जो दिनांक 20-8-2006 को मा0 न्यायालय में आत्म समर्पण कर जमानत पर है। बस मालिक श्री फरीद खां पुत्र वहीद खां निवासी कस्बा व थाना खानपुर का फैसला वादी व मृतक के माता-पिता से रुपये 75,000/. में हो गया है। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

मृतक के परिवार को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से रु0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की आर्थिक सहायता दिनांक 20-9-2006 को स्वीकृत कर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के माध्यम से भेजी जा चुकी है।

**मेरठ महानगर में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मेरठ नगर को प्रतिदिन 20 घंटे विद्युत आपूर्ति आदेशित है तथा विद्युत कटौती का समय प्रातः 9 बजे से अपरान्न 01 बजे तक (कुल 4 घंटे) निर्धारित किया गया है। ऊर्जा प्रणाली द्वारा निर्धारित अवधि में ही विद्युत कटौती कराये जाने के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु प्रणाली की विषम परिस्थितियों में तथा कभी-कभी तकनीकी कारणों से भी निर्धारित से अधिक विद्युत कटौती कराना अपरिहार्य हो जाता है। मेरठ नगर को समय-समय पर विशेष आयोजनों, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं जन प्रतिनधियों के अनुरोध पर विद्युत की कटौती से मुक्त भी रखा जाता रहा है।

ऊर्जा प्रणाली द्वारा निर्धारित विद्युत उपलब्ध कराने के पश्चात् क्षेत्रीय पारेषण उपकेन्द्रों एवं 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों/पोषकों पर अधिभारिता तथा स्थानीय दोषों के कारण उपभोक्ताओं तक वास्तविक विद्युत उपलब्धता कम हो जाती है। मेरठ महानगर में जुलाई, 2006 में औसत 18.51 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी। दिनांक 27-08-06 तक औसत विद्युत आपूर्ति 17 घण्टे हैं।

उपरोक्त अधिभारिता के दृष्टिगत निम्नांकित कार्य कराये गये हैं :-

1-पारेषण उपकेन्द्रों (परतापुर, मेडिकल कालेज एवं मोदीपुरम) की अतिभारिता को दूर करने हेतु 132 के0वी0 उपकेन्द्र परतापुर पर 20 एमवीए के स्थान पर 40 एमवीए परिवर्तक लगाकर ऊर्जीकृत कर दिया गया है व 132 के0वी0 मेडिकल कालेज उपकेन्द्र मे एक नया 20 एमवीए परिवर्तक लगाया जा रहा है।

2-गत् चार माह में 3 नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सदर (1 X 5) एमवीए, एल ब्लाक (1 X 5) एमवीए तथा मंगल पाण्डे नगर (1 X 5) एमवीए निर्माण कर ऊर्जीकृत किये गये हैं व 3 उपकेन्द्रों मोहनपुरी (1 X 5) एमवीए से (2 X 5) एमवीए, अम्हेड़ा (1 X 8+1 X 5) एमवीए से (2 X 8) एमवीए तथा बेगमपुल (2 X 5) एमवीए से (2 X 8) एमवीए की क्षमता वृद्धि की गई है।

3-32 नये 400 केवीए तथा 250 केवीए के वितरण परिवर्तक स्थापित किये गये हैं।

मेरठ जनपद के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक पीक अवधि को छोड़कर) विद्युत आपूर्ति आदेशित है तथा अन्य जनपदों की भांति मेरठ जनपद के अन्तर्गत भी प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धता के आधार पर विद्युत आपूर्ति करायी जाती है। सायं पीक की अवधि में विद्युत की मांग अत्यधिक होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है। विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने हेतु लगातार हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में निर्धारित विद्युत आपूर्ति करायी जा सके।

**जनपद प्रतापगढ़ स्थित नगर कोतवाली अन्तर्गत श्री विजय सिंह को गोली मारने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिप्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार विजय सिंह उर्फ गिरधारी सिंह पुत्र श्री पारस नाथ सिंह, निवासी शिवगढ़ द्वारा दिनांक 19-8-2006 को थाना कोतवाली, नगर, प्रतापगढ़ में मु0अ0सं0-416/2006 धारा-323, 307, 504, 506 भा0द0वि0 विरुद्ध लालजी रावत व रमेश चन्द्र तिवारी पंजीकृत कराया गया था। इस अभियोग के दौरान विवेचना अभियुक्त रमेशचन्द्र तिवारी पुत्र श्याम शंकर निवासी शिवगढ़, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ की गिरफ्तारी दिनांक 21-8-06 को करके उसे जेल रवाना किया गया। वहां से उसे चिकित्सीय आधार पर जिला अस्पताल भेजा गया। बन्दी रमेश तिवारी मा0 न्यायालय से जमानत व मुचलके पर रिहा हो गया है, जिसे कारागार प्रतापगढ़ से दिनांक 05-9-06 को मुक्त किया जा चुका है। अन्य अभियुक्त लालजी रावत की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। सम्प्रति जनता में आक्रोश व धरना प्रदर्शन आदि होने जैसी कोई स्थिति नहीं है तथा कानून/व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

**आयुर्वेद विभाग में वर्ष 2005-06 पीजी0 प्रवेश परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उत्तर प्रदेश में एम0डी0 आयुर्वेद हेतु प्रवेश परीक्षा मेरठ मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा वर्ष 2001 तक सम्पादित करायी जाती थी। तत्पश्चात् वर्ष 2004 तक उक्त एम0डी0 प्रवेश परीक्षा का अयोजन किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कराया गया इसके पश्चात् आयुर्वेद निदेशालय के माध्यम से वर्ष 2005 की एम0डी0 प्रवेश परीक्षा आयुर्वेद निदेशालय के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रवेश परीक्षा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टूड़ियागंज, लखनऊ द्वारा सम्पादित करायी जाय। उक्त लिये गये निर्णय के अनुरूप शासन के पत्र संख्या-3088/71-2-06-89/96 दिनांक 23-8-2006 के माध्यम से कार्यवाही करने हेतु निदेशक, आयुर्वेद को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अनुपालन में निदेशक आयुर्वेद ने अपने पत्र संख्या-1724/शिक्षा, दिनांक 29-8-2006 द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को प्रवेश परीक्षा शीघ्र सम्पादित कराने का आदेश दिया है। प्रधानाचार्य रा0 आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, टूड़ियागंज, लखनऊ ने दिनांक 01-11-06 की तिथि निर्धारित की गई है।

2-भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2005-06 में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय लखनऊ में स्नातकोत्तर (एम0डी0 आयुर्वेद) के लिए शरीर रचना विषय में 4 शरीर क्रिया विषय में 4 एवं काय चिकित्सा विषय में 6 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, टूड़ियागंज, लखनऊ ने दिनांक 01-11-06 की तिथि निर्धारित की है जिसमें परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान शासनादेशों के अनुरूप प्रवेश दिया जायेगा।

3-भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 24-7-2006 द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ वर्ष 2006-07 की एम0डी0 आयुर्वेद स्नातकोत्तर की अनुमति प्रदान कर दी है जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। निर्णयोपरान्त वर्ष 2006-07 की एम0डी0 आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा सम्पादित करायी जायेगी।

**जनपद लखनऊ स्थित फैजुल्लागंज वार्ड में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

लखनऊ नगर के सीतापुर रोड पर नगर की सीमा में वृद्धि के उपरान्त नई आबादियां बसी हैं जिसमें फैजुल्लागंज, भरत नगर आदि निजी कालोनियां निर्मित हुई हैं तथा नये क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं।

वर्तमान में फैजुल्लागंज वार्ड के अन्तर्गत फैजुल्लागंज, केशवपुरम आदि की पेयजल व्यवस्था हेतु एक योजना अनुमानित लागत रु0 250.00 लाख निर्माणाधीन है तथा इसमें सीधे पम्पिंग द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

वार्ड नं0 9 फैजुल्लागंज के अन्तर्गत निर्मित नवीन निजी कालोनियों एवं वार्ड के अविकसित भाग में बसने वाली नई कालोनियों की पेयजल व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित लखनऊ सिटी डेवलपमेन्ट पैकेज में भरत नगर, महाराजा अग्रसेन नगर, नायक नगर, श्रीनगर, स्नेहीनगर, गायत्रीनगर आदि कालोनियों में पेयजल व्यवस्था का कार्य सम्मिलित है जिसका विस्तृत प्राक्कलन विरचित किया जाना है।

**कानपुर नगर निगम द्वारा सुअरों को पकड़वाने एवं गन्दगी को साफ न कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाये गये हैं कि कानपुर नगर निगम के मोहल्ला खलासी लाइन, खटिकाना पार्क, कानपुर में गुड़ियाना मोहल्ला के दबंग किस्म के लोगों ने अवैध रूप से सुअर छोड़ रखें हैं, जो पार्क के कोने पर कूड़ा डालने के स्थान एवं नाली में पड़े रहते हैं, जिससे सड़क पर गन्दा पानी, कूड़ा व कीचड़ फैल जाता है इससे गम्भीर वाईरस एवं अन्य बीमारियों के संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। पेट में होने वाला सबसे बड़ा कीड़ा टेप वर्म सुअर के कारण संक्रमित होता है साथ ही सुअर की बीमारी के वायरस मनुष्यों में भी भयानक तथा लाईलाज बीमारी का कारण बनते हैं। सुअरों के कारण क्षेत्र के लोग प्रायः 'गम्भीर बीमारी से ग्रसित रहते हैं। सुअरों से फैलने वाली गन्दगी व प्रदूषण के कारण उक्त मोहल्ले का वातावरण दूषित

हो रहा है। मा0 सदस्य द्वारा नगर निगम के मोहल्ला खलासी लाईन, खटिकाना पार्क, कानपुर के निवासियों की परेशानी को देखते हुए अवैध रूप से छोड़े गये सुअरों को पकड़वाने, उनसे हो रही गन्दगी को साफ किये जाने तथा दंबंग सुअर पालकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है। इस संबंध में तत्कालीन मा0 सदस्य श्री सुन्दर लाल का पत्र भी प्राप्त हुआ है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवारा पशुओं जिसमें सुअर, आवारा कुत्ता, गधा, घोड़ा, खच्चर, साड़ एवं भैंस सम्मिलित हैं, के नियन्त्रण हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-3680/नौ-7-04-129एल/2002, दिनांक-12 अक्टूबर, 2004 द्वारा "उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण, कारक पशुओं के विनियमन और नियन्त्रण) नियमावली, 2004" प्रख्यापित की जा चुकी हैं। नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर ने अवगत कराया है कि उक्त नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आवारा एवं अपदूषणकारक पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही अभियान के रूप में चलायी जा रही है। नगर निगम कानपुर के पत्र दि0 06-10-05 द्वारा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण कानपुर से सुअर पालकों को घनी आबादी से हटाकर शहर से दूर भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके सापेक्ष में नगर निगम द्वारा 82 सुअर पालकों को भूखण्ड प्राप्त करने हेतु विकास प्राधिकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की नोटिस भी निर्गत की गयी थी, परन्तु अपदूषणकारक पशु (सुअर) पालकों द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इन्कार कर दिया गया, जिसके पश्चात निरन्तर अभियान चलाकर सुअर पकड़े जाते हैं और उनकी नगर निगम द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से निलामी जिला के बाहर के पालकों को सुनिश्चित करायी जाती है। अपदूषणकारक पशुओं को पकड़ने हेतु चलाये जाने वाले अभियान में यदि किसी पालक द्वारा अभियान में बाधा डाली जाती है तो उसके विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्यवाही करायी जाती है। अभी तक 06 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है। अपदूषणकारक पशुओं के मालिकों से जुर्माना वसूल न कर उनके पशुओं को जब्त कर लिया जाता है। इनकी नीलामी में अब तक नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 में रु0 7,11,303.00 पैसे तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 में रु0 3,15,140.50 एवं 2006-07 में रु0 12,927.50 पैसे की धनराशि प्राप्त हुयी। उक्त दी गयी सूचना में अंकित स्थल पर दि0 07-09-06 को अभियान चलाकर 06 सुअर पकड़कर पशु बन्दीगृह में बन्द किये गये एवं वर्तमान में पशु बन्दीगृह में 29 आवारा सुअर बन्द हैं। उक्त दी गयी सूचना में अंकित स्थलों पर सफाई एवं संक्रामक रोगों के रोकथाम हेतु सफाई कराकर कीटनाशक एवं चूना का छिड़काव करा दिया गया है।

**जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराये जाने एवं चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराये जाने एवं चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को यथाशीघ्र उपलब्धता के अनुरूप बदले जाने की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में 25 के0 वी0 ए0 के 09 (दिनांक 18-08-2006 से 25-08-2006 के मध्य क्षतिग्रस्त) तथा 63 के0 वी0 ए0 के 03 (दिनांक 12, 14 तथा 23-8-2006 को क्षतिग्रस्त) बदलने हेतु शेष हैं, जिनको शीघ्र ही बदल दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में 86 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था जिसमें प्रारम्भिक सर्वे के उपरान्त 64 अविद्युतीकृत (वर्जिन) ग्राम पाये गये। इनमें से 35 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष ग्रामों का कार्य मार्च, 2007 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पट्टी विधान सभा क्षेत्र में 19 ग्राम और अविद्युतीकृत पाये गये जिसके विद्युतीकरण के लिये दिनांक 29-8-2006 को जिला विद्युत समन्वय समिति जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अनुमोदित कराया गया है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मार्च, 2007 तक पूर्ण कराया जायेगा।

वर्तमान में कराये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण में एलटी लाइन बनाने का कोई प्राविधान नहीं है तथा उपभोक्ताओं को 11 के0 वी0 लाइन पर छोटी क्षमता के परिवर्तक (10 के0वी0ए0) लगाकर विद्युत आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में पुरवों के विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है, इसके लिये प्रदेश स्तर पर योजना बनाई जा रही है जिसे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है।

**जनपद गोरखपुर स्थित तारामण्डल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

वर्ष 1987 में आवास विभाग द्वारा गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल परियोजना में एक नक्षत्रशाला बनाये जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्षत्रशाला हेतु नये उपकरण क्रय किये गये। इनकी स्थापना का कार्य माह जून 2005 में पूर्ण हुआ था। दिनांक 23 जनवरी, 2006 को नक्षत्रशाला का संचालन प्रारम्भ किया गया, जो दिनांक 26 अप्रैल, 2006 तक चलता रहा। वातानुकूलित उपकरण में आयी तकनीकी खराबी के कारण संचालन का कार्य बन्द हो गया। नक्षत्रशाला में स्थापित वातानुकूलित संयंत्र तत्समय उपकरणों के आयात के समय ही वर्ष 1990 में स्थापित किया गया था, जो प्रयोग में न आने के कारण खराब हो गया। इन उपकरणों को ठीक कराकर संचालन प्रारम्भ किया गया, परन्तु कुछ माह चलने के बाद यह संयंत्र पुनः खराब हो गया, जिन्हें ठीक कराने हेतु राजकीय कार्यदायी संस्था से आगणन प्राप्त किया जा रहा है।

2-वर्ष 1992 में नक्षत्रशाला का स्वामित्व आवास विभाग से विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया। दिनांक 11 अगस्त, 2004 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नक्षत्रशाला का संचालन गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। तद्नुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नक्षत्रशाला के संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त गोरखपुर द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22 जून, 2006 में यह निर्णय लिया गया है कि "नक्षत्रशाला के संचालन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपने स्तर से कार्यवाही करें।"

इस नक्षत्रशाला के संचालन हेतु शासन स्तर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया था, परन्तु गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपने प्रस्ताव दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा इसका

संचालन करने में असमर्थता व्यक्त की है। वर्णित परिस्थिति में नक्षत्रशाला के पुनः संचालन किये जाने हेतु यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

**जनपद पीलीभीत की पूरनपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, डा0 विनोद तिवारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र 44, विधान सभा पूरनपुर में कम विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण किया है। इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि उक्त क्षेत्र में 14 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है, जिसके समक्ष माह जून, जुलाई तथा अगस्त में क्रमशः 9.10, 8.30 तथा 9.30 घण्टा-मिनट प्रतिदिन की औसत विद्युत आपूर्ति की गयी है। कम विद्युत आपूर्ति किये जाने का मुख्य कारण 132/33 के0 वी0 पीलीभीत उपकेन्द्र पर ओवरलोडिंग की समस्या है। इस उपकेन्द्र से निकलने वाले 33 के0 वी0 पूरनपुर पोषक पर वर्तमान में 33/11 के0 वी0 के पांच उपकेन्द्रों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिए पूरनपुर में एक नये 132/33 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मा0 सदस्य ने नलकूप कनेक्शन पर मीटर न होने के कारण विद्युत चार्ज मनमाने ढंग से लेने की बात कही है तथा मीटर व्यवस्था लागू करने की अपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में सूचनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप संयोजनों पर 75 रु0/ हार्स पावर के नियत शुल्क के आधार पर वर्तमान टैरिफ के अनुसार बिल निर्गत किये जाते हैं लेकिन यदि कोई उपभोक्ता मीटर लगाकर आपूर्ति लेने का अनुरोध करे तो मीटर के आधार पर बिल जारी किये जाने की भी टैरिफ में व्यवस्था है।

डा0 विनोद तिवारी-

एक स्पष्टीकरण पूछ लेने दें। पूरनपुर में 132 के0 वी0 उपकेन्द्र के निर्माण कार्य प्रगति पर है वहां विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। मैं जानना चाहता हूं मैंने 301 में सवाल किया था आपने स्वीकार किया था 132 के0 वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य बहुत स्लो चल रहा है। क्या सरकार इसमें तेजी लाने का प्रयास करवायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया।

**जनपद फैजाबाद में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा द्वितीय किश्त जारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लल्लू सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री लल्लू सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 24-8-2006 को प्रमुख सचिव, विधान सभा को सूचना दी गयी, जिसमें यह बिन्दु उठाया गया है कि पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद हेतु स्वीकृत कार्य "राम वन गमन मार्ग",

"अयोध्या नगर में आन्तरिक मार्गों के किनारे नालियों का निर्माण" एवं "पूरा दिलासीगंज से दलपतपुर मार्ग" पर द्वितीय किश्त जारी न होने के कारण मार्ग अधूरे पड़े हैं। उन्होंने दी गयी सूचना में जनहित में सभी कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु द्वितीय किश्त जारी किया जाना अतिआवश्यक बताया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद से शासन के पत्र दिनांक 7-6-2006 द्वारा कतिपय सूचनायें चाही गयी हैं, परियोजनाओं पर अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख है कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर में महत्वपूर्ण मार्ग सिन्दुरिया से झनझनपुर चौराहा होते हुये बागापार से सलामतगढ़ बाजार तक चौक निचलौल मार्ग के कि0 मी0 2 से पड़री कला गांव के पी0 एम0 उस0 वाई0 मार्ग तक तथा सिन्दुरिया से शिकारपुर मार्ग अत्यन्त जर्जर हो गये हैं। उपरोक्त मार्गों में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं और आवागमन बाधित रहता है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिन्दुरिया से झनझनपुर चौराहा होते हुये बागापार से सलामतगढ़ बाजार तक कुल लम्बाई 18.00 कि0 मी0 है। सिन्दुरिया से झनझनपुर चौराहा होते हुये बागापार तक मार्ग की कुल लम्बाई 13.00 कि0 मी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में इस मार्ग की चौड़ाई 3.00 मी0 हैं इस मार्ग के कि0 मी0 4.00 से 6.00 तक के भाग में ईंट का खड़जा है तथा शेष भाग लेपित है, जिसमें वर्तमान में कुछ पॉट होल्स है। इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा बौद्ध परिपथ योजना के अन्तर्गत स्वीकृति है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक रु0 50.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिससे कि0मी0 1.50 से 3.50 तक के भाग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है। सीमित संसाधनों से इस मार्ग के गड्ढों को भरकर यातायात चालू रखा गया है। बागापार से सलामतगढ़ बाजार तक 5.00 कि0 मी0 लम्बाई में ग्रामीण श्रेणी का मार्ग हैं वर्तमान में इसकी चौड़ाई 3.00 मीटर है। जिसमें कुछ पॉट होल्स बन गये हैं। इस मार्ग के सुधार कार्य हेतु रु0 27.45 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिससे सुधार का कार्य प्रगति में है और नवम्बर, 2006 तक मरम्मत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

चौक निचलौल मार्ग के कि0 मी0 2 से पड़री कला गांव के पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 मार्ग तक कुल लम्बाई 12.00 कि0 मी0 है यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग हैं इस मार्ग का प्रथम 4.00 कि0 मी0 का भाग लोक निर्माण विभाग का है, जिसका निर्माण वर्ष 1997-98 में किया गया था। इस मार्ग का प्रथम 1.00 कि0 मी0 ठीक है तथा शेष 3.00 कि0 मी0 में कुछ दबक एवं पॉट होल्स बन गये हैं। सीमित संसाधनों द्वारा पॉट होल्स भरकर यातायात चालू रखा गया है। इस मार्ग के प्रथम 4.00 कि0 मी0 के आगे 2.00 कि0 मी0 का भाग जिला पंचायत के द्वारा निर्मित किया गया है

तथा उस पर अनुरक्षण कार्य भी जिला पंचायत द्वारा ही किया जाता है। इस मार्ग के अन्त का 6.00 कि0 मी0 का भाग डास्प योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में निर्मित हुआ है, जिसकी दशा संतोषजनक है।

शिकारपुर-सिन्दुरिया मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 12.15 कि0 मी0 है। इस मार्ग पर वर्ष 2006-07 में कि0 मी0 2, 3, 4, 6, 7, 8 (500 मी0), 9(500 मी0), 10(500 मी0), 11, 12 एवं 13 (150 मी0) के भाग में नवीनीकरण के कार्य हेतु कुल रु0 19.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कि0 मी0 2 से 4 तक नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हैं शेष भाग में कार्य प्रगति में है, जिसे अक्टूबर, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। कि0 मी0 1 व 5 की दशा ठीक है।

**जनपद रायबरेली में स्थित नवाबगंज-जमोडी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर में स्थित नवाबगंज-जमोड़ी सम्पर्क मार्ग का कार्य कागज पर पूर्ण दिखाकर बीच में छोड़ दिये जाने तथा बड़े-बड़े बोल्डर उभरे होने के कारण आवागमन बाधित होने के कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश की सूचना देते हुये मार्गों को पूर्ण कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

जनपद रायबरेली के रायबरेली-जगतपुर-ऊंचाहार राज्य मार्ग के कि0 मी0-16 से नवाबगंज-जमोड़ी (अम्बेडकर ग्राम) होते हुये पाण्डे का पुरवा तक मार्ग की कुल लम्बाई 06 कि0 मी0 है। प्रश्नगत मार्ग के कि0 मी0-1, 2, 5 व 6 में लेपन का कार्य हो चुका है। कि0 मी0-3 एवं 4 में टापकोट स्तर तक के कराये गये कार्य में क्षतिग्रस्त डब्लू0 बी0 एम0 की मरम्मत एवं प्रथम द्वितीय सतह लेपन का कार्य कराया जाना है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के बिजुआ में नरभक्षी बाघ के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य श्री राजेश कुमार द्वारा दी गयी सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-बलिया, ब्लाक-बिजुआ के अन्तर्गत किशनपुर रेंज के ग्राम-कांप में चार व्यक्तियों को दिनांक 21-6-2006 को राम सिंह उर्फ बाबा, ग्राम-सुल्तानपुर जिला-पीलीभीत व दिनांक 18-7-2006 को केशरी पुत्र इतवारी ग्राम-एलनगंज (महराजनगर) जिला-खीरी व दिनांक 27-7-2006 को कुंदन पुत्र कढ़ले खां जिला-पीलीभीत व दिनांक 01-8-2006 को करन सिंह पुत्र विजयपाल सिंह, ग्राम-कांप, जिला-खीरी को बाघ ने खा डाला। बाघ के आतंक से आम जनता में भय

एवं आतंक व्याप्त है। साथ ही साथ किसानों की फसलों को भी जानवरों ने खा लिया है जिससे किसानों में भुखमरी की स्थिति बन गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा सदन के माध्यम से सरकार से मृतक के परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता एवं किसानों के फसलों का मुआवजा दिये जाने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किशनपुर वन्य जीव बिहार के आस-पास के क्षेत्रों में एक बाघ (टाइगर) द्वारा निम्न व्यक्तियों को हमला करके मार दिया गया है :-

| क्र0सं0 | दिनांक | घटनास्थल का नाम | मृत व्यक्ति का नाम व पता | आयु (लगभग) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21-6-06 | किशनपुर पशु बवहार रेंज-किशनपुर, सुल्तानपुर-12 खीरी, ब्रान्च नहर की बायीं पटरी पर सजहा कोठी के पास | श्री राम सिंह भार्गव उर्फ बाबा पुत्र श्री डलला ग्राम मूढ़ा बजरिया थाना मोहम्मदी, खीरी | 60 वर्ष |
| 2 | 18-7-06 | द0 खीरी वन प्रभाग, रेंज-भीरा, उत्तरी किशनपुर कक्ष संख्या-1 खजुआ ताल के पूरब दक्षिण सेमल वाली खलिया | श्री केसरी पुत्र श्री इतवारी मोटी, निवासी ग्राम-महाराज नगर, थाना-मैलानी, जिला लखीमपुर खीरी | 57 वर्ष |
| 3 | 27-7-06 | शाहजहांपुर वन प्रभाग, रेंज खुटार नजीरगंज बीट हरीपुर किशनपुर के कक्ष संख्या-2 गन्दा नाला के पास | श्री कुन्दन उर्फ गुन्ना पुत्र श्री कढ़ेन निवासी-जाजीपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी | 45 वर्ष |
| 4 | 01-3-06 | द0 खीरी वन प्रभाग, रेंज-भीरा, उत्तर टाडा कांप ग्राम के पास शारदा के चादर सुतिया नाला के पास | श्री करन सिंह पुत्र श्री विजयपाल ग्राम-उत्तर टाडा कांप थाना-मैलानी, लखीमपुर खीरी | 20 वर्ष |

मानव जाति के लिये खतरनाक इस बाघ को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11-(1) ए के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 9-8-2006 को नष्ट किया जा चुका है।

बाघ द्वारा मारे गये उपरोक्त मृतक व्यक्तियों स्व0 राम सिंह, स्व0 कुन्दन स्व0 केसरी एवं स्व0 करन सिंह के परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह राशि 50,000 प्रति मामला का भुगतान किया जा चुका है।

जहां तक किसानों के फसलों के मुआवजा दिये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2384/14-4-1996-836/92 दिनांक 6-12-1996 के प्राविधानों के

अन्तर्गत जंगली हाथी के अतिरिक्त अन्य किसी जंगली जानवर द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने की दशा में मुआवजा राशि देय नहीं है।

**जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहाबाद की ग्राम पंचायत नदनऊ के ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनक 25-8-2006 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जिलाधिकारी, रामपुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार शिकायतकत्री श्रीमती जमुना देवी पत्नी श्री सोहन लाल, निवासी नदनऊ द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में ग्राम प्रधान श्रीमती फरीदा बेगम के कथित फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में केस नं0-401/06 अन्तर्गत धारा 420/467/468/471 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत वाद दायर किया गया। मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 3-7-2006 के अन्तर्गत उपरोक्त वाद को इस्तगासा मानते हुये श्रीमती फरीदा बेगम को नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरुद्ध श्रीमती फरीदा बेगम मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-3886/06 फरीदा बेगम बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित किया गया जिसमें मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20-7-2006 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया।

श्रीमती फरीदा बेगम, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा नंदनऊ द्वारा प्रस्तुत कथित फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी, जिसके अनुसार श्रीमती फरीदा बेगम द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र फर्जी पाया गया, जिसके लिये श्रीमती फरीदा बेगम को दोषी ठहराया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर के न्यायालय में दायर परिवाद की कार्यवाही को म0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-7-2006 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। श्रीमती फरीदा बेगम को प्रधान पद से हटाये जाने के लिये ज़िलाधिकारी, रामपुर द्वारा उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा-95 (छ) के अन्तर्गत उन्हें दिनांक 14-9-2006 को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दी गयी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

**उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आरक्षण व्यवस्थानुसार नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 25-8-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी कि उ0 प्र0 सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के सृजित 886 पदो के सापेक्ष अनुसूचित जाति के 186 पद होते हैं, किन्तु मात्र 81 पदों पर आयोग के माध्यम से चयन एवं 49 पदों पर विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है। शेष 56 पदों का कोई विवरण

उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि वर्तमान में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति का कोई कार्मिक तैनात नहीं है और शेष 56 पदों पर आरक्षण का लाभ न देकर गुमराह किया जा रहा है, इससे 07 वर्ष से टंकक पद पर कार्यरत कार्मिकों में पदोन्नति न मिलने से काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अतः शेष 56 पदों को जोड़ते हुये कुल 186 पदों पर सचिवालय के टंककों की चयन/पदोन्नति तत्काल किये जाने की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य की सूचना में कहा गया है कि वर्ष 2003 में अतारांकित प्रश्न संख्या-28 के उत्तर में सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 886 पद सृजित एवं 49 विभागीय पद रिक्त बताये गये थे। इन 886 पदों के सापेक्ष 21 प्रतिशत के आधार पर 186 पदों चयन/पदोन्नति न करके 56 पदों पर आरक्षण का लाभ न देकर गुमराह कर आरक्षण के लाभ से वंचित किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1999 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सहायक समीक्षा अधिकारी के 886 पद सृजित हैं। किन्तु वर्तमान में सहायक समीक्षा अधिकारी के सृजित 886 पदों में से 43 पद मितव्ययिता के कारण काटे गये हैं तथा 27 पद उत्तरांचल गये कार्मिको के सापेक्ष समाप्त कर दिये गये हैं एवं 06 पद आस्थगित है। इस प्रकार सहायक समीक्षा अधिकारी के वास्तविक रूप में कुल 810 पद उपलब्ध है जिनके सापेक्ष 21 प्रतिशत के आधार पर 170 पद अनुसूचित जाति श्रेणी के बनते हैं।

3-सेवा नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 26-9-2001 को आधार मानकर 60 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटे का आगणन करते हुये कार्यरत कार्मिकों 714 के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 128 पदों का कोटा पूर्ण करने हेतु विशेष चयन का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया तथा चयन वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में अनुसूचित जाति के कुल 06 पदों का सामान्य चयन के रूप में अधियाचन भेजा गया। किन्तु कालान्तर में उत्तरांचल गये कार्मिकों के सापेक्ष पदों की कटौती किये जाने पर बैकलाग के 128 पदों में से 02 पदों की कटौती की गई है। इस प्रकार आरक्षित श्रेणी में कुल 126+06=132 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया। जिसमें अनुसूचित जाति के 122 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 10 पद शामिल है। इसके पश्चात् वर्ष 2006-07 तक अनुसूचित जाति के 05 पदों का अधियाचन और भेजा गया। अभी तक कुल 137 पदों का अधियाचन भेजा गया है जिसमें अनुसूचित जाति के 127 पद शामिल है तथा तीन कार्मिक पूर्व से कार्यरत हैं । इस प्रकार अनुसूचित जाति के 130 पदों पर चयन/पदोन्नति की कार्यवाही की गयी है। अवशेष 40 पदों के संबंध में कार्यवाही प्रचलित/परीक्षणाधीन है। प्रसंगवश यह भी अवगत कराना है कि इस बीच रिट याचिका संख्या-3155(एस/एस)/2003-प्रेम कुमार दुबे व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों, दिनाक 8-2-2006 एवं 24-5-2006 के अनुपालन में आयोग की पूर्व प्राप्त संस्तुतियों, दिनांक 20-6-2003 के परिप्रेक्ष्य में उक्त अधियाचित पदों के सापेक्ष ही अनुसूचित जाति के 25 कार्मिकों की सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति कर दी गयी है तथा तीन कार्मिक पूर्व से कार्यरत हैं इस प्रकार सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में वर्तमान में अनुसूचित जाति के 28 कार्मिक कार्यरत हैं।

4-सम्प्रति सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में उपलब्ध 810 पदों के सापेक्ष आरक्षित श्रेणी के 28 कार्मिक कार्यरत हैं और आरक्षित श्रेणी के लिये सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के पदों पर चयन हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुये लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। चयन समिति की शीघ्र बैठक निर्धारित करने हेतु आयोग को अनुस्मारक भी भेजा गया है। आगामी कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 स्तर पर अपेक्षित है। अवशेष पदों के संबंध में नियमानुसार शीघ्रता से कार्यवाही प्रचलित हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि आरक्षित श्रेणी के टंककों के चयन/पदोन्नति हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई है।

**जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में बुन्देलखण्ड विकास निधि की परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री दद्दू प्रसाद, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 25-8-2006 को प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को सूचना दी गयी, जिसमें यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद चित्रकूट में मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र के लिये स्वीकृत बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 2005-06 (जिलांश) की परियोजनाओं पर निर्माण कार्य अभी तक नहीं प्रारम्भ किया गया है, जबकि परियोजनाओं की स्वीकृति के दस माह बीत चुके है। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग ने एक भी कार्य में निर्माण नहीं प्रारम्भ किया है इस प्रकार बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 2004-05 की अनेक परियोजनायें भी अधूरी हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश वर्ष 2005-06 में जनपद चित्रकूट के लिये 35 परियोजनायें आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा के पत्रांक-595/सं0 विकास आयुक्त/बु0 वि0 नि0 (जिलांश)/2005-06 दिनांक 1-3-2006 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी। इन स्वीकृत परियोजनाओं में से 16 परियोजनायें विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत आती हैं जिनकी कुल स्वीकृत लागत रु0 77.71 लाख है तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 58.27 लाख अवमुक्त की गयी है इन 16 परियोजनाओं में से 11 परियोजनायें बारातघर निर्माण की हैं, दो परियोजनायें यात्री विश्राम गृह निर्माण की हैं तथा 03 परियोजनायें सी0 सी0 रोड एवं खडंजा निर्माण की हैं। बारात घर एवं यात्री विश्राम गृह हेतु प्रस्तावित ग्रामों में स्थानीय स्थल विवाद के कारण परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। सी0 सी0 रोड एवं खड़ंजा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से वर्ष 2004-05 में 07 परियोजनायें आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा के पत्रांक-692/संयुक्त विकास आयुक्त/बु0 वि0 नि0 (जिलांश)/2004-05 दिनांक 31-3-2005 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी इन स्वीकृत परियोजनाओं में से 6 परियोजनायें विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के अन्तर्गत आती है। जिनकी स्वीकृत लागत रु0 58.09 लाख के विरुद्ध रु0 43.55 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त की

धनराशि का उपभोग कर लिया गया है, अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम किश्त की धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रेषित करने हेतु कार्यदायी संस्था को निदेशित किया जा चुका है।

**भूगर्भ जल विभाग में अवशेष कार्य प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में डा0 राम बाबू हरित द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लघु सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

भूगर्भ जल विभाग का सृजन 1970 में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत एक कोष्ठक के रूप में हुआ था। सर्वेक्षण आदि कार्यों के लिये समय-समय पर कार्य प्रभारित कर्मियों को नियत वेतन में नियोजित किया जाता रहा है। शनैः शनैः कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती रही। कालान्तर में जब भूगर्भ जल विभाग वर्ष 1975 में कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वतंत्र विभाग के रूप में पृथक अस्तित्व में आया तो वर्ष 1990 तक की स्थिति के अनुसार कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या-990 तक हो गयी थी। वर्तमान में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धियां, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, वर्ष-1986 से प्रदान किया जा रहा है, परन्तु इन्हें नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्हें भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी पेंशन का कोई सेवा नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य नहीं है।

कार्य प्रभारित कर्मचारियों को विनियमित/समायोजित किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या-140/1989 एवं रिट याचिका संख्या-468/1996 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18-1-96 एवं 26-11-96 में यह निर्देश दिये गये थे कि कार्य प्रभारित कर्मचारियों को शीघ्र समायोजित किये जाने हेतु प्रतिवर्ष संवर्ग पुनरीक्षण करते हुये कुछ पद सृजित किये जायें ताकि लम्बे समय से कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके। इस सम्बन्ध में तत्समय सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें कुल 501 पदों के सृजन का औचित्य पाया गया था। उपर्युक्त पदों के सृजन के पश्चात् पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं वरिष्ठता के आधारपर भूगर्भ जल विभाग के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के रूप में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों में से 467 वर्कचार्ज कर्मियों को विनियमित किया जा चुका है।

अवशेष कर्मचारियों को विनियमित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 4-6-2004 द्वारा पुनः सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी थी जिसकी संस्तुति दिनांक 26-7-2004 को प्रस्तुत की गयी जिसमें उक्त समिति द्वारा कुल 348 अधिसंख्य पदों के सृजन तथा पूर्व से सृजित कुल 64 पदों को समर्पित करते हुये उनके स्थान पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों के समायोजन हेतु पद सृजित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अधिसंख्य 348 पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग की सहमति के पश्चात पत्रावली मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में मा0 मंत्रि-परिषद् हेतु टिप्पणी प्रस्तुत की गयी। तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग को प्रकरण सन्दर्भित करते हुये यह निर्देश दिया गया था कि प्रस्ताव को इस दृष्टिकोण से देख लिया जाय कि इस प्रकरण में कोई निर्णय लिये जाने का प्रभाव अन्य अभियंत्रण विभागों यथा-सिंचाई विभाग,

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मियों पर तो नहीं पड़ेगा। उपर्युक्त पृच्छा के क्रम में सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा यह उल्लेख किया गया कि भूगर्भ जल विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मियों को विनियमित/समायोजित किये जाने हेतु यदि अधिसंख्य पदों का सृजन किया जाता है तो सिंचाई विभाग में इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सिंचाई विभाग में भी विनियमितीकरण हेतु प्रतीक्षारत कर्मचारी भी इस प्रकार के पद सृजन की मांग कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि विभाग में रिक्त होने वाले पदों पर "उ0 प्र0 समूह 'घ' के पदों पर दैनिक नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001" में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत विनियम्तिीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के परामर्श सहित पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के परामर्श के दृष्टिगत पूर्व में पद सृजन हेतु दी गई सहमति को वापस लिये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया है।

अवगत कराया है कि लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग एक वृहद विभाग है, जिसमें सेवानिवृत्त आदि से रिक्त होने वाले पदों की संख्या अधिक है। भूगर्भ जल विभाग एक छोटा सा विभाग है, जिसमें सेवानिवृत्ति आदि से रिक्त होने वाले पदों की संख्या न्यून है। यदि अधिसंख्य पदसृजित नहीं किये जायेंगे तो अधिकांश कार्य प्रभारित कार्मिक बिना विनियमित हुये, सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा वे सेवानिवृत्तिक लाभों से वंचित रहेंगे। उपर्युक्त के दृष्टिगत वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करने हेतु पत्रावली वित्त विभाग सन्दर्भित की गयी है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर प्रश्नगत अधिसंख्य पदों के सृजन हेतु टिप्पणी मा0 मंत्रि परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी। मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदनोंपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सम्भव होगी।

**मेरठ महानगर में मेडिकल कालेज से विभिन्न स्थानों के लिये नगर बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त सूचना में कहा गया है कि मेरठ महानगर में मेडिकल कालेज के विभिन्न स्थानों हेतु नगर बस सेवा का संचालन किया जाता है। इसमें से एक मार्ग मेडिकल कालेज से रजपुरा ग्राम तक के लिये निर्धारित है। रजपुरा ग्राम से सैनी तक (मवाना रोड) कई ग्राम इस सड़क पर पड़ते हैं। इन ग्रामों के बच्चों को मेरठ के विभिन्न स्कूलों में आने जाने हेतु गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मेरठ-मवाना-पौड़ी गढ़वाल मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें बच्चे एवं किसानों को सवारी के रूप में नहीं बिठाती हैं। बच्चों को स्कूल जाने एवं देहात के नागरिकों को शहर आने हेतु इन ग्रामों से रजपुरा तक लगभग 1 से 1.5 कि0 मी0 पैदल चलना पड़ता है। मण्डलायुक्त, मेरठ, संभागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ को अनेक बार पत्राचार पर भी नहीं चेत रहे हैं। नगर बस सेवा की बसें मेडिकल कालेज से (काली नदी के पुल तक) ग्राम सैनी तक चलनी चाहिये।

इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि मेरठ महानगर में निजी महानगरीय बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। मेरठ मेडिकल कालेज से ग्राम रजपुरा तक नगरीय परिवहन सेवा का कोई मार्ग निर्धारित नहीं है बल्कि मोदी नगर से रजपुरा तक लगभग 25 कि0 मी0 मार्ग पर निजी नगर, बस सेवा संचालित है। ग्राम सैनी रजपुरा से लगभग 03 कि0 मी0 और आगे मेरठ मवाना मार्ग पर स्थित है। अतः इस सेवा को रजपुरा से सैनी तक चलाना नगर बस सेवा की अधिकतम दूरी सीमा 25 कि0 मी0 से बाहर होगा। अतः सैनी तक नगरीय बस सेवा संचालित करने में कठिनाई है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि परिवहन निगम की मेरठ-मवाना-हस्तिनापुर मार्ग तथा मेरठ-मवाना-बिजनौर की बस सेवाओं का सैनी ग्राम पर पूर्व से ही स्टापेज निर्धारित है, जहां से यात्रियों को निगम बसों में चढ़ाने एवं उतारने की सुविधा प्राप्त है।

**जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि एवं जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003-04 में विधायक निधि के अन्तर्गत 12 ग्रामों के चयन का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ था, जिसके सापेक्ष उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर परमदाचक, कोठीभार, गोपालपुर, बनगांव, अशरफपुर,कादीपुर मठिया, मिर्जापुर करनई, लोरपुर ताजन तथा टेकीपुर सहित 09 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। शेष 03 ग्रामों-उस्मापुर, खजुरी करौदी, भितरीडीह में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2006 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

वर्ष 2000-2001 में जिला योजना के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा 05 ग्रामों का विद्युतीकरण का प्रस्ताव दिया गया है जो क्रमशः दरगाह शाह रमजान, सभाजीतपुर मन्सूरपुर, कदुई दरवरपुर, रागपुर पटफटी एवं सतरही है। इन ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है तथा दिनांक 30 नवम्बर, 2006 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

वर्ष 2003-04 में जिला योजना के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा 05 नग प्रस्तावित ग्रामों क्रमशः सलाना, सलाहपुर, कटघरमूसा-ककरहिया, मोहनुद्दीनपुर एवं नयानगर लारपुर (राजभर बस्ती) में से 04 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है तथा शेष एक ग्राम सलाहपुर में दो वर्गों की बस्ती में विद्युतीकरण करने में विवाद हो जाने के कारण कार्य अभी नहीं हुआ है।

**जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से न चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

भदोही जनपद की लाइफ-लाइन कही जाने वाली ज्ञानपुर नहर विगत 4 वर्षों से बिल्कुल नहीं चल पा रही है। 11 पम्पों की क्षमता वाली यह नहर कभी एक पम्प चलता है तो कभी दो पम्प चलते हैं वह भी एक पम्प की क्षमता जहां 150 क्यूसेक पानी देने की है वह मात्र 45 क्यूसेक ही पानी दे रहा हैं पिछले दिनों लाखों रुपया खर्च करके पम्प का रिपेयर कराया गया। जहां क्षमता पानी की बढ़नी

चाहिये नहीं पानी की क्षमता घट गयी है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बताया जाता है कि पम्प काफी पुराना है नया डाले जाने की आवश्यकता है किन्तु सरकार पैसा नहीं दे रही है। इस नहर के पूरी क्षमता से न चलाने के कारण न सिर्फ भदोही जिले के हजारों किसान भुखमरी के कगार पर है बल्कि मिर्जापुर जनपद के सीखड़ व वाराणसी जिले के सेवाधुरी विकास खण्ड के हजारों किसान भुखमरी के कगार पर हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं।

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि जनपद भदोही में गंगा नदी पर ज्ञानपुर पम्प नहर वर्ष 1988-89 से कार्यशील है। उक्त पम्प नहर की चलित क्षमता 1350 क्यूसेक है जिसके अन्तर्गत 10 पम्प 150 क्यूसेक क्षमता के स्थापित हैं, जिनमें से एक पम्प स्टैण्डबाई हैं। उक्त पम्प नहर पर स्थापित उपकरण अपनी निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं एवं अपनी निर्धारित क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

इन जीर्ण-शीर्ण पम्पों के निकास में सुधार हेतु, मूल निर्माता फर्म, जिनके द्वारा पम्प आपूर्ति किये गये थे, से 03 स्टैनलेस स्टील के इम्पेलर्स की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु इन नये इम्पेलरों की प्रतिस्थापना से भी निकास में वांछित सुधार न हो पाने के दृष्टिगत विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत उठाये गये बिन्दुओं पर शासन के अ0 शा0 पत्रांक-1160/06-27-सिं-03-3 क्यू/06, दिनांक 24-4-06 द्वारा जांच के आदेश दिये गये। जांच में यह पाया गया है कि पम्प के अन्य अवयवों के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप इम्पेलर्स की प्रतिस्थापना पर भी पम्पों से वांछित निकास प्राप्त होना संभव नहीं है। जांच आख्या पर शासन ने वांछित निकास हेतु उपयुक्त इम्पेलर आपूर्ति न करने हेतु फर्म को दोषी मानते हुये अपने पत्रांक-1875/06-27-सिं-03-3 एक्यू/06, दिनांक 07-08-06 द्वारा फर्म को इम्पेलर्स की आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान की गयी धनराशि रु0 23.74 लाख के सापेक्ष विभाग में फर्म द्वारा जमा की गयी धनराशि रु0 24.00 लाख की बैंक गारण्टी को दिनांक 30-09-06 तक जब्त करने तथा फर्म को काली सूची में डाले जाने के आदेश निर्गत किये गये।

वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण उपकरणों को यांत्रिक कार्यों हेतु अनुरक्षण मद में उपलब्ध होने वाली धनराशि के अनुसार किसी प्रकार मरम्मत कर चलाया जा रहा है। वर्तमान में पम्प नगर पर 400 क्यूसेक पानी की मांग के अनुरूप 4 पम्प, जिनसे कि 150 क्यूसेक के सापेक्ष 95-100 क्यूसेक निकास प्राप्त हो रहा है, चलाकर मांग की प्रतिपूर्ति की जा रही है। वर्तमान खरीफ फसल में निम्न विवरण के अनुसार पम्पों को चलाया गया है :-

| माह | चलित पम्पों की संख्या | पम्पों के चलित घण्टे |
|---|---|---|
| 5/06 | 4 | 1519 |
| 6/06 | 3 (मांग कम) | 1643 |
| 7/06 | 4 | 2243 |
| 8/06 | 4 | 1718 |

वर्तमान में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ज्ञानपुर पम्प नहर क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना, धनराशि रु0 2978.09 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासकीय पत्र संख्या-1887/06-27-सिं-04, दिनांक 15-05-06 द्वारा निर्गत की गयी है, वर्ष 2006-07 में ज्ञानपुर पम्प नहर क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना के अन्तर्गत रु0 1000.00 की सांकेतिक व्यवस्था की गयी है।

उपकरणों के क्रय प्रबन्ध हेतु वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में उपकरणों के त्वरित क्रय-प्रबन्ध हेतु, निविदा सूचना संख्या-988/06-07, पत्रांक 501, दिनांक 27-07-06 द्वारा निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। कार्यस्थल की स्थिति के अनुरूप विशेष प्रकार के पम्पों की लम्बी आपूर्ति अवधि (1 वर्ष) के दृष्टिगत वर्ष 2007-08 में उपकरणों की प्रतिस्थापना संभावित है तथा जीर्ण-शीर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन के उपरान्त वर्तमान समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र-

अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ है, इसकी कापी मिल जाती है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, आप सूखा राहत के भी इन्चार्ज हैं, राजस्व मंत्री हैं, इस समय सूखा की भयंकर स्थिति बनी है, आप खुद देख लें, जहां 1300 क्यूसेक पानी मिना चाहिये, वहां केवल 400 क्यूसेक पानी मिल रहा है। जो पैसा मेंटीनेंस के लिये दिया जाना चाहिये वह भी नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि कम से कम मेंटीनेंस का पैसा तो दिलवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उपकरण बदलने हैं और वर्ष 2007-08 में उपकरणों के बदलने के लिये इसका प्रस्ताव है, इसके लिये पैसा देंगे और उपकरण लगायेंगे।

**जनपद हरदोई के ब्लाक शाहाबाद में नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में श्री गंगा भक्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रश्नगत सूचना के माध्यम से ...

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य ने जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद में मध्यांचल विशेष पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत निम्न दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य दिये जाने की मांग की है:-

(1) चिमना से नस्यौली ग्राम तक (ब्लाक शाहाबाद जिला हरदोई) लम्बाई 7.00 कि0मी0।

(2) नर्मदा ताल शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण, छाया हेतु सेड, पुलिया एवं मन्दिर तक पहुंचने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद हरदोई की तहसील शाहाबाद में चिमना नसौली सम्पर्क मार्ग लम्बाई 7.50 कि0मी0 के डामर स्तर तक निर्माण हेतु मध्यांचल विशेष पैकेज के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-5299ई/23-11-2001 दिनांक 31 मार्च, 2002 को रु0 78.37 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस कार्य की स्वीकृत लागत रु0 78.37 लाख के सापेक्ष वर्ष 2001-02 में रु0 0.01 लाख वर्ष 2002-03 में रु0 53.36 लाख एवं वर्ष 2003-04 में रु0 20.00 लाख कुल मिलाकर रु0 73.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसका उपयोग मार्ग के विधि कार्यों पर किया गया। स्वीकृत लम्बाई 7.50 कि0मी0 में से 4.00 कि0मी0 में लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण है, तथा 3.00 कि0मी0 में इण्टर कोट स्तर तक का कार्य किया गया है।

दूसरे मार्ग (नर्मदा ताल) शमशान घाट हेतु सौन्दर्यीकरण, छाया हेतु शेड पुलियों एवं मन्दिर तक पहुंचने के लिए सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रु0 56.36 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-5299ई/23.11.2001 दिनांक 31 मार्च, 2002 (मध्यांचल विशेष पैकेज के अन्तर्गत) द्वारा स्वीकृत की गयी थी। इस कार्य की स्वीकृत लागत रु0 56.36 लाख के सापेक्ष वर्ष 2001-02 में रु0 0.01 लाख, वर्ष 2002-03 में रु0 26.35 लाख एवं वर्ष 2003-04 में रु0 30.00 लाख कुल मिलाकर रु0 56.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त की गयी धनराशि में से रु0 25.00 लाख की धनराशि प्रश्नगत मार्ग के निर्माण में व्यय की गयी है। इसके अतिरिक्त रु0 10.00 लाख धनराशि बिटुमिन की खरीद के लिए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन को भुगतान की गयी। इस भुगतान के सापेक्ष प्राप्त बिटुमिन पूर्व में ही अन्य कार्यों पर प्रयोग कर ली गयी तथा शेष धनराशि भी अन्य कार्यों पर व्यय कर ली गयी।

इस प्रकार स्वीकृत धनराशि का उपोग स्वीकृत कार्यों पर न करके तत्समय कार्यरत क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा धनराशि का व्यावर्तन किया गया जिससे यह कार्य पूरे नहीं हो सकें। इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी। उक्त अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद झांसी स्थित मोहल्ला सिविल लाइन्स, स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पीछे न्यू कालोनी की नजूल भूमि के पट्टाधरियों को नगर पालिका द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद झांसी स्थित मुख्य शाखा स्टेट बैक के पीछे सिविल लाइन में नजूल भूखण्ड संख्या-227 रकबा 2.84 एकड़ का पट्टा बाबू लाल खजांची पुत्र श्री रघुवर दयाल को नगर पालिका परिषद द्वारा दिनांक 17-01-1920 को 90 वर्ष की अवधि के लिए रु0 36.00 प्रति वर्ष लगान के अनुसार दिया गया था जिसका नवीनीकरण 30-30 वर्षों के अन्तराल में कराया जाना था। पट्टे का नवीनीकरण नहीं हुआ है। प्रश्नगत भूमि नगर पालिका प्रबन्धन की नजूल भूमि है। पट्टेदार द्वारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट झासी के न्यायालय में वाद संख्या-270/1952 दायर कर वर्ष 1950 से 1980 तक

30 वर्ष का नवीनीकरण आदेश दिनांक 02-05-1956 को किया गया। इसके उपरान्त पुनः वाद संख्या-80/81 प्रथम मुंसिफ मजिस्ट्रेट झांसी में योजित कर नवीनीकरण का आदेश दिनांक 24-01-83 को दिनांक 01-01-80 से 21-12-2009 तक किया गया है।

2-पट्टेदार श्री बाबू लाल की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्री कैलाश शंकर अग्रवाल तथा इनकी मृत्यु के उपरान्त भी उनके पुत्रगण पक्षकार बने। पट्टेदार श्री बाबू लाल के वारिसानों द्वारा प्रश्नगत नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं कराया गया बल्कि 47 व्यक्तियों को एग्रीमेन्ट लिखकर अलग-अलग क्षेत्रफल की भूमि दे दी गयी। भूमि को बेचने के लिएं जिलाधिकारी, झांसी से कोई अनुमति नहीं ली गयी। इस प्रकार पट्टे वाली जमीन बिना अनुमति के बेचे जाने पर पट्टेदार व उनके वारिसानों द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। मोहल्ला सिविल लाइन्स स्टेट बैंक के पीछे के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र दिनांक 26-07-06 प्रस्तुत कर नजूल भूमि संख्या-227 नया नम्बर-357 को फ्री होल्ड कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया जबकि इन व्यक्तियों द्वारा नजूल फ्री होल्ड नीति की व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग निर्धारित प्रारूप पर आवेदन स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर ट्रेजरी चालान के साथ करना चाहिए था। इस प्रकार सामूहिक रूप से दिये गये प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती है। पट्टेदार द्वारा इन सभी व्यक्तियों को नजूल भूमि बेचने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी और स्टाम्प पर इकरारनामा लिखकर बेच दी गयी पूर्णतः अवैध है। इस प्रकार उक्त समस्त व्यक्ति पंजीकृत विलेख के माध्यम से स्टाम्प देकर उक्त भूमि के क्रेता नहीं हुए और स्टाम्प पर इकरारनामा लिखकर बेचने से यह व्यक्ति अवैध कब्जेदार हुये।

3-उल्लिखित समस्त व्यक्ति अवैध कब्जेदार की श्रेणी में हैं। अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01-12-1998 के प्रस्तर-7 तथा शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-02-152एन/2000 टी0सी0, दिनांक 10-12-2002 के प्रस्तर-5 में थी जिसे शासनादेश संख्या-1642/आठ-4-06-137एन/2004, दिनांक 04 अगस्त 2006 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अतः अब नजूल भूमि पर अवैध कब्जेदार के पक्ष में फ्री होल्ड किया जाना सम्भव नहीं है।

**जनपद लखीमपुर के श्रीनगर क्षेत्र में समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती माया प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमती माया प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान सभा (विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर लखीमपुर खीरी) ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथ कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 25-8-2006 में यह बिन्दु उठाया है कि उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर, जनपद लखीमपुर खीरी में "समग्र ग्राम्य विकास योजना" के अन्तर्गत 10 ग्राम चयनित करके सूची भेजी थी, तत्पश्चात् मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-105/

जी0सी0-2/स0ग्रा0यो0/06-07 दिनांक 18-4-2006 के क्रम में उनके द्वारा पूर्व में चयनित दो ग्रामों-1, रामपुर खुर्द-2, नव्यापुर के स्थान पर क्रमशः 1, गौरा विकास खण्ड फूलबेहड़-2, बेलवा विकास खण्ड नकहा संशोधित/चयनित करने हेतु भेजा है किन्तु उक्त संशोधित 2 चयनित ग्रामों में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी से प्राप्त आख्या के आधार पर यह अवगत कराना है कि मा0 सदस्या द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 18-4-2006 के क्रम में पूर्व में चयनित ग्राम-रामनगर खुर्द व ग्राम नव्यापुर के स्थान पर क्रमशः ग्राम गौरा, विकास खण्ड फूलबेहड़ व ग्राम बेलवा, विकास-खण्ड नकहा, को मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा संशोधित कर वर्ष 2006-07 की कार्ययोजना में शामिल करते हुए ग्रामों के संतृप्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

**पूर्वी उत्तर प्रदेश में चौहान/बेलदार जाति के व्यक्तियों का भूमिधर किसानों की भांति बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 25-8-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कहा गया है कि, "आपको अवगत कराना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अधिकतर जनपदों के चौहान/बेलदार जाति (अनुसूचित जाति) के लोग आबकारी विभाग से ताड़ एवं खजूर के पेड़ से ताड़ी निकालने के व्यवसाय से जुड़े हैं तथा उनका जीवकोपार्जन का यही एक मात्र साधन है। यह कार्य काफी दुरुह हे तथा जान को जोखिम में डाल कर किया जाता है। अक्सर इस कार्य करने वाले पेड़ से नीचे गिर जाते हैं जिसके कारण गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं अथवा मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाता है। चूंकि यह कार्य करने वाले अधिकतर भूमिहीन होते अथवा इतनी कम भूमि होती है कि इनके परिवार का भरण पोषण होना मुश्किल हो जाता है। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस व्यवसाय में लगे व्यक्ति 18वर्ष से 45 वर्ष के बीच होते हैं तथा 45 वर्ष के बाद ये बिल्कुल बेरोजगार तथा बेसहारा हो जाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को देखते इनको भूमिहीन किसान मानते हुये बीमा कराये जाने के शासनादेश निर्गत करने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराया जाना है कि प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषकों की दुर्घटना बीमा योजना विगत 03 वर्षों से बीमा कम्पनी के माध्यम से चलायी जा रही है। इसके लिये प्रतिवर्ष बीमा से अनुबन्ध करके उन्हें समस्त प्रीमियम की धनराशि द्वारा भुगतान की जाती है और इसके लिये कृषक को कोई भुगतान बीमा कम्पनी को नहीं करना होता है। उल्लेखनीय है कि यह सुविधा समस्त जातियों के खातेदार/सहखातेदार कृषक चाहे छोटी जाति के हो अथवा बड़ी जाति के लाभान्वित होते हैं। खातेदार की न्यूनतम आयु 12 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की बीच होनी चाहिये। जहां तक चौहान/बेलदार जाति के लोगों को भूमिहीन किसान मानते हुये बीमा योजना संचालित किये

जाने का प्रश्न है ऐसी योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि चौहान/बेलदार जाति के जो लोग कम भूमि होते ही भी खातेदार सहखातेदार के रूप में दर्ज है उन्हें उक्त बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है।

**जनपद गाजीपुर के ग्राम सिधरा में बदमाशों द्वारा मारपीट एवं लूटपाट की वारदात करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने एवं भुक्तभोगी को आर्थिक मदद दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

दिनांक 15-8-2006 को श्री बलराम राजभर पुत्र मंगल राजभर, साकिन सिधरा पहिया, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर की लिखित सूचना पर थाना सैदपुर पर मु0 अ0 सं0-944/06 धारा-384/452/323/308/460 भा0 दं0 वि0 विरुद्ध दो नफर अभियुक्त अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक, सैदपुर श्रीसुरेन्द्र तिवारी द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना से उक्त अभियोग में धारा-457/380/459/460 भा0दं0वि0 को बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त घटना में सुनीता (उम्र 40 वर्ष) पत्नी नान्हू, नान्हू (उम्र 50 वर्ष) पुत्र जदन व चन्द्रदेव भर (उम्र 50 वर्ष) पुत्र भग्गू राजभर घायल हुये तथा श्री हरि प्रकाश सिंह (उम्र 50 वर्ष) पुत्र स्व0 श्याम नारायन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गयी। बाद में सुनीता की भी अस्पताल में मृत्यु हो गयी। घटना में अभियुक्तों द्वारा एक साइकिल, चांदी का एक पायल व 25 किलोग्राम धान चोरी किया गया।

विवेचना से अभियुक्त जय प्रकाश मुसहर पुत्र लालचन्द मुसहर साकिन खरगशीपुर, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर व राजेन्द्र मुसहर पुत्र लाल चन्द्र मुसहर पता उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया जिसमें राजेन्द्र मुसहर उपरोक्त दिनाक 17-6-2006 को जनपद के सीमा के थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अभियुक्त जय प्रकाश मुसहर जो 20 हजार रुपये का इनामी है, फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। भुक्तभोगी को आर्थिक मदद दिलाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

**वाराणसी जल संस्थान में मीटर रीडरों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार रिट याचिका संख्या-32845/1993 श्री बालजी मिश्र व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17-10-2000 के अनुपालन में याचीगण का प्रत्यावेदन निस्तारित करते हुये शासनादेश संख्या-3015/9-3-2003-124 रिट/2000, दिनांक 17 नवम्बर, 2003 के अनुपालन में कानपुर, लखनऊ तथा आगरा के जल संस्थान में कार्यरत मीटर रीडरों को प्रोन्नत वेतनमान दिया जा

रहा है परन्तु रिट याचिका संख्या-48344/2005 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-14-7-2005 के अनुपालन में याचीगण का प्रत्यावेदन निस्तारित न होने के कारण वाराणसी जल संस्थान में कार्यरत मीटर रीडरों को प्रोन्नत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2-इस संबंध में यह सूचित करना है कि उक्त शासनादेश दिनांक-17-11-2003 द्वारा केवल कानपुर जल संस्थान के मीटर निरीक्षकों को ही रु0 1400/2300 का वेतनमान अनुमन्य किया गया था। लखनऊ एवं आगरा जल संस्थान में मीटर निरीक्षक का उक्त वेतनमान शासन स्तर से स्वीकृत नहीं किया गया है बल्कि संबंधित जल संस्थान द्वारा अपने स्तर से ही दिया जा रहा है। याचीगण का प्रत्यावेदन दिनांकित 19-7-2005 नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन में दिनांक 22-7-2005 को प्राप्त हुआ है। उक्त प्रत्यावेदन में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-7-2005 की प्रति संलग्न करते हुये याचीगण को मीटर निरीक्षक के पद का प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण प्रक्रियाधीन है और विभिन्न स्तरों पर प्राप्त किये जाने वाले परामर्श के कारण प्रत्यावेदन के अंतिम निस्तारण में समय लग रहा है।

**राजकीय सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन विसंगति दूर करने से सम्बन्धित श्री प्रमोद कुमार व श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने एवं वेतनमानों की विसंगतियों के प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या : 690/52-3-2006-5(301)/96 टी0 सी0 दिनांक 05 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रदेश के राज्यानुदानित अरबी-फारसी मदरसों के प्रधानाचार्य/अध्यापकों के निम्नानुसार पदनाम एवं वेतनमान संशोधित किये गये हैं :-

| क्रमांक | वर्तमान पद का नाम | वर्तमान वेतनमान | संशोधित वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानाचार्य श्रेणी-1(आलिया स्तर) | 4500-7000 | 6500-200-10500 |
| 2 | सहायक अध्यापक श्रेणी-1 | 4250-6400 | 5500-175-9000 |
| 3 | प्रधानाध्यापक श्रेणी-2 (फौका नियास्तर) | 4250-6400 | 5500-175-9000 |
| 4 | सहायक अध्यापक श्रेणी-2 | 3600-5350 | 4500-125-7000 |
| 5 | प्रधानाध्यापक श्रेणी-3 (तहता नियास्तर) | 3600-5350 | 4500-125-7000 |
| 6 | सहायक अध्यापक श्रेणी-3 | | |
| | (क) सेलेक्शन ग्रेड धारक | 3425-4590 | 4500-125-7000 |
| | (ख) सहायक अध्यापक | 3050-4430 | 4250-100-5150-125-6400 |

2-सहायक अध्यापक (वेतनमान 4250-6400) के पद धारकों को जैसे-जैसे सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य होता जायेगा इन्हें रु0 4500-7000 वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा। इस श्रेणी के सहायक अध्यापकों द्वारा पदोन्नति/सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर यह रिक्तियां द्वितीय श्रेणी के सहायक अध्यापक वर्ग की रिक्तियां मानी जायेगी।

3-राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों को समयमान वेतनमान तथा लिपिकों को संशोधित वेतनमान एवं समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने दो लोगों को कृपापूर्वक अनुमति दी है, मेरा भी एक स्पष्टीकरण है। मान्यवर मैं मंत्री जी से मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों को समयमान वेतनमान तथा लिपिकों को संशोधित वेतनमान एवं समयमान वेतनमान दिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। यह कब तक समयमान वेतनमान दिये जाने का निर्णय ले लेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप तो स्वयं शासन में बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं, आप जानते हैं, विचार हो रहा है यथानुसार हो जायेगा।

**बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में ड0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन**

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

**विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनर्नियोजित किये जाने पर अंतिम वेतन के आधार दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आग्रह एवं सलाह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के अधिवर्षिता आयु प्राप्त शिक्षकों को पुनर्नियोजन करने का आदेश जारी किया लेकिन एक अन्य शासनादेश जारी कर उनको देय वेतन मानदेय शिक्षकों के समान 100/- रुपया प्रति व्याख्यान, अधिकतम 5000/- रुपया कर दिया। जबकि यू0 जी0 सी0 द्वारा कहा गया था कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के पुनर्नियोजन तो कम अनुभव वाले मानदेय शिक्षकों के मुकाबले शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार होगा, तब फिर वेतनमान एक सा क्यों ? शासन में सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनर्नियोजन कर अंतिम वेतन दिये जाने का प्राविधान है। इससे कम से कम

प्रवक्ता का न्यूनतम वेतनमान 8000/- तथा उस पर भत्ते देना उपयुक्त होगा या अंतिम प्राप्त होने वाले वेतनमान में से पेंशन राशि घटाकर देना न्यायसंगत है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-30 मु0स0/सत्तर-2-2006-16(60)/2006, दिनाक 25-05-2006 द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के आलोक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के आदेश निदेशक, उच्च शिक्षा एवं कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को दिये गये।

3-उर्ण्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के शिक्षा सचिव के पत्र 21 जुलाई, 2006 द्वारा रिक्त शिक्षकों के पदों को शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व भरने एवं विकल्प के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनर्नियोजित किये जाने सम्बन्धी अपने पूर्व पत्र दिनांक 18-04-2006 की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुये यह उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर एम0 फिल0 उपाधिकारी को स्नातक तथा पी0 एच0 डी0 उपधिधारकों को पी0 जी0 की कक्षाओं में पढ़ाने हेतु अर्ह माने जाने का निर्णय लिया है। यू0 जी0 सी0 के इस निर्णय से शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों की रिक्तियों को भरने में सहायता मिलेगी तथा उन्हें संविदा के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होगी।

4-उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 25 मई, 2006 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न स्तरों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के पुनर्नियोजन की प्रक्रिया, सेवा शर्तें, देय वेतन आदि के सम्बन्ध में जिज्ञासाएं की गयीं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3206/सत्तर-2-2006-16(60)/2006, दिनांक 21-08-2006 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों से वेतन संदाय के पदों पर अध्यापक कार्य लेने पर रु0 5000/- प्रतिमाह के अधिकतम सीमा के अन्दर रहते हुये रु0 100/- प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय अनुमन्य होगा और यह व्यवस्था नियमित रूप से पद न भरे जाने तक ही अनुमन्य होगी। सेवानिवृत्त शिक्षकों से निश्चित मानदेय पर अध्यापन कार्य शासनादेश संख्या-467/सत्तर-2-98-3(19)/93 टी0 सी0, दिनांक 07-04-98 द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा यह स्वतः अनुमन्य नहीं होगा। किसी महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य को पुनर्नियोजित नहीं किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों को केवल अपवाद स्वरूप पुनर्नियोजित किया जायेगा तथा पुनर्नियोजित किये जाने से पूर्व विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये संबंधित विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणों में अन्य शर्तें शासनादेश संख्या-0214/70-4-2000-7(7)/94, दिनांक 04 फरवरी, 2000 के अनुरूप होगी।

5-नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या के निदान के लिये अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्नियोजित किये जाने के आदेश भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार निर्गत किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को

समाप्त कर एम0 फिल0 उपाधिधारकों को स्नातक तथा पी0 एच0 डी0 उपाधिधारकों को परास्नाक कक्षाओं में पढ़ाने हेतु अर्ह मान लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के आलोक में तदनुसार शासनादेश संख्या-1684/सत्तर-1-2006-15(14)/92 टी0 सी0, दिनांक 12-07-2006 द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति संबंधी अर्हता का निर्धारण किया गया है। इससे शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षकों की नियमित रिक्तियों को भरने में सहायता मिलेगी तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस प्रकार अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके शिक्षकों का पुनर्नियोजन अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में वेतन संदाय के पदों पर विशेष परिस्थितियों में ही किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें निश्चित मानदेय के आधार पर वेतन संदाय के रिक्त पदों पर कार्यरत मानदेय प्रवक्ताओं के समान ही अधिकतम सीमा के अन्दर रहते हुये प्रति व्याख्यान की दर से मानदेय अनुमन्य किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुके पुनर्नियोजित शिक्षक एवं मानदेय पर नियुक्त प्रवक्ता की समतुल्यता नहीं है क्योंकि मानदेय पर नियुक्त प्रवक्ता जहां निश्चित मानदेय ही प्राप्त कर सकेंगे वहीं सेवानिवृत्त पुनिर्नियोजित शिक्षक मानदेय के अतिरिक्त पूर्व में की गयी सेवा का लाभ (पेंशन) भी प्राप्त करेंगे।

6-यह भी सूच्य है कि अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के मानदेय की दरों में संशोधन शासनादेश संख्या-3129/सत्तर-2-2006-3(19)/93 टी0 सी0, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 द्वारा किया गया है जिसके अनुसार मानदेय की धनराशि रु0 100/- (रुपये एक सौ मात्र) प्रतिवादन से बढ़ाकर रु0 160/- (रुपये एक सौ साठ) प्रतिवेदन तथा प्रतिमाह अधिकतम देय सीमा रु0 5000/- (रुपये पांच हजार मात्र) से बढ़ाकर रु0 8000/- (रुपये आठ हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

**जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस द्वारा हुई मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उक्त सूचना में कहा गया है कि जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद के गांव हमिरापुर के कदीर अहमद पुत्र इरशाद अली उम्र लगभग 25 वर्ष व कलीम पुत्र रहीम अली उम्र लगभग 26 वर्ष खेती के कार्य हेतु घर से मोटर साइकिल सं0-यू0पी0-32 ए0 क्यू0-2740 लखनऊ को जा रहे थे, किन्तु दुर्भाग्यवश वाटर पार्क (सहिलामऊ के पास) हरदोई रोड पर दिनांक 21-3-2006 को समय लगभग 1.00 बजे मार्ग दुर्घअना में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस यू0 पी0-030 ए0-4229 से मृत्यु हो गयी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना मलिहाबाद में मु0 अ0 सं0-64/06 की धारा-279/304ए0/427 आई0 पी0 सी0 में दर्ज है। उपरोक्त दोनों लड़के मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। इन लड़कों के सिवाय परिवार को चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, किन्तु आज तक न तो मण्डी परिषद् की तरफ से और न ही किसान बीमा की तरफ से कोई सहायता की गई। केवल मृतक आश्रित के रूप में 10-10 हजार रुपये दिये गये थे। इस समय पूरे परिवार की हालत बहुत दयनीय है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि दिनांक 21-3-2006 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की हरदोई डिपो की बस संख्या-यू0 पी0-30 ए-4229, जो लखनऊ से हरदोई जा रही थी। बस के काकोरी से आगे महमूदपुर (आम्रपाली वाटर पार्क) नामक स्थान के पास समय लगभग 11.50 बजे पहुंचने पर एक मोटर साइकिल यू0 पी0 32 ए0 क्यू0-2740 जिस पर श्री कदीर अहमद पुत्र श्री इरशाद एवं श्री कलीम पुत्र श्री रहीम सवार थे, के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करते समय परिवहन निगम की उक्त बस, जो अपनी साइड से आ रही थी, से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों मोटर साइकिल सवारों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। पुलिस द्वारा निगम चालक श्री हरीओम को अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया, परन्तु उत्तेजित भीड़ ने चालक को पुलिस से छीनकर उसे मार-मारकर मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया तथा उस बस में आग लगा दी गयी।

उक्त बस मेसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, लखनऊ से बीमित है। ऐसे प्रकरण में परिवहन निगम द्वारा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता/प्रतिकर मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के निर्णय पर दिये जाने की व्यवस्था है। मृतकों के आश्रितों द्वारा मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के अन्तर्गत कोई वाद दायर करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1998 के नियम-31(1) के अन्तर्गत मृत व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने हेतु परिवहन आयुक्त एवं जिलाधिकारी, लखनऊ से पत्र संख्या-127 आरडब्लूए/06-02ए/लखनऊ/06 दिनांक 15-4-2006 द्वारा अनुरोध किया गया है।

जनपद-लखनऊ के थाना-मलिहाबाद में उ0 प्र0 परिवहन निगम की बस द्वारा हुई मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त जांच आख्यानुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक 21-03-2006 को श्री कदीर अहमद पुत्र श्री इरशाद अली, उम्र 25 वर्ष एवं श्री कलीम पुत्र श्री रहीम, उम्र 24 वर्ष निवासीगण-ग्राम-हमिरापुर, तहसील-मलिहाबाद, जिला-लखनऊ खेती के कार्य हेतु घर से मोटर साइकिल सं0-यू0पी0-32 एक्यू-2740 से लखनऊ को जा रहे थे, किन्तु वाटर पार्क, हरदोई रोड पर दिनांक 21-3-2006 को समय लगभग 01.00 बजे मार्ग दुर्घटना में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस संख्या-यू0पी0-30ए/4229 से मृत्यु हो गयी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना-मलिहाबाद में मु0अ0सं0-64/06 की धारा-279/304ए/427 भा0दं0वि0 में दर्ज हुई, जिसमें दिनांक 14-4-2006 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया है। पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत दोनों मृतकों के वारिसानों को 10-10 हजार की सहायता दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त दोनों मृतकों के वारिसानों को विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, मलिहाबाद की आख्या के अनुसार दोनों मृतकों के नाम राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि अंकित नहीं है। इस कारण कृषक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित नहीं होते हैं।

**जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव तपस्या पासवान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गया सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद चन्दौली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में कमी एवं सभी ग्रामीण क्षेत्रों का कुल विद्युत भार अधिक होने के कारण सभी को एक साथ विद्युत आपूर्ति करा पाना वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों को दो भागों में बांट कर रात्रि एवं दिन में विद्युत आपूर्ति कराये जाने का साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया गया है। रात्रि कार्यक्रम के सप्ताह में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से अगले दिन प्रातः 08 बजे तक तथा दिन के 12 बजे से सायं 04 बजे तक एवं दिन कार्यक्रम के सप्ताह में रात्रि 12 बजे से प्रातः 04 बजे तक तथा प्रातः 08 बजे से सायं 06 बजे तक विद्युत आपूर्ति कराये जाने के घण्टे निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक सप्ताह यह कार्यक्रम आपस में बदल दिया जाता हैं हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये परन्तु प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में और कमी आ जाने के कारण प्रणाली की सुरक्षा हेतु एवं कभी-कभी तकनीकी कारणों से भी विद्युत की आपात कटौती निर्धारित अवधि में कराना अपरिहार्य हो जाता है। जनपद चन्दौली के महत्व को देखते हुए दिनांक 01-9-2006 से एक माह के लिए दोनों समूहों में विद्युत आपूर्ति कराते हुए रात्रि 11 बजे से प्रतिदिन 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाये जाने के लगातार हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं जिससे प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति विशेष कर सायं एवं रात्रि अवधि में सुनिश्चित करायी जा सकें।

**जनपद आजमगढ़ के ग्राम नरसिंहपुर थाना क्षेत्र गौर में दिवार ढह जाने से मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में दिनांक 28-08-2006 को ग्राम नरसिंहपुर थाना क्षेत्र गौर जनपद आजमगढ़ में दीवार ढह जाने में मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31-08-2006 को दी गई सूचना में वक्तव्य की मांग की गई है।

2-जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने अवगत कराया है कि ग्राम नरसिंहपुर में दिनांक 28-08-2006 को सायंकाल 7.45 बजे दीवार ढह जाने से श्रीमती बलवन्ती देवी पत्नी हरदेव, प्रवीर पुत्र अमरदेव व दिनेश पुत्र अमर देव की मृत्यु हो गई है। श्रीमती बलवन्ती देवी पत्नी हरदेव उम्र 45 वर्ष के वारिस हरदेव पुत्र पल्टन व प्रवीर पुत्र अमरदेव उम्र 15 वर्ष व दिनेश पुत्र अमरदेव उम्र 12 वर्ष के वारिस अमरदेव (पिता) पुत्र पल्टन निवासी चौकी नरसिंहपुर, प्रत्येक को रु0 50,000 की दर से कुल

तीन मृतकों को रु0 1,50,000 भुगतान दिनांक 30-08-2006 को चेक के माध्यम से कर दिया गया है।

**जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत मेंहनगर डीहा से मंगई नदी के पुल तक एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[ प्रश्नगत सूचना के माध्यम से जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत डीहा से मंगई नदी के पुल तक एप्रोच मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत मेंहनगर डीहा मार्ग पर मंगई नदी पर सेतु के निर्माण कार्य की स्वीकृति आर0आई0डी0एफ0-7 योजनान्तर्गत रु0 113.27 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी, जिसमें सेतु की लागत रु0 82.69 लाख तथा पहुंच मार्ग की लागत रु0 30.98 लाख है। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु पूर्ण धनराशि रु0 113.27 लाख आवंटित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य बाधित है, इस हेतु आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है तथा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। ]

**जनपद सुल्तानपुर स्थित सहकारी चीनी मिल के उपकरणों की चोरी, अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद सुल्तानपुर स्थित सहकारी चीनी मिल के उपकरणों की चोरी, अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा दिनांक 23-8-2004 को यह सूचना भेजी गई कि चीनी गोदाम में चीनी की मात्रा कम प्रतीत हो रही है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संघ की आडिट टीम द्वारा चीनी मिल का स्थलीय निरीक्षण किया गया और अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि 585 बोरी चीनी स्टाक में कम है। इस सन्दर्भ में संघ के वरिष्ट अधिकारी संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, के स्तर से जांच कराई गई और चीनी की चोरी/कमी सम्बन्धी प्रकरण में तत्कालीन गोडाउन कीपर मो0 ईसा, श्री जगरदेव यादव, श्री सीताराम दुबे, सहायक गोदाम कीपर श्री राम प्यारे तथा श्री जी0 सी0 चतुर्वेदी, सुरक्षा अधिकारी को गोदाम में पाई गई चीनी की कमी/चोरी के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया और जांच अधिकारी ने इन कर्मचारियों के

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृत्य को गम्भीर प्रकृति का माना और इनके खिलाफ कठोर अनुशासनिक/विभागीय कार्यवाही कराते हुए मिल को हुई आर्थिक क्षति की वसूली किये जाने के निर्देश दिये थे। उक्त के अतिरिक्त श्री एस0 के0 शर्मा, तत्कालीन प्रभारी, मुख्य रसायनविद्, श्री ए0 के0 माथुर तत्कालीन मुख्य रसायनविद्, श्री मधुसूदन पाण्डेय, तत्कालीन मैन्यु0 कैमिस्ट एवं श्री अरुण निगम तत्कालीन प्रभारी मुख्य रसायनविद् जो कि संघ नियुक्त अधिकारी हैं, चीनी की चोरी/कमी के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी एवं दोषी पाये गये और इन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए सलाहकार (वित्त) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। सम्बन्धित अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी हैं और उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण/उत्तरों की समीक्षा की जा रही है।

चीनी मिल सुल्तानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18-5-2006 को स्टोर कीपर द्वारा स्टोर से सामान चोरी होने की सूचना दी गई और इससे सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर में दर्ज करा दी गई है। चोरी की घटना की जांच हेतु चीनी मिल के मुख्य लेखाकार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। चोरी की घटना के दिन कार्य पर तैनात रहे सुरक्षा कर्मियों को निलम्बित कर दिया गया है।

इस प्रकरण में जांच पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता परिक्षेत्र, फैजाबाद के द्वारा की जा रही है और इसकी विवेचना पुलिस स्तर पर गतिमान है।

**नेहरू की प्रतिमा पर छतरी का निर्माण तथा शास्त्री भवन में स्व0 लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का उद्घाटन करने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 14-09-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू जी की एक प्रतिमा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जवाहर भवन के प्रांगण में स्थापित है। इस प्रतिमा पर छतरी का निर्माण अभी तक नहीं हो सका। छतरी के निर्माण आदि पर कार्यदायी संस्था द्वारा लगभग रु0 6.00 लाख के अनुमानित लागत का आगणन दिया गया है। इसी प्रकार से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 लालबहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा भी काफी दिनों पूर्व से "शास्त्री भवन" के सामने अनुद्घाटित खड़ी हुई है। इन दोनों महान विभूतियों की प्रतिमाओं का उचित रख रखाव न करके उनका अनादर किया जा रहा है। अतः भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता पं0 जवाहर लाल नेहरू जी की प्रतिमा पर छतरी आदि का निर्माण कराया जाना एवं स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का उद्घाटन किये जाने की मांग की गयी है।

भारत के प्रथम प्रधान मंत्री एवं आधुनिक भारत के निर्माता स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू जी की प्रतिमा जो कि जवाहर भवन लखनऊ के प्रांगण में स्थापित है, इस प्रतिमा पर छतरी लगाये जाने का आगणन कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हुआ है। छतरी का "थ्री-डाइमेन्सनल

प्रास्पेक्टिव व्यू" के अनुसार मानचित्र कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर भवन के एलीवेसन (वास्य संरचना) पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करा कर छतरी के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

लालबहादुर शास्त्री भवन में स्थापित स्व0 शास्त्री जी की प्रतिमा का निर्माण संस्कृति विभाग के सहयोग से राजकीय निर्माण निगम द्वारा किया गया है। उक्त प्रतिमा का उद्घाटन करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 को प्रातः 10.00 बजे का समय प्रदान किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की मूर्ति लगी है। मैंने सिर्फ इतनी मांग की है कि इस पर छतरी लग जाये। सरकार ने इस पर आगणन भी मंगा लिया है। 6 लाख का आगणन भी आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की मूर्ति जो कि नेहरू भवन के बाहर लगी है उस पर शीघ्र कार्य आरम्भ करा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वहां पर छतरी जरूर लगायी जाएगी।

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम चित्रपुर नवदिया के श्री अजय कुमार की हत्या करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम चित्रपुर नवदिया.....

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा मान लेते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 30-7-06 को वादी श्री वेद प्रकाश पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम चित्तरपुर नवदिया थाना-बण्डा द्वारा अपने भाई अजय प्रकाश की हत्या के सम्बन्ध में थाना-बण्डा जनपद शाहजहांपुर पर मु0अ0सं0 326/06 धारा 147, 148, 149, 504, 302 भादवि बनाम कृपाल सिंह पुत्र कन्हई सिंह, जगदीश सिंह पुत्र दलिप सिंह, सोनू व अवनीश पुत्रगण जगदीश सिंह तथा अनगपाल सिंह के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। पुलिस के भारी दबाव के फलस्वरूप अभियुक्त जगदीश सिंह व अवनीश द्वारा दिनांक 4-8-06, अभियुक्त सोनू द्वारा दिनांक 8-8-06 तथा अभियुक्त अनगपाल सिंह द्वारा दिनांक 11-8-06 को मा0 न्यायालय में आत्मसर्मपण किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। अभियुक्त सोनू व अनगपाल सिंह को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया, जिनकी

निशानदेही पर दिनांक 19-8-06 को अभियुक्त सोनू से घटना में प्रयुक्त डी0बी0बी0एल0 गन व अभियुक्त अनगपाल से तमन्चा 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त कृपाल सिंह की उक्त अभियोग में गिरफ्तारी शेष है। विवेचक को अभियुक्त कृपाल सिंह के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

**जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र डलमऊ में चयनित हैण्डपम्पों को अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर**

**ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14-09-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली ने अपने पत्र दिनांक 09-01-06 द्वारा 218 हैण्डपम्पों की सूची स्थल चयनित कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है किन्तु 10 प्रतिशत सहभागिता राशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त भी अभी तक केवल 161 हैण्डपम्पों का ही अधिष्ठापन किया गया है।

2-शासनादेश संख्या-4335/38-5-05 दिनांक 06-12-05 द्वारा जनपद-रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1750 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे। इन हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली ने अवगत कराया है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य विधान सभा से 218 हैण्डपम्पों की सूची मांगी गई थी। मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूची के अनुसार 161 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

3-अवशेष 57 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रायबरेली को निर्देश दे दिये गये हैं।

**प्रदेश में हाईटेक/इन्टीग्रेटेड सिटी के नाम पर अधिग्रहित किसानों की भूमि का मुआवजा बाजार दर पर दिलाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर**

**मुख्य मंत्री जी का केवल वक्तव्य**

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि गाजियाबाद में हाईटेक सिटी एवं इन्टीग्रेटेड सिटी के नाम पर किसानों से जमीन लेने के मामले में उनसे घोर अन्याय हो रहा है। उनके द्वारा कम दर पर जमीन किसानों से ली जा रही है तथा बिना भूमि के प्रीलांचिंग की जा रही है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि उपजाऊ भूमि का अर्जन न हो, किसानों को प्रतिकर बाजार भाव से मिले। किसानों को मिलने वाली दर तथा बाद में मिलने वाली दर में कोई अनुपात निश्चित होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नगरीयकरण की तीव्र प्रक्रिया के फलस्वरूप बड़े शहरों में आवास एवं अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु निजी पूंजी

निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की नीति शासनादेश संख्या-6087/9-आ-1-2003-34वि0/03 दिनांक 22 नवम्बर, 2003 जारी की गई है। इसी प्रकार शासनादेश संख्या-2711/8-आ-01-34वि0/03 दिनांक 22 मई, 2005 द्वारा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड आवासीय नीति) घोषित की गई है। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा गाजियाबाद हेतु दो विकासकर्ता कम्पनियों मै0 उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेव0 प्रा0 लि0 तथा मै0 सनसिटी प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 का चयन किया गया।

उक्त विकासकर्ता कम्पनियों हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से क्रमशः 433.639 हैक्टेयर तथा 537.597 हैक्टेयर भूमि अर्जन का प्रस्ताव निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्राप्त प्रस्तावों पर भू-उपयोग परिषद् की सहमति प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद धारा 4/17 की अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 2006 को निर्गत की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अभी धारा-6/17 की कार्यवाही की जानी शेष है। इस कार्यवाही के बाद ही प्रभावित किसानों को करार नियमावली एवं अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर पर प्रतिकर आदि का निर्धारण किया जायेगा। इस स्तर पर यह कहना कि प्रतिकर की दरें सक्षम अधिकारी द्वारा कब और कितनी निर्धारित की जायेगी, सम्भव नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मै0 सनसिटी हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा जुलाई व अगस्त, 2006 में कुल 4.32685 हैक्टेयर भूमि 347.12 रु0 प्रति वर्ग गज की दर से सीधे कृषकों से क्रय भी की गयी है।

हाई-टेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत डी0पी0आर0 अनुमोदन के आधार पर विकासकर्ता कम्पनी को योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अपितु विकासकर्ता कम्पनी को योजनान्तर्गत भूखण्डों/भवनों/फ्लैट्स/अन्य सम्पत्तियों के आवंटन, विक्रय अथवा अग्रिम धनराशि प्राप्त करने अथवा लीज करने का अधिकार डिटेल्ड ले-आउट प्लान की स्वीकृति एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट हस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही प्राप्त होगा। विकासकर्ता कम्पनियों को अनुमन्य छूट शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत ही दी जा रही है।

**राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं इलाहाबाद को स्नातकोत्तर स्तर का बनाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 23 अगस्त, 2006 की कार्यसूची के नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन**

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

अब हम उठते हैं। 11 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 5 बजकर 50 मिनट पर बुधवार दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :
दिनांक 21 सितम्बर, 2006

**राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'क'

**देखिये अता0प्र0सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर**

**संलग्नक-'क'**

लुम्बिनी दुग्धी मार्ग निर्माण में कुछ कि0मी0 में 3 कोट डब्लू0बी0एम0 प्रत्येक 75 कि0मी0 कम्पेक्टेड एवं कुछ कि0मी0 में 2 कोट डब्लू0एम0 प्रत्येक 75 मि0मी0 कम्पेक्टेड मोटाई का प्राविधान है। डब्लू0बी0एम0 के ऊपर इन सभी कि0मी0 में बी0एम0 60 मि0मी0 तथा एस0डी0बी0सी0-25 मि0मी0 मोटाई का प्राविधान है। कि0मी0-23.00 से 39.00 तक 7 मी0 चौड़ाई में केवल बी0एम0 75 मि0मी0 तथा एस0डी0बी0सी0 25 मि0मी0 मोटाई का प्राविधान है।

डब्लू0बी0एम0 75 मि0मी0 कम्पेक्टेड के लिए लूज मात्रा में एम0ओ0आर0टी0एच0 की विशिष्टियों के अनुसार प्रत्येक 10 वर्ग मी0 में 0.91 से 1.07 घन मी0 24.4-53 मि0मी0 स्टोन बैलास्ट का प्रविधान है तथा इसमें स्क्रीनिंग की मात्रा 0.18 घन मी0 से 0.21 घन मी0 का प्राविधान है। विभिन्न किलोमीटरों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की प्रति कि0मी0 औसत मात्रा निम्नानुसार है:--

| क्र0 स0 | सामग्री का विवरण | तीन कोट डब्लू0बी0एम0 वाले कि0मी0 में विभिन्न सामग्रियों की प्रति कि0मी0 की औसत मात्रा | 2 कोट डब्लू0 बी0 एम0 वाले कि0मी0 में विभिन्न सामग्रियों की प्रति कि0मी0 औसत मात्रा | केवल बी0एम0 75 वाले कि0मी0 में विभिन्न सामग्रियों की प्रति कि0मी0 औसत मात्रा | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 224-53 मि0मी0 स्टोन बैलास्ट | 1969.27 घन मी0 | 1334.00 घन0 मी0 | - | - |
| 2 | स्क्रीनिंग मैटीरियल | 390.60 घन मी0 | 264.60 घन मी0 | - | - |
| 3 | प्रथम सतह लेपन हेतु 19 मिमी0 बुटवल क्रस्ट ग्रिट | 105.00 घन मी0 | 105 घन मी0 | - | - |
| 4 | प्रथम सतह लेपन हेतु 80/100 विटुमिन | 14.35 मी0टन | 14.35 मी0टन | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | बी0एम0एम0. एस0 डी0बी0सी0 हेतु 2 कोट टैक कोट से इमल्शन | 2.50 मी0टन | 2.50 मी0टन | - | - |
| 6 | बी0एम0 50 मिमी0 हेतु विभिन्न साइजों की ग्रिट की मात्रा | 4.95 घन मी0 | 4.95 घन मी0 | - | - |
| 7 | बी0एम0 75 हेतु विभिन्न साइजों की ग्रिट की मात्रा | - | - | 742.50 | - |
| 8 | बी0एम0 75/50 मिनी हेतु 60/70 बिटुमिन की मात्रा | 28.80 मी0 | 28.80 मी0 | 43.20 मी0 | - |
| 9 | 25 मिमी0 एस0डी0 बी0सी0 हेतु विभिन्न साइजों की ग्रिट की मात्रा | 258.40 | 258.40 | 258.40 | - |
| 10 | एस0डी0बी0सी0 हेतु सी0आर0एम0बी0-5 5 की मात्रा | 20.20 | 20.20 | 20.20 | - |

प्रथम सतह लेपन में बुटवल क्रस्ट ग्रिट का प्राविधान आगणन में किया गया है तथा बी0एम0एस0डी0बी0सी0 हेतु डाला ग्रिट का प्राविधान किया गया है। कि0मी0-23.00 से 39.00 तथा 76.00 से 107.00 तक डाला ग्रिट से ही बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 का कार्य कराया गया है।

जहां तक डाला एवं बुटवल क्रस्ट ग्रिट का प्रश्न है दोनों ही लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित खदानें हैं। डब्लू0बी0एम0 हेतु 22.5-53 मि0मी0 पत्थर विभिन्न खदानों से उपलब्धता के आधार पर बढ़नी बुटवल व शंकरगढ़ से लिया गया है जो लो0नि0वि0 में अनुमोदित खदानें हैं।

## नत्थी 'ख'

देखिये अता0प्र0सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2006 के चतुर्थ मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मशहूद खां, मा0 सदस्य परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-17 का संलग्नक

(योजनावार सूची-1)

| क्र0सं0 | वर्ष | योजना का नाम | कार्य की संख्या | प्राप्त आंवटन (लाख रु0) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-04 | नाबार्ड योजना | 8 | 65.16 |
| | | जिला योजना | 8 | 10.56 |
| | | राज्य योजना | 1 | 20.00 |
| | | समग्र ग्राम विकास योजना | 1 | 5.78 |
| 2 | 2004-05 | नाबार्ड योजना | 9 | 48.82 |
| | | समग्र ग्राम विकास योजना | 1 | 52.02 |
| | | बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम | 2 | 62.49 |
| | | राज्य सड़क निधि | 10 | 64.82 |
| 3 | 2005-06 | जिला योजना | 9 | 30.77 |
| | | राज्य योजना | 2 | 32.30 |
| | | नाबार्ड योजना | 6 | 13.19 |
| | | राज्य सड़क निधि | 4 | 51.15 |
| | | एस0सी0पी0योजना | 2 | 102.57 |
| | | त्वरित आर्थिक विकास | 2 | 64.97 |
| | | आदर्श जनपद योजना | 1 | 60.13 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**कार्यों की योजनावार अद्यतन सूची-2**

| क्र0सं0 | वर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-04 | नाबार्ड योजना | मथुरा बाजार सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | कौआपुर कन्देला सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | बेला सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | ललितया बनकटवा से हाथीगर्दा मार्ग | पूर्ण |
| | | | मुडिया सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | घनघटा से मुर्तिहार सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | बलरामपुर-तुलसीपुर से हरपुर जनकपुर | पूर्ण |
| | | | रामपुर सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | जिला योजना | तुकौलिया सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | पंचपकड़ी वाया देवनगर ककरइया मार्ग | पूर्ण |
| | | | तुकौलिया सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | कौआपुर कन्देला मार्ग | पूर्ण |
| | | | कौआपुर कन्देला से बद्धगो वाया भगवानपुर का शेष भाग | पूर्ण |
| | | | बलरामपुर तुलसीपुर मार्ग से नेबोवरिया जद्दापुर वाया चोरघटिया मार्ग | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर चौधरीडीह मार्ग पर इन्दिरा आवास के बगल से ग्राम सेमरा तक मार्ग | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर नन्दमहरा से भगवाह कला मार्ग | पूर्ण |
| | | राज्य योजना | चौधरी मथुरा मार्ग | पूर्ण |
| | | समग्र ग्राम विकास योजना | बघेल खण्ड सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| 2 | 2004-05 | नाबार्ड योजना | कमदा लिंक रोड | पूर्ण |
| | | | मनोरिया बगुलहा मार्ग | पूर्ण |
| | | | नेवाजपुर लिंक मार्ग | पूर्ण |
| | | | बनकटवा से देवपुर मार्ग | पूर्ण |
| | | | नरायनपुर परसिया कला मार्ग | पूर्ण |
| | | | रामपुर सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | कौआपुर कन्देला | पूर्ण |
| | | | बेला सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | घनघटा से मुर्तिहा | पूर्ण |

| क्र0सं0 | वर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| | | समग्र ग्राम विकास योजना | बघेल खण्ड सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | बार्डर एरिया डेवलपमंट प्रोग्राम | बघेल खण्ड पेरा नाला पुल | पूर्ण |
| | | | नचौरा सी0सी0ट्रैक पर नकटी नाला पुल | पूर्ण |
| | | राज्य सड़क निधि | तुलसीपुर कोयला वासा मार्ग | पूर्ण |
| | | | हरैया नरायनपुर कौआपुर | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर हरैया चौधरी डीह मार्ग | पूर्ण |
| | | | ललिया महरागंज मार्ग | पूर्ण |
| | | | उतरौला तुलसीपुर मार्ग | पूर्ण |
| | | | चौधरीडीह मथुरा मार्ग | पूर्ण |
| | | | कौआपुर बड़गो मार्ग | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर कोयला वासा मार्ग | पूर्ण |
| | | | महराजगंज ललिया मार्ग | पूर्ण |
| | | | हरैया नरायनपुर कौआपुर | पूर्ण |
| 3 | 2005-06 | जिला योजना | नचौरा सी0सी0ट्रैक | पूर्ण |
| | | | ललिया बनकटवा मार्ग से बजरडीह | पूर्ण |
| | | | हिन्दुली कला मार्ग | पूर्ण |
| | | | महराजगंज दादौ मार्ग | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर नन्दमहरा मार्ग से बडगो मार्ग | पूर्ण |
| | | | सेखुई मार्ग से बडगो खुद मार्ग | पूर्ण |
| | | | मथुरा से मथुरा घाट डिप | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर नन्दमहरा से गुलरिया सम्पर्क मार्ग | पूर्ण |
| | | | कौआपुर महमूदनगर से भैरिया डिप मार्ग | 3/07 |
| | | राज्य योजना | महरागंज दादौ मार्ग | 3/07 |
| | | | छितई डीड से धोखरा मार्ग | 3/07 |
| | | नाबार्ड योजना | चिरौजीपुर जोखवा मार्ग | 3/07 |
| | | | कौआपुर बडगो सम्पर्क मार्ग | 3/07 |
| | | | टी0एच0सी0मार्ग से महादेव बाकी | 3/07 |
| | | | टी0एच0सी0मार्ग से गौरा माफी मार्ग | 3/07 |
| | | | ललिया महराजगंज मार्ग से नन्हुआपुर मार्ग | 3/07 |

| क्र0सं0 | वर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | कार्य की अद्यतन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| | | | चौधरीडीह मथुरा से घनघटा मार्ग | 3/07 |
| | | राज्य सड़क निधि | तुलसीपुर कायेलावास मार्ग | पूर्ण |
| | | | हरैया नरायनपुर कौआपुर मार्ग | पूर्ण |
| | | | महराजगंज ललिया मार्ग | पूर्ण |
| | | | तुलसीपुर हरैया चौधरीडीह मार्ग | पूर्ण |
| | | एस0सी0पी0 | मोतीपुर कलां | 3/07 |
| | | | सिकन्दर बोझी | 3/07 |
| | | त्वरित आर्थिक विकास योजना | ललिया मथुरा बजरडीह मार्ग पर हेग्हा नाले पर आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण | 3/07 |
| | | | ललिया महरागंज मार्ग किमी0-7 में क्षतिग्रस्त डिप | 3/07 |
| | | आदर्श जनपद योजना | ललिया बनकटवा मार्ग से पदम चक्की मार्ग | 3/07 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 324 विधान सभा (557)-21-2-2007-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।